राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08| चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का छठा दिवस |संख्या: 03

मंगलवार,

28 फरवरी, 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम सा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इधर जोर से नहीं किया, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: आज मामला इधर ठंडा है। प्रश्नकाल। डा. राजकुमार शर्मा।

नवलगढ़ में स्वीकृत सड़कें

27. **डा. राजकुमार शर्मा** (नवलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् अनेक सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां निरस्त कर दी गयी हैं? यदि हां, तो किन-किन सड़कों की? निरस्त किये जाने के क्या कारण रहे व अब कब तक उक्त निरस्त की गयी स्वीकृतियों को पुन: स्वीकृत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 2014 के पश्चात् उक्त क्षेत्र में सड़क निर्माण सम्बन्धी क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये और उनमें से कौन-कौन से कार्य कितनी राशि व्यय कर पूर्ण कर दिये गये व कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात विशेष प्राथमिकता योजनान्तर्गत

(श्री युनुस खान)

स्वीकृत 6 सड़क कार्यों की स्वीकृति सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत निरस्त की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। उक्त निरस्त किए गए कार्यों की स्वीकृति पुन: जारी किया जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 1 जनवरी, 2014 के पश्चात विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण के कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण स्थिति, कार्यों पर व्यय राशि एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावित तिथि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या?

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): वही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): प्रश्न के भाग 1 में जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 1 जनवरी, 2014 के पश्चात कितने सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति निरस्त की है, और निरस्त किए जाने के क्या कारण रहे? आपने इस सत्र में जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है, उसमें आपने लिखा है कि सरकार का यह नीतिगत निर्णय था। यही प्रश्न मैंने पिछले सत्र में किया था आपसे, तब आपने कहा था कि वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से हमने निरस्त किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न के दो-दो जवाब सत्र में आ रहे हैं। पिछले सत्र में तो आपने वह कहा और इस सत्र में आप यह कह रहे हैं। अधिकारी या तो इनको गुमराह कर रहे हैं या मंत्रीजी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना इनसे यह है कि आपने बार-बार उत्तर में बोला है कि विशेष प्राथमिकता वाली सड़कें, तो विशेष प्राथमिकता वाली सड़कें सरकार तभी स्वीकृत करती है जब वहां पर विशेष आवश्यकता होती है, वरना तो कोई करता नहीं है। हमारी निवाई से कुमावास, बिरोल से नवलगढ़ गोल्याणा सड़क वाया निक्कूदास जी की बगीची, कोलस्या से कारी, कोलस्या से पुजारों की ढाणी यह कुछ सड़कों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, यह विशेष प्राथमिकता वाली सड़कें थीं।

(डा. राजकुमार शर्मा)

माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है कि नीतिगत निर्णय सरकार का है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जनता के लिए सड़क बनाना और उसको विशेष प्राथमिकता में डालना किसी सरकार के द्वारा और उस सरकार के लिए गए निर्णय को दूसरी सरकार नीतिगत निर्णय लेकर के निरस्त करती है? यह अच्छा नहीं है जनता के लिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैं तो नीतिगत निर्णय नहीं मानता, आपका जो पिछली बार का जवाब है उसी को मान लेता हूं कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, आपको अगर 3 साल में वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गए हैं तो मेहरबानी करके यह सड़कें बना दीजिए। यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्षः इसका जवाब आने दीजिए, फिर कर लेना।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): नहीं, मैं तो साथ ही कर लेता हूं।

श्री अध्यक्षः चलो साथ कर लो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्योंकि नम्बर 1 मंत्री हैं। जवाब इनके पास पहले से तैयार हैं। हालांकि मैं तो नम्बर 1 मंत्री तब मानूंगा जब यह मेरी सड़कें बना देंगे वहां पर। स्वीकृत कर देंगे। वरना तो मैं नहीं मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सदन में मुझे कहते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है कि 199 विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने ग्रामीण गौरव पथ स्वीकृत कर दिए। उसके टेंडर भी जारी कर दिए। मेरे नवलगढ़ ने क्या गुनाह किया कि उस विधान सभा क्षेत्र को इन्होंने वंचित कर दिया। ग्रामीण गौरव पथ से ही नहीं, मिसिंग लिंक 2016-17 के अन्दर इनके क्षेत्रों में दे दी गई। जो इनके ज्यादा शुभचिंतक विधायक हैं, उनको भी इन्होंने बांट दी। मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरे साथ आपने ऐसा जुल्म क्यों किया?

मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग नवलगढ़ जीतना चाहते हैं, लेकिन आज तक यह लोग नहीं जीते। लेकिन जीतोगे तो तब जब वहां पर सड़कें बनाओगे। आप अगर नवलगढ़ के साथ कुठाराघात करोगे तो नवलगढ़ में न तो आप आज तक जीत पाए 70 साल में और न आगे जीत पाओगे। यह मेरा दावा है।

श्री अध्यक्षः सवाल कीजिए। सवाल कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप

(डा. राजकुमार शर्मा)

सदन के अन्दर यह घोषणा कीजिए कि मिसिंग लिंक और ग्रामीण गौरव पथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं, ये दोनों चीजें आज यह करें। सरकार का भेदभाव जनता के सामने आए। भेदभाव तब समाप्त होगा जब यह दोनों कामों की आज यहां घोषणा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने डीडवाना के अन्दर खूब खर्च किया। हम आपसे हिसाब नहीं मांगना चाहते डीडवाना का, क्योंकि आप वहां मंत्री हैं, इसलिए आपका धर्म भी बनता है कि डीडवाना को आप ज्यादा से ज्यादा दें। लेकिन क्या नवलगढ़ राजस्थान में नहीं है? आप अगर नवलगढ़ को राजस्थान में मानते हो और हमारे को अपना मानते हो तो यह दोनों स्वीकृतियां आप जारी करेंगे, यह मुझे पूरा भरोसा है मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेष प्राथमिकता की बात कही है। जब तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में जो अपना बजट पेश किया, उसके आंकड़े मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब उन्होंने 2013-14 का बजट पेश किया तो उस समय चालू सड़कों के लिए, जिन पर काम चल रहा था, 2012-13 के बजट से जिन पर काम चल रहा था, निर्माणाधीन थी, उनके लिए तो 1,366 करोड़ का बजट रखा। लेकिन नई सड़कों के लिए 2013-14 में मात्र 876 करोड़ रुपए का बजट रखा। उस 876 करोड़ रुपए के बजट के विरुद्ध उन्होंने पूरे राजस्थान में 4,122 करोड़ की नई स्वीकृतियां दे दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 876 करोड़ का बजट प्रावधान और 4,122 करोड़ और 74 लाख रुपए की स्वीकृतियां देना, इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने 3,244 करोड़ और 38 लाख की स्वीकृतियां बजटीय प्रावधान से अधिक दे दीं। इन्होंने यह सोचकर के दे दीं कि इन सड़कों के सिर्फ शिलान्यास करके हम सरकार ले आएंगे। इन्होंने बजट में कोई ध्यान नहीं दिया और एक नया हैड राजस्थान में पहली बार खोला गया, विशेष प्राथमिकता सड़क।

(श्री युनुस खान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं उलटा लगा रहा हूं कि 2013-14 में जहां-जहां कांग्रेस के एमएलए थे, वहां तो विशेष प्राथमिकता थी और जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, वहां यह प्राथमिकता नहीं थी। यह हैड सिर्फ इन्होंने ही खोला। हमने नहीं खोला। इनके साथ क्या भेदभाव हुआ? हमने किया या पूर्ववर्ती सरकार ने किया। वह आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि अगर हमारे मन में भेदभाव की बात होती तो यह जो 3,244 करोड़ की अधिक स्वीकृतियां दी, उनमें से मात्र 968 करोड़ रुपए, पूरे राजस्थान में, जो या तो वर्क आर्डर नहीं हुआ, टैंडर नहीं हुआ, काम चालू नहीं हुआ, सिर्फ उन कार्यों की स्वीकृतियों को ही निरस्त किया। बाकी बजट के बाहर जाकर के भी माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने सहृदयता दिखाई और 2,277 करोड़ 66 लाख के काम विशेष प्राथमिकता सड़कों के चालू रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकारी बनी तो उन्होंने घोषणा की कि 9,994 जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें गौरव पथ बनाएंगे। जिसकी प्रथम चरण की स्वीकृतियां भी हमने दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का खाता कभी नहीं खुला और झुंझुनूं जिले में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत कम जीती है। कांग्रेस बार-बार जीतती रही है। लेकिन अगर हम झुंझुनूं जिले के आंकड़ों को भी देखें और विशेष रूप से नवलगढ़ के ...।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): जिले पर अगर जाओगे तो मैं भी आ रहा हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं नवलगढ़ पर आ रहा हूं।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप आंकड़े पेश कर रहे हो, मैं बोल नहीं रहा। मैं आपकी बातें सुन रहा हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं भी सुन रहा था।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप यह जो आंकड़े पेश कर रहे हो, यह सिर्फ आपकी खुद की निष्क्रियता और कमजोरी छुपाने के लिए, फेलियोर छुपाने के लिए कर रहे हो मंत्री महोदय। यह मेरा साफ आरोप है आप पर।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री युनुस खान)

मैं कितना निष्क्रिय हूं, वह तो राजस्थान की जनता जानती है और यह हाउस भी जानता है। यह कितने सक्रिय थे, इनके 4 मंत्री थे और उस समय इनके मंत्री रहते हुए इनके साथ भेदभाव हुआ। यह आरोप मैं लगा रहा हूं कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस की सरकार पर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े प्रूव करते हैं कि अभी इनके यहां पर 61 करोड़ के काम चल रहे हैं। यह खुद ही बता दें, जब यह नवलगढ़ के विधायक भी थे और सरकार में मंत्री भी थे, उस समय इनके क्षेत्र में मात्र 23 करोड़ रुपए खर्च हुए। कहां 61 करोड़ रुपए, जिनकी स्वीकृतियां हमने इनके यहां जारी कर रखी हैं, काम चल रहे हैं और कहां 23 करोड़ रुपए।

कौन निष्क्रिय, कौन सक्रिय, यह आंकड़े खुद ही प्रूव कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं तो यह कह रहा हूं कि नवलगढ़ में इन्होंने खुद ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला लेकिन फिर भी हमने राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। नवलगढ़ की जनता के फैसले को शिरोधार्य करके और यह लगभग 61 करोड़ के काम हमारे सारे शुरू हो जाएंगे। उनमें से भी अगर पैसा खर्च करने की राशि पर भी अगर हम जाएं तो हम 31 करोड़ रुपए तो अब तक खर्च कर चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद ही मेरे को एक-दो बार धन्यवाद दिया, आज भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो यह कोई दूसरी बात कर रहे हैं कि मेरी स्वीकृतियां हो जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्र के अन्दर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह देखिए कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में जो क्षतिग्रस्त सड़कें थीं उसके पहले चरण में हमने इनकी 4 सड़कें लीं। दूसरा इन्होंने मिसिंग लिंक की बात की, मिसिंग लिंक की इन्होंने बात की, पहले चरण में इनके यहां की हमने 7 सड़कें लीं, इन 7 सड़कों पर भी लगभग 19.25 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृतियां पहले चरण में दीं। गौरव पथ भी दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री सड़क योजना में इनके जिले में ही नहीं, राजस्थान के बहुत सारे विधान सभा क्षेत्रों में 24 सड़कें ऐसी हैं जिनका काम आज की तारीख में इनके क्षेत्र में चल रहा है जो चालीस परसेंट राशि राजस्थान सरकार ने दी और 60 परसेंट राशि भारत सरकार ने दी। इसलिए हमने इस तरीके का इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया और मैं

(श्री युनुस खान)

बिलकुल यह कहना चाहूंगा कि इनके यहां और डीडवाना की इन्होंने बात की। इनको डीडवाना से जोड़ने के लिए सड़क के लिए अभी हमने स्वीकृति दी है, टैंडर भी हो गया, वर्क आर्डर भी हो गया। वह सड़क नागौर से मुकन्दगढ़ इनके विधान सभा क्षेत्र में आएंगी, 196 किलोमीटर की है। डीडवाना ने इनके यहां डाइरेक्ट टू लेन से कनेक्ट हम कर देंगे इसलिए डीडवाना से ज्यादा कम्पेरीजन नहीं करें। नवलगढ़ का फैसला नवलगढ़ की जनता ने दिया है मैंने तो दिया नहीं। इनके साथ किसी भी तरीके का राजनीतिक भेदभाव नहीं हुआ है।

और भी यह कोई ऐसी सड़क जो जरूरी है और राज्य सरकार के पास भेजेंगे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। उस समय भी मैंने यह कहा कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर कर देंगे, आज भी यही कह रहा हूं और ऐसी कोई सड़क है जिसमें इनकी कोई बात खराब हो रही है तो निश्चित रूप से उसमें विचार करके उसको स्वीकृत करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ाने की कार्ययोजना

28. **श्री फूलसिंह मीणा** (उदयपुर ग्रामीण): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसी शहर को कितनी जनसंख्या पर नगर निगम बनाया जाता है? उसमें वार्ड गठन के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर निगम में वर्तमान में 55 वार्ड हैं? यदि हां, तो क्या उक्त शहर की जनसंख्या के अनुसार वार्डों की संख्या पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नगर निगम में वार्डों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): (1) नगर निगम बनाने के लिए जनसंख्या के मापदंडों के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2010 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर एवं वार्ड गठन

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 1994 की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्तमान में 07 नगर निगम अस्तित्व में हैं, जो कि निम्नानुसार हैं:- जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर एवं भरतपुर।

(3) जी हां। अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 1994 के अनुसार नगर निगम, उदयपुर में वार्डों की संख्या पर्याप्त है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि वार्डों में...।

श्री अध्यक्ष: अब क्या पूछ रहे हो जब संतुष्ट हो गए तो?

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वार्डों में जो वोटरों की संख्या है, एक वार्ड में 2363 है और एक वार्ड में 13500 है, क्या इनको भी समायोजन करने का विचार रखते हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि उदयपुर के कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें समानता नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वार्ड नम्बर 25 में 2363 वोटर हैं जबकि वार्ड नम्बर 37 में 13500 है। मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिला कलक्टर से प्रस्ताव बनवाकर, क्योंकि यह राज्य निर्वाचन आयोग का काम है, फिर भी हम जिला कलक्टर को भेज देंगे और प्रस्ताव मंगवा लेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग को भेजकर समानता करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा तो नहीं है?

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो भी आपने प्रश्न का जवाब दिया, सही है मगर उदयपुर के आजू-बाजू में यू आई टी कॉलोनियां बनी हुई हैं और बिलकुल उसमें विकास के लिए यू आई टी जो विकास कर रही है वह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि यू आई टी की पूरी

(श्री फूलसिंह मीणा)

कालोनियां बन चुकी हैं जो उनके शहर के बिलकुल सटी हुई हैं। पहला नम्बर भुवाना, शोभागपुरा, बेहड़वास, मनवा का खेड़ा, कलड़वास, तीतरडी, सवीना ग्रामीण, देवाली, बलीचा, सिसारमा, बड़गांव, बड़ी अम्बेरी, सामेटिया और बेदलाद। यह बिलकुल उदयपुर के नजदीक हैं और यू आई टी की इतना कालोनियों की बसावट हो गई है। जैसे हमारे दक्षिण विस्तार योजना में हमारे गरीबों के लिए आवास भी बनाए जा रहे हैं, बेहड़वास में मुख्य मंत्रीजी ने 1760 आवासों का भूमि पूजन किया वह कम्पलीट हो गए हैं। 560 का और भूमि पूजन होने जा रहा है तो यह कालोनियां जब तक नगर निगम में नहीं होंगी, पंचायतों के पास पर्याप्त बजट नहीं है और जब तक नगर निगम में नहीं आएंगी तब तक इनका विकास सम्भव नहीं है। क्या मंत्री महोदय, इनको उदयपुर नगर निगम में मिलाने की कोई योजना रखते हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कालोनियों का जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया। हमने जिला कलक्टर, उदयपुर को नगर सीमा में आसपास के जो 34 गांव हैं उनको शामिल करने के लिए सहमति, टिप्पणी, मौका स्थिति, निर्देशानुसार परीक्षण के लिए भेजा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा लिखा हुआ है और वहां से रिपोर्ट आते ही, रिपोर्ट अपेक्षित है। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जिन कालोनियों का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है उनको शामिल करें ताकि उनका विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत प्रश्न संख्या 1 और 2 से सम्बन्धित माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश में किसी शहर की कितनी जनसंख्या पर उसको नगर निगम बनाए जाने और वार्ड पुनर्गठन का जो प्रश्न है, उससे सम्बन्धित मेरा निवेदन है पहला, जोधपुर नगर निगम की कुल कितनी जनसंख्या है, कितने वार्ड हैं और जनसंख्या में वार्डों का भेदभाव पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा...

श्री अध्यक्ष: उदयपुर का प्रश्न है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रदेश से सम्बन्धित प्रश्न है, प्रदेश का है, आप देखें, प्रश्न प्रदेश का है। जोधपुर नगर निगम में पूर्ववर्ती सरकार ने एक वार्ड में जो उनका हितैषी है वहां पांच हजार और दूसरे जो हितैषी नहीं हैं, वहां

(श्री जोगाराम पटेल)

पचास हजार की जनसंख्या का डिफरेंस रखा है और पास की दस ग्राम पंचायतें जो नगर निगम का जो एक तरह से भाग है, क्या जोधपुर नगर निगम का पुनर्गठन करने का विचार रखते हैं, प्रश्न नम्बर एक। यदि विचार रखते हैं तो क्या वार्डों में जो भेदभाव है उसको समाप्त करेंगे और आसपास की जो दस ग्राम पंचायतें हैं जो नगर निगम के भाग की तरह है उनको सम्मिलित करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह उदयपुर नगर निगम से सम्बन्धित प्रश्न था लेकिन माननीय सदस्य ने जोधपुर के लिए पूछा तो मैं यही विश्वास दिला सकता हूं कि चूंकि हमारे यहां नगर निगम बनाने की अलग-अलग जो जनसंख्या हमारी फिक्स है उसमें अगर बैठेगा इनके वार्ड सीमा बढ़ाने की, जो भी वार्ड बनाने की कह रहे हैं, यदि यह भेजेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षण कराएंगे और हो सकता होगा तो निश्चित रूप से करेंगे, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय और प्रश्नकर्ता माननीय मेरे साथी ने जो प्रश्न किया है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (जेड)(सी) यह कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में नगरपालिका, नगर निगम आदि का विस्तार या उसकी उद्‌घोषणा करने का अधिकार नहीं है। जैसा कि आपने प्रश्न किया, उदयपुर के आसपास की सारी पंचायतें, 1980 की गजट अधिसूचना में साफ प्रावधान है कि जब जनजाति उपयोग क्षेत्र में है तो टीएसपी के माध्यम से सलाह लेकर ही इसकी उद्‌घोषणा की जा सकती है, वहां की जनता की राय लेकर, जनमत की सहमति से ही की जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह जो जवाब है वह भारत के संविधान की आर्टिकल 243 (जेड)(सी) के विपरीत है। मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है मैं इस पर

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

इतना ही कह सकता हूं कि यह सदन और यह सरकार भारत के संविधान के हिसाब से ही चलती है और इसमें निश्चित रूप से अगर कोई इनको लगता है कि संविधान के विपरीत हमने किया है तो मेरा यह मानना है कि नगर निगम में सीमा वृद्धि हो या नगरपालिका की सीमा वृद्धि हो, यानी जितने भी क्षेत्र हैं हमारे, उनकी सीमा वृद्धि करते हैं तो हम संविधान के अनुसार ही करते हैं, जो सिस्टम बना हुआ है उसके अनुसार ही करते हैं, उसके नोर्म्स तय हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वैसे तो इसमें कहीं भी इनको लगता हो तो हम वापस उसकी समीक्षा कर देंगे और निश्चित रूप से उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला प्रश्न श्री सुखराम विश्नोई।

प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा खरीफ-रबी फसल हेतु ऋण वितरण का लक्ष्य

29. **श्री सुखराम विश्नोई** (सांचौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 29 सहकारी बैंकों से खरीफ फसल के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से काश्तकारों को ऋण वितरण कराने हेतु जून, 2016 तक साढ़े आठ हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो उक्त निर्धारित अवधि तक कितना ऋण वितरित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चालू रबी की फसल के लिये नोटबन्दी के कारण सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण वितरित नहीं होने के कारण किसानों को साहूकारों से ज्यादा ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ा? यदि हां, तो क्या सरकार सहकारी समितियों के सदस्य किसानों को नोटबन्दी से हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) प्रदेश के 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को खरीफ ऋण वितरण की अवधि में ऋण वितरण का मूल लक्ष्य 8500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। ब्याज अनुदान की राशि में राज्य सरकार द्वारा बढ़ोतरी किये जाने, मानसून विलम्ब से सक्रिय होने तथा अतिवृष्टि के कारण ऋण वितरण हेतु 15 सितम्बर, 2016 तक विस्तारित

(श्री अजय सिंह)

अवधि में राशि 9500 करोड़ रुपये के लक्ष्य निर्धारित किये गये जिसके विरुद्ध बैंकों द्वारा 8543.15 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया है।

(2) जी नहीं। सहकारी बैंकों के द्वारा चालू रबी सीजन में किसानों को ऋण वितरण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि रबी के सीजन में लोन का क्या लक्ष्य था और उस लक्ष्य के साथ में 1 अक्टूबर से उनका लोन शुरू होता है। 1 अक्टूबर से नोटबंदी तक कितना लोन दिया गया और 9 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कितना लोन दिया और नोटबंदी के बाद आज दिन तक कितना लोन दिया, कृपया ये तीनों स्पष्ट करें। लक्ष्य कितना था और इन तीनों में कितना-कितना लोन दिया?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सहकारी विभाग के बैंकों द्वारा किसानों को जो फसली ऋण दिया जाता है, खरीफ का दिया जाता है, रबी का दिया जाता है। खरीफ का ऋण वितरण 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक हम देते हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं रबी की बात कर रहा हूं। खरीफ का दूसरा प्रश्न है। रबी का जवाब दो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हमने जो टार्गेट पहले सरकार ने पूरे वर्ष का दिया था वह 13 हजार करोड़ था। हमने उसे बढ़ाकर 14500 करोड़ कर दिया था। इसके अन्दर खरीफ का जो टार्गेट अचीव किया है वह 8543.16 करोड़। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने किया है, रबी के अन्दर जो अभी तक बांटा गया है 1695 करोड़ रुपये हमने अभी बांटे हैं।

आपका जो मूल प्रश्न दूसरे खण्ड का है कि नोटबंदी के कारण से किसानों को समस्या हुई है। किसान साहूकार से ऋण लेने को बाध्य हुआ है। उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि खरीफ के अन्दर जो ऋण दिया जाता है उसे हम रबी सीजन में रिकवर करते हैं, हमारी रिकवरी होती है। उसको अगर हम पूरे प्रदेश में देखें तो लगभग 10 हजार करोड़ रुपया हमें वसूल करना चाहिए था। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहली बार हुआ है, 10-15 सालों का रिकार्ड मैंने देखा है।

(श्री अजय सिंह)

हमने स्टेट की जो वसूली की है वह केवल 14.5 प्रतिशत वसूली की है। हमने किसानों से तकादा नहीं किया, हमने किसानों को बाध्य नहीं किया कि आप हमें ऋण जमा कराओ। अब जब 31 मार्च जिसकी अंतिम तिथि है तो 31 मार्च को देने के बाद तुरन्त ही हम अप्रैल से वापस खरीफ का फसली ऋण हम जारी कर देंगे।

जो टार्गेट मैंने आपको बताये कि 1695 करोड़ रुपये हमने बांटे हैं और 4 हजार करोड़ से ज्यादा हमें और ऋण देना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 31 मार्च तक हमें यह बांटना है और हम पूरा का पूरा लक्ष्य है वह प्राप्त कर लेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि 1 अक्टूबर से रबी का लोन शुरू होता है। मैंने पूछा नोटबंदी तक कितना बांटा, नोटबंदी 9 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कितना बांटा और 1 जनवरी से आज दिन तक कितना बांटा, ये तीन पूछे हैं, इनका जवाब दो आप। इन दिनों में आपने कितना लोन बांटा? (व्यवधान) मैंने ये सवाल पूछे हैं, तीनों का जवाब दो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, नोटबंदी के समय रबी का जो सीजन था 1 सितम्बर से हमारा रबी का चालू हो जाता है। वह मैंने आपको बता दिया कि 1695 करोड़ का...(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वह तो अब जनवरी से बांटना शुरू किया। अभी बांट रहे हो आप। फसल पक गयी, अभी बांट रहे हो। मेरा सवाल है कि 1 अक्टूबर से जब रबी की पिलाई शुरू होती है, 8 नवम्बर तक तथा नोटबंदी में कितना बांटा, उसके बाद कितना बांटा। पूरे के पूरे पैसे 1 जनवरी के बाद बांटे हैं जब फसल पक गयी। अभी बांट रहे हैं। मेरे जिले में अभी बांट रहे हैं। मेरा एक्युरेट जवाब दो आप।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रबी का ऋण है वह 1 सितम्बर से 31 मार्च तक हमें बांटना होता है। अभी रबी का ऋण हम लगातार बांट रहे हैं, 31 मार्च तक बंटेगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप गोलमोल जवाब मत दो। मंत्रीजी, सीधा जवाब दो। माननीय अध्यक्षजी, सीधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। जवाब दे रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): जवाब कहां आ रहा है। 1 अक्टूबर से 8 नवम्बर नोटबंदी तक कितने पैसे बांटे, कितना ऋण बांटा? नोटबंदी के 50 दिन में कितना पेमेंट किया और नोटबंदी के बाद आज दिन तक कितना पेमेंट किया? वह एक्यूरेट जवाब दो आप। गोलमोल जवाब दे रहे हो आप।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो जवाब इनके पास है वह दे दिया इन्होंने।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, 1 सितम्बर से 24 फरवरी तक हमने 1695 करोड़ रुपये बांटे। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आपकी जो मंशा है कि किसान दुःखी है, नोटबंदी के कारण से किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ा, मैं आपको बता दूं कि हमने वसूली ही नहीं की। पहली बार देश की आजादी के बाद में हुआ है कि इतनी कम वसूली स्टेट ने की है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वसूली कम करना तो आपकी कमजोरी है। वसूली नहीं की वह आपकी कमजोरी है। मेरा सवाल है जो आंकड़े आप दे रहे हो, ये बिलकुल गलत आंकड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक पैसा मेरे जिले में नहीं बांटा। पूरे प्रदेश के ये हालात बने हुए हैं। आप इसका जवाब दो। नोटबंदी में एक पैसा नहीं बांटा रबी की सीजन में। पहले नहीं बांटा, अब बांट रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : हो गया जवाब।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप मंत्री नहीं हो, मंत्री ये हैं। आप तो डिप्टी चीफ व्हिप हो, बैठो आप। कालूरामजी का आप कर रहे हो वही बहुत हैं, इनको ओवरटेक मत करो आप।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जालौर जिले में कुछ नहीं बंटा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जालौर जिले में अब तक 525.90 करोड़ रुपया खरीफ और रबी का बांटा जा चुका है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कब शुरू किया बांटना? जनवरी में शुरू किया। 1 जनवरी से लोन शुरू किया। अभी लोन बंट रहा है आज की तारीख में। फसल पक गई और लोन बंट रहा है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको

(श्री अजय सिंह)

बताना चाहूंगा कि रबी का जो ऋण देने का कार्यक्रम है वह 1 सितम्बर से लेकर 31 मार्च तक का है और हमेशा आपके समय भी इसी तरीके से ऋण वितरण किया जाता था।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, ये जवाब नहीं दे पाये, मेरा दूसरा सवाल है। ये जवाब नहीं दे पाये। मेरा खरीफ का सवाल है। 1500 करोड़ रुपये खरीफ की फसल में नहीं बांटे गये। जवाब आ रहा है कि अकाल पड़ गया या अतिवृष्टि हो गयी। खरीफ का लोन जून-जुलाई में बंटता है। अकाल से क्या मतलब है, अतिवृष्टि से क्या मतलब है? 1500 करोड़ का लोन क्यों नहीं बंटा, किन अधिकारियों की कमी थी, वह पूरा स्पष्ट करो, कारण क्या है? यह कोई जवाब नहीं है आपका। अतिवृष्टि हो गयी। अतिवृष्टि होती है अगस्त, सितम्बर में। तब तो आप लोन बांट देते हो। क्या कारण रहे? (व्यवधान) आप दोनों क्यों खड़े हुए?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप विराजो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कालूराम जी, आप तो नींद लो। आप क्यों खड़े हुए? मंत्री सक्षम नहीं हैं क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप पूरा जवाब सुन लो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मंत्री सक्षम नहीं है क्या जो आप बोल रहे हो? मंत्री सक्षम हैं। आप तो पढ़े-लिखे हो, ये आरएएस रहे हुए हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, आप जो कह रहे हैं कि टार्गेट पूरा नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खरीफ का हमारा जो लक्ष्य था वह 8 हजार 500 करोड़ था। हमने उस लक्ष्य के विपरीत 8.5 हजार करोड़ से अधिक बांटा है। आप यह नहीं कह सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना जालौर के अन्दर ऋण दिया गया, हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को दें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यह देखा कि किसान दुःखी न हो, हमने ब्याज दर को कम किया है। आज पूरे राजस्थान के अन्दर कोई ऐसा बैंक नहीं है, कोई भी बैंक का नाम आप बता दें जो हमसे कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण दे रहा हो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा माइक क्यों बंद किया?

श्री अध्यक्ष: हो गया। आ गया जवाब।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। आ गया जवाब। जो उनके पास जवाब है वह आ गया। दो पूरक प्रश्न हो गये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? आप खुद संतुष्ट हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। आप खुद संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, आप भी, अध्यक्ष जी, जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपने जो ऋण बांटा है, किसान की फसलें अभी तक किसान के घर में आयी नहीं हैं। इसलिए उसका ऋण जमा करने के लिए एक महीने का समय बढ़ा देंगे तो किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और आपको समयबद्ध पैसा किसान जमा करा पाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जो ऋण बांटा है उसका एक माह का समय जमा कराने का बढ़ा दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अबकी बार हमने किसी भी किसान को बाध्य नहीं किया है। आप रिकार्ड देखें तो लम्बे समय के अंतराल के बाद में इतनी कम वसूली हमने की है। अभी भी 31 मार्च खरीफ का ऋण जमा कराने की जो तिथि है हम उससे पहले किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। 31 मार्च तक किसान के जमा कराने के बाद 1 अप्रैल से ऋणों को पुनः वितरण चालू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्रीमती द्रोपती।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा निवेदन यह है कि 1 अप्रैल तक बढ़ा दें ताकि किसान को ब्याज नहीं लगे, नहीं तो ब्याज उस तारीख से देना पड़ेगा जिस दिन से ऋण दिया है।

श्री अध्यक्ष: केसाराम जी, विराजिये। श्रीमती द्रोपती। वह आ गया। आप बैठिये केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मेरा निवेदन है कि जमा कराने का एक महीना अप्रैल तक बढ़ा दें।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि जून, 2016 तक हमारे हनुमानगढ़ जिले में कितना बजट सहकारी समितियों को आबंटित किया गया?

श्री अध्यक्ष: इनके बाद आपका ले लेते हैं।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो उप खण्ड लगते हैं एक रावतसर और एक पीलीबंगा तो उनमें कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों को बजट नहीं मिला और बजट नहीं मिलने वाले किसानों को कब तक बजट उपलब्ध करवा दिया जायेगा? मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, पूरे हनुमानगढ़ जिले के अन्दर हमने 82 हजार किसानों को ऋण दे दिया है और अभी रबी का ऋण चालू है और हमारा पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा नये किसानों को भी ऋण मिले।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि खरीफ और रबी का ऋण किसानों को दिया जाता है और इसके अलावा के.सी.सी. भी बनाये जाते हैं तो क्या सभी में किसानों का बीमा किया जाता है? यदि किया जाता है तो क्या किसान का अवधिपार ऋण हो जाता है या किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में क्या उसका ऋण माफ किया जाता है या उसमें ब्याज में छूट दी जाती है तो कैसे दी जाती है? यह बतायें।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बता दूं कि फसली ऋण अभी हम जिसको दे रहे हैं उसमें शत-प्रतिशत लोगों को बीमा से जोड़ रखा है। जो पहले 50 हजार रुपये का बीमा मिलता था अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको बढ़ाकर हमने 1 अप्रैल से 5 लाख कर दिये हैं। आपने जो के.सी.सी. का पूछा तो मैं आपको बता दूं कि 80 प्रतिशत के.सी.सी. पर दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ऋण वितरण किया जाता है और यह भारत सरकार की योजना है। लेकिन हमारे जो सी.सी.बी. से इस तरह के होते हैं उसमें हम लोन का प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं कि यदि किसान कोई ऋण लेता है और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके 10 लाख रुपये तक के लोन के प्रोटेक्शन की सी.सी.बी. के द्वारा हमारी स्कीम चालू है। इसके

(श्री अजय सिंह)

अलावा जो हमारी पी.एल.डी.बी. हैं, भूमि विकास बैंक हैं उनमें यह योजना नहीं है। अब इसको भी हम लागू कर देंगे कि यदि कोई भी किसान हमसे ऋण लेता है और उसकी अगर मृत्यु हो जाती है चाहे वो प्राकृतिक मृत्यु ही हो तो उसका जो 10 लाख रुपये का ऋण है उसको बीमा कम्पनी जमा करायेगी। ऐसा हम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री नारायण सिंह देवल।

मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लि. के विरुद्ध कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने पर कार्यवाही

30. **श्री नारायण सिंह देवल** (रानीवाड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड को जालौर जिले सहित प्रदेश में नर्मदा नहर परियोजना व अन्य बड़ी पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा उनको दी गई पेयजल परियोजनाओं का कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों व सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड, गुडगांव को जिला जालौर सहित प्रदेश में नर्मदा नहर एवं अन्य सतही जल स्रोत आधारित वृहद् पेयजल परियोजनाओं के कार्य आदेश जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रगतिरत पेयजल परियोजनाओं हेतु जारी कार्यादेशों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड, गुडगांव द्वारा जिन कारणों से पेयजल परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया गया है, उनमें मुख्यत: अनुबंधक फर्म के स्तर पर कार्य को धीमी गति से किया जाना रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के कार्यों की गति अपरिहार्य कारणों यथा भूमि आबंटन में देरी, अन्य विभागों से वांछित स्वीकृति/अनुमति इत्यादि से प्रभावित रही है।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विभाग द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंधक फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रोकी गई शास्ति राशि एवं की गई अन्य कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत् मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एस.पी.एम.एल. द्वारा किये गये कामों में अभी तक कितनी कमियां पाई गईं? क्या यह भी सही है कि इस कम्पनी के द्वारा कई प्रोजैक्ट में डी.आई. पाइप, रिजर्व रॉ वाटर के टेस्टिंग फेल हो गए हैं? इसके अलावा जालौर जिले में जो ई.आर. प्रोजैक्ट पर यह कम्पनी काम कर रही है इसका कार्यादेश 24.9.2013 को दिया गया था और काम पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 3.10.2016 थी जबकि अभी तक काम मात्र 30 प्रतिशत ही हुआ है। ऐसी स्थिति में यह काम कब तक पूरा होगा? इसी प्रोजैक्ट में जो क्लस्टर योजना है उसका टेंडर सरकार कब तक स्वीकृत करने की मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि मैसर्स एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड को यह नर्मदा नहर आधारित परियोजना ई.आर. 256 गांव और भी भीनमाल शहर के लिए थी और जैसा ये बता रहे हैं 24.9.2013 को कार्यादेश दिया गया था और 372.70 करोड़ रुपये का कार्य था। कार्य आरम्भ करने की तिथि 4.10.2013 थी और कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 3.10.2016 थी जिसमें से इन्होंने सिर्फ 104.53 करोड़ का काम 30 जनवरी तक किया है जो करीब 30 प्रतिशत है जैसा ये बता रहे हैं और यह सही बात है। परन्तु मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि इसमें काम धीमी गति से करने के कारण 13.31 करोड़ की इन पर एलडीपी हमने लगाई है और अब इन्होंने मुझे मार्च, 2018 तक काम पूर्ण करने का आश्वासन दिया है, मार्च, 2018 तक यह काम पूरा कर दिया जायेगा।

जो माननीय सदस्य ने जालौर जिले में ई.आर. प्रोजैक्ट के कार्य कब तक पूरे किये जाएंगे और ई.आर. प्रोजैक्ट की क्लस्टर की योजना कब तक स्वीकृत की जायेगी इसकी जानकारी चाही है तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि जालौर जिले में ई.आर. प्रोजैक्ट का कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है जैसा मैंने कहा है। ई.आर. प्रोजैक्ट के क्लस्टर

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

के प्रस्ताव की राशि 449.82 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा 36.15 करोड़ भीनमाल शहर के लिए, कुल 485.97 करोड़ की योजना तैयार कर ली गई है और प्रस्ताव वित्त पोषित हेतु प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि डी.आर. प्रोजैक्ट का वर्क आर्डर 2.8.2013 को दिया गया और उसका काम पूरा करने की भी तिथि 16 फरवरी, 2015 थी पर जो गवर्नमेंट के डेटाज हैं उसके हिसाब से 81 प्रतिशत काम पूरा किया गया है तो इसमें कब तक जालौर को पानी मिलेगा? इसी प्रोजैक्ट के तहत जो वंचित राजस्व गांव हैं उनको भी जोड़ने की सरकार मंशा रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने डी.आर. प्रोजैक्ट का पूछा है तो ऐसे तो पूरे राजस्थान में 54 प्रोजैक्ट हैं और इन्होंने प्रश्न सिर्फ एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है कि इसके कौन-कौन से प्रोजैक्ट हैं। तो मैं इनको बता दूं कि एस.पी.एम.एल. के 14 प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं उनमें से दो प्रोजैक्ट रीसिन्ड कर दिये हैं और 12 प्रोजैक्ट ऑन-गोइंग हैं तथा 3363 करोड़ के प्रोजैक्ट चल रहे हैं।

जहां तक सवाल इन्होंने डी.ई. के लिए कहा है तो डी.ई. का मैं इनको जवाब दे दूं कि इन डी.आर. प्रोजैक्ट को भी मार्च, 2017 तक पूर्ण करना लक्षित है और क्लस्टर का कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। ये दूसरी कम्पनी के पास में हैं न कि एस.पी.एम.एल. इन्फ्रा लिमिटेड के पास में।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि किसी भी परियोजना की गति धीमी होती है तो वो एकदम से नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आये। इसके अन्दर बताया है अपरिहार्य कारण और भूमि आबंटन में देरी, तो क्या जिन अधिकारियों की मानीटरिंग की जिम्मेदारी थी उनके विरुद्ध भी विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि जब यह टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाती है और टेंडर के बाद में ही भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी पड़ती है और उसकी एन.ओ.सी. के लिए कार्यवाही करनी पड़ती है। हालांकि यह जरूरी है और जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि यह होना चाहिए जिससे प्रोजेक्ट डिले नहीं हो परन्तु भविष्य में इस प्रकार की चिंता की जाएगी जो आपने क्वेश्चन किया है। अब उसके ऊपर काम करके पहले ही सारी चीजें पूरी कर दें और बाद में ही कार्यादेश दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने की चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, एस.पी.एम.एल. कम्पनी की वजह से 832 करोड़ रुपये की.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं-नहीं। आप बैठिये। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिये इनको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, हमारे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र का था उसको तो गोलमोल करके नीचे बिठा दिया।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): एसपीएमएल कम्पनी की वजह से 832 करोड़ रुपये की फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ वृहत् पेयजल परियोजना जो जून, 2015 में पूरी होनी थी, अब तक पूरी नहीं हो पाई। क्या सरकार इस कम्पनी को हटाकर उक्त योजना के फेज-4 और 5 को किसी और कम्पनी को देने का विचार रखती है, जिससे यह योजना जल्दी पूरी हो पाये?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पैकेज-6 और पैकेज-4 और पैकेज-5, ये तीन पैकेज एसपीएमएल के पास में हैं। मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि यह जो पैकेज-5 है, वह 27.4.2013 दिनांक थी और राशि 91.93 करोड़ और पैकेज-4 की तारीख 25.3.2013 और राशि 81.00 करोड़ रुपये और पैकेज-6 की 15.5.2013 थी और राशि 395 करोड़ रुपये थी। जो पैकेज संख्या-6 है,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

उसको अक्टूबर, 2017 तक कार्य पूर्ण करना लक्षित है और यह जो पैकेज-4 है, उसको भी मार्च, 2018 तक पूर्ण करना लक्षित है और पैकेज संख्या-5 है, उसको भी मार्च, 2018 तक पूर्ण करना लक्षित है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह नर्बदा प्रोजैक्ट है, इसमें मंत्री महोदय, आपने जो जवाब दिया है, ईआर प्रोजैक्ट के अन्दर 256 विलेजेज हैं। इसके बाद में कम्पनी ने जवाब आपको दिया है कि 82 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और एफआर के अन्दर 92 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। आप तो यह बताइये कि 82 और 92 प्रतिशत के बाद में कितने गांवों में पानी गया है? मतलब यह है कि 10 प्रतिशत गांवों में पानी नहीं जाता है। कम्पनी यह रिपोर्ट देती है कि 92 परसेंट काम हो गया है और बागड़ा क्षेत्र के जो ईआर से जुड़ने वाले 22 गांव हैं, उनमें अभी तक भौतिक सत्यापन का काम भी चालू नहीं हुआ है तो यह जो कम्पनी की रिपोर्ट आ रही है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? और आप यह जवाब दें कि कितने प्रतिशत गांवों में पानी गया है और कब तक जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने डीआर प्रोजैक्ट के बारे में पूछा है...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ईआर, आपका एसपीएमएल ईआर ही है ना।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ईआर है वह तो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): हां। ईआर है। ईआर और एफआर दोनों हैं ना। इसमें है ना। ईआर के अन्दर रामसिंह के आगे बागड़ा क्षेत्र के 22 गांव जुड़ने हैं, उनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। फिर 82 परसेंट कैसे काम हुआ?

श्री अध्यक्ष: धीरे-धीरे। आराम से।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर हजार-हजार रुपये लगते हैं। एक तारांकित प्रश्न पर हजारों रुपयों का खर्चा होता है और अभी तक चार ही प्रश्न आये हैं और 45 मिनट हो चुकी हैं। हजारों रुपये एक प्रश्न पर खर्च होते हैं और प्रश्न चार ही आते हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप भी खर्चा बढ़ा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, यह जो ईआर और एफआर है, एफआर का 95 परसेंट काम पूर्ण हो चुका है और जालौर शहर, आहौर और 14 गांवों को लाभान्वित तथा 50 गांवों को जून, 2017 तक प्रस्तावित कर दिया है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 90 परसेंट काम हुआ है तो उन गांवों में पानी कितना गया है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): मैं कह रहा हूं ना आपको कि जालौर शहर, आहौर...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका अंकित भी नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यही बात है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया ना, इनका क्वेश्चन था, इनका जवाब मैंने दे दिया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) सुखरामजी के सवाल का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का नाम तो सुखराम है, लेकिन ये अपने आपको दुखराम साबित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मानसिंह। श्री मानसिंह जी, आपको अधिकृत किया है राजकुमारीजी ने।

सवाईमाधोपुर शहर को चम्बल-मण्डरायल परियोजना से पेयजल की आपूर्ति

31. **श्री मान सिंह** (गंगापुर) (राजकुमारी दियाकुमारी (सवाईमाधोपुर) के स्थान पर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मान सिंह)

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर को चम्बल-मण्डरायल परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी राशि आबंटित व अब तक क्या-क्या कार्य करवाये गये?

(2) उक्त परियोजना से शहर को कब तक पेयजल की आपूर्ति किया जाना निर्धारित था व वर्तमान में परियोजना की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना से सवाईमाधोपुर को अब कब तक पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): (1) जी हां। चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती वृहद पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह नवम्बर, 2004 में राशि रुपये 478.91 करोड़ की जारी की गई। इस चरण के पैकेज प्रथम के तहत सवाईमाधोपुर शहर तक मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन, चम्बल नदी पर इनटेक वैल, जलकल गृह एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु दिनांक 23.09.2005 द्वारा राशि रुपये 269.30 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया।

उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 567 करोड़ की दिनांक 19.9.2013 को जारी की गई थी। इस स्वीकृति में मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के साथ-साथ सवाईमाधोपुर एवं करौली जिले के 109 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया था। उक्त स्वीकृति के समस्त कार्यों को दो पैकेज में विभक्त कर कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं एवं इन दोनों पैकेजों के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं।

उक्त परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2005-06 से माह जनवरी, 2017 तक रुपये 435.89 करोड़ की राशि का आबंटन किया जाकर कुल रुपये 334.80 करोड़ की राशि व्यय की गई है। उक्त दोनों पैकेजों की प्रगति का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) कार्यादेश अनुसार उक्त पेयजल परियोजना से सवाईमाधोपुर शहर को दिनांक 02.10.2008 तक लाभान्वित करना प्रावधित था। परियोजना में प्रावधित निर्माणाधीन इनटेक वैल का कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति, इनटेक वैल

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

निर्माण हेतु डिजाइन स्वीकृत करने वाली एजेंसी के निर्धारण एवं संवेदन फर्म द्वारा कार्य की प्रगति धीमी एवं विभिन्न विवाद उत्पन्न करने के कारण परियोजना कार्यों में विलम्ब हुआ।

परियोजना के दोनों पैकेजों की वर्तमान प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ एवं ब में निहित है।

(3) उक्त पेयजल परियोजना से सवाईमाधोपुर शहर को मार्च, 2018 तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 2004 में इस योजना को पूरा होना था। हमारे करौली और सवाई माधोपुर जिले के नादौती, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, तीन शहरों को इससे पानी की, पेयजल की उपलब्धता होनी थी लेकिन इतने लम्बे समय के बाद, लगभग 12 वर्ष इसको होने जा रहे हैं और कम्पनी लगातार इसका समय बढ़ाये जा रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी, जो एसपीएमएल कम्पनी है, इस कम्पनी की साख इतनी खराब हो चुकी है। इसके बारे में आप कोई ठोस निर्णय लेकर इस सदन को बतायें कि आखिर कब तक हम इस समय को बढ़ायेंगे? दुर्भाग्य से, निश्चित रूप से पिछले पांच साल के शासन में इसमें कोई बजट नहीं दिया गया लेकिन उसके बाद अभी आपने इसका बजट भी बढ़ा दिया और बजट के साथ-साथ आपने उनको फाइनेंसली पैसा भी रिलीज किया है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर कब तक इसकी ठोस घोषणा आप करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, इस परियोजना के विलम्ब का मुख्य कारण यह है, यह घड़ियाल अभयारण्य है, उसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के कारण है। उसके कार्यादेश दिये गये थे 2005 में, परन्तु वह घड़ियाल अभयारण्य के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिली थी और उसके बाद में इनटेक वैल की डिजाइन और ड्राइंग में विलम्ब हुआ। वह 2012 में मिली। इस कारण से यह धीमी गति रही। कुछ फर्म की कमजोरी रही, इस कारण धीमी रही। अब उनसे क्षतिपूर्ति राशि का विवाद भी उच्च न्यायालय में चल रहा है

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

और मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूं कि इस फर्म के ऊपर 31 जनवरी तक 10.79 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली की जा चुकी है। इस कार्य को मार्च, 2018 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यह मार्च, 2018 तक पूरा हो जाये।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस कम्पनी के काम के साथ में इस प्रकार की मानिटरिंग तय करें, जिससे भविष्य में, आप जो तारीख दे रहे हैं क्योंकि इसकी तारीखें बढ़ती रहती हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक तो इसकी मानिटरिंग हो और एक बार स्वयं चम्बल क्षेत्र का दौरा करें कि इसका काम जिस प्रकार से धीमी गति से चल रहा है, उस देरी को अपन कम कर सकें। साथ ही साथ यह कम्पनी कहती है, हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमको फाइनेंसली पैसा कम रिलीज हुआ है तो ये इस प्रकार का बहाना लेकर के जनता के बीच जब ये काम करती है तो हमको इसमें बहुत दिक्कत है क्योंकि तीनों ही क्षेत्र नादौती, गंगापुर में तो आपका प्लांट भी बन चुका है पूरा का पूरा वहां पर पूरी पाइप लाइन आ चुकी है और सवाई माधोपुर में जो पाइप लाइन डल रही है उस पाइप लाइन को एक बार वापस आप चैक करा लें क्योंकि उस पाइप लाइन के बारे में भी कई शंकाएं आ रही हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करें और इस योजना को पूरा कराने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दौरा मत करना। दौरा एक बार किरण जी भी करके आयी थीं। दौरा मत करना उधर।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दौरा भी करूंगा। समय पर काम भी पूरा करवाऊंगा और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं राज्य स्तर से भी इसको मानिटरिंग करूंगा। मैं मौक़े पर भी आऊंगा और उसको देखूंगा और जहां-जहां कमी है उसको सुधारने का भी प्रयत्न करूंगा और ये जो टेण्डर हुआ है यह कार्यादेश दिया गया है 2004 में दिया है और ...(व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): पहले सुनने दें। जवाब आ जाने दो।

श्री अध्यक्ष: सुखराम जी का अंकित नहीं किया जाए। आदत पड़ गयी है बार-बार खड़े होने की।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 2004-05 में जब इनको कार्यादेश दिया गया था उसी कोस्ट पर ही आज काम किया जा रहा है। अब आप सोचिये कि उसके बाद आज 2016-17 चल रहा है कितना फर्क आ गया कोस्ट में। गलती, पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलना, डिजाइन अप्रूव नहीं होना और कई छोटी-मोटी गलतियां रही हैं। इनके कारण डिले हुआ है। आप निश्चित रहें। 31 जनवरी, 2010 तक क्षतिपूर्ति 10.79 आपको मैंने बता ही दिया कि वसूली की जा चुकी है अब समयबद्ध तरीके से इसको समय पर पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है कि जो भी परियोजना बनती है चम्बल से पानी जा रहा था। हमारे वहां से भी जा रहा है। भीलवाड़ा जाने के समय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ 2014 में उसमें यह लिखा है कि आपको पानी पिलाएंगे तभी भीलवाड़ा पानी जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार ने वहां के लोगों को पानी नहीं पिलाया और भीलवाड़ा पानी पहुंचा दिया तो लोगों ने बीच में आंदोलन किया कि हम पानी वहां नहीं जाने देंगे। उसमें मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ कि हम आपके लोगों को भी पानी दे देंगे। 52 करोड़ की योजना भी सैंक्शन हो गयी और रावड़दा की सात करोड़ की अटकी हुई है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे से सर्टीफिकेट दूसरे दिन ले लिया और आपका यह लिखित समझौता मेरे पास है। क्या इस सत्र में आप यह घोषणा करेंगे कि हम इसका टेण्डर कर देंगे और ये एक बहाना भी बनाते हैं कि एनओसी नहीं मिल रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में इतनी कितनी परियोजनाएं हैं जिनमें बिना एनओसी के आपने टेण्डर कर दिये और टेण्डर के चलते रहते हुए उनको मिली है तो क्या इसमें भी ऐसा किया जा सकता है? अगर नहीं तो, क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह सवाई माधोपुर और चम्बल

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

का मामला है और यह भीलवाड़ा का मामला है और इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है इसका।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न श्री संदीप शर्मा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ...(व्यवधान) मैं चम्बल से सम्बन्धित बोल देता हूं। क्या चम्बल का पानी सवाई माधोपुर जा रहा है। ऐसी योजनाएं बनी हुई हैं जिनमें फोरेस्ट बीच में आता है तो आपने राजस्थान की ऐसी कितनी परियोजनाओं के टेण्डर कर दिये जो फोरेस्ट में होकर के निकलती है और उनकी एनओसी नहीं ली?

श्री अध्यक्ष: बैठिये सुरेश जी। विराजिए। पूछ चुके आप।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): इसका तो जवाब देना पड़ेगा न, ये तो सवाई माधोपुर से सम्बन्धित हो गया अब तो। ये समझौता जो लिखित में हुआ है यह भी गलत है।

श्री अध्यक्ष: आप अलग से बात कर लेना इस विषय में। श्री संदीप शर्मा।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ये जो लिख रखा है पहले सांवरलाल जी जाट जब मंत्री थे तब समझौता हुआ उसके बाद किरण जी माहेश्वरी मंत्री बनीं और आप तीसरे मंत्री हो गये। क्या यह समझौता पूरा होगा कि नहीं होगा? सवाई माधोपुर की बात पूछ रहा हूं वो भी नहीं बतायेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना। सुरेश धाकड़ जी, बैठिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इसका जवाब दिलावाना पडेगा सवाईमाधोपुर से सम्बन्धित है उसका भी नहीं पूछ सकते?

श्री अध्यक्ष: हां, दिला देंगे। अलग से बात कर लेना।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): जो समझौता हुआ है उसके ऊपर भी बात नहीं कर सकते? हम यह कह रहे हैं कि बिना एनओसी के, सवाई माधोपुर की बात है कि सवाईमाधोपुर में बिना एनओसी के टेण्डर किया उसकी बात भी नहीं बता सकते?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। सुरेश जी बैठिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): ठीक है, आपकी मर्जी आए वो करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आत्मा की आवाज को दबाओ मत आप। आत्मा की आवाज है।

श्री अध्यक्ष: आप कहां बीच में कूद पड़े। जवाब भी आ गया है। वो अलग से बात कर लेंगे आपको इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तीन-तीन आदमी धमका रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। प्रद्युम्न सिंह जी, आप बैठिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह क्या तरीका है, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: यह बिलकुल ठीक तरीका है जो मैं काम में ले रहा हूं। आपको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप रोक सकते हैं किसी माननीय सदस्य को। आप कुछ भी नोट मत करिये।

श्री अध्यक्ष: कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह डिस्टर्ब करते हैं आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन हो रहा हैं यहां पर। अधिकारों का हनन हो रहा है। आप कुछ भी नोट मत करिये मेरे क्या फर्क पड़ता है, बिलकुल नोट मत करिये।

श्री अध्यक्ष: विधान सभा चल रही है। ठीक ढंग से चल रही है। आप अपने हिसाब से डिस्टर्ब करते हैं, बैठिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) आपको तकलीफ हो रही है। हमारे अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है। सरकार बराबर जवाब दे रही है। वो हमारे साथी हैं और बिलकुल सही-सही जवाब मिल रहा है उनको।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सवाईमाधोपुर से बूंदी और कोटा तक चम्बल के किनारे कई ऐसे गांव-कस्बे हैं जहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है वहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी, गंदला पानी लोगों को पीना पड़ता है। इसलिए क्या सरकार कोई ऐसी लिफ्ट परियोजना अथवा किसी अन्य योजना के माध्यम से चूंकि ये चम्बल के किनारे बसे गांव और कस्बे हैं इसलिए वहां पर विभाग का पेयजल पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं रहा है। ऐसे लगभग 50-60

(श्री संदीप शर्मा)

गांव ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी, गंदला पानी और रासायनिक रूप से ऐसा पानी जिसमें पानी पीने में बदबू आती है तो क्या सरकार कोई ऐसी मंशा रखती है कि ऐसे गांवों-कस्बों में किसी लिफ्ट परियोजना के माध्यम से अथवा किसी और माध्यम से वहां पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है मैं पूरे सदन को अवगत करा दूं कि 2012-13 और 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने, आप लोगों को मैं बताऊं थोड़ा आप लोगों को ताज्जुब होगा कि इन्होंने 46 परियोजनाएं, करीब पांच साल में उन्होंने 6,500 करोड़ खर्च किये और जाते-जाते इन्होंने 17,290 करोड़ के कार्यादेश जारी किये। न तो कोई वित्तीय प्रबंधन किया न किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो यह बता दें कि 2005-06 में टेण्डर हुआ इसका एसबीएमएल के द्वारा सवाई माधोपुर-नादौती परियोजना में तो पहले पीवीसी पाइप लिये गये फिर एमएस पाइप में कन्वर्ट क्यों किया और राज्य सरकार को अतिरिक्त भार क्यों सहना पडा? यह बतायें आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 14 परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं में ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): तीन-तीन बार ये मंत्री वहां दौरा कर लेती हैं उसके बाद में आपका चीफ इंजीनियर, एडिश्नल चीफ इंजीनियर पकड़ा गया। +++ मैं यह आरोप लगा रहा हूं यहां पर।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ऐसे नहीं बोल सकते आप। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): +++ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं। किस बात पर बोल रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): +++ (व्यवधान) पहले इन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्ट है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। आरोप अपलोपित किया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जो आरोप लगाये हैं वो सिद्ध करके बताएं। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, वो सिद्ध करके बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक्सपंज करायें आप इसको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं, उनको एक्सपंज किया जाए। मंत्रीजी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ×××

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने एक्सपंज कर दिया है। कुछ इधर से बोला है वो एक्सपंज कर दिया है मैंने। हां, मंत्रीजी, आप तो उनका जवाब दीजिये। अंकित नहीं किया जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त है, प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यो को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री दर्शन सिंह व अन्य पांच सदस्यों की ओर से राजस्थान में विशेष पिछड़ा वर्ग को दिये गये पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ सरकारी भर्तियों में दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(2) डा. किरोड़ीलाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र में आदमखोर पैंथर के हमल में 6 लोगों की मौत होने तथा एक महिला के घायल हो जाने से स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नंदकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे 16 वर्ष से अधिक की आयु के बच्चों को परीक्षा से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सार्दुलपुर चूरू में सरकार द्वारा महाविद्यालय खोले जाने के उपरांत भी महाविद्यालय के लिये भूमि का आबंटन व भवन निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. किरोड़ीलाल मीणा, श्री नंदकिशोर महरिया एवं श्री मनोज कुमार को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढबास में विभिन्न रूट की सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के मोहननगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अंडर ब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगोद में हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपाल कृष्ण, सदस्य की ओर से राजस्थान भाषा को मान्यता प्राप्त श्रेणी में रखे जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के कस्बे अराई में उपखण्ड कार्यालय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मैं।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौरी पान मेथी को नोटिफाई कमोडिटी में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती अंजू देवी धानका, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सोनोग्राफी मशीन का नियमित संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर से निकल रहे क्रूड ऑयल का भण्डारण बाडमेर में ही किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र सिंह यादव सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कस्टोडियन भूमि के नामांतरण पर लागू शुल्क को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम एवं देवगढ़ के महाविद्यालय में वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलने व भीम महाविद्यालय में पीजी कोर्स स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में पावटा चौराहे से आखलिया चौराहे तक एलिवेटेड फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 28 फरवरी, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 50 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं:-

1. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, ग्राम पंचायत सहायकों की मानदेय पर हो रही नियुक्ति में विद्यार्थी मित्रों को अनुभव का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2. श्री ज्ञानचन्द पारख, पाली विधान सभा क्षेत्र के सरदार समंद बांध में कमांड क्षेत्र के काश्तकारों को काश्त हेतु समुचित पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री अमृत लाल, सलूम्बर में हाडारानी राजकीय महाविद्यालय को स्नातक से स्नात्कोत्तर में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री केसाराम चौधरी, विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की अत्यन्त खराब सड़कों के सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

डा. किरोडीलाल मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सरिस्का में आदमखोर पैंथर का हमला

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की तरफ मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परसों सरिस्का वन क्षेत्र में मथुरावट गांव में पैंथर ने हमला करके एक महिला को घायल कर दिया। उससे एक दिन पहले पैंथर सिलीबाया बावड़ी गांव में घुस गया, जिससे लोगों में बहुत दहशत फैल गई और वह एक बछड़े को उठाकर ले गया। जिला प्रशासन ने वहां पर निर्देश दे रखे हैं कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक ग्रामीण घर से बाहर नहीं जायेंगे। दिन में भी जाते हैं तो दहशत के साये में, भय के साये में वह अपनी खेती का काम नहीं संभाल पा रहे जिसके कारण खेती बरबाद हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आलम यहां तक है कि पैंथर ने मात्र 11 घंटे में तीन लोगों को मार दिया। कलक्टर ने गोली मारने के आदेश दिये, वह तो निर्णय विभाग करेगा लेकिन पांच महीने में 6 मौतें हो गईं। 28 सितम्बर, 2016 को सांवतसर का रेवडराम मारा गया। 20 अक्टूबर, 2016 को देवीभडाज के गुल्ली को मार दिया। 5 फरवरी, 2017 को कालालंका के बद्री को मार दिया। 6 फरवरी, 2017 को रायपुर की शांतिदेवी को मार दिया। 12 फरवरी, 2017 को जैतपुर की शांतिदेवी को मार दिया। 12 फरवरी, 2017 को ही सिलीबावड़ी के रामकुमार को मार दिया। 6-6 लोग मर गये, जब 28 सितम्बर, 2016 और 20 अक्टूबर, 2016 को यह दो लोग मरे थे तो प्रशासन ने भरोसा दिया था कि हम आदमखोर बघेरों को पकड़ेगे। इन्होंने आदमखोर बघेरे की जगह दूसरे बघेरे पकड़ लिये, लोग निश्चित हो गये। जनता को आश्वस्त कर दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चार लोगों को एक-एक करके 11 घंटे में मार गिराया। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो पैंथर करीबन 6 महीने पहले वहां से पकड़े थे, पकड़ कर जयपुर जू में भेजे थे, वह आदमखोर थे। यह वन विभाग के अधिकारी जब

(डा. किरोड़ी लाल)

वन विभाग की फाइलों को देखेंगे, नोटशीट को देखेंगे तो उसमें अंकित है कि यह बघेरे आदमखोर हैं और कुछ दिन बाद ही मंत्रीजी, उन आदमखोर बघेरों को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में 5 हत्याएं उस क्षेत्र में और हो जाती हैं। मैं मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जब एक हत्या हो गई, दो हत्या हो गई तो क्या वन विभाग की या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनका डीएनए टैस्ट कराया जाता। लेकिन अंत में जब वह पांचवीं महिला मारी गई, मैं मौके पर गया तो हमने मांग की कि इसकी डीएनए टैस्ट कराया जाये। यह प्रक्रिया पहले ही अपना लेनी चाहिये। पैंथर के बाल, पैंथर के पंजे, पैंथर का लार, सलाइवा आदि की जांच करके उस आदमखोर बघेरे को चिह्नित किया जाना चाहिये था। लेकिन आज तक आदमखोर बघेरा चिह्नित नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, गांवों में चारों तरफ कर्फ्यू जैसे हालात हैं, किसान अपने खेतों में नहीं जा पा रहा और रात को शाम ढलते ही गांव वाले घरों में कैद हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा एक अघोषित कर्फ्यू-सा वहां पर लगा हुआ है, जिसके कारण वहां की जनता में भारी रोष है, भारी आक्रोश है और मंत्री महोदय, मरने के बाद देते क्या हैं, दो लाख रुपए। एक आदमी मर जाए। (व्यवधान) वो तो अब की साहब। तो चार मौत। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अध्यक्ष महोदय, पूरा परिवार उजड़ जाए। इन छह में से चार तो ऐसे हैं जो घर के मुखिया हैं। जिनका घर उजड़ गया और इससे पहले दो लाख रुपए देते थे। हम वहां पर गए। अधिकारी आए। उनको जैसे-तैसे कहकर चार लाख करवा लिया। क्या चार लाख, इस दुनिया में उनका घर चल जाएगा? मैं मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, आर्थिक पैकेज तो बढ़ावें ही, इसके साथ अगल-बगल के गांवों में जो दहशत फैल रही है, जो बघेरों का आतंक फैल रहा है और मेरी समझ में ये बघेरे इसलिए आए हैं कि वहां अन्दर जंगल में दस-बारह टाइगर हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। उनकी दहशत के कारण पेरीफेरी एरिये में ये बघेरे बड़ी तादाद में आ गए हैं और मैं मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जिन भी वन विभाग के अधिकारियों ने, जिन आदमखोर बघेरों को वहां से पकड़कर जयपुर जू में रखा गया था। जयपुर जू में रखे उन बघेरों को बिना जांच के कैसे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद एक नहीं, अनेकों घटनाएं हो गयीं। घायल तो अनेकों हो गए। घायल को कोई मदद नहीं। मरने वालों को मात्र चार लाख रुपए। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि

(डा. किरोड़ी लाल)

आर्थिक पैकेज उन गरीब किसानों को बढ़ाया जाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारियों को चिह्नित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अनेकों लोग मार गिराए और ऐसी खिलवाड़ किसानों के साथ की जाए, सरिस्का क्षेत्र के आस-पास के गांवों के किसानों के साथ अन्याय किया जाए, मंत्रीजी यह किसी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आदमखोर बघेरों को पकड़ने के लिए मंत्रीजी कोई विशेष कार्य योजना बनाई जाए। इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मंत्रीजी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई-न-कोई पैकेज, कोई-न-कोई कार्य योजना ऐसी घोषित करें, जिससे गांव के भाइयों की दहशत दूर हो। वे खेतों में जा सकें। काम कर सकें। वहां पर जो आपातकाल-सा लगा हुआ है। इमरजेंसी-सी लगी हुई है, उससे मुक्ति पा सकें। वे रोज के अपने कार्यकलापों को कर सकें। इसलिए मंत्रीजी आपसे प्रार्थना है कि आप कोई विशेष टास्क फोर्स बनाएं और उन आदमखोर बघेरों को पकड़ें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्रीजी रेस्पोंड करेंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आप जो 'आदमखोर' शब्द का यूज करते हैं। 'आदमखोर' का मतलब होता है कि जो बघेरा शिकार नहीं कर सकता है और वह इंसान को शिकार बनाकर उन पर अटैक करके उनको खाता है। पहले जो दो बघेरे पकड़े गए थे, उनको 50 किलोमीटर दूर रिलीज किया गया और लास्ट में जो बघेरा पकड़ा गया, जिसने दो जनों को मारा था।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी, जो दो पकड़े थे। दोनों आदम खोर थे। आप अपनी फाइल देख लें। रिकार्ड पर है। वन विभाग के अधिकारियों ने अंकित किया है कि ये आदमखोर हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, फुट प्रिंट से अभी जो लास्ट बघेरा पकड़ा गया, सलाइवा टैस्ट से मालूम पड़ता है कि जब अटैक किया, कहां खाया? सलाइवा टैस्ट से मालूम पड़ता है किसको अटैक किया? अध्यक्ष महोदय, यह तो है नहीं कि जैसे हम लोग यहां बैठे हैं। कोई का कद लम्बा है, कोई की नाक दूसरी है, कोई की आँख दूसरी है। यह जानवर के अन्दर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौनसा आदमखोर है और कौनसा

(श्री गजेन्द्र सिंह)

नहीं है? अभी जो बघेरा पकड़ा गया है, उसके जो दोनों कैनाइंस थे, वे डेमेज थे। यानी कि उसके लिए शिकार करना मुश्किल था और उसकी उम्र भी ज्यादा थी। उसके जो फुट प्रिंट्स मिले, वे भी सेम पाए गए। जहां पर ये डेथ हुई हैं। जिनको 50 किलोमीटर दूर छोड़ा था, वहां पर कोई डेथ नहीं हुई। एक जानवर को बिना कोई प्रमाण के, गैश करके आप जू में नहीं रख सकते। यह वन्य जीव, वाइल्डलाइफ एक्ट के खिलाफ है। हमने जो मुआवजा दिया, दो लाख के अतिरिक्त। हमारा जो सरिस्का फाउंडेशन है उससे दो लाख रुपए हमने और एक्स्ट्रा दिया और बच्चों को हमने एक गाइड के रूप में इन्वाल्व करने के लिए उनको आफर दिया है। जिस समय ये जो मौतें हुई थीं, वह पूरा जो क्षेत्र है। हमारा वन विभाग है। हमारी पुलिस है। उन्होंने वहां पर इतनी स्ट्रांग प्रोटेक्शन दे दी थी। वह एरिया एक तरह से पूरी एक छावनी की तरह हो गया था। हमने पूरे प्रयास किए और मौतें नहीं हों। हमने पूरे प्रयास किए, बघेरों को पकड़ने के। जिसमें हम कामयाब हुए। उसका जो सलाइवा टैस्ट है। थूक की जांच है। वह हैदराबाद भेजी गई है। दो-तीन हफ्ते में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, पर 99.9 प्रतिशत यह मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि जो बघेरा था, जो कि अभी पकड़ा गया है। वो ही बघेरा, उसने चार लोगों को मारा। उनको खाया नहीं। परन्तु लोग वहां पहुंच गए थे। वो शायद प्रयास करता। जब पांच दिन तक जब यह सब हल्ला-गुल्ला हुआ। वो पकड़ में नहीं आया। पूरी छानबीन कर ली। यदि वह ऐसा विशेष जानवर होता तो वह कोई-न-कोई आदमी को और आकर मारता। लेकिन हां, उसके जो कैनाइंस देखे गए, दांत देखे गए। उसके फिंगर प्रिंट, जो पोज देखे गए, उसके अनुसार वो ही जानवर है, जिसने लोगों को मारा। उसका सलाइवा टैस्ट आने पर पूरा प्रमाणित हो जाएगा और हमारी तरफ से हमने डबल मुआवजा देकर गाइड के रूप में उनके बच्चों को नौकरी देने को कहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अभी जो हमले हो रहे हैं। मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें कोई ऐसी विशेष टास्क फोर्स बनाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई और आदमखोर बघेरा बच गया हो। कहीं और मौतें हो जाएं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा सुझाव है। श्री नन्दकिशोर महरिया।

प्रदेश में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा से वंचित करना

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से सम्बन्धित एक मामला मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी सिर्फ दस दिन पहले एक आदेश निकला है। जिसमें कहा गया है कि आठवीं कक्षा में सोलह साल से ऊपर का बच्चा परीक्षा नहीं दे सकता। इस आदेश की वजह से मेरे सीकर जिले में पन्द्रह सौ छात्र परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे और पूरे राजस्थान प्रदेश भर में दस हजार से ऊपर छात्र परीक्षा देने से वंचित हो जाएंगे। यह आदेश भी अचानक तब निकाला गया है, जब सिर्फ दस दिन बाद परीक्षाएं शुरू होनी हैं। इन सब बच्चों का हजारों रुपए का खर्चा साल भर में लग चुका। पहली क्लास से आठवीं क्लास तक ये बच्चे पहुंचे हैं। हम सब लोग शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें करते हैं। इस आदेश की क्या आवश्यकता पड़ी, समझ से परे है। अभी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आर.टी.ई. के नियमों में ऐसा है। तो आर.टी.ई. के नियम कोई अचानक आज तो आए नहीं हैं। आर.टी.ई. के जो नियम हैं, वो तो पांच साल से वे ही नियम चल रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात कहनी थी तो एडमिशन के समय कहनी थी, जिससे बच्चों का साल खराब नहीं होता और कम-से-कम खर्चा तो न लगता। ये बच्चे अब आगे दसवीं की परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। कई जो जरूरी सरकारी दस्तावेज हैं, वे भी इनके नहीं बन पाएंगे। इस तरह की जो बात अचानक की गई है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि इस आदेश को वापिस लिया जाए, जिससे प्रदेश के दस हजार से ऊपर बच्चों को परीक्षा देने का लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी रेस्पोंड करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016-17 में जो प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण-पत्र, जो परीक्षा 2017 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोजित कर रहा है। उसमें बारह लाख नौ हजार नौ सौ पांच विद्यार्थियों ने आनलाइन आवेदन किया है। उसमें पचपन हजार सात सौ सतावन विद्यार्थी सोलह वर्ष से अधिक आयु के हैं। आपने तो दस हजार कहा लेकिन वह संख्या निश्चित रूप से पचपन हजार सात सौ सतावन है। इसमें जो आर.टी.ई. का नियम है। जिसके अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–4, उसमें लिखा है 'जो विद्यार्थी कभी भी स्कूल नहीं गए या जिन्होंने बीच में शिक्षा छोड़ दी, ऐसों को

(श्री वासुदेव देवनानी)

उनकी आयु के अनुरूप हम उनको स्कूल में एडमिशन देंगे' तदनुरूप चौदह वर्ष का बालक आठवीं में प्रवेश ले सकता है और अधिकतम दो वर्षों में उसको आठवीं पास करनी होती है। इस तरह से सोलह वर्ष का जो आर्डर है वह पिछले दिनों हमारे अधिकारियों ने उस समय निकाला। मैंने इसकी समीक्षा की। इसलिए मैं सदन की जानकारी में देना चाह रहा हूं कि इस वर्ष हमने इन पचपन हजार सात सौ सत्तावन बालकों को आयु की शिथिलता प्रदान कर दी है और ये सब लोग परीक्षा में बैठ सकेंगे। आगामी वर्ष के लिए हम नई समीक्षा करके अपने नियम बंधन करेंगे ताकि इस वर्ष जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, वे इस आठवीं की परीक्षा में बैठ सकेंगे।

यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, सदन में घोषणा करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): एक भी बालक राजस्थान में इससे वंचित नहीं रहेगा यह आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री मनोज कुमार। आप बोल नहीं रहे, आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था ना।

सादुलपुर राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माण

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने 2014-15 के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। राजकीय महाविद्यालय सुचारु रूप से तीन साल से चल रहा है। लेकिन पिछले तीन वर्ष से राज्य सरकार के बीच में, राजस्व विभाग के बीच और उच्च शिक्षा विभाग में मेरे राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उस राजकीय महाविद्यालय को आज तक भूमि आबंटन नहीं हो पाई है।

मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप हमारे जलदाय मंत्री थे तब तो हमारे राजगढ़ को आपने मीठा पानी पिलाने की बड़ी हिम्मत करी और आज राजगढ़ की जनता पी रही है। आज आपके पास उच्च शिक्षा मंत्रालय है, आप दया दृष्टि मेरी राजगढ़ की जनता पर कर दें, तो तीन वर्ष का समय हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने जाया किया है, वहां छात्र संगठनों ने बार-बार आंदोलन किया है, अनशन कर रहे हैं,

(श्री मनोज कुमार)

हमारे जनप्रतिनिधि लोग जब भी जाते हैं वह हमारे जैसे लोगों को वहां पर घेराव करते हैं, इसलिए माननीय मंत्री महोदय मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हमारे विधान सभा क्षेत्र में आपका और सरकार का कोई मंत्री जाए और उसका हमें घेराव नहीं करना पड़े, इससे अच्छा है कि आप इस सदन में आज हमारी इस बात को सुनकर राजकीय महाविद्यालय के लिए भूमि आबंटित करके हमारी राजगढ़ की जनता को लाभान्वित करें। राज्य सरकार ने भवन निर्माण एवं महाविद्यालय के भूमि आबंटन के लिए प्रावधान कर रखा है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1963 के अन्तर्गत, इसके नियम 2 के सैक्शन (D) में कालेज और पोस्ट ग्रैजुएट कालेज के लिए 15 एकड़ भूमि के लिए प्रावधान है। उसके बाद भी माननीय जिला कलक्टर महोदय ने कालेज के लिए मात्र आठ हजार वर्ग मीटर भूमि को आबटन किया जो कि शिक्षा आयुक्तालय निर्देशानुसार, गाइड लाइन के अनुसार किसी भी कालेज का निर्माण नहीं किया जा सकता। वहां उस भूमि का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तीन साल के समय में अगर सरकार अपने विभाग होते हुए भी, सरकार की खुद की मानिटरिंग होते हुए भी अगर राजस्व विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो यह मानता हूं कि सरकार का ब्यूरोक्रेसी पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आप सिर्फ कागजों में इधर उधर बहानेबाजी से हमारे इस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप हमारी इस गम्भीर समस्या की ओर ध्यान देते हुए राजगढ़ की जनता को लाभान्वित करें। छात्र संगठन आंदोलनरत होते हैं उनके खिलाफ सरकार मुक़दमे करने पर उतारू रहती है। कहीं हमारे उन नौजवानों पर ऐसा आंदोलन नहीं करना पड़े जिससे उनका भविष्य बरबाद हो जाए, इसलिए सरकार जो तीन वर्ष से सोई हुई है वह जाग जाए और जागकर हमारी समस्या का समाधान करें। इन्हीं शब्दों से आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप वक्तव्य दें और हमारी जनता को आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आप रेस्पोंड कर रही हैं?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि जो विषय उन्होंने उठाया है 2013-14 के अन्दर राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के अन्दर शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ था। उस समय अस्थाई परिसर राजकीय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में यह महाविद्यालय संचालित था। इसके अन्दर सरकार पूरी तरह से सजग है। सरकार ने लैंड अलाटमेंट के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखा था, उस पर 02 मार्च, 2016 को आठ हजार वर्गफीट लैंड अलाट हुई। यूजीसी के नोर्म्स है, यूजीसी के नोर्म्स कहते हैं कि मिनिमम 20235 वर्गफीट लैंड अलाट होगी तभी हम इसके अन्दर महाविद्यालय खोल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं सदन में बताना चाहती हूं कि हमने इसके लिए फिर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके अन्दर, 08 दिसम्बर, 2016 के द्वारा 51200 मीटर भूमि महाविद्यालय को आबंटन करने के लिए जो हमारा प्रस्ताव गया है उसके अन्दर पूरी तरह से कार्यवाही चल रही है। मैं यह एश्योर कर सकती हूं कि बहुत शीघ्र ही यह भूमि अलाट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग महाविद्यालय निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर देंगे।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): निर्धारित समय दो महीने, चार महीने, छह महीने?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जितना जल्दी से जल्दी होगा। जितना आपकी गवर्नमेंट में, स्पीड में काम नहीं होता था उससे ज्यादा स्पीड़ में होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम तो दोनों गवर्नमेंट को कोस रहे हैं। आपकी भी पीड़ा झेल रहे हैं और कांग्रेस वालों की भी झेल रहे हैं। इसलिए 2018 में हम आएंगे। 2018 में इसलिए हम आएंगे, हमारी गवर्नमेंट की बात तो तब होगी।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): मनोज जी.....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अब विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री रामहेत सिंह यादव।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किशनगढ़बास में सड़कों के निर्माण कार्य

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है किन्तु अलवर जिले में उक्त योजनान्तर्गत सड़क नेटवर्क का कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है जबकि जिले की सीमाओं से अन्य राज्य हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश में इस मद में काफी विकास कार्य हुए हैं। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, नीमराणा, खुशखेड़ा एवं हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा से लगता हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र खैरथल विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में स्थित है। खैरथल में ही राजस्थान की अग्रणी कृषि उपज मंडी है जिसमें किसानों व व्यापारियों का आवागमन रहता है। साथ ही दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर प्रोजेक्ट में अन्तरराष्ट्रीय सेवाओं से युक्त एयरपोर्ट विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। अत: इस क्षेत्र में सड़क नेटवर्क का विकास अविलम्ब किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का उन्नयनीकरण सुदृढ़ीकरण व नेटवर्क विकास हेतु 1. अलीपुर-खेडी-खानपुर डागरान-पुर-नीमलाका-कलगांव-हींगवाहेड़ा-तिजारा-फिरोजपुर-झिरका- (हरियाणा सीमा तक) 2. विजय मंदिर अलवर-घाटला-पड़ीसल-खैरथल-हरसौली तक 3. कोटकासिम-बुढीबावल-टपूकड़ा तक 4. हरसौली-रामनगर-मीरका बास कृपालनगर-किशनगढ़बास-मोठूका-धमूकड-बाघौड़ा-थानाघौड़ा-मुबारिकपुर तक 5. कोटकासिम-शेरपुर-जौडिया-भौंकर-गैलपुर तक 6. कोटकासिम-लाड़पुर-तिजारा तक 7. विजय मंदिर अलवर- घाटला-पड़ीसल-जगता बसई-रातां खूर्द-बालन बसई-श्यामाका-इस्माईलपुर-गज-किशनगढ़बास तक 8. घाटा बम्बोरा-दौगड़ा-न्याणा-रावका चौकी -मुबारिकपुर तक 9. कोटकासिम-खानपुर डागरान- तिगांवा-बासनी तक 10. पापडी स्टैण्ड-शेखपुर-मुबारिकपुर-नौगांवा तक 11. बीबीरानी-नीमलाका-जौडिया-गैलपुर तक 12. खैरथल व किशनगढ़बास में बाई पास का निर्माण 13. उपखण्ड़ मुख्यालय कोटकासिम में मिनी सचिवालय निर्माण 14. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड-द्वितीय अलवर का मुख्यालय किशनगढ़बास करने बाबत आदि कार्यों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। उक्त कार्यों के स्वीकृत होने से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास, तिजारा, मुण्डावर, अलवर ग्रामीण व रामगढ़ में अन्य विकास कार्यों में भी गति आएगी।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

(12.27 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त सभी सड़कों एवं अन्य कार्यों को स्वीकृत करावें जिससे कि उक्त क्षेत्र में लोग आसानी से आवागमन कर सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर के मोहननगर रेलवे स्टेशन पर अण्डरब्रिज की स्वीकृति

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत आने वाले मोहननगर एवं 22 एन.पी. सहित आसपास के कई गांवों के ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2016 को आरयूबी बनाने सम्बन्धी मांग को लेकर ट्रेक पर महापड़ाव डालकर रेल रोकने सम्बन्धी आंदोलन चलाया गया था। उक्त आरयूबी के निर्माण की मांग गत 05 वर्षों से की जा रही है, क्योंकि आरयूबी नहीं बनने के कारण रेलवे लाइन के दोनों ओर लगभग 8-10 गांवों की आबादी के ग्रामवासियों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलवे लाइन के कारण ग्राम पंचायत करड़वाली दो भागों में बंट गई है जिससे लोगों का आना जाना रेलवे लाइन से होता है जिस कारण आये दिन दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है एवं ग्रामवासियों द्वारा भी बार-बार धरना प्रदर्शन आदि किया जाता है जिसके कारण क्षेत्र में शांति भंग होती है। ग्रामवासियों की मांग के दृष्टिगत जनहित में उक्त आरयूबी बनाया जाना उचित होगा।

महोदय, समय-समय पर जन प्रतिनिधियों द्वारा भी आरयूबी बनाने की मांग की जाती रही है।

अत: मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत, क्षेत्र की वर्षों से चली आ रही मांग पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य सरकार से आरयूबी स्वीकृत, माननीय ग्रामवासियों की उक्त मांग को उचित रखते हुए मोहननगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अण्डरब्रिज बनाने की स्वीकृति प्रदाव करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना की स्वीकृति

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियामवली के नियम 295 के तहत लोक महत्व के इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ग्राम हरिपुरा मांझी के पास कालीसिंध नदी में पर्याप्त मात्रा में पेयजल के स्रोत हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी को प्रदेश के अध्यक्ष धमका रहे हैं कि कल आपने ऐसा कैसे बयान दे दिया। माननीय उपाध्यक्षजी, यह तो ठीक नहीं है। सदन की अवमानना है। मंत्रीजी को धमका रहे हैं प्रदेश अध्यक्षजी, परनामीजी, कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि हम वन को लीज पर दे रहे हैं। सदन में कुछ बोला और बाहर कुछ बोल दिया। इस बात के लिये धमका रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कैसे आरोप लगा रहे हो कि वे धमका रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराजें आप। प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपको यह जानकारी है कि नहीं कि सदन में आसन की बगैर मर्जी के कोई किसी को नहीं धमका सकता।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): उपाध्यक्ष महोदय, धमकाने की जो परम्परा है, वह कांग्रेस में है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): सांगोद विधान सभा क्षेत्र के गांव सहित लाडपुरा एवं पीपल्दा क्षेत्र के गांवों में पेयजल की समस्याओं को देखते हुए जन प्रतिनिधियों के आग्रह पर जल संसाधन विभाग द्वारा प्रारम्भिक तौर पर सर्वे कराकर कालीसिंध नदी में उपलब्ध जल की मात्रा एवं अन्य इत्यादि सर्वे की रिपोर्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दी जा चुकी है। जिसमें पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता बताई गयी है। इस सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्पेशल प्रोजेक्ट के माध्यम से हरिपुरा मांझी एनिकट से गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है। जिसे मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत कर विभागीय स्तर पर तकनीकी परीक्षण में है। इसके अन्तर्गत 42 ग्राम फ्लोराइड प्रभावित हैं। हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना के लागू होने से सांगोद विधान सभा क्षेत्र के 102 गांव एवं 20 मजरों एवं लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के 61 गांवों एवं 26 मजरों व

(श्री हीरालाल नागर)

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के 44 गांवों एवं 6 मजरों को पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कोटा जिले की सांगोद, लाडपुरा एवं पीपल्दा विधान सभा की पेयजल सम्बन्धी एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा एवं ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सांगोद की हरिपुरा मांझी पेयजल परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें, ताकि सांगोद, लाडपुरा एवं पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के 207 गांवों एवं 52 मजरों में पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): गोपाल कृष्ण है या गोपाल है?

श्री उपाध्यक्ष: एक सूची में गोपाल कृष्ण है, आपके 295 में गोपाल जोशी है, जैसा आप उचित समझें।

राजस्थानी भाषा को मान्यता के प्रयास

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि हर व्यक्ति की पहचान उसके राज्य से होती है और भारत में लगभग हर राज्य की अपनी-अपनी भाषा है, जिससे वह पहचाना जाता है। क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा पर गर्व होता है, भाषा के द्वारा वह अपने राज्य के गौरवपूर्ण इतिहास व सफलता को बतलाता है। हमारा राजस्थान जनसंख्या की तुलना में अन्य राज्यों की तुलना में चौथे नम्बर पर है एवं यहां के निवासी भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं एवं अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। यहां के इतिहासकारों ने भी अपने लेखन से काफी प्रभावित किया है। हमारी भाषा को नेपाल व अमेरिका तक ने इसी को देखते हुए मान्यता दी है। लेकिन अपने ही देश में राजस्थान के लोगों की बोली राजस्थानी को अभी तक मान्यता प्राप्त बोली की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जो कि राज्य की पहचान है। राजस्थानी भाषा मान्यता को लेकर काफी लम्बे समय से तत्कालीन सरकारों द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप द्वारा सुराज संकल्प यात्रा में

(श्री गोपाल कृष्ण)

राज्य के निवासियों से कई वादे किये गये थे, जिसमें अधिकतर आपने पूर्ण किये एवं कई प्रगति पर हैं।

इसी को देखते हुए हमें आशा है कि आप द्वारा राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त श्रेणी में रखने हेतु पुरजोर प्रयास किये जाएंगे। सादर धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ में उपखण्ड कार्यालय की स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अराई कस्बे में पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय होने के साथ-साथ अधिकांशतः सभी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय संचालित हैं। इस क्षेत्र की पृष्ठभूमि में 55 राजस्व ग्रामों की लगभग 95 हजार जनसंख्या जुड़ी हुई है तथा इस क्षेत्र की स्थानीय मण्डी एवं बड़ा हाट बाजार कस्बा अराई ही है। जहां पर आसपास के 18-20 पंचायतों के ग्रामवासियों का निरन्तर आवागमन रहता है। पृष्ठभूमि में बसे ग्रामवासियों की मुख्य आजीविका कृषि ही है तथा यह क्षेत्र पैदावार की दृष्टि से अच्छा होकर सिंचित एवं दो फसली क्षेत्र भी हैं। इसलिये कृषि भूमि सम्बन्धी कार्य एवं विभिन्न राजस्व सम्बन्धी सभी कार्य बने रहते हैं। उक्त परिक्षेत्र के वाशिंदों को अधिकांशतः कोर्ट कैसेज एवं सी.आर.पी.सी. सम्बन्धित कार्य हेतु उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष आना पड़ता है। उक्त सभी प्रकार के कार्यों के लिये अधिकांश क्षेत्रवासियों को 32 से 65 किलोमीटर तक का सफर कर उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ ही जाना पड़ता है जिससे अनावश्यक श्रम, समय एवं कार्य का भार आमजन पर पड़ रहा है और वहीं दूसरी ओर अराई परिक्षेत्र आंतरिक रूप से फैला हुआ ग्रामीण इलाका होने से यहां अकस्मात कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर किशनगढ़ या अजमेर से प्रशासनिक सहायता प्राप्त होने में 1-1/2 से 2 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है, जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुचित है। यदि पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर वर्तमान सरकार द्वारा नवीन उपखण्ड कार्यालय की स्थापना कर दी जाये तो क्षेत्रवासियों को एवं गरीब ग्रामीणों के उपखण्ड स्तरीय उक्त कार्य सुगमता एवं सहजता से निपटाये जा सकेंगे। और उन्हें उक्त सभी कार्यों हेतु लगभग 15 से 30 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी होगी।

(श्री भागीरथ चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसील मुख्यालय अराई पर सभी संचालित महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कार्य में समन्वय की कमी के कारण क्षेत्र में राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो पाता है और वर्तमान में अजमेर जिले की 08 पंचायत समिति मुख्यालयों में से 05 यथा पीसांगन, केकड़ी, मसूदा, भिनाय, किशनगढ़ पर उपखण्ड कार्यालय स्थापित हैं। ज्ञात रहे कि इस सम्बन्ध में गत विधान सभा चुनाव 2013 से पूर्व आयोजित सुराज संकल्प यात्रा के दौरान अराई कस्बे में आयोजित चुनावी सभा, दिनांक 23.11.2013 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा सार्वजनिक मंच पर तहसील मुख्यालय अराई पर नवीन उपखण्ड कार्यालय खोलने की घोषणा की गई थी।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर वर्तमान संसाधनों एवं अन्य उपखण्ड स्तरीय सुविधाओं की पर्याप्तता एवं बेहतर क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से की जा रही उपखण्ड कार्यालय स्वीकृति की मांग को अविलम्ब आज ही स्वीकृत कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालालजी।

निवाई में अधिशासी अभियंता कार्यालय की स्थापना

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के अन्तर्गत पीपलू उपखण्ड आता है। निवाई उपखण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता खंड कार्यालय मालपुरा के अन्तर्गत लिया गया है। पीपलू उपखण्ड टोंक उपखण्ड कार्यालय के अन्तर्गत आता है, जो उपखण्ड निवाई एवं पीपलू के साथ उचित निर्णय नहीं किया गया है।

निवाई से मालपुरा 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार पीपलू टोंक से 40 किलोमीटर की दूरी है। मालपुरा विधान सभा क्षेत्र में दो सार्वजनिक निर्माण खण्ड कार्यालय क्रमशः मालपुरा एवं टोडारायसिंह में

(श्री हीरालाल)

अधिशासी अभियंता खण्ड कार्यालय सृजित है जबकि निवाई एवं पीपलू क्रमशः मालपुरा एवं टोंक में शामिल है। अतः जनता को राहत दिलाने की दृष्टि से निवाई एवं पीपलू उपखण्ड के लिए अलग खण्ड अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाए। इस बाबत निवाई उपखण्ड पर पर्याप्त भवन उपलब्ध है। अलग से कोई भवन निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ए.ईएन., पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय, निवाई में भवन रिक्त है, जिसकी देखभाल भी हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवाई में अधिशासी अभियंता (पी.डब्ल्यू.डी.) खण्ड कार्यालय खोलकर राहत प्रदान कराएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौरी पान मेथी का नोटिफाइड कमोडिटी में सम्मिलन

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए नागौरी पान मेथी को नोटिफाइड कमोडिटी में सम्मिलित कराने के सम्बन्ध में निवेदन है कि नागौर जिले में बोई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध पान मेथी जिसको राज्य सरकार ने राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अनुसूची से विलोपित कर दिया। उसके बाद से व्यापारियों की मोनोपोली तथा किसानों का पान मेथी के विक्रय बाजार के सम्बन्ध में जागरूकता का अभाव तथा उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं।

एक सीजन में मेथी के पत्तों की 8-10 बार तुड़ाई होती है और उत्पादन क्षेत्र कम होने के बावजूद भी नागौर जिले के क्षेत्र में देश की 80 प्रतिशत पान मेथी का उत्पादन होता है। नागौर की पान मेथी की पूरे विश्व में एक अलग पहचान है तथा पान मेथी की बुवाई में भी किसानों का बहुत ज्यादा आर्थिक लागत आती है परन्तु पान मेथी का कृषि मण्डी जिन्सों में शामिल नहीं होने के कारण किसानों को पान मेथी का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।

किसानों की मांग को लेकर जिला कलक्टर, नागौर ने भी 25 जनवरी, 2017 को नागौरी पान मेथी को कृषि मण्डी के जिन्सों में शामिल करने के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि किसानों के हित को मध्यनजर रखते हुए तथा व्यापारियों को मोनोपोली का किसान शिकार नहीं हो और पान मेथी का वास्तविक उपज मूल्य प्रदेश के किसानों को मिले इसके लिए सरकार को तत्काल नागौरी पान मेथी को नोटिफाइड कमोडिटी में सम्मिलित करवाने को आदेश जारी कर किसान हितों का संरक्षण करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अंजू देवी धानका।

बस्सी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर हो रही अनियमितताएं

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी, जिला-जयपुर में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पंचायत समिति बस्सी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी की अनियमितताओं के बारे में आये दिन अख़बार में आता रहता है परन्तु प्रशासन सिर्फ मूक-दर्शक बना हुआ है। आये दिन शिकायतें होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। अधिकतर चिकित्सक अपने आवासीय स्थान से मरीजों को सुविधा शुल्क लेकर देखते हैं।

शिशु रोग विशेषज्ञ ने तो बस्सी में अपना नर्सिंग होम तक खोल लिया है, जिसके कारण चिकित्सक अस्पताल में कम और अपने निवास स्थान पर मरीजों को ज्यादा देखते हैं। इसका एक कारण, अधिकतर चिकित्सकों का स्टाफ लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत रहना है। सी.एच.सी. प्रभारी तो लगभग 15 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। ऐसे और भी बहुत से चिकित्सक हैं जिनका कार्यकाल भी सी.एच.सी. प्रभारी के लगभग है। प्रत्येक महिला एवं शिशु के परिजनों से इलाज के नाम पर महिला चिकित्सक एवं शिशु रोग विशेषज्ञ द्वारा सुविधा शुल्क वसूला जाता है। अगर महिला एवं बालक के परिजनों द्वारा सुविधा शुल्क नहीं दिया जाता है तो उसे बिना जांच किये ही जयपुर रैफर कर दिया जाता है। अगर रात के समय किसी गरीब मरीज को लाया जाता है तो चिकित्सक मरीज की जांच करे बिना ही जयपुर रैफर कर देते हैं। रात के 12 बजे के बाद किसी भी मरीज को नहीं देखा जाता है चाहे कितनी भी आपात स्थिति क्यों न हो।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बहुत सी अनियमितताएं हैं, जिसमें से स्वास्थ्य केन्द्र में जांच सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी सारी जांच बाहर से करवाई जाती है क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध होने के बावजूद भी जांच अस्पताल के बाहर खुले हुए सोनोग्राफी सेंटरों से करवाई जाती है। चिकित्सक के परामर्श द्वारा बाहर चल रहे सोनोग्राफी सेंटरों पर लिंग परीक्षण भी करवाया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी में अभी तक किसी भी प्रकार की आडिट नहीं हुई है जिसके कारण अस्पताल प्रभारी फर्जी बिल बनाकर भुगतान उठाते हैं। प्रभारी द्वारा फर्जी बिल बनाकर भुगतान उठाने के कारण अस्पताल में भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सी.एच.सी., बस्सी में मरीजों को मिलने वाली दवाइयां नहीं देकर मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

तहसील बस्सी, जिला-जयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्सी में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर से निकल रहे क्रूड आयल का भण्डारण

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत बाड़मेर में निकल रहे क्रूड आयल का भण्डारण बीकानेर में स्वीकृत करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है।

महोदय, मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि सीमावर्ती बाड़मेर जिला भले ही अकाल एवं विषम परिस्थितियों की मार झेल रहा हो लेकिन अपने गर्भ में ऐसे खनिजों को सहेजे हुए है कि जिसकी बदौलत बाड़मेर आज हिन्दुस्तान ही नहीं विश्व मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है।

महोदय, देश के कुल उत्पादन हो रहे क्रूड आयल का 24 प्रतिशत क्रूड आयल अकेले बाड़मेर में निकल रहा है फिर भी आज बाड़मेर उपेक्षा का शिकार हो रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय बाड़मेर में रिफाइनरी स्वीकृत

(श्री मेवाराम जैन)

हुई, उसका शिलान्यास भी हो गया था लेकिन वर्तमान सरकार ने आते ही रिफाइनरी के कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और तो और अभी सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बाड़मेर से निकलने वाले क्रूड आयल का भण्डारण जो कि लगभग 4000 करोड़ की लागत से तैयार होगा जो बीकानेर में बनेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या कारण है कि विधान सभा चुनावों में बाड़मेर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 6 विधायक दिये, लोक सभा में भाजपा का सांसद दिया, छप्पर फाड़कर भाजपा का साथ दिया, उसके बावजूद प्रदेश एवं केन्द्र की सरकार बाड़मेर की जनता के साथ क्रूर मजाक कर रही है, भेदभाव कर रही है। बाड़मेर के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तेल बाड़मेर में निकल रहा है और यहां के किसानों ने राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हुए रियायती दरों पर अपनी पैतृक जमीन सरकार को दे दी, सरकार के हर कदम पर साथ रहे, उसके बावजूद पहले रिफाइनरी के कार्य को ठंडे बस्ते में डालना और अब क्रूड आयल भण्डार बीकानेर में करके बाड़मेर के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है, बाड़मेर की नहीं, प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली रिफाइनरी परियोजना को बंद करने का कार्य किया है। जिले की अन्य पेयजल परियोजना को भी करीब-करीब बंद करने का कार्य किया है। भौगोलिक रूप से पिछड़े बाड़मेर जिले में जहां सरकार को अतिरिक्त बजट देकर विकास कार्य करवाने चाहिए, वहां उल्टा कटौती कर रही है। राजस्थान एवं केन्द्र सरकार का खजाना बाड़मेर से मिल रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू बाड़मेर से दिया जाता है उसके बावजूद बाड़मेर की आम जनता के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्रूड आयल भण्डार को बीकानेर में करने से बाड़मेर की आम जनता में रोष है। सरकार एवं जिले के सरकारी नुमाइदों के प्रति गहरी नाराजगी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि क्रूड आयल का भंडारण बाड़मेर में किया जाए। इसके लिए बाड़मेर में खूब जमीन

(श्री मेवाराम जैन)

पड़ी है। सरकार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को जगाए, अन्यथा बाड़मेर की जनता सड़कों पर उतरेगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली में कस्टोडियन भूमि के नामांतरण पर लागू शुल्क की समाप्ति

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए कोटपूतली क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि के खातेदारी अधिकार देने में लागू डी.एल.सी. दर को कम करने के सम्बन्ध में निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव पर सरकार और राजस्व मंत्री त्वरित कार्यवाही कर जनता को राहत दें।

कोटपूतली क्षेत्र में जो कस्टोडियन भूमि है, उसको खातेदारी में बदलने के लिये वर्तमान में जो प्रावधान लागू हैं, उनके अनुसार गरीब किसानों से डी एल सी रेट की 50 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में वसूली जाती है जबकि आर्थिक स्थिति क्षेत्र के किसानों की ऐसी नहीं है कि वे यह भारी भरकम राशि अदा कर सकें। अन्य राज्यों में एवं राजस्थान में भी अन्य जगह कस्टोडियन भूमि को बहुत कम राशि लेकर किसानों को खातेदारी हक दे दिया गया है। किन्हीं कारणों से कोटपूतली क्षेत्र के कस्टोडियन भूमि पर काबिज काश्तकारों को उप कृषक बना दिया गया, जबकि राजस्व विभाग में उप कृषक कहीं भी उल्लेखित नहीं है, अर्थात् उप कृषक शब्द ही राजस्व रिकार्ड में कहीं नहीं है। खातेदारी हक नहीं मिलने से मेरे क्षेत्र के किसानों के साथ-साथ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सात हजार बीघा जमीन की खरीद एवं कनेक्शन नहीं हो रहा है। पचास प्रतिशत राशि जमा कराने वाले किसान कोई भी नहीं है। अब तक एक बीघा जमीन की भी खातेदारी नहीं हुई। अगर 7 से 8 प्रतिशत राशि लेकर खातेदारी हक दिया जाता है तो सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ही कस्टोडियन भूमि होने से

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

वहां के काश्तकार, जो बरसों से भूमि पर काबिज काश्त हैं, उन्हें उस भूमि के बेचान एवं स्थानान्तरण में भारी कठिनाई हो रही है। यदि उनके नाम भूमि का नामान्तरण हो जाता है तो बेचान से राज्य सरकार को भी स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी।

अतएव मेरी मांग है कि कोटपूतली क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि के नामान्तरण पर लागू डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत राशि के शुल्क को समाप्त कर किसानों को राहत देने के आदेश आज ही जारी कर अनुगृहित करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

भीम एवं देवगढ़ महाविद्यालय में वाणिज्य, विज्ञान संकाय व पी.जी. कोर्स की स्वीकृति

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत महाविद्यालय भीम व देवगढ़ के वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के राजकीय महाविद्यालय भीम में करीब 700 छात्र-छात्राएं एवं महाविद्यालय देवगढ़ में करीब 300-400 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा यहां केवल कला संकाय ही है, जिसके कारण वाणिज्य व विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य व विज्ञान संकाय के अभाव के कारण किसी अन्य महाविद्यालय में आगे की पढ़ाई करने के लिये जाना पड़ता है, जिसमें विशेषकर छात्राओं की संख्या अधिक है। ग्रामीणवासियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं होती है जिसके कारण ग्रामीण परिवेश के अभिभावक उच्च शिक्षा हेतु अपनी जवान बेटियों को बाहर भेजने में सहज महसूस नहीं करते हैं जिससे छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। महाविद्यालय भीम में भूगोल व इतिहास में पी.जी. खोला जावे जिससे छात्र-छात्राओं को परीक्षा की सुविधा भीम में ही उपलब्ध हो सकें, क्योंकि जिला मुख्यालय से मेरा क्षेत्र काफी दूर बसा हुआ है तथा उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, जिससे छात्र-छात्राओं को आने-जाने में व वहां रहने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्राचार्य, व्याख्याताओं व अन्य कर्मचारियों के रहने के लिये स्टाफ क्वार्टर बनाये जायें जिससे इन्हें वहां रहने की सुविधा प्राप्त हो सके तथा महाविद्यालय भीम व देवगढ़ की चारदीवारी निर्माण के लिये राशि की स्वीकृति प्रदान करावें।

(श्री हरिसिंह रावत)

अतः उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल उक्त समस्या व छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय भीम व देवगढ़ में वाणिज्य व विज्ञान संकाय तथा भीम महाविद्यालय में पी.जी. इसी बजट में खोलने की कृपा करावें जिसके लिये क्षेत्र के छात्र-छात्राएं व उनके अभिभावक आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

जोधपुर में एलीवेटेड फ्लाई ओवर निर्माण

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा जोधपुर शहर की सबसे बड़ी जरूरत जोधपुर हार्ट लाइन कही जाने वाली महामन्दिर से आखलिया चौराहे तक एलीवेटेड फ्लाई ओवर ब्रिज बनाये जाने हेतु मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर का हृदय स्थल पावटा को माना गया है। यहां पर नागौर, बीकानेर एवं जयपुर-अजमेर से आने वाले वाहन के साथ शहर की आधी आबादी उत्तर की ओर रहती है। इसी के साथ एन.एल.यू., आई.आई.टी., एन.आई.एफ.टी., आयुर्वेद, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, बी.एस.एफ., सब्जी मण्डी व पावटा स्थित बस स्टैण्ड इत्यादि हैं। ऐसी स्थिति में पावटा पर ट्रैफिक का बहुत जमावड़ा रहता है। यहां से शहर की तरफ जाने वाले वाहन सोजती गेट, जालौरी गेट, पांचवीं रोड से गुजरते हैं। इन रोडों की चौड़ाई कम होने एवं बीच-बीच में रैड लाइट होने से ट्रैफिक इतना व्यस्ततम हो जाता है कि आम आदमी को निकलने में काफी परेशानियों के साथ दुर्घटना का भी भय व्याप्त रहता है। आये दिन पावटा से आखलिया चौराहे के बीच में दुर्घटनाओं के आंकड़ों में वृद्धि हुई है। किसी जुलूस या धार्मिक रैली या त्यौहार के दौरान स्थिति इतनी विकट हो जाती है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। यातायात पुलिस प्रशासन को यातायात डायवर्ट करने पर मजबूर होना पड़ता है, जिस कारण आम व्यक्ति को लम्बी दूरी की यात्रा मजबूरन में करने पर बाध्य होना पड़ता है।

एशियन डवलपमेंट बैंक एवं अन्य एजेन्सियों ने भी सर्वे कर विश्लेषण किया है। उनके एक्सपर्ट ने भी माना है कि हार्ट लाइन जालौरी गेट से पावटा

(श्री कैलाश भंसाली)

तक के रूट पर सबसे ज्यादा दिक्कत है। यदि पावटा चौराहे से आखलिया चौराहे तक एलीवेटेड फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाता है तो 80 प्रतिशत तक शहरी यातायात दबाव में कमी आयेगी एवं आमजन का ईंधन एवं समय की बचत के साथ सुरक्षित अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंचेगा।

स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी इस समस्या को जोर-शोर से उठाया गया है, क्योंकि जोधपुर की आज की तारीख में सबसे बड़ी मुख्य समस्या बिगड़ी यातायात व्यवस्था है, जिसकी मुख्य वजह केवल एक हार्ट लाइन को सम्पूर्ण जोधपुर को छोटी-छोटी रोडों से जोड़ती है। अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के नगरीय विकास मंत्री का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। जोधपुर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पावटा चौराहे से आखलिया चौराहे तक एलीवेटेड फ्लाई ओवर ब्रिज जिस प्रकार जयपुर में अजमेर रोड से अजमेरी पुलिया तक फोर लाइन एलीवेटेड पुल का निर्माण किया गया है, उसी की भांति यहां पर भी इसकी बहुत आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ग्राम पंचायत सहायकों की नियुक्ति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार विद्यालय सहायकों की जो भर्ती कर रही है, मैं समझता हूं कि पहली बार प्रदेश में इस प्रकार का एक धोखा विद्यार्थी मित्रों को दिया जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों को पहले इनकी सरकार ने हटाया और उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार यह आश्वासन देते रहे। मुख्य मंत्रीजी ने भी बाहर आश्वासन दिया, सदन में भी दिया। शिक्षा मंत्रीजी ने भी दिया। जहां भी इनको विद्यार्थी मित्रों ने घेरा, हमारे राजेन्द्र जी राठौड़ साहब ने भी बार-बार यह कहा कि हम विद्यार्थी मित्रों को वापस सरकारी नौकरी में लाने का काम करेंगे। लेकिन एक इस प्रकार की भर्ती, जो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई, केवलमात्र विद्यार्थी मित्रों में फूट डालने के लिये, उनका आन्दोलन कमजोर करने के लिये एक इस तरह का षड्यन्त्र सरकार के द्वारा रचा गया और आज न कोई स्पष्ट गाइड लाइन है ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती के लिये, न कोई साक्षात्कार के नम्बर तय किये। उसमें करीब पांच लाख के लगभग फार्म

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आ गये। विद्यार्थी मित्रों को नहीं लेने के लिये यह जो धोखा विद्यार्थी मित्रों को दे रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं ऐसी कोई भर्ती होती है क्या कि अनुभव का प्रमाण पत्र लगाइये। कितने नम्बर होंगे अनुभव के? नहीं बताया इन्होंने। साक्षात्कार कितने नम्बर का होगा? यह भी नहीं बताया इन्होंने। इनको यह चाहिये था विद्यार्थी मित्रों को यह जो बार-बार आश्वासन दे रहे हैं उनकी भर्ती करने के लिये अगर ग्राम पंचायत सहायकों के रूप में उनको नियुक्ति देनी थी, तो विद्यार्थी मित्रों के लिये अलग से बोनस अंक दिये जाने चाहिये थे। हमारी सरकार ने जो बोनस अंक का प्रावधान किया था, सुप्रीम कोर्ट तक आप गये। हम लोगों को यह कहते रहे कि आपने यह गलत कर दिया इसलिये भर्तियां रूकी पड़ी हैं। आपने प्रदेश में एक भी भर्ती की नहीं और आज विद्यार्थी मित्र जब आपके गले की फांस बन गये तो आप लोगों ने उनको बरगलाने के लिये, उनको धोखा देने के लिये एक-एक पंचायत में, उपाध्यक्ष महोदय, दस-दस विद्यार्थी मित्रों ने फार्म भर दिये। कैसे चयन करेंगे? 100-100 रुपये पांच लाख आवेदनों के इन्होंने जमा कर लिये। प्रधानाध्यापकों को, प्राचार्यों को कह दिया कि आप पहले इनका साक्षात्कार लीजिये। आप बताइये जब यह नहीं कहेंगे कि साक्षात्कार कितने नम्बर का होगा, अनुभव किस बात का होना चाहिये, अनुभव के कितने नम्बर होंगे?

(13.00 बजे)

तो क्या यह भर्ती स्टेंड करेगी? मैं कहता हूं नहीं करेगी। केवल आप इस सदन से बचने के लिए कि विद्यार्थी मित्र पुनः यहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और आपके गले की फांस बने हुए हैं इसलिए उनको बरगलाने के लिए यह इस प्रकार की थोथी और असत्य भर्ती निकाली है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम मांग करते हैं कि विद्यार्थी मित्रों को शत-प्रतिशत नौकरी में लिया जाए। इस ग्राम पंचायत सहायकों के नाम से लें, चाहे दूसरे नाम से लें। आप केवल बरगला करके बैक डोर एण्ट्री करना चाह रहे हो, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेना चाह रहे हो, यह आज होगा, न कल होगा। अगर भर्ती विद्यार्थी मित्रों के लिए है तो आपको, सरकार को यह कहना पड़ेगा कि विद्यार्थी मित्रों के लिए यह भर्ती है, विद्यार्थी मित्रों को बोनस अंक दिये जायेंगे और एक साल के लिए क्यों? एक साल बाद में वो विद्यार्थी मित्र कहां जायेगा?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि यह आन्दोलन कमजोर हो जाए। विद्यार्थी मित्र बेघर हो गये, आज पता नहीं कितने दिन से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अन्दर तो इसलिए नहीं घुसने देते कि संगठन के पदाधिकारी का लैटर पैड चाहिए। बाहर बैठ जाते हैं तो यह लट्ठ मरवाते हैं, खुद लट्ठ लेकर बी.जे.पी. के कार्यकर्ता पीछे भागते हैं। आज 56 से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आत्महत्या कर ली लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह पुनः षड्यंत्र कर रहे हैं। कह रहे हैं डी.ई.ओ., सी.ई.ओ. उसका अनुमोदन करेगा। पहले प्रधानाचार्य उसका साक्षात्कार लेगा, फिर डी.ई.ओ. और सी.ई.ओ. उसका अनुमोदन करेगा, फिर वो उस प्रधानाचार्य को अनुमोदन करके वापस देगा, फिर प्रधानाचार्य उस ग्राम सेवक को देगा। भाई, यह क्या है? कहां की भर्ती हो गयी? इस तरह की भर्ती राजस्थान के इतिहास में नहीं अगर हिन्दुस्तान के इतिहास में आप किसी भी स्टेट में बता दो तो आप कहो जो मैं करने को तैयार हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल मात्र विद्यार्थी मित्रों को बरगलाने का काम, उनको धोखा देने का काम, उनके आन्दोलन को कुचलने का काम करने के लिए यह षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है जिसमें मुख्य मंत्रीजी भी शामिल हैं, शिक्षा मंत्रीजी भी शामिल हैं और अब यह पंचायती राज मंत्री पहले ठीक था, राठौड़ साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो यह तो गले में नवाज नहीं पड़ रही थी, अब तो आप पंचायती राज मंत्री हो गये। आपका प्रधानाचार्य क्या करेगा? वो तो देवयानी जी तय करेंगे, 'यानी' जी कि 'नानी' जी जो भी हैं, सारी, देवनानी जी, वो तय करेंगे और सी.ई.ओ. आपका है, वो आप तय करेंगे। इनको ऐसे पीस कर रख दिया कि विद्यार्थी मित्रों का चयन नहीं कर रहे हैं।

बजट का कोई प्रावधान नहीं। यह जबरदस्ती की राठौड़ी करने से काम नहीं चलेगा। सरकार नियम और प्रक्रियाओं से चलती है। विद्यार्थी मित्रों को एडजस्ट करने के लिए, उनको पुनः नौकरी देने के लिए, आपने बार-बार सुराज संकल्प यात्रा में कहा था विद्यार्थी मित्रों को नियमित करेंगे, साढ़े तीन साल से आपके जी को रो रहे हैं, रो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी की सगाई

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

छूट गयी, किसी की पत्नी छोड़ कर चली गयी कि, तुम तो नौकरी कर रहे थे, मैं तो नौकरी वाले आदमी के आयी थी और आप तो नौकरी ही नहीं कर रहे हो।

उनका जो हाल हो रहा है, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इन विद्यार्थी मित्रों की समस्या का समाधान इस सरकार ने नहीं किया तो यह 26 हजार विद्यार्थी मित्र आपकी सरकार का सूपड़ा साफ कर देंगे और आने वाले दिनों में और भी आत्म हत्याएं करने के लिए मजबूर होंगे, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की होगी। यह निकम्मी और नाकाम सरकार है जो विद्यार्थी मित्रों को बार-बार धोखा दे रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और भारी भरकम मंत्री माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, जो इस पंचायतों की भर्ती कर रहे हैं, देवनानी जी का सहयोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें कहीं भी विद्यार्थी मित्रों को साक्षात्कार में क्या वेटेज दिया जायेगा, उनको अनुभव में क्या अलग अंक दिये जायेंगे, कहीं कोई प्रावधान नहीं है। केवल मात्र कोर्ट में अटका कर के यह कहेंगे, साहब, कोर्ट में अटक गयी, हम क्या करें? तो हमारे समय में जो लोग कोर्ट में चले गये थे, जब भर्तियां अटक गयी थीं तो आप लोगों ने बड़ी मेजें थपथपायी थीं, अशोक गहलोत की सरकार ने तो पता नहीं कितनी कोर्टों में अटका दी। आपने एक का भी फैसला कर दिया क्या? एन.आर.एच.एम. का किया हो तो बता दो, अध्यापकों का किया हो तो बता दो। किसी भी बेरोजगार के जो आवेदन ले रखे हैं, आपने एक को नौकरी नहीं दी।

मैं पुनः कहना चाहूंगा, मेरा इस सरकार के ऊपर आरोप है कि विद्यार्थी मित्रों के साथ में धोखा करके षड्यंत्र पूर्वक उनका जो आन्दोलन है उसको कुचलने के लिए यह असफल प्रयास किया जा रहा है। किसी भी सूरत में विद्यार्थी मित्रों को यह सरकार लेना नहीं चाहती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खुला प्रावधान कीजिए। आप उसमें लिफाफे खोल-खोलकर देख रहे हैं हमारा बी.जे.पी. का कार्यकर्ता आया कि नहीं आया। प्रधानाध्यापकों को बुला-बुलाकर धमका रहे हैं कि क्यों, हमारे एम.एल.ए. का रिश्तेदार था, आपने इसका चयन कैसे नहीं किया? फिर वो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वापस जा रहे हैं, वो बेचारे हमारे पास आ रहे हैं कि, साहब, हमारी नौकरी बचाओ, हमें कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है इसलिए हम क्या करें? हम भी चाहते हैं कि आपकी सरकार विद्यार्थी मित्रों को समायोजित करे, उनको नौकरी देवे और जो 27 हजार की भर्ती है उसमें सब विद्यार्थी मित्रों को आप समायोजित करें, आप परमानेंट करें।

यह एक साल का झुनझुना पकड़ाने से कुछ नहीं होगा, पौने दो साल बाद में चुनाव है, विद्यार्थी मित्र और बेरोजगार युवा जिनको आपने बहुत ललचाया था 15 लाख की नौकरी देने का वादा करके वो लोग आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, मैं आज कह रहा हूं। (व्यवधान)

ऐसे-ऐसे राज़ी होने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों के साथ में धोखा नहीं होने देंगे। यह कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में आपको रोजाना घेरेगी, आये दिन घेरेगी नाकामियों के ऊपर क्योंकि यह सरकार नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, यह सब को धोखा देना जानती है इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहती। धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के वक्तव्य से मैं यह तो समझ पाया कि ये विद्यार्थी मित्र के हित चिंतक नहीं हैं। 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'।

अगर मैं सारी बात बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम है, 2006 से लेकर 2013 तक राजस्थान के अन्दर जहां भी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त थे, एक समेकित वेतन पर विद्यार्थी मित्रों को नियोजित करने का काम किया। यह शुरूआत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई और, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक विद्यार्थी मित्र न्यायालय में चले गये।

इन्हीं के कार्यकाल के अन्दर 21.10.2013 को न्यायालय में जो विद्यार्थी मित्र गये वो यह कहकर गये थे कि हमें पूरे बारह महीने का समेकित वेतन मिलना चाहिए, दो महीने बीच के अन्दर ग्रीष्म अवकाश के अन्दर वेतन नहीं दिया जा रहा, हमें नियमित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने 21.10.2013 को फैसला कर दिया कि विद्यार्थी मित्रों की जो नियुक्तियां हैं वो अवैधानिक हैं, असंवैधानिक है और तत्कालीन सरकार को यह निर्देश दे दिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि छह महीने के अन्दर-अन्दर अध्यापकों के जितने भी रिक्त पद हैं वो भरें और अस्थायी नियुक्ति नहीं करें। और उसके बाद 25,420 विद्यार्थी मित्रों का अनुबंध खतम हुआ इनके कार्यकाल के अन्दर।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर चुनाव आ गये और इन्होंने चुनाव में अपने 2013-14 के बजट भाषण में कहा कि हम 40 हजार शिक्षक सहायकों की भर्ती करेंगे और इन्होंने उस भर्ती प्रक्रिया के अन्दर एक वर्ष के दस अंक, दो वर्ष के बीस अंक और तीन वर्ष के तीस अंक का बोनस अंक का प्रावधान कर दिया। जब इन्होंने कहा इनको मालूम था कि आज तक इन बोनस अंकों के आधार पर कोई नियुक्ति हो नहीं सकती, मामला फिर कोर्ट में गया। आपके समय के 12 लाख आवेदन लम्बित पड़े हैं विद्यार्थी मित्रों के। और फिर जब कोर्ट में यह मामला गया याचिका संख्या 608/2013, कोर्ट ने यह कह दिया कि आप दस, बीस, तीस का बोनस नहीं दे सकते और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार उच्चतम न्यायालय में चली गयी और आज भी वो एस.एल.पी. विचाराधीन है।

उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। मैं मानता हूं हमने सुराज संकल्प यात्रा में भी यह कहा था कि हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे और उसके बाद माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। चूंकि उस वक्त जो शिक्षक सहायक के नियम थे उसके विरुद्ध एस.एल.पी. में, बोनस अंक के आधार पर एस.एल.पी. हुई थी, हमने यह दुबारा तय किया कि हम इस बार राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ नियम यह 2015 बनायेंगे। 2015 राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ अधिनियम 2015 बने और उसके अन्तर्गत यह तय किया गया कि सरकारी विद्यालय में और शिक्षा विभाग की अन्य परियोजना में जो कर्मी, विद्यार्थी मित्र और अन्य लोग काम कर रहे हैं उन्हें 15 अंक का बोनस अंक दिया जाए। सीनियर सेकण्डरी के मैरिट के आधार पर 70 परसेंट अंक दिये जाएं और साक्षात्कार 15 परसेंट दिया जाए।

फिर, उपाध्यक्ष महोदय, एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में गयी रजनी पुरोहित व अन्य में, उसमें यह निर्णय आया कि सिर्फ सरकार ही नहीं, जितनी भी विद्यार्थी मित्र, चाहे निजी विद्यालय में लगे हों, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हों, जिनके पास अनुभव है, बोनस अंक है उनको सब को दिया जाए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब इसके विरुद्ध सरकार एसएलपी में गई। वह एसएलपी आज भी है। उसके बाद एक अन्य मामले में विद्यालय सहायक अधिनियम, 2015 की धारा 15, 25 (1) जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी विद्यालयों में जो अनुभव वाले लोग हैं, उनको 15 परसेंट अंक दिए जाएं, इसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य रिट याचिकाओं में जो लोग गए थे कि हमें भी बोनस अंक दिए जाएं, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। फिर एक अन्य रिट याचिका में उन्होंने कह दिया कि आपने जो नियम बनाए हैं, नियम 15 (10) में जिसमें उम्र की छूट दी है, वह छूट भी नहीं दे सकते हैं। यह सरकार जब से आई है, मंत्रिमंडलीय उप समिति से लेकर, हम अलग-अलग न्यायालयों में लड़ते रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उसके बाद यह अनुभव किया गया, उधर से आपको मालूम है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों के पास सीधे बहुत बड़ी राशि का हस्तांतरण होने लगा। एक ग्राम पंचायत के पास एक वर्ष के अन्दर 100 लाख से ज्यादा की राशि आती है। फिर यह अनुभव किया गया कि इन ग्राम पंचायतों में भी ग्राम पंचायत सहायक की आवश्यकता है। आप कह रहे हैं कि हमने इसमें पैसों का प्रबंध नहीं किया। हमने स्टेट फाइनेन्स कमीशन से 200 करोड़ रुपए का प्रबंध किया। बकाया उसके लिए सैंक्शन जारी हुई। पंचायत राज की धारा 102 के अधिकारों का उपयोग करते हुए हमने नियम 258, 259 में संशोधन करके अंशकालीन, नियमित मानदेय पर संविदा के आधार पर ग्राम पंचायत सहायकों के चयन करने का काम प्रारम्भ किया। यह चयन करने का काम प्रारम्भिक रूप से हम ग्राम सभा के माध्यम से करना चाहते थे। इसके विस्तृत निर्देश भी दे दिए। लेकिन ग्राम सभा के अन्दर सरपंच गण और ग्राम सेवक संघ के शिष्टमंडल बार-बार मिले तो इस काम को हम कर नहीं पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद अब की बार जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें सरकार के प्रयासों से, विशेष तौर पर शिक्षा मंत्री के प्रयासों से लगभग 9 लाख से ज्यादा नामांकन बढ़ा। तब यह सोचा कि हम गांवों के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा कैसे दें। संविधान के 73वें संशोधन में अनुसूची 11 में वर्णित जो 29 विषय थे, उसमें से 2.10.2010 को 5 विषय जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा भी थी, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ ग्राम पंचायतों को सौंपी गई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, फिर दुबारा पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 296 (1) में संशोधन करके हमने गांव के अन्दर जो स्कूल है, उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर एक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बनाया। यह पहली बार प्रयोग हुआ कि ग्राम पंचायत में जो स्कूल हैं उनका निरीक्षण ठीक हो, उनका पर्यवेक्षण ठीक हो और उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए यह अधिकारी बनाए। इसके लिए आवश्यक आदेश 02.01.2017 को जारी कर दिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि हर विद्यालय में एसडीएमसी बनी हुई है, स्कूल डवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। यह स्वशासी है। इसमें जब हमने पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी बनाया तो हर ग्राम पंचायत के अन्दर एक ऐसा अधिकारी बन गया, जो ग्राम पंचायत की सारी विद्यालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उन पर निगाह रखने लगा। अब इसको सहायक की आवश्यकता थी। इसके लिए पहले जो ग्राम सहायक को काम दिए गए थे, उसके साथ-साथ उसको यह काम भी दिया गया। विद्यालय ग्राम सहायक का जो चयन किया गया, उसके अन्दर एसडीएमसी के प्रधानाध्यक, जिसको हमने नामजद किया, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, उसको यह कहा कि वह भर्ती करे। जो 200 करोड़ रुपए हमने स्टेट फाइनेन्स कमीशन से दिया था, उससे इनके वेतन की व्यवस्था की गई। उसके लिए बाक़ायदा एक पूरा कैलेण्डर बनाया गया। उसके अन्दर यह भी कहा गया कि जिनके पास अनुभव है उनको वरीयता दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे कोई हो, हमने एक नया पद इस उद्देश्य के साथ बनाया है कि हम गांव की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं। जो नामांकन विद्यार्थियों का बढ़ा है, इसको और बढ़ाना चाहते हैं। इसके अन्दर वरीयता के आधार पर इन सब लोगों को भर्ती करने की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ की है। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है कि भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण तक पहुंच जाए, लेकिन लिफाफों में इनका बंद हो जाए। आज उनका परिणाम किसी के सामने नहीं है। लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कहां से तो मालूम पड़ गया कि विद्यार्थी मित्र इसमें आ ही नहीं रहे हैं और विद्यार्थी मित्र ईंट से ईंट बजा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि किसी न

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसी कारण से न्यायिक विवाद में आ गए। आज न्यायालय का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उसके पश्चात भी हम प्रयत्नशील हैं कि यह जितने भी अनुभवधारी लोग हैं, जिनका गांव की शिक्षा के उन्नयन के लिए हम काम ले सकते हैं। जिनको काम लेना चाहिए। निश्चित मानदेय पर उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार ने कटिबद्धता से कदम आगे बढ़ाए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी अनुभवशील लोग हैं, चूंकि मैं विद्यार्थी मित्र का सीधा नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो अनुभवशील लोग हैं उन सबका हम समायोजन करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं ना, आपकी बात चलेगी नहीं। यह विद्यार्थी मित्र उसी तरह जय-जयकार करते हुए हमारी पार्टी के गुणगान गाएंगे। हमारी सरकार के गुणगान गाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मंत्री महोदय को 2-3 सुझाव दे दूं। अगर आपकी आज्ञा हो?

श्री उपाध्यक्ष: दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर आपकी आज्ञा हो तो?

श्री उपाध्यक्ष: दे दीजिए। सुझाव दे दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से कहा, आपकी नीयत साफ है मैं समझ रहा हूं। लेकिन आपने यह कहा, सुन लें आप प्लीज, कृपलानी जी यह आपका महकमा नहीं है। बड़े योग्य और आपसे अनुभवी मंत्री भी बैठे हुए हैं। देवनानी जी भी आपसे बहुत अनुभवी हैं तो आप कृपया बात सुन लें। कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसमें जो लेकुना है, जो कमी आपने रखी है, उसकी तरफ आपका ध्यानाकर्षित कर रहा हूं। अगर आप इस पर समय रहते समाधान कर लेंगे तो यह भर्ती हो जाएगी। अन्यथा यह भर्ती नहीं होगी।

मेरा कहने का आपसे निवेदन है कि एक पंचायत में आप 3 की भर्ती करने जा रहे हैं, ठीक। एक मिनट, बैठ जाएं राठौड़ साहब। आपको पूरा अवसर है। आप तो कहिएगा, जवाब दीजिएगा। अब एक पंचायत के अन्दर जहां पर शिक्षा मित्रों ने, 8-8, 10-10 ने फार्म भर दिए हैं, क्योंकि आपने नियम बनाया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है कि एक शिक्षा मित्र या एक प्रार्थी एक ही पंचायत में आवेदन कर सकेगा। जिले की अन्य किसी पंचायत में आवेदन नहीं कर सकेगा। वहां लोगों ने फार्म भर दिए। अब आप उसका कैसे निस्तारण करेंगे? यह आपके सामने समस्या आएगी।

दूसरी बात, देखिए, सबसे बड़ी कमी आपकी कि आपने क्लियर गाइड लाइंस नहीं दी। आपने हाई कोर्ट की प्रक्रिया के डर से क्लियर गाइड लाइंस कोई इश्यू की ही नहीं। अगर आप क्लियर गाइड लाइंस इश्यू कर देते तो यह जो बाकी के 3-4 लाख लोगों ने फार्म भर दिए हैं, वह भी बेरोजगार हैं, वह शायद नहीं भरते। सीधे ही सीधे शिक्षा मित्रों के पास फार्म आ जाते और आप उनको लगा देते। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन ने आपको 200 करोड़ रुपया दे दिया। अब यह पंचायत के कर्मचारी हो जाएंगे। तनख़्वाहें ग्राम पंचायत देंगी। यह शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो रहेंगे नहीं। मूल रूप से इनका काम रहेगा लोगों को शिक्षित करना। पंचायत का कार्य तो यह करेंगे नहीं। यह तो काम करेंगे किसका? शिक्षा का। इनको तनख्वाह मिलेगी ग्राम पंचायत से। मानदेय मिलेगा। Whatever you call it. लेकिन मिलेगा पंचायत से। कोई शिक्षा विभाग तो इनको देगा नहीं। यह पंचायत का काम धेले भर करेंगे नहीं। ग्राम पंचायतों पर एक तरह से, इनडायरेक्टली, जो विकास का कार्य होता था, उससे हर पंचायत को हर साल 6 हजार रुपये से 72 गुणा 3, 2 लाख 16 हजार रुपया हो गया, देना पड़ेगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि अभी भी समय है कि आप इनको किसी भी रूप में क्लियर गाइड लाइंस दें। आफिसियली दें, मौखिक दें, पत्र के द्वारा दें, कि जहां पर एक-एक पंचायत में 6-6, 8-8 आदमियों ने एप्लीकेशंस दे दी हैं और वहां भर्ती होगी तो होगी कैसे। आप इसके ऊपर विचार कर लें। यहां पर आप रिएक्ट करें, नहीं करें। लेकिन आप अपने स्तर पर विचार-विमर्श करके, शिक्षा मंत्रीजी से, माननीय कटारिया जी चेयरमैन हैं, इस समस्या का अगर आपने निवारण नहीं किया तो मुझे उम्मीद नहीं है कि यह भर्ती हो पाएगी। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय

(श्री वासुदेव देवनानी)

सदस्यों ने जो रखा, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार की मंशा सकारात्मक है। पहले भी पैराटीचर्स को आप तो 1200 रुपए में नियुक्त कर गए थे। हम प्रबोधक का पद करके हजारों लोगों को नौकरी पर ले आए। इसमें सारी कानूनी अड़चनों का समाधान करते हुए जब हाई कोर्ट में यह अपील हुई थी तो वहां हमारे वकील ने सारी बातें रखीं।

हाई कोर्ट ने हमको प्रक्रिया जारी रखने के लिए जब कहा उस समय यह बातें यहां उठीं और सारी बातें वहां पर आईं। अब यह सब लिफाफे में बंद है। इसकी हमने जो प्रक्रिया शुरू की, वह प्रक्रिया....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विद्यार्थी मित्रों को, सबको समायोजित करेंगे, यह आश्वासन दे रहे हैं क्या आप? आप फिर उनको धोखे में रख रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने तो एक का भी नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने किया कि नहीं किया, आप विद्यार्थी मित्रों को सबको समायोजित कर रहे हैं क्या इस भर्ती में?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं इसमें यह कह रहा हूं कि इसमें राजनीति मत करो। उनके सकारात्मक सोच के अनुसार उनकी मदद के लिए जो सरकार हमारी कदम उठा रही है उसमें सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो उनका नाम लेना ही पसंद नहीं कर रहे हो। आप कब से हमदर्द बन गए विद्यार्थी मित्रों के?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपने पांच साल तक उनका कोई भला नहीं किया, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): साढ़े तीन साल हो गए उनको धक्के खाते हुए। (व्यवधान) आप उनका नाम ही नहीं ले रहे हो। (व्यवधान) आप उनको समायोजित कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यह स्पष्ट रूप से बताओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजिए। I am not allowing the debate on this issue. श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली के सरदार समंद बांध के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों को पानी की उपलब्धता

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारिश होना, कम होना, ज्यादा होना, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। बारिश होती है और बाद में पानी आता है तो उसका भी एक बंटवारा होता है कि कितना पानी पेयजल में जाएगा और कितना पानी किसानों को दिया जाएगा। बंटवारा होने के बाद भी जब अधिकारियों की लापरवाही से, अधिकारियों की उदासीनता से किसान को पानी नहीं मिलता, अधिकारी चूंकि सरकार के हैं, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कहां कमी रही, किसकी लापरवाही रही, किसकी उदासीनता रही, क्योंकि सारा मीटिंग में तय होता है कि बांध में इतना पानी आया है, बांध का कमांड क्षेत्र इतना है, इतना पानी इर्रिगेशन के लिए दिया जा सकता है, अधिकारी बैठकर निर्णय करते हैं और उस निर्णय के बाद किसान अपने खेत में खाद, बीज, डीजल आदि का खर्च करता है। जब किनारे आती है फसल और जो तयशुदा पानी होता है वह उसको मिलता नहीं है तो उसकी जो दशा होती है वह किसान ही जानता है। यह पाली में मेरे क्षेत्र के काश्तकारों की दुर्दशा हुई। सरदार समंद बांध है, 6300 बीघा जमीन उसके कमांड में है, यह बांध पहले कभी पूरा भरता था, इस बार बरसात अच्छी हुई, पाली जिले में अति वृष्टि हुई, औसत से ज्यादा बरसात हुई, बांध में जितनी क्षमता है, उसका मात्र 10 परसेंट पानी आया और उसका कारण भी कि बांध के कैचमेंट क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी कई सारे अवैध निर्माण हो गए, वह अलग विषय है लेकिन जो 10 परसेंट पानी आया और यह तय हुआ कि प्रत्येक काश्तकार को जिसके पास कमांड में जितनी भूमि है, 10 परसेंट इर्रिगेशन की स्वीकृति दी जाएगी, यह तय हो गया और काश्तकारों ने अपनी बुवाई का काम चालू कर दिया। 6300 बीघा का पानी था और बीच में पाली जिला वह खुशहाल जिला है, वह भाग्यशाली जिला है, एक महीने पहले अच्छी बरसात हुई, लगभग एक पाण का पानी प्रकृति ने उनको अतिरिक्त दे दिया, लेकिन तीसरे पानी की बारी आई तो 6300 बीघा भूमि में से 2200 बीघा भूमि तीसरी पाण से वंचित है और नहर बंद कर दी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब पानी था, आपके अधिकारियों ने मीटिंग में निर्णय करके किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि आप इतनी भूमि पर फसल ले सकते हैं, वह पानी नहीं मिला तो वह पानी गया कहां,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कौन उसके जिम्मेदार हैं, कहीं पानी चोरी हुआ है तो उस पर कोई कार्यवाही की विभाग ने? कहीं पानी बर्बाद हुआ है तो जिसकी वजह से बर्बाद हुआ है तो उस पर कोई कार्यवाही की? और कहीं अधिकारियों की खुद की लापरवाही रही है तो उसका खामियाजा किसान को क्यों भुगतना पड़े?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से तीन बातें विशेष तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि अभी एक तो बांध में आठ फीट पानी पड़ा हुआ है, पता नहीं कौनसे आदेशों से यह माना जा रहा है कि यह दरबार का पानी है, जोधपुर दरबार का, किसी जमाने में बांध उनका था आजादी के पहले, आठ फीट पानी पड़ा हुआ है, सरकार के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से जो खेत वंचित रह गए, दरबार से चाहे बात करनी पड़े, चाहे आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े, 2200 बीघा के काश्तकार जो वंचित रहे हैं उनको यह पानी आप दिलवाएं वरना जो खर्च उन्होंने किया है, डीजल पर, खाद पर, बीज पर, अपनी मेहनत उन्होंने जो की है उन सब पर पानी फिर जाएगा। यह मेरा पहला आपसे निवेदन है।

दूसरा निवेदन यह है कि जहां-जहां कमी रही है, और उसके कौन-कौन जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्यवाही करें और यदि पानी नहीं दिलवा सकते हैं तो जितनी फसल का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार किसी से भी दिलवाएं उनको, यह मेरी दूसरी मांग है।

मेरी तीसरी मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश कि इसके कैचमेंट में किसी प्रकार का पानी रोकने वाला कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए इसके बावजूद भी पचासों निर्माण आपके विभाग ने चिन्हित किए हैं, उन चिन्हित किए निर्माणों को आप हटाएं ताकि प्रकृति से बरसात हो तो पानी बांध में पहुंच सके, उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध भी आप कार्यवाही करें। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश यह है कि इन निर्माणों को तत्काल हटाया जाए, मैं आपसे यही चाहूंगा कि किसानों से जुड़ा हुआ यह बहुत गम्भीर मुद्दा है। हमारे जल संसाधन मंत्री इस मामले में बहुत ज्यादा भावना भी रखते हैं कि किसान का कहीं नुकसान नहीं होना चाहिए, तो सरकार क्या करने वाली है इस बात का आप मुझे जवाब दिलवा दो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सरदार समंद बांध का जो मुद्दा उठाया है, कल आपने मुझे इस बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद मैं मेरे स्तर पर पूरा

(डा. रामप्रताप)

प्रयास करूंगा। दूसरा जो मुझे जानकारी मिली है, यह सरदार समंद बांध के रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग जो 19 अक्टूबर को हुई थी कि पानी का किस तरीके से आबंटन किया जाए, उस वक्त में इसमें 454 एमसीएफटी पानी था जिसमें से 49 एमसीएफटी पानी दरबार जोधपुर के लिए आरक्षित था और 405 क्यूसेक सिंचाई के लिए था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा होता यह है कि जब पानी की कमी होती है बांध में तो काश्तकार सामूहिक रूप से सहमति करके उस बांध के पास में खेती कर लेते हैं अपनी-अपनी। जिससे क्या होगा कि यदि स्केटर्ड एरिया होगा तो उसमें लोसेज ज्यादा होते हैं तो लोसेज को बचाने के लिए वह नजदीक में बुवाई करते हैं। इस बार दुर्भाग्य यह रहा कि आम सहमति बनी नहीं और पूरे स्केटर्ड एरिया में अपनी-अपनी खेती की। रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग की मिनिट्स मैं मंगवा लूंगा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पांच हजार बीघा में तकरीबन इनको खेती करने के लिए तय हुआ था कि इतना पानी आपको तीन पिलाई के लिए उपलब्ध होगा। दुर्भाग्य यह रहा या आप इसको लालच कह लो, काश्तकारों ने मेरे हिसाब से शायद सात हजार बीघा में बुवाई कर ली। तो जो तीसरी पाण आई तो उस समय तकरीबन दो हजार बीघा की तीसरी पिलाई नहीं हो सकी। इसके लिए फसल निश्चित तौर पर बर्बाद हो रही है और हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं।

दूसरा मुद्दा जो माननीय सदस्य ने उठाया है कि इसमें पीछे अवैध निर्माण हो रहे हैं और हाई कोर्ट के डाइरेक्शन हैं, इन तमाम मुद्दों को मैं मंगवा कर दिखवा लूंगा और इन निर्माणों को भी हटाया जाएगा और जो भी अधिकारी आपने कहा कि दोषी है तो निश्चित तौर पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसका भी हम पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन है यह आपको तत्काल करना होगा कि पानी उनको कब दिलवा सकें। अगर देरी हो गयी तो उसके बाद फसल बचेगी नहीं। चाहे दरबार से बात करनी पड़े, चाहे आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़े। 8 फीट जो पानी बचा है उसका यदि आप निर्णय करा दोगे तो यह 2200 बीघा की फसल बर्बाद होने वाली है वह बर्बाद होने से बच जाएगी, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, ये तो खुद ही ऊपर जाकर पानी लाने को तैयार हैं। काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब इससे ज्यादा त्वरित गति से क्या होगा, कल आपने मुझे बताया और मेरे खयाल से पांच मिनट मैंने लगायी नहीं, उससे पहले मैंने जोधपुर कमिश्नर से बात कर ली। लगातार मैं उनसे सम्पर्क में हूं। चूंकि यह उच्च न्यायालय के अन्दर अंडर-लिटिगेशन है। इसलिए इससे ज्यादा मैं इस वक्त कुछ कहना उचित नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृत लाल।

सलूम्बर के राजकीय हाडारानी महाविद्यालय की स्नातकोत्तर में क्रमोन्नति

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय हाडा रानी महाविद्यालय, सलूम्बर को पीजी स्तर का किये जाने के सम्बन्ध में आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यह महाविद्यालय 1991 में स्थापित हुआ। 26 वर्ष हो गये हैं और वह पूरा क्षेत्र जनजाति एरिया है, आदिवासी एरिया, टीएसपी क्षेत्र में आता है। 26 वर्ष से लगातार हमारी मांग रही है सलूम्बर हाडा रानी महाविद्यालय को स्नातक से स्नातकोत्तर किया जाय। वहां तीनों संकाय उपलब्ध हैं, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग। आसपास का एरिया 26 वर्ष होने के बाद पूरा सलूम्बर क्षेत्र, सराडा तहसील का क्षेत्र, आसपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यार्थी भी वहां आते हैं। 2847 से अधिक नियमित छात्र-छात्राएं हैं। 2300 से अधिक स्वयंपाठी विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। आसपास एक बी.एन. गर्ल्स कालेज, सलूम्बर में निजी क्षेत्र में चल रही हैं। उसमें 600 से अधिक छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। सराड़ा महाविद्यालय में 500 से अधिक बच्चे हैं। उनको दूर जाना पड़ता है, जिला हैडक्वार्टर उदयपुर आना पड़ता है, डूंगरपुर जाना पड़ता है और बांसवाड़ा में उच्च अध्ययन, पीजी करने हेतु जाना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है 2014 से लगातार मेरी मांग रही है कि सलूम्बर हाडा रानी महाविद्यालय पीजी में क्रमोन्नत हो, यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यजी को यह बताना चाहूंगी हाडा रानी राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही कि स्नातक से स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाय। यह बात सही है कि पूरा ही आदिवासी क्षेत्र है और यह 21 साल पुराना कालेज है। निश्चित रूप से यहां पीजी की क्लासेज होनी चाहिए। इसके लिए हमने विभाग द्वारा आयोजना मद की वर्ष 2017-18 की बजट निर्णायक समिति, बीएफसी है उसके अन्दर रखा है। हमें उम्मीद है कि पीजी क्लासेज के संदर्भ में इन्होंने बात कही है, ट्राइबल एरिया के अन्दर सबसे पुराना सलूम्बर का कालेज होने के नाते हम लोग इसके अन्दर करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन की सड़कों का सुदृढ़ीकरण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी सड़कें करीब-करीब पूरी नान-पेचेबल और नान-मोटरेबल हो गयी हैं। ऐसी सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना बहुत अति आवश्यक हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करीब 20 साल पुरानी सड़कों पर आज दिन तक पेवर नहीं किया गया है, न ही उनकी दशा को सुधारा गया है। आज स्थिति यह हो गयी है कि वहां पर पैदल चलना भी अत्यन्त दुर्लभ हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मारवाड़ जंक्शन से अखावास 6 किलोमीटर, खारड़ी से सिनला 6 किलोमीटर, धारेश्वर से बाली 3 किलोमीटर, सवराड से रिसानिया 4 किलोमीटर, गोलाई से कंटालिया 8 किलोमीटर, वोपारी से मेलाप कंटालिया 8 किलोमीटर, धनला से कोलपुरा 4 किलोमीटर, रातावाला से गुडादुर्गा 2.5 किलोमीटर, कोटड़ी से बासनी गुडा अजबा 4 किलोमीटर, देवली से वाडिया 6 किलोमीटर, राणावास से सिचाणा 5 किलोमीटर पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की सड़कें हैं। पंचायत समिति रानी में जो सड़कें हैं वे खिवाड़ा से पनोता, पाचेटिया से वणदार, इटन्दरा मेडतियान से रानी, किशनपुरा से खारडा, सोमेसर से खिवाड़ा, देवली पाबूजी से घेनड़ी, खिवाडा से डायलान आईमाता मंदिर तक, गुडा देवड़ा से डायलाना चौराहा हैं। इन सड़कों के अलावा यह भी निवेदन है कि इस बार पूरे मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में जो बारिश होनी चाहिए उससे अत्यधिक

(श्री केसाराम चौधरी)

बारिश हुई है। औसत वर्षा से तीन गुना अधिक वर्षा होने से करीब-करीब सारी सड़कें टूट गई हैं। इसके साथ ही बीच में जो रपटें बनी हुई हैं वे रपटें भी करीब-करीब टूट चुकी हैं। जिसमें फुलाद से बागोल तक जो सड़क है इसके बीच में 11 रपटें बिलकुल टूट चुकी हैं। अरावली के नजदीक होने से हमेशा रपटों पर पानी बहता है। पानी बहने की वजह से काई आ जाती है। उन पर पानी अभी तक बह रहा है। इसलिए वहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसी जो 11 रपटें हैं उनमें पाइप डालकर उनका रिनोवेशन किया जाय। इसके साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मेलावास से सहवाज की रपट, कंटालिया नदी की रपट, कंटालिया और सुरावास के बीच की रपट, डायलाना गांव के पास वाली रपट टूट गई है। गुडाजेत सिंह की रपट भी टूट चुकी है, सोमेसर नदी पर भी रपट टूटी हुई है। सावलता गांव के पास वाली रपट भी टूट चुकी है। छोटी मेवी स्कूल के पास बरसात के दिनों में 15 दिन तक रास्ता ही नहीं था, उस पुलिया को मिट्टी डालकर रोका गया है। आने वाली बारिश में वापस टूट जाएंगे। ऐसे पुलियाओं को भी अतिशीघ्र ठीक किया जाय। गुडा ठाकुरजी का पुलिया जिसमें हमेशा ट्रेक्टर व मोटरसाइकिल बहकर गिर जाया करते हैं, उस रपट को भी दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है। राणावास नदी पर रपट बनाने की आवश्यकता है। ऐसे में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र की सड़कें अत्यन्त खराब होने का मुख्य कारण है कि 1977 से लेकर आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से जीतता आया है। इस कांग्रेस राज द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार करने की वजह से 20 साल में रिपेयर करने का नाम ही नहीं लिया इसलिए हमारी सड़कें अत्यधिक खराब है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आऊबा से लेकर मुकनपुरा तक कांग्रेस के गहलोत जी ने डामर ही खा लिया। 15 दिन के अन्दर-अन्दर वह पेवर किया हुआ डामर कहां गया? (व्यवधान) गहलोत जी आपके नहीं, गहलोतजी और भी हैं। वह दावे के साथ कहता था कि आप मेरी कहीं भी शिकायत कर लो। 15 दिन में वह पेवर टूटकर साफ हो गया, मगर वे गहलोत साहब इतने पावरफुल थे, उन्होंने कहा कि मेरे घर बैठे एसई चैक भेजेगा, आप क्या बात करते हो? वही हुआ। 15 दिन में वह सड़क टूट गई। आज आऊबा से लेकर मुकनपुरा तक चलने लायक सड़क नहीं है। वह स्टेट हाईवे 61 नम्बर है। मैं हर गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं आपने सड़क देखी। मैं कहता हूं जैसी है उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।

(श्री केसाराम चौधरी)

मगर मैं माननीय वसुंधरा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र के लिए कई सड़कों की घोषणा की है जिनको शीघ्र ही चालू करवाने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। जोधपुर से काली घाटी के लिए 290 करोड़ रुपये की घोषणा पिपलाद में की थी। इसके अलावा मारवाड़ जंक्शन रेलवे कोरीडोर पर ओवर ब्रिज की घोषणा, बांता से पाचेटिया सड़क की पिपलाद में घोषणा, सोजन रेलवे फाटक से देसूरी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी की घोषणा, नारलाई से केसुली सादड़ी की ओमजी माथुर के शादी समारोह में मुख्य मंत्रीजी पधारी थीं तब उन्होंने घोषणा की है। अतः मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जो खस्ताहाल सड़कें हैं उन सभी सड़कों को तुरन्त प्रभाव से कम से कम मोटरेबल तो कर दें ताकि वहां पर मोटरें चल सके और लोगों को आने-जाने में सुविधा हो सके। मेरे क्षेत्र का सारा बजट और किसी मद में चाहे मत लगाओ मगर केवल सड़कों पर लगाकर ये सड़कें दुरुस्त करवा देंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने अतिवृष्टि की वजह से कुछ सड़कें जो इस वर्ष क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका ध्यान आकर्षित किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि इनके क्षेत्र में हालांकि हमने अभी कुछ सड़कें जो क्षतिग्रस्त थीं उनकी स्वीकृतियां जारी की हैं और उनका काम अभी शुरू होना बाकी है। आपने बहुत सारी सड़कों के नाम लिये हैं जिनका नाम तो याद रखना बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी मैंने इनकी बहुत सारी सड़कों के नाम नोट किये हैं और जो इन्होंने 2-3 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त बताई हैं उनमें मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने एक फैसला किया है कि हम डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान बना रहे हैं और लगभग 10 मार्च तक पूरे राजस्थान का यह डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान बन जायेगा। कौन सी सड़क कब बनी, आखिरी में उसकी मरम्मत कब हुई और अब उसकी वर्तमान में क्या पोजिशन है यह सारा हम जी.आई.एस. पर ले रहे हैं और 10 मार्च तक मोस्ट प्रोबेबली पूरे राजस्थान का यह काम हो जाएगा और माननीय सदस्य ने भी जो सड़कें बताई हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पर लेंगे और अभी इस मार्च के बजट के बाद में उनकी रिपेयर करवायेंगे। इस वर्ष हमारा लक्ष्य यह है कि हम करीब-करीब अब तक 14 हजार किलोमीटर सड़कें जो टूटी हुई थीं

(श्री युनुस खान)

उनका नवीनीकरण/रिपेयर किया है जिसमें 5029 किलोमीटर सड़कों का काम अब शुरू हुआ है और अभी जो नया बजट आ रहा है इसमें लगभग 9 से 10 हजार सड़कें और लेंगे। तो ये जो बारिश की वजह से सड़कें टूटी हैं उनको प्राथमिकता देंगे और माननीय सदस्य ने जो भी सड़कें बताई हैं उनको भी प्राथमिकता देंगे। विशेष रूप से केसुली से नारलाई और बांता से पाचोटिया, सोजन सिरियारी, धाटेश्वर रेलवे फाटक से बाली, ये सड़कें हम इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.24(19)वित्त/कर/2015-42 दिनांक 20.9.2016 जिसके द्वारा गोलछा थियेटर, जयपुर में दिनांक 1.9.2016 से 31.10.2016 तक टाईम्स आफ इण्डिया-एनआईईई, जयपुर द्वारा बाल फिल्म महोत्सव में आयोजित फिल्मों के प्रदर्शन पर मनोरंजन कर का परिहार किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-43 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-44 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-45 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत आई.टी. क्षेत्र के विनिर्माण उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-46 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत आई.टी. क्षेत्र की सेवा उद्यमों के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-47 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा रिप्स, 2014 के तहत ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण) क्षेत्र के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.24(12)वित्त/कर/2016-48 दिनांक 28.9.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म गुटरूं गुटरगूं को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.24(15)वित्त/कर/2016-49 दिनांक 4.10.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म एमएसजी-दी वारियर लायन हार्ट को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(16)वित्त/कर/2009-50 दिनांक 24.10.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19-ए के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क की राशि माफ की गई है;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(105)वित्त/कर/2014-पार्ट-1-53 दिनांक 25.10.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(28)वित्त/कर/2010-पार्ट-3-192 दिनांक 24.2.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: एफ.24(18)वित्त/कर/2016-55 दिनांक 11.11.2016 जिसके द्वारा बाल फिल्म समिति द्वारा आयोजित फिल्मों के प्रदर्शन पर दिनांक 15.11.2016 से 16.11.2016 तक मनोरंजन कर का परिहार किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: एफ.24(46)वित्त/कर/2016-56 दिनांक 18.11.2016 जिसके द्वारा मैसर्स ओम प्रकाश स्टाक ब्रोकर्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर को विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.12(45)वित्त/कर/2016-58 दिनांक 18.11.2016 जिसके द्वारा मैसर्स डंगायच प्रोपमार्ट एण्ड रिसोर्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर को विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

14. अधिसूचना संख्याः एफ.12(102)वित्त/कर/2016-62 दिनांक 30.11.2016 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्याः एफ.12(38)वित्त/कर/2008-63 दिनांक 30.11.2016 जिसके द्वारा मैसर्स सेन्ट गोबिन इण्डिया प्रा. लिमिटेड़, भिवाड़ी को विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्याः एफ.2(6)वित्त/कर/2014-64 दिनांक 30.11.2016 जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क पर देय ब्याज एवं शास्ति में रियायत के लिये सशर्त विशेष राहत योजना जारी की गई है;

17. अधिसूचना संख्याः एफ.12(16)वित्त/कर/2009-65 दिनांक 2.12.2016 जिसके द्वारा बिक्री कर अधिनियम, मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत नई एमनेस्टी स्कीम-2016 लागू की गई है;

18. अधिसूचना संख्याः एफ.12(34)वित्त/कर/2015-66 दिनांक 15.12.2016 जिसके द्वारा राज्य के भीतर सौर ऊर्जा से जनित ऊर्जा के उपभोग पर देय विद्युत शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

19. अधिसूचना संख्याः एफ.12(73)वित्त/कर/2016-67 दिनांक 16.12.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(23)वित्त/कर/2015-207 दिनांक 9.3.2015 को अधिक्रमण कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-20(1) के अन्तर्गत देय कर की अवधि निर्धारित की गई है;

20. अधिसूचना संख्याः एफ.12(17)वित्त/कर/2015पार्ट-1-68 दिनांक 30.12.2016 जिसके द्वारा प्रवेश कर के लिये स्वैच्छिक एमनेस्टी योजना-2017 जारी की गई है;

21. अधिसूचना संख्याः एफ.15(4)वित्त/कर/2016-69 दिनांक 6.1.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.12(11)वित्त/कर/2013-118 दिनांक 6.3.2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त की गई है;

22. अधिसूचना संख्याः एफ.12(79)वित्त/कर/2014-70 दिनांक 10.1.2017 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

23. अधिसूचना संख्या: एफ.24(10)वित्त/कर/2016-74 दिनांक 2.2.2017 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म मिराधा को मनोरंजन कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

24. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-6 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 14.7.2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-55 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 31.8.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 16.9.2015 को अतिष्ठित करते हुए कतिपय इलेक्ट्रिक उपापन का अंगीकरण अनिवार्य किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 2.9.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 28.10.2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-58 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जिम्मे लिये गये उपापन में छूट प्रदान की गई है;

29. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.11.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

30. अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 15.11.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

31. अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2014 दिनांक 15.11.2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 26.12.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

33. अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 27.12.2016 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

34. अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.1.2017 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत खान और भू-विज्ञान विभाग द्वारा रायल्टी संग्रहण संविदा और अतिरिक्त रायल्टी संग्रहण संविदा के लिये सेवाओं के उपापन को छूट प्रदान की गई है; एवं

35. अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 23.1.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्याः एफ.1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 4.9.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

आबकारी विभाग

1. अधिसूचना संख्याः एफ.4(1)वित्त/आब/2015पार्ट-1 दिनांक 25.10.2016 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्याः एफ.4(6)वित्त/आब/2014पार्ट दिनांक 15.11.2016 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्षः श्री राजेन्द्र राठौड़।

पंचायती राज विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)ऐम/रूल/लीगल/पीआर/2014/812 दिनांक 2 नवम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)ऐम/रूल/लीगल/पीआर/2014/880 दिनांक 2 दिसम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)ऐम/रूल/लीगल/पीआर/2014/65 दिनांक 25 जनवरी, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:

1. अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)/परि/कर/मु./11/14200 दिनांक 21 जुलाई, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर के वाहन को सशर्त देय कर के संदाय में छूट प्रदान की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु./08/16044 दिनांक 19 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2016 से 25 सितम्बर, 2016 तक अन्य राज्यों से रामदेवरा (जिला-जैसलमेर) आने-जाने वाले यात्री वाहनों के लिये 5500/- रुपये से अधिक के कर का परिहार किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.6(96)/परि/कर/मु./उर्स/6247 दिनांक 29 मार्च, 2016 जिसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 20 अप्रैल, 2016 तक अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 5000/- रुपये से अधिक के कर का परिहार किया गया है;

(श्री युनुस खान)

4. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/नियम/मु./2015/12166 दिनांक 22 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किये गये हैं;

5. अधिसूचना संख्या: एफ.7(38)परि/नियम/मु./2011/14964 दिनांक 2 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.7(3)परि/नियम/मु./95/II/16763 दिनांक 31 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.7(4)परि/नियम/मु0/2015/16777 दिनांक 31 अगस्त, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.7(273)परि/नियम/मु./2007/23257 दिनांक 3 नवम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: एफ.7(495)परि/ट्रान्स/नियम/मु./2013/24615 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक सेवा यानों द्वारा आन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन नियम, 2016 विरचित किये गये हैं;

10. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./95/2014-2015/25107 दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 जिसके द्वारा एमनेस्टी स्कीम 2016-2017 सशर्त लागू की गई है; एवं

11. अधिसूचना संख्या: एफ.6(262)परि/कर/मु./07/27798 दिनांक 23 जनवरी, 2017 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मार्गदर्शक सिद्धान्त

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

के मार्गदर्शक संख्या: सीई (एसपी) पीएचईडी/सब्लेटिंग/2016-17/8181-8227 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा-56(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 56 (2) के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

अधिसूचना

ऊर्जा विभाग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, ऊर्जा विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.23(3)ऊर्जा/2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक (शक्तियां और कृत्य) नियम, 2016 विरचित किये गये हैं;
2. अधिसूचना संख्या: प.17(4)ऊर्जा/2016 दिनांक 30 जून, 2016 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व नियम, 2016 विरचित किये गये हैं; एवं
3. अधिसूचना संख्या: प.23(3)ऊर्जा/2015 दिनांक 21 मार्च, 2016 जिसके द्वारा दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामील का प्रारूप और समय) नियम, 2016 विरचित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री कालीचरण सराफ।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का 5वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 47वां प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2015-16

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 47वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016; एवं

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन

2. राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा-37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 52वां प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा-35(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2015-16

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

राजस्थान आवासन मण्डल का प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे

वर्ष 2015-16

2. राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखे वर्ष 2015-2016.

श्री उपाध्यक्षः श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूंः-

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का

प्रथम प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-16

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2015-2016;

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2016

2. विद्युत अधिनियम, 1971 की धारा-19(2) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन; एवं

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 21वां प्रतिवेदन

वर्ष 2015-16

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016.

श्री उपाध्यक्षः समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

समिति प्रतिवेदन

याचिका समिति (क्रम संख्या 7 व 8)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (सभापति, याचिका समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से याचिका समिति 2016-2017 के चिकित्सा एवं

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सातवें एवं नगरीय विकास विभाग से सम्बन्धित आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

याचिका

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

लूणी की ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

1. विधान सभा क्षेत्र लूणी, जिला-जोधपुर की कतिपय ग्राम पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत करने बाबत्।

लूणी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दाड़ा का सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नयन

2. विधान सभा क्षेत्र लूणी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दुन्दाड़ा को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा की ग्राम पंचायत जैलाणा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की पंचायत समिति बिछीवाड़ा की ग्राम पंचायत जैलाणा में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत्।

डूंगरपुर में वार्ड नं. 7, 8, 9, 10 कच्ची/आबादी में चिकित्सा सुविधा

2. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वार्ड नं. 7, 8, 9 एवं 10 कच्ची/आबादी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय की किशनगढ़ पर स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री भागीरथ चौधरी)

आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में अजमेर विकास प्राधिकरण के तहत किशनगढ़ को उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ पर ही स्थापित किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर की ग्राम पंचायत टीडी से जावर माइन्स तक सड़क निर्माण

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र उदयपुर (ग्रामीण) की ग्राम पंचायत टीडी से जावर माइन्स तक सड़क निर्माण बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौर की मूंडवा पंचायत समिति के ग्राम हिलोड़ी से भटनोखा तक सड़क का डामरीकरण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, विधान सभा क्षेत्र खींवसर के जिला नागौर के मूंडवा पंचायत समिति के ग्राम हिलोड़ी से भटनोखा तक सड़क पर डामरीकरण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री रमेश मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि आज बहुत बड़ा सावा भी है और कई माननीय सदस्यों को बोलना भी है तो अगर समय सीमा आप निश्चित कर दें तो 6 बजे तक कई माननीय सदस्य इसमें भाग ले पाएंगे।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी, जब हमारा नम्बर आता है तब कैसे करते हो आप? आदरणीय, आप ऐसा तो मत करो। जब भी बोलने का नम्बर आता है तब आप लिमिट लगा देते हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की सहमति दी है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट

(श्री रमेश)

करता हूं। राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां गिनवाईं जो सत्य से परे है। राज्य सरकार अपना जनाधार खो चुकी है। राज्य की जनता में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। राज्य सरकार द्वारा अपनी तीन साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए आयोजित समारोह में देखने को मिला कि राज्य सरकार के समारोह में नाममात्र के लोग आ रहे हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बेरोजगार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की सभा में तो लोग आये ही नहीं। यह कितने शर्म की बात है कि आप जिस जनता को अपनी उपलब्धियां सुनाने जा रहे हो, आपकी लोग उपलब्धियां सुनना नहीं चाहते क्योंकि अब जनता जान चुकी है कि आपने असत्य वादे किये, लोगों को ठगा।

आपने चुनावी घोषणा-पत्र में 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। 20,000 किलोमीटर की सड़कें पीपीपी माडल पर बनाने की बात कही। गायों के अनुदान की बात कही। किसानों के लिए 46 घोषणाएं कीं। तबादला नीति की बात की। बिजली में भ्रष्टाचार को रोकने की बात कही। बिजली को सस्ती करने की बात कही। इस प्रकार आपने बहुत सारे, सैकड़ों वादे जनता से किये। लेकिन जब सरकार में आप लोग आये, तब इन्होंने एक ही बात जहां भी भाषण होता है, वहां सरकार और सरकार के मुखिया के द्वारा एक बात कही जाती है कि राजकोष खाली है, खजाना खाली है और स्टेट की वित्तीय स्थिति डांवाडोल है तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब रिसर्जेन्ट राजस्थान के आयोजन की बात होती है, अथाह पैसा खर्च होता है। हर साल वर्षगांठ मनाई जाती है। मंत्रियों के बंगलों पर अथाह पैसा खर्च होता है, वह कहां से आया और यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, राजकोषीय घाटा ज्यादा है तो एक-एक पैसे का पूर्ण सदुपयोग करें, उस पैसे को सही रूप से खर्च करें। लेकिन जब जनता की तकलीफ की बात आती है तो सरकार कहती है कि राजकोषीय घाटा है और यह सब राजकोष कांग्रेस ने खाली किया है। जिस प्रकार के सरकार ने वादे किये, स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई कि दो साल में स्मार्ट सिटी बनायेंगे। अभी तीन महीने में डीपीआर भी नहीं बनी है। आपने कहा, कर्मचारी कल्याण परिषद का गठन होगा। हो गया क्या? राष्ट्रीय राजमार्गों में राजस्थान एक बीमारू प्रदेश की स्थिति में आ गया है। अधिकरण बनाये, कहां है? धरातल पर क्या काम कर रहे हैं? एसीबी में लगे अधिकारियों को क्यों हटाया? कहीं ऐसा लग रहा था कि अफसर पकड़ में आये

(श्री रमेश)

हैं। अब आगे अगर ये अधिकारी रहे इस एसीबी में तो मंत्रियों की गर्दन तक जा सकते हैं। तो उनका एसीबी से तबादला कर दिया।

द्रव्यवती नदी की बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम घाटे में चल रहे हैं, कर्जा है सरकार पर ज्यादा तो द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण। बैंक से 1,400-1,500 करोड़ रुपयों के आसपास कर्ज लेना और उसका सौन्दर्यीकरण की बात है। सफाई भी हो सकती थी। ऐसा लग रहा है जैसे टाटा कम्पनी को आपने कहीं ओब्लाइज किया है।

हमने खान के मुद्दे को उठाया। खानें आपने रद्द कीं लेकिन अब खान बहाल हो रही हैं। आपने कोर्ट में सही पैरवी नहीं की इसलिए खान बहाल होने का रास्ता साफ हो गया।

आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कि कोई भी गरीब आदमी अपने बच्चे को निजी मेडिकल कालेज से डाक्टर बनवाना चाहता है तो उसके सपने धूमिल हो गये क्योंकि अब एक करोड़ रुपये चाहिए उसको डाक्टर बनने के लिए तो वह बेचारा कहां से लायेगा एक करोड़ रुपये। आप अन्य स्टेट की बात करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय। महाराष्ट्र की करें, केरल की बात करें, मध्यप्रदेश की बात करें तो वहां मुश्किल से 20 लाख रुपये खर्च होते हैं और यहां एक करोड़ रुपये में निजी मेडिकल कालेज में एडमिशन होता है तो एक तरह से यह जो डाक्टर बनेगा, वह अच्छे पैसे वाला बनेगा, धनी होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। गरीब आदमी का सपना इस सरकार ने धूमिल कर दिया है कि गरीब आदमी का बच्चा कभी डाक्टर नहीं बनेगा।

आपके नौकरशाहों का तबादला, हर चौथे दिन कर रहे हो आप। दीनदयाल विद्युत ग्राम योजना है। आपने ठेकेदारों के हाथ में दे दी कि ले जाओ, मर्जी हो वहां कनेक्शन करो। जो पैसा दे, वहां कनेक्शन करो, बाकी जरूरत नहीं है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार की मंशा सही है तो इसकी थर्ड पार्टी से जांच करायें। आपके ट्रांसफार्मर दूसरे प्रदेशों में बिक रहे हैं। आपके केबल, पोल बाहर जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हो कि भई, हमें बिजली पर जो लोसेज हैं, उनको कम करना है तो कैसे लोसेज कम होंगे? ये प्राइवेट कम्पनियों के ठेकेदार हैं, वही इस सामान को बेच रहे हैं।

(श्री रमेश)

जयपुर में आपकी दूध की डेयरी, उसमें भी एसीबी के द्वारा पाउडर के कट्टे पकड़े गये। उसमें चेयरमैन के आदमियों ने दूध में यूरिया मिला दिया, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती तो दूध की डेयरी में भारी भ्रष्टाचार है। सरकार सो रही है, मस्त है, मंत्रीजी गायब हैं यहां से कहीं, क्योंकि वह विदेशों की यात्रा में है, किसानों के लिए समय नहीं है, न आम आदमी के लिए समय है।

मंत्रियों की अफसरों से बन नहीं रही है। मैं बयान पढ़ रहा था क्योंकि पत्रकार ने पूछा होगा राठौड़ साहब से कि नम्बर वन कौन है? तो मंत्रियों में यह चल रहा है कि नम्बर वन कौन है? तो इन्होंने सही जवाब दिया कि भई, नम्बर वन तो मुख्य मंत्रीजी हैं। नम्बर दो तो कोई नहीं है लेकिन यह नहीं बताया कि नम्बर दो कौन है? वह नम्बर दो +++ हैं। मंत्रियों की वहां स्थिति नहीं है। मंत्रीजी तो वहां पर नतमस्तक होते हैं। आप सबको पता है कि नम्बर दो कौन है? इस सरकार में मंत्रियों की चलती नहीं है और थोड़ा बहुत चल रही है तो अपनी दुकानें चला रहे हैं ये लोग और जहां पार्टी की बात आती है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में किसी का नाम लेना, जो अपना स्पष्टीकरण सदन में नहीं दे सके। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, नाम नहीं लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानित सदस्य, वैसे कई बार निवेदन किया जा चुका है, आसन आप लोगों को आग्रह भी कर चुका है कि जो सम्माननीय इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका नाम ना लें। अगर आपको कोई बात कहनी है तो किसी पदनाम के नाम से आप कर सकते हो लेकिन व्यक्तिगत नाम आप नहीं ले सकते।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है साहब। आज तक आनन्दपाल नहीं पकड़ा गया। आनन्दपाल को पकड़ने पुलिस पहुंचती है, उससे पांच या दस मिनट पहले पता लग जाता है। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन उससे मिला हुआ है और उसमें बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं क्योंकि एक गिरोह बड़ा मजबूत हो गया है और आज तक बड़े शर्म की बात है कि आनन्दपाल जैसा अपराधी खुले में घूम रहा है।

इस प्रदेश में हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेल कांड हो रहे हैं। अभी तो कह सकते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप पकड़ा गया है। यह बहुत बड़ा ग्रुप है। यदि

(श्री रमेश)

सरकार सही काम करे तो इसमें बड़े-बड़े लोग पकड़े जायेंगे और इसको आगे बढ़ाया जाये।

प्रदेश में नशीली दवाओं का कारोबार हो रहा है। गृह मंत्रीजी के क्षेत्र में हो रहा है। 4,700 करोड़ रुपयों के ड्रग्स पकड़े गये। गृह मंत्रीजी को पता नहीं है क्योंकि यह एक दिन में थोड़े ही हो सकता है इतना 4,700 करोड़ रुपये का कारोबार है, वह एक दिन में नहीं चलता। तीन साल से या पांच साल से या जब से भी चल रहा होगा, किसी की नजर नहीं गई।

इसी प्रकार बच्चों के साथ कुकर्म हो रहे हैं। बच्चों के गार्जियन जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। उस सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। फिर वह कमिश्नर तक जाते हैं, तब रिपोर्ट दर्ज होती है। सरकार सोती रहती है। सम्बन्धित थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही नहीं हो रही है। कोई जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे ही यह एक मुकदमा नहीं है कुकर्म के। ऐसे ही यदि इसको आगे बढ़ाया जाये, यह हाई-प्रोफाइल ब्लैकमेल कांड है, कुकर्म है। इसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। बड़े-बड़े लोग हैं इसमें। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लूं लेकिन इसमें बड़े-बड़े अपराधी लोग हैं, जिनके भय की वजह से लोग बोल नहीं पाते हैं इस सदन में। इस केस की एसओजी से या प्राइम मिनिस्टर से स्पेशल फोर्स लेकर इस राजस्थान को बचाया जा सकता है, अन्यथा आने वाले समय में अपराधियों के लिए एक ईजी-गोइंग सिस्टम मिल गया है कि भई, फंसाओ और पैसे वसूल करो। नहीं देता है तो फिर दूसरा रास्ता, धमकाने का प्रयास करो। तो मैं चाहता हूं सरकार से माननीय

(14.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इसकी एक सीक्रेट जांच हो और अच्छे विश्वसनीय अधिकारियों के द्वारा हो, क्योंकि अभी तक आनन्दपाल जैसा अपराधी नहीं पकड़ा गया और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन की विधायिका इस सत्ता की विधायिका श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल के साथ मारपीट होती है, बेरहमी से उन्हें पीटा जाता है। यदि उनके पति ने थप्पड़ मारी सीआई के तो उसको सज़ा मिले। हम यह नहीं कहते उसने अपराध नहीं किया उसने भी अपराध किया है लेकिन जिस प्रकार यह सदन की सदस्या को पीटा गया इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है। इसमें राजनीति चल रही है। जातिवाद हो गया। ऐसे कैसे हो गया जातिवाद। तो हम

(श्री रमेश)

चाहते हैं सरकार से मांग करना चाहते हैं कि मुझे पता लगा एक दिन मैं पेपर में पढ़ रहा था कि आपके पास पालिग्राफ की एक मशीन आयी है उससे टैस्ट करवा लो। सीआई का करवा लो, विधायक का करवा लो कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार आप लोगों ने थानों में एक स्वागत कक्ष बनवा रखा है कि माननीय पधारेंगे, स्वागत होगा वहां बैठने की जगह नहीं दी गई, उलटा उनको बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद सरकार चुप बैठी है। इसमें खुलासा होना चाहिए। चाहे दोषी विधायक हो, दोषी विधायक का पति हो या सीआई हो खुलासा होना चाहिए क्योंकि आपने प्रदेशाध्यक्ष को भेज दिया, मंत्रीजी को भेज दिया। वे जानकर आ गये कि कार्यकर्ताओं में रोष है कि नहीं। हमारी पार्टी की खिलाफत तो नहीं हो रही है। यह जानकर आ गये, लेकिन यदि इसको ठंडे बस्ते में डाला गया तो ये आप समझ लेना आने वाला कल आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि महिला विधायक दलित समाज से जुड़ी हुई हैं। सीआई जाट समाज से जुड़ा हुआ है। इसका खुलासा होना ही चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जातिवाद फैलाओगे क्या?

श्री रमेश (सपोटरा): जो बात आ रही है सामने, वह बोल रहा हूं मैं यहां पर। जो बात सदन में आ रही है वो ही बता रहा हूं और एक दूसरा मामला एफआईआर नं. 124/2016 आईपीसी 366, 376-डी, 344 और 323 महिला थाना करौली में एफआईआर दर्ज होती है उसमें +++ नाम दर्ज है, अन्य अभियुक्त हैं। उसके बाद 164 के बयान दर्ज होते हैं उसमें पुष्टि होती है कि +++ और उसके बाद आज साढ़े तीन महीने हो गये हैं आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। खुले में घूम रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, ये क्या छींटाकशी हो रही है एक माननीय सदस्य पर। इनको नोटिस देना चाहिए। अगर आरोप लगाना था तो नोटिस देते ये। नोटिस दें ये। 273 का नोटिस दें ये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भय का वातावरण बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें। आप भी विराजें। किसी भी सदस्य के सम्बन्ध में अगर आपको आपत्तिजनक टिप्पणी करनी है

(श्री उपाध्यक्ष)

तो इस सदन का भी कोई नियम है। मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं अगर इस प्रकार की टिप्पणियां आप करेंगे तो आसन बाध्य होगा और आपको अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी।

श्री रमेश (सपोटरा): कानून-व्यवस्था की बात नहीं है क्या यह? अभी मैंने श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल की बात की वो आपने सुनी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसे एक्सपंज कराया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: इस प्रकार का समस्त वक्तव्य अपलिखित किया जाए।

श्री रमेश (सपोटरा): वो भी इस सदन की सदस्या हैं और ये भी इस सदन के सदस्य हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। नियमों में है। बात कर सकते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की बात है कि आज तक अपराधी क्यों नहीं पकड़ा गया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब पुष्टि हो चुकी। कलक्टर के यहां पीड़िता ने बयान दर्ज करा दिये। ज्ञापन दे दिया मुख्य मंत्री के नाम कि यदि डा. किरोड़ी लाल दोषी नहीं हैं तो नारको टैस्ट करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, सम्माननीय सदस्य को नियम-कायदे-कानून या तो आप समझायें वरना आसन को समझाना आता है।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, हम दूसरी तरह से बात कर लेंगे पर इस मुद्दे को हम विधान सभा में उठायेंगे क्योंकि दोषी है तो उसको सज़ा मिले।

आपने पैरा नं. 24 में जीडीपी ग्रोथ में औद्योगिक विकास की बात कही। ईज आफ डूइंग में 2015 में इस प्रदेश का छठा स्थान था और 2016 में आठवें नम्बर पर पहुंच गया है और बिहार प्रदेश जैसा शीर्ष नम्बर-1 पर पहुंच गया है तो इस तरह की आपकी जो औद्योगिक विकास की नीति, निवेश की नीति है वह बता रही है कि हम कितने आगे जा रहे हैं। रिसर्जेंट राजस्थान की पोल आपकी एक साल में खुल गयी क्योंकि जिन निवेशकों ने आपसे एमओयू किया वो दुबारा वापस नहीं लौटे और कितने निवेशकों ने भूमि का आबंटन करवाया उसके बाद भी नहीं आये। आप राज्य में विशेष क्षेत्र का कानून लेकर आये। निवेशकों यहां राजस्थान से भाग रहे हैं। आप विशेष क्षेत्र जोन का कानून लाये। उसकी क्या आवश्यकता थी। केवल आप जमीनों को खुर्द-बुर्द

(श्री रमेश)

करना चाहते हो। नि:शुल्क दवा योजना को आप समाप्त करने का एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जगह आप एक भामाशाह योजना लाये। भामाशाह योजना आपने प्रारम्भ की और उसमें शुरू से ही अनियमितताएं रोकने के कोई पुख्ता प्रबंध आपने नहीं किये। आज स्थिति यह है राजस्थान में कि इंश्योरेंस कंपनी ने पचास होस्पिटलों को भामाशाह योजना से इलाज करने से मना कर दिया है और इसमें गम्भीर किस्म की अनियमितताएं पाई गयीं। चार अस्पतालों को तो स्थायी रूप से डी-पेनल्ड कर दिया है। आज हम बात करें राज्य की शिशु मृत्यु दर की, मातृ मृत्यु दर की बात करें तो देश की जो औसत है उससे कहीं अधिक है। राज्य में 12.2 परसेंट बालक और 11.7 प्रतिशत बालिकाएं कुपोषित हैं और कुपोषण रोकने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। आपने सरकार में आने से पहले यह कहा था कि शिक्षा में ट्रांसफर पालिसी लायेंगे। शिक्षा नीति लायेंगे। शिक्षा नीति बन गई पर अभी तक लागू नहीं हो पा रही है और राज्य सरकार के मनमाने आदेशों की वजह से आरटीई में जो प्रवेश होता था बच्चों का आपके मनमाने आदेशों की वजह से 1 लाख बच्चे प्रवेश से वंचित हो गये क्योंकि आपने जो लिमिट तय की थी, पहले यह लिमिट थी कि ढाई लाख रुपये तक आय वालों के बच्चों को आरटीई के अन्तर्गत प्रवेश दिया जाएगा। आपने उसकी जगह बीपीएल को रख दिया तो उस वजह से हमारे बच्चे वंचित रह गये। तीन सालों में आपकी सबसे ज्यादा तालाबंदी हुई है। 15 हजार से अधिक विद्यालय आपने बंद कर दिये और प्राइमरी के जो विद्यालय बंद हुए उसकी वजह से डेढ़ लाख बच्चे पढ़ने से वंचित रह गये तो आपका प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की संख्या घटी है। बच्चों की साइकिलों का भगवाकरण आपने किया। आखिर सरकार इससे क्या संदेश देना चाहती है।

आज किसानों की स्थिति इतनी दयनीय है इस राजस्थान में कि सौ किसानों में से 62 किसान कर्जदार हैं। यदि हम दक्षिण भारत को छोड़ दें तो पूरे देश में सबसे अधिक कर्जदार हैं तो वो राजस्थान के हैं। क्योंकि एक किसान पर देश में जो औसत कर्जा है 40,055 रुपये है जबकि हमारे राज्य के किसान पर 70,500 रुपये का औसत कर्जा है जबकि उसकी मासिक आय 7,350 रुपये है। राज्य सरकार ने हमारे किसानों के लिए ग्रीन हाउस की सब्सिडी को कम कर दिया। लोड के बहाने आप वीसीआर भर रहे हैं। किसानों के लिए जो बजट आबंटित है उसका आधा भी खर्च आप नहीं कर पाये हैं

(श्री रमेश)

दिसम्बर तक और हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो विदेश घूम रहे हैं उनके पास किसानों के लिए समय नहीं है।

2015 से बूंद-बूंद सिंचाई योजना के जो कनेक्शन थे वो आपने बंद कर रखे हैं और अभी आपने 2010 की जो घोषणा की थी बजट में कृषि कनेक्शन की वो अब शुरू की है 2009 अक्टूबर से 10 फरवरी, 2010 तक चालू की है चार महीने सिर्फ। तो आप किसानों के हित की बात करते हो। आपने कृषि कनेक्शन की नीति बनाने की बात कही, वो आज तक बना नहीं पाये आप। रिसर्जेंट राजस्थान में आपने कृषि के लिए 2400 करोड़ के एमओयू किये। कितने धरातल पर आये आपके? एग्रोटेक मीट में 4400 करोड़ के एमओयू किये 38 निवेशकों के साथ आपने, देखते हैं कितने धरातल पर आते हैं।

मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के प्रचार प्रसार में प्रशासन और पूरे शासन को लगाया। पहली बार इसमें आपके जल स्रोत बह गये और कुछ जल स्रोत ऐसे बनाये गये कि उसका डिस्चार्ज लेवल ऊंचा था इसलिए वहां पानी नहीं भर पाया और कुछ पुराने स्रोत थे ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो मिनट लूंगा, साहब। वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये। आपका सीएसआर का जो पैसा इस राजस्थान की जनता के सदुपयोग में आता, चंदा वसूली आपने की और वह सारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपका नदियों को जोड़ने वाला ड्रीम प्रोजेक्ट अभी धरातल पर नहीं आया। अन्नपूर्णा भण्डार और राशन की दुकानों में माइक्रो एटीएम लगाने हेतु ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया जिसने फर्जीवाड़े में टेंडर डाला और उसकी मशीन एक्टिव ही नहीं हुई उससे राज्य सरकार को 7.83 करोड़ का चूना लगा गया। अब एफआईआर दर्ज कराते रहो, वह तो पैसे लेकर भाग गया। पोस मशीन के आने के बाद उसमें चीटिंग हो रही है। 50 परसेंट लोगों को सामान नहीं मिल रहा है, कह देता है कि आपका अंगूठा नहीं लगा, सही काम नहीं कर रही है, नेट नहीं आ रहा है। इस तरह से आम जनता के साथ यह धोखा किया जा रहा है। आपने रिफाइनरी की बात कही कि तीन साल में लग जायेगी, आज तक कोई निर्णय सरकार नहीं कर पाई है। पहले कहा कि सरकार ने जो समझौता किया 56 हजार करोड़ के करीब पैसे आपको देने पड़ेंगे, अब आप कम पैसे में रिफाइनरी लगा

(श्री रमेश)

दो। कभी पैट ए टॉक से एमओयू करने की बात आती है। अब बात आ रही है कि कुवैत की कोई कम्पनी है और वेदांता समूह से बात चल रही है। कास्ट तो निश्चित रूप से 10 हजार करोड़ के ऊपर जायेगी लेकिन राज्य का जो रेशो है वह क्या रहता है, कितना पैसा लगेगा, क्या सस्ती लगेगी, क्या सरकार यह दिखावा कर रही है कि रिफाइनरी नहीं लगेगी, क्योंकि रिफाइनरी जो हमारे राज्य का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिससे हमें राजस्व प्राप्त होता, इससे यह साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा बिलकुल ठीक नहीं है कि इस प्रदेश का विकास हो, यहां लोगों को रोजगार मिले, हमें राजस्व मिले। इसी तरह राजस्थान सरकार ने 60 हजार करोड़ का लोन ले लिया, विद्युत कंपनियों पर कर्जा था, किसी से पूछा आपने, कौनसा निर्णय लिया, जनता को पता है, शायद कैबिनेट मिनिस्टर को पता होगा कि 60 हजार करोड़ का कर्जा कैसे लिया। जो यह लोन टेकओवर किया है वह जनता पर ही आयेगा। उसके बावजूद भी आपकी विद्युत कंपनियां क्यों कर्ज ले रही हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। बिजली कंपनियों में आपने भ्रष्टाचार रोका नहीं। इसमें जो छीजत हो रही है उसको रोक नहीं पाये। जो चोरी हो रही है उसको आप रोक नहीं पाये और आपने कर्जा ले लिया। एक तरफ जनता पर भार डाल दिया और दूसरी तरफ आपने 12 परसेंट ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, साहब, 12 परसेंट आपने रेट बढ़ा दी। आखिर यह दोहरी मार जनता पर क्यों? आप कह रहे हो कि किसान आ रहे हैं, 25 पैसे कम कर दिये। आप मैनेज करके लोगों को मुख्य मंत्री हाउस बुला रहे हो, सीएमओ बुला रहे हो। किसानों के लिये ऐसा कौनसा काम कर दिया आपने, किसानों की आपने सब्सिडी कम कर दी, किसानों को आप समय पर ब्याज मुक्त ऋण नहीं दे रहे हो और किसानों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था कर दी हो जिससे किसान कहें कि वाह-वाह बड़ा भला काम कर दिया। दूसरी तरफ हमारी जो सरकार है बिजली तंत्र को नष्ट करना चाहती है, खुर्द बुर्द करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सरकार में जो मंत्री बैठे हैं और जो विधायक हैं, यह सोच लें कि इस प्रदेश के आप वासी हो तो आपको भी थोड़ा सा इससे लगाव होना चाहिये कि आपने और हमने जो हमारा विद्युत तंत्र खड़ा किया है उसको किस कीमत पर, किस सौदे के हिसाब से आप बेच रहे हो। कालीसिंध का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो लाभ देने की स्थिति में है

(श्री रमेश)

उसकी आपने निविदा जारी कर दी। छबडा की जो इकाइयां हैं उसको आपने एनटीपीसी को दे दिया, तो क्या हमें सस्ती बिजली मिलेगी? आप कोटा थर्मल को भी बेचना चाहते हो, सूरतगढ़ थर्मल इकाई की बात हो रही है। एक तरफ आप इनको बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ प्राइवेट सैक्टर से आप बिजली खरीद रहे हो। आप कम कीमत पर बिजली खरीदते तो हमें अच्छा लगता कि दो-तीन रुपये में खरीद रहे हो, आपकी रेट 6 रुपये आ रही है, कभी 4 रुपये आ रही है और कंजूमर तक पहुंचाने तक आपकी 9.20 रुपये की रेट आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कन्क्लूड करें, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, अगर इसी हिसाब से आप बोलते रहे तो मेरे ख्याल से आपको जितना समय आबंटित है वह पूरा हो जायेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं तो साहब, जो बात है वह बताना चाह रहा हूं, आपको ठीक नहीं लगा रहा हो तो बंद कर दूं और बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बात समय की है, बाकी लोगों का भी समय पर अधिकार है, जितना आपका है बाकी लोगों का भी है। मैं निवेदन करूंगा आप दो मिनट में इसको कन्क्लूड करें।

श्री रमेश (सपोटरा): जलदाय विभाग में सरकार के तीन साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। पूर्व मंत्री के ओएसडी के निजी फार्म तक बीसलपुर और पीएचईडी से डबल लाइन डलवाई। मंत्री ने कहा मुझे जानकारी नहीं है, बाद में पाइप लाइन उखाड दी। ट्यूबवैल में घटिया पंप और केबल का मामला जिसको स्वयं निर्माता कंपनी ने माना कि यह हमारा माल नहीं है। 80 रुपये की एलईडी 972 रुपये में खरीदना। एसपीएमएल से मिलीभगत कर गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर जेल में है। डबल चार्ज के नाम पर भ्रष्टाचार, पानी की जांच में घोटाला, दोषी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट के स्थान पर नये कार्यादेश देना, राज्य में आरओ प्लांट से साफ पानी देने का दम भरा जा रहा है, राजधानी में दूषित पानी से लोग मर रहे हैं। पानी की दरें 33 प्रतिशत तक बढ़ गईं। सीवर सैस दुगना कर दिया। स्वच्छ भारत की आप बात करते हो कि राजस्थान पूरे देश में नंबर वन आया है, वास्तविक स्थिति यह है कि 2016-17 में हमारे करौली में नाम मात्र के शौचालय बने हैं। जिन पंचायतों को आपने ओडीएफ किया है वह सब कागज ही है। वास्तव में अधिकतर पंचायतें

(श्री रमेश)

आज भी ओडीएफ के मानकों को पूरा नहीं करती हैं। शहरों में शौचालय की बात करें तो केवल 15 परसेंट ही काम हुआ है और यदि जयपुर की ही बात करें तो विधान सभा से 300 मीटर की दूरी पर कठपुतली नगर है उसमें एक भी शौचालय बना हो तो सरकार बता दे। अन्नपूर्णा रसोई की बात आती है कि 12 शहरों में आपने अन्नपूर्णा रसोई चला दी और 5 रुपये में नाश्ता मिलेगा, 8 रुपये में खाना मिलेगा। मैं टेंडर देख रहा था उसमें इसकी जो कास्ट है उसमें नाश्ता 21 रुपये 70 पैसे और खाना 23 रुपये 70 पैसे, इसका डिफरेंस कौन भरेगा। पता किया कि कुछ स्थानीय निकाय भरेंगी, कुछ दानदाता भी हो सकते हैं। इस तरह एक ही कंपनी को आपने टेंडर दे दिया, विज्ञापन निकाले हैं। एक ही मालिक है उसकी दो कंपनियां हैं। उन्होंने टेंडर डाले और आपने एक कंपनी को काम दे दिया। इसका जो डिफरेंस आयेगा, नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों की बात करते हैं तो पहले से ही यह घाटे में चल रही है ..

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमान, आप पिछले 27 मिनट से बोल रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): कर्जा बढ़ रहा है तो यह कैसे होगा। अम्मा रसोई की तरह क्या इस रसोई से यह फेमस हो जायेंगे। सरकार कर्जे में है, कर्जे से बाहर लाओ। आपने 15 लाख रोजगार देने की बात कही। 45 हजार भर्तियां आपकी कोर्ट में अटक गईं, 15 हजार से अधिक भर्तियां निरस्त कर दीं और 15 हजार से अधिक पद आपने समाप्त कर दिये। आपने रीट की बात कही, हम लोगों ने विरोध भी किया था लेकिन रीट में आपने ऐसी खामियां रख दीं कि आज तक रिजल्ट आने के बाद कोर्ट में मामला लम्बित है। हमारे युवा इंतजार कर रहे हैं। गौशाला में भारी भ्रष्टाचार हुआ। किसी अधिकारी को आपने दंड नहीं दिया, कोई जांच नहीं करवाई, आपने अक्षयपात्र को दे दिया। आज भी वहां जाकर देख लो वहां पर 20 से 25 गायें आज भी मर रही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अब आप हमें दंडित मत करो, विराज जाओ आप।

श्री रमेश (सपोटरा): राज्य की एक दुष्कर्म पीड़ित महिला के साथ महिला आयोग की अध्यक्ष और एक सदस्य सेल्फी ले रहे हैं, कैसा राज है यह? उस महिला सदस्य को तो आपने हटा दिया, महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही की क्या, नहीं कुछ नहीं हुआ। रिंग रोड की बात की,

(श्री रमेश)

राजपाल जी, ...(व्यवधान) आज तीन साल हो गये आपको, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। किस प्रकार आपने कार्यवाही से रातों रात घरों को तोड़ा, सर्दी में लोगों को बाहर पटक दिया ...

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानीय सदस्य। एक मिनट आप विराज जाओ मैं आपको कनक्ल्यूड करने का समय दूंगा। मैं सम्मानीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं। या तो टाइम का डिसिप्लेन आप रख लें वरना फिर आसन पूरे टाइम का डिसिप्लेन रख लेगा। वो आपकी सेहत के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। मैं तो रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आसन सर्वोपरि है। आसन को ही इसका ध्यान रखना होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): बस दो मिनट रूक जाएं। मैं बंद कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मेरे ख्याल से जब प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे तो बहुत-सा सब्जैक्ट मैटर आप उनके लिए भी तो छोड़ें।

श्री रमेश (सपोटरा): दो मिनट में बंद कर दूंगा। डायरेक्ट सीधी-सीधी लाइन बोल देता हूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपके सचेतक के निर्देश कांग्रेस के सदस्य मानते भी नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप केवल एक मैम्बर की तरह ही हो।

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आपका कितना मानते हैं, आपके सदस्य देख लो।

श्री उपाध्यक्ष: सम्मानीय सदस्यगण।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप हम दोनों को अलग क्यों करना चाहते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मुख्य हैं, महाराज।

श्री रमेश (सपोटरा): रिंग रोड का काम सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड बंद कर दिया है। रोडवेज आपने बंद कर दिया है और सीतापुरा से अम्बाबाड़ी मेट्रो का फेज-II उसमें भी कोई निर्णय नहीं है। सरकार

(श्री रमेश)

की मंशा क्या है? एन.आर.एच.एम. में घोटाला हो गया। एक आई.ए.एस. अधिकारी का तबादला हो गया। तबादले के बाद भी फाइलें निकाल रहा है। पुलिस के दागी कांस्टेबलों को तो आप हटा रहे हो, लेकिन आप दागी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आसन ने जब नाम पुकार लिया है, शेष वक्तव्य रिकार्ड नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को या तो डिसिप्लीन में कर लीजिए। वरना आसन को बाध्य मत करना, डिसिप्लीन करने में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आगे से थोड़ा कम कर लेंगे। ये आज के प्रमुख वक्ता थे। माफी चाहते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में महामहिम राज्यपाल...

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, आप भी अपने सदस्यों को समय-सीमा की पालना के लिए कहें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): जो आज्ञा हुकूम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके आदेश को राठौड़ साहब भी नहीं मानते। मदन जी, उप मुख्य सचेतक भी इनसे बिना पूछे खड़े हो जाते हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कल से इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): एक नहीं मान रहा, बाकी तो मान रहे हैं ना। आपका तो कोई नहीं मान रहा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हमारे प्रतिपक्ष के साथी जिस तरीके से इस चर्चा में बात रख रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। इनके राज में प्रदेश की क्या दुर्दशा हुई थी? हमारे में कमियां निकाल रहे हैं। खुद को ढूंढोंगे न तो हर कमी का जिम्मेवार आप अपने आप को पाओगे। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षो में राजस्थान में जो जनकल्याणकारी कार्य हुए हैं और जो विकास की योजनाएं धरातल पर आई हैं, अपने आप में एक कीर्तिमान है। कहते हैं जनता खुश नहीं है। थोड़ा जनता के बीच जाओ। कट्टर कांग्रेसी होगा, वह खुश नहीं है। क्योंकि उनको अपनी धरती हिलती हुई नजर आ रही है और आम जनता इस शासन से पूरी तरह संतुष्ट ही नहीं, बहुत खुश भी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि हमारे क्षेत्र में काम हुआ है। वो काम इस बात का प्रमाण है कि पहले इतने काम कभी नहीं हुए।

श्री रमेश (सपोटरा): : ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं सारे काम गिना दूंगा, चिंता क्यों करते हो? हम कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इस प्रदेश ने तो पहले ही शुरूआत कर दी। जब विधान सभा का पिछला चुनाव हुआ था। बीजेपी - 164 और कांग्रेस - 21 पर सिमट गई। यह कोई मामूली बात नहीं होती। यह आपका पौने दो साल का कार्यकाल बचा है न। उसके बाद में और क्या दुर्दशा होगी यह प्रदेश में सदन भी देखेगा और जनता भी देखेगी। हमने कितनी शानदार शुरूआत की। एक के बाद एक काम, एक के बाद एक विकास की योजनाएं और उसका परिणाम। चाहे बाद में पंचायत के चुनाव हुए, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, वे सारे इस बात के गवाह हैं कि हमारे काल में काम हुआ है। हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं, वे अपने युवराज को अपना आदर्श मानकर जैसी बातें युवराज करते हैं, सुनकर देश की जनता अपना माथा पकड़ती है। जिनकी बातें हंसी में उड़ा देती है। यही हमारे प्रतिपक्ष के साथियों का हाल हो रहा है। कोई मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, अनर्गल बात करके भी सदन का समय जाया करना और अभी तो आपने महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम देखा होगा। महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस की कैसी दुर्गति की है और पार्टियों की। इससे भी सबक नहीं लेंगे ना तो आने वाला कल आपका क्या होगा भगवान जाने। (व्यवधान) बिलकुल। ये छोटे चुनाव भी ना, ये जनता का एक प्रकार से मापदंड होता है कि किस सरकार ने कितना काम किया?

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में क्या हाल हुआ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप भी भरोसे मत रहना। देश की जनता भलीभांति जानती है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी देश को गरीबी से मुक्ति दिला सकती है। तो वह भी हमारी पार्टी है। यदि कोई पार्टी महंगाई से इस देश को मुक्त करा सकती है तो वह भी हमारी पार्टी है। यदि कोई पार्टी बेरोजगारी से युवाओं को मुक्त करा सकती है तो उसका श्रेय भी हमको ही मिलने वाला है और आतंकवाद का नाश कोई पार्टी कर सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके प्रमाण दे दिया कि घर में ही नहीं, बाहर जाकर भी अगर आतंकवादियों को मारना पड़ा तो हम उनको मारकर छोड़ेंगे। जिसने अगर इस देश की धरती पर आकर आतंकवाद किया है। एक-एक करके सबको निपटाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एक के बाद एक इतिहास बना रहे हैं। पूरा विश्व इस बात को आज कह रहा है कि भारत अब पहले जैसा देश नहीं रहा। भारत एक शक्तिशाली देश है और अन्य देशों में भारत का वजूद भी बढ़ा है। हम इतिहास बना रहे हैं और कांग्रेस अब बहुत जल्दी इतिहास के पन्नों के अन्दर आने वाली है। बच्चे बात करेंगे, किताबों में पढ़ेंगे कि कभी कोई कांग्रेस पार्टी इस देश में थी। वरना आपका लम्बा समय..। आप जहां जाओ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में वेंटीलेटर पर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: साइकिल पर सवार होगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): बिहार में जिंदा है तो जनता दल के वेंटीलेटर पर। अगर वो आक्सीजन नहीं देती तो बिहार में भी पूरी साफ। आपको उत्तर प्रदेश का भी पता है। क्या करें हममें दम नहीं है तो वहां भी समाजवादी पार्टी के वेंटीलेटर पर आप अपनी सांसें गिन रहे हो। वो भी नहीं बचेगी और आप तो वैसे भी पहले ही डूबने वाले थे। आप का साफ कर दिया तो आप खुद तो डूबोगे और उसको भी ले डूबोगे। कांग्रेस ने आज तक क्या किया? आप बात करते हो ना। हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। क्या किया कांग्रेस ने? इतिहास उठाकर देख लो इस देश को जितना सिकंदर ने नहीं लूटा, जितना तैमूर ने नहीं लूटा, जितना महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी ने नहीं लूटा और जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे कई ज्यादा तो घोटाले के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कारनामे कांग्रेस शासन काल में हुए हैं। हमारी तीन साल की केन्द्र की सरकार, सुई की नोक के बराबर भी एक आरोप लगाकर बता दो सदन में बोलना बंद कर देंगे। हमारी प्रधानमंत्री जी ने हमारी मुख्य मंत्री ने जो काम किया है, सारी की सारी पारदर्शिता है। सारी की सारी प्रमाणिकता है कि देश हित और जनहित में काम करते हैं। इतना ही नहीं ...(व्यवधान) वह तो सब जांच हो जाएगी आप चिंता क्यों करते हो। जांच सामने आ जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है, घोटाला हुआ है, कोई अधिकारी जेल में गया है, उसको हमने बख्शा नहीं है। उसको हमने बचाया भी नहीं है। चाहे किसी में भी हुआ हो, एनआरएचएम हुआ, चाहे खान में हुआ, अधिकारियों ने गडबड़ की है, आपके तो मंत्री तक जेल में गए थे भाई। इसलिए वह बात आप मत करो। इतना ही नहीं चाहे अंग्रेज हो, चाहे तैमूर हो, मोहम्मद गौरी हो, महमूद गजनवी हो, लूटा तो उन्होंने है ही, साथ में हिन्दुओं पर अत्याचार भी उन्होंने किए थे। कांग्रेस शासन में भी हिन्दुओं पर जितने अत्याचार हुए यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकार्ड है। केरल की हालत क्या हो गई, आप वहां समर्थन दे रहे हो। वहां राष्ट्रवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी एक के बाद एक हत्या होती जा रही है। यही पश्चिमी बंगाल में हुआ। पहले असम में यह क्रम चला। कश्मीर तो कई सालों से इसको झेल रहा है। जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो एक भी राष्ट्रवादी, संगठन का कार्यकर्ता होगा, व्यक्ति होगा, हत्या करने की बात तो दूर, आंख उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर पाएगा, यह हमारे शासन की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी।

आज भी काम के मामले में देखें। अभी हमारे माननीय सदस्य कह भी रहे थे कि भामाशाह कार्ड, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसकी खूबियों पर थोड़ी नजर डालो। कितना बड़ा तोहफा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की 67 परसेंट जनता को दिया है। मैं उसका बहुत बड़ा गवाह भी हूं क्योंकि मैं इस सैक्टर से जुड़ा हुआ हूं। इसमें बीमारी का तीन लाख तक खर्चा होता है, तीन लाख तक का इलाज। मात्र सरकारी अस्पताल में ही नहीं, प्रदेश के कई निजी अस्पतालों में, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, कोई भी गरीब वहां भी अपना बड़े से बड़ा आपरेशन या बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा सकता है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बनने के बाद पिछले छह महीनों में मैंने 80 हार्ट के आपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में फोकट में करवाए हैं। यह मामूली बात नहीं होती, पहले यह मुश्किल काम था, फ्री, नि:शुल्क। इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकारी अस्पतालों पर भी मरीजों का जो भार था उसमें भारी कमी आई है। हर व्यक्ति जिसके पास एक कार्ड है, गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है, अस्पताल में चला जाएगा सारी सुविधा मिल जाती है जो एक वीआईपी को या पैसे वाले को मिलती है।

आपने नि:शुल्क योजना चालू की थी। आपने वाह-वाही बहुत लूटी कि हमने प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए इलाज फ्री कर दिया, फोकट में कर दिया। उस समय अस्पतालों की हालत क्या थी? आधे से भी ज्यादा चिकित्सकों के पद रिक्त थे। जब अस्पताल में डाक्टर नहीं तो फिर इलाज कहां से मिलेगा, उसको कौनसी दवाई मिलेगी? जो गम्भीर बीमारियां थीं उसमें वह का वही खर्चा आता था जब यह योजना नहीं थी। किसी ने हार्ट का आपरेशन करवाया तो उसको नि:शुल्क दवा का कोई फायदा नहीं था। उसको सारी की सारी दवा बाहर से लानी पड़ती थी। और भी कोई बड़ा इलाज कराया तो महंगी दवा बाहर से, बहुत कम जनता को उससे फायदा मिला होगा जिनको छोटी-मोटी बीमारी थी। जो गम्भीर बीमारी से ग्रस्त मरीज था उसको नि:शुल्क दवा योजना से कोई लाभ नहीं मिला। इस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में हर व्यक्ति को लाभ मिला है चाहे हार्ट का मरीज हो, चाहे न्यूरोसर्जरी का हो, चाहे यूरोलोजी का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे नेफ्रोलोजी का हो, हर क्षेत्र में इसको फायदा मिला है।

इतना ही नहीं, डाक्टरों की कमी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्राइवेट मेडिकल कालेज में डाक्टर बनने के लिए एडमिशन लेना है तो एक करोड़ की फीस लगती है। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने पहले ही साल में डाक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश में आठ नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की जिसमें मेरा पाली भी एक है। एक साथ आठ मेडिकल कालेज कोई मामूली काम नहीं है। आने वाले कल में जब प्रतिवर्ष आठ सौ डाक्टर इन कालेजों से निकलेगे तो बहुत कम डाक्टर्स के पद खाली रह जाएंगे। जैसी हालत थी, जैसी कमी थी, पर हमारे प्रयासों में कमी नहीं थी। इन तीन सालों में हमने 4594 नये चिकित्सकों की भर्ती की। पाली में भी 17 से ज्यादा नये डाक्टर लगे। पहले 22 थे आज 49 डाक्टर पाली बांगड़ अस्पताल में हैं। चिकित्सा व्यवस्था पहले की तुलना में बहुत सुचारु हो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गई। 30 हजार से भी ज्यादा पैरा मेडीकल स्टाफ, यह हमारी सरकार की सौगात है, हमारी सरकार की देन है ताकि चिकित्सा व सब बराबर हो जाए। हमने एक के बाद एक प्रयास किए हैं।

जहां तक विद्युत का मामला है, विद्युत से कितनी ही ढ़ाणियां वंचित थीं। मैं चौथी बार विधायक हूं। पांच साल में दो या चार समूहों की ढाणियों के विद्युतीकरण की छूट हमको मिलती थी, बाकी करवानी हो तो विधायक कोष से पैसा खर्च करो। मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इतनी बड़ी योजना इस प्रदेश की धरती पर शुरू की। 2800 करोड़ रुपये के कार्य इसमें चल रहे हैं, यह कोई मामूली बात नहीं होती। आप कह रहे थे न क्या काम हुआ। मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र जिसमें मात्र 35 परसेंट ग्रामीण इलाका लगता है, पिछले डेढ़ वर्षों में 27 करोड़ की राशि खर्च करके मेरी हजारों ढाणियों का विद्युतीकरण हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी कृपा से, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी के प्रयासों से हुआ है।

इतना ही नहीं आईपीडीसी योजना के तहत भी 1350 करोड़ के काम चल रहे हैं। इतनी बड़ी योजना है, यह मामूली बात नहीं होती। हमारे बाड़मेर के साथी आते हैं, जैसलमेर के साथी आते हैं, जिनकी पूरी बसावट ढाणियों में है, उनको पूछना कितनी बड़ी राहत मिली है। यदि हमारे विधायक कोष का पूरा का पूरा पैसा लगातार दस साल तक दें तो भी इतनी ढाणियों का विद्युतीकरण नहीं हो सकता जितना इस डेढ़ साल में हुआ है। कितने जीएसएस बने, चाहे 440 के हो, 220 के हो, 132 के हो, 33 के हो, कोई गिनती नहीं, जहां आवश्यकता हुई वहां मंजूर किये।

अभी तो बहुत बड़ा उपहार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश के किसानों को दिया है। बिजली में कुछ दरें मजबूरी से बढ़ानी पड़ी थीं। मजबूरी थी कि एमओयू आपके काल में हुआ था क्योंकि आपको लोन लेना था। जिस एजेंसी ने आपको लोन दिया उसने कुछ शर्तों में आपको बांधा था। लोन लेते वक्त आपने कह दिया कि हम विद्युत की दरें बढ़ा कर यह लोन चुका देंगे, वह हमारे ऊपर पड़ा। एक बार बढ़ाना पडा लेकिन किसानों की भावना को देखते हुए, हम सदस्यों की भावना को देखते हुए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सारी बढ़ी हुई दर वापस ले ली और राहत भी बहुत बड़ी दी। विद्युत बोर्ड को घाटा भी नहीं हो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उसके लिए सरकारी खजाने से, राज्य के मद से, घाटा हुआ उसकी पूर्ति का भी पूरा ध्यान उन्होंने रखा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो वहां भी एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 67 सालों में जितने विद्यालय सीनियर सैकण्डरी थे, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पहले ही वर्ष में यह घोषणा करके कि जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, बात करते हो भेदभाव की, कोई भेदभाव नहीं किया। न कांग्रेस देखा, न बी.जे.पी. देखी, न विधायकों से चक्कर लगवाये, न कोई ज्ञापन लिये। एक ही आदेश में पांच हजार से भी ज्यादा विद्यालयों को क्रमोन्नत करके सीनियर सैकण्डरी का दर्जा दे दिया। ताकि हमारे गांव की बच्ची और बच्चा है, सीनियर सैकण्डरी तक की शिक्षा वहां ग्रहण कर सके।

इतना ही नहीं, उनको बेहतर और श्रेष्ठ शिक्षा मिले, तो जितने भी हमारे ब्लाक्स हैं, समिति मुख्यालय हैं, वहां इंग्लिश मीडियम का विवेकानन्द माडल स्कूल, 132 हमने चालू कर दिये। उसके एक भवन में 6 करोड़ की राशि, सरकार ने अपने खर्चों से, कोई दानदाताओं के भरोसे नहीं कि दानदाता आयेगा, बिल्डिंग बनायेगा, उसके बाद में चालू होगा। सरकारी खर्च से, किसी के भरोसे नहीं, और 132 जगह चालू हो गये, जिसमें 36 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यह मामूली बात नहीं होती। जहां छात्रावासों की आवश्यकता है, वहां वह भी प्रावधान करने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की जो दुर्दशा है, उसके लिये कोई जिम्मेदार है न तो पूर्ववर्ती सरकार है। नई सड़कें बनाना तो दूर, पेचवर्क के लिये भी हमको गिड़गिड़ाना पड़ता था। जैसी सड़कें हमको मिलीं, उम्मीद करते हो कि सारी सड़कें दो या तीन सालों में पूरी की पूरी नवीन कर दें, यह काम मुश्किल होता है। परन्तु हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, हमारे पी.डबल्यू.डी. मिनिस्टर, इन्होंने प्रयास करके पिछले तीन सालों में सड़कों का नवीनीकरण किया है। अब बहुत कम ऐसी सड़कें हैं, जिनका नवीनीकरण होना बाकी है। अभी एक पर्ची के दौरान हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी ने घोषणा भी कर दी कि 31 मार्च के बाद, जब नया वाला बजट लागू होगा तो 9 हजार करोड़ की राशि, नान पेचेबल सड़कों के लिये रिलीज करके हम ग्रामीण सड़कों को नया रूप दे देंगे। ग्रामीण गौरव पथ की बात कभी किसी मुख्य मंत्री के दिमाग में नहीं

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आई कि ग्रामीण क्षेत्र में भी सीमेण्ट की बहुत सुन्दर सड़क होनी चाहिये। क्या देखते थे गांव में, जो मुख्य सड़क है, कीचड़ है उसमें। मुख्य सड़क है, खड्डे पड़े हुए हैं। एक तीन वर्ष का अभियान, प्रतिवर्ष एक-तिहाई मुख्यालयों पर एक करोड़ 20 लाख का ग्रामीण गौरव पथ, और, मेरे क्षेत्र में जो बनाया है, वह इस बात का गवाह है, साक्षी है कि बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति मिली है। गांव वाले अपने आपको बहुत खुश समझते हैं कि हम गौरवशाली हैं कि हमको ऐसी सड़क मिली है। मिसिंग लिंक के मामले में ही काफी काम हमारे काल में हुआ है। इस बार तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र में भी शहरी गौरव पथ के नाम से ढाई करोड़ की राशि स्वीकृत की है। शहर में भी एक सड़क ऐसी होगी जो अपने आप में बहुत शानदार होगी, बहुत जानदार होगी। कई जगह काम चालू हो गया है, कहीं काम चालू होना बाकी है। एक के बाद एक विभाग ले लो आप। हर विभाग में हमने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। ग्रामीण विकास के मामले में, क्योंकि हमारा प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों से भरा पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास की अन्य योजनाओं के साथ ग्रामीण विकास विभाग के बहुत सारे काम, किसी किसान को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना है, तो उसमें भी पीछे नहीं। 'अपना खेत-अपना काम', तीन लाख तक की राशि की मेड़बंदी और टांका निर्माण का इसमें प्रावधान रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष इसकी स्वीकृतियां जारी होती हैं कि आने वाले तीन-चार साल में हर किसान इससे लाभान्वित हो जायेगा। कैटल शेड की नई शुरूआत भी हमारी सरकार ने की है। क्योंकि गांवों में पशुधन बहुत ज्यादा है और किसान के पास, उस पशुपालक के पास उस पशु को रखने के लिये शेड नहीं है। उसमें भी राशि कितनी, एक कैटल शेड के लिये एक लाख 70 हजार रुपये। यह मामूली बात नहीं होती है।

जहां तक स्वच्छ भारत मिशन का मामला है, इस योजना में देखें तो राजस्थान देश में पहले नम्बर पर है। क्या था हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकांश परिवारों के मकानों में शौचालय नहीं थे, जंगल जाते थे, पर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्रीजी, यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस शर्मनाक स्थिति से प्रदेश की जनता को उबारने के लिये तेजी से काम किया, और उसी का परिणाम है कि हम देश में पहले स्थान पर रहे हैं। 1387 करोड़ की राशि से 22 लाख 58 हजार शौचालयों का निर्माण पिछले दो सालों में हमारे प्रदेश में हुआ है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। नरेगा में भी देश में सर्वाधिक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रोजगार और श्रम के अवसर देने में हम देश में पहले स्थान पर हैं। पक्के काम भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना में तो अनुदान की राशि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने 70 हजार से बढ़ाकर सीधे एक लाख 48 हजार कर दी। किसी का एक पक्का कमरा भी है तो उसको दूसरे पक्के कमरे के निर्माण के लिये भी स्वीकृति दी जायेगी। वरना पहले यह होता था, अगर एक पक्का निर्माण है तो वह उस दायरे में नहीं आता था। पर उसको भी सम्मिलित किया और राशि भी एक लाख 48 हजार कर दी। यह मामूली बात नहीं होती है। जो मकान से विहीन है, पट्टा नहीं है, भूमि उसके पास नहीं है तो उसको भी सरकार निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायेगी ताकि वह अपना खुद का मकान बना सके और सन् 2016-17 में ढाई लाख परिवारों को हमने इस योजना में लाभान्वित किया है। और, माननीय प्रधान मंत्रीजी ने तो इस बार 33 प्रतिशत अधिक प्रावधान किया है कि पिछले साल की तुलना में जो लक्ष्य रखा गया है, वह 33 प्रतिशत अधिक होगा। तो आने वाले दो-तीन सालों में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, जिसका अपना पक्का मकान नहीं होगा। विकास के काम, उसके अलावा जो जन कल्याणकारी और आवश्यकताएं थीं, वह हमारी सरकार ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

'न्याय आपके द्वार' के माध्यम से जितने भी राजस्व प्रकरण लम्बित थे, बहुत बड़ी संख्या में उनका निस्तारण आपसी समझाइश से करवाकर लोगों में आपस में प्रेम पैदा किया है। वरना एक प्रकरण को निपटाने में खर्चा भी आता था और समय भी लगता था। पर यह अभियान चलाकर प्रदेश में लाखों प्रकरणों का निस्तारण करके, इस मुकदमेबाजी के झंझट से प्रदेश की जनता को बचाया है। और, आम आदमी भी यदि कोई समस्या से परेशान है तो उसको भी बहुत बड़ा अवसर दिया। बहुत बड़ा अवसर, सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज करा दें, और जब तक उस समस्या का निराकरण नहीं होता तब तक मुख्य मंत्री सचिवालय पीछा करता है। शिकायतकर्ता जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता और उस पर अपने दस्तख्त नहीं करता कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है, तब तक यह प्रकरण लगातार लम्बित चलता है और यहां मानिटरिंग होती रहती है। प्रदेश की जनता बहुत बड़ी राहत महसूस करती है कि हमारी सुनवाई यदि नीचे कोई अधिकारी नहीं करता है तो ऊपर तक भी अपनी बात पहुंचाकर वह अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मानननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे यह तीन साल बेमिसाल हैं और हम इन तीन सालों में, जितने हमारे संसाधन थे, जितनी हमारी क्षमता थी, उसका पूरा प्रयोग करते हुए प्रदेश के लिये बहुत कुछ किया है। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर समर्थन करते हुए मैं सदन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं विपक्ष के बंधुओं को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एकमेव एजेंडा है देश का पुनर्निर्माण और देश की सुरक्षा।

कल विपक्ष के माननीय सदस्य ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात उठाई थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में किसका शासन था, जब 30 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गयी। 1963 में हमने एक सर्व-सम्मत प्रस्ताव पास किया लोक सभा में, राज्य सभा में कि बिना भूमि वापस लिये हम चीन से सम्पर्क नहीं करेंगे। यह सम्पर्क किसने शुरूआत की? यह मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं।

सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते समय इनको ध्यान देना चाहिए कि आज से तीन-चार साल पहले इनका ही शासन था, इनके ही प्रधान मंत्री थे, तब सैनिकों की मुंडी काट कर ले गये और हमारे प्रधान मंत्री ने चूँ नहीं किया, क्या इस देश को भीरु ही बनाये रखना चाहते हैं? हमने देश का संकल्प लिया पुनर्निर्माण का। कांग्रेस कहती है कि हमने देश का विकास किया। क्या बालक था क्या जो हमने उसको बड़ा किया? देश को किसने लूटा? कांग्रेस के संस्थापक थे, संस्थापक अध्यक्ष के पूर्वजों ने लूटा, वर्तमान अध्यक्ष के पूर्वजों ने लूटा, विदेशियों ने लूटा। उसका पुनर्निर्माण का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और इस कारण से हमने किया भी है।

पहली बार शासन जब आया अटलजी का तो हमने परमाणु विस्फोट किया और परमाणु विस्फोट करके दुनिया के सामने, परमाणु परीक्षण करके हमने यह साबित कर दिया कि हम भी ताकतवर हैं। उसका परिणाम भी आया। 1994 में माननीय कांग्रेस के प्रधान मंत्री थे, अमरीका गये। अमरीका की संसद में उनका भाषण हुआ। जो हमारे मित्र सांसद थे दो अमरीका के, वह सुनने आये, कर्मचारी भी नहीं आये और जब वहां अटलजी परमाणु विस्फोट

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

करके गये तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति मिस्टर क्लिंटन कंधे का सहारा लेकर संसद के अन्दर अटलजी को ले गया।

अभी भी जब हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री, जो किस रूप में आए, देश में अंधेरा था, उस समय आये हैं। एक कवि ने कहा भी है कि- 'नीलनभस्सर में उतरा यह हंस अहा! तरता तरता।' वैसा हमारा प्रधान मंत्री आया है। अमरीका की धरती पर गया पहली बार। जिसका वीजा रुकवाया इन्होंने। वह पहली बार जब गये तो जाते ही जिस स्टेडियम में भारतवासियों ने स्वागत किया, वहां पर अमरीका की जय नहीं बोली। सबसे पहले तीन बार बोला- भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या स्थिति बनी? यह समर्थ और सामर्थ्य की बात है। यह सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब से आतंकवाद आया, कश्मीर में 18 हजार लोग मरे हैं, केवल दो हजार हिंदू मरे हैं और 16 हजार मुस्लिम बंधु मरे हैं। क्योंकि, पाकिस्तान के बारे में यह मुंह नहीं खोल सकते, डरते हैं। (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, यह माननीय उपाध्यक्षजी को पर्ची दे रहे हैं कि इनका नाम यही कट कर दो और इनको बैठा दो, अब आप सोच लो कि क्या बोलना है? (व्यवधान).

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, मैं उसकी परवाह नहीं करता। देश में आतंकवाद किनके कारण से आया? कौन लाया? किसने प्रश्रय दिया? संकोच होता है, कांग्रेस को तो संकोच होता है, कश्मीर के बारे में टिप्पणी करने पर। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में वहां का प्रधान मंत्री कह रहा है कि भारत को भी सोचना चाहिए और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। अपना पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। क्यों कहा उसने? मजबूर कर दिया हमने और जिसकी बात आप करते हो कि ज्यादा लोग मरे हैं, वह हमने सफाई किया। आपने तो कहा कि सेना को कोई पावर मत दो। आपने छह साल तक सेना के सारे पावर वापस लिये हैं। हमने अब जांच शुरू की है। सर्वे शुरू किया है। इस कारण से जो कुछ आपके टाइम में सामग्रियां पाकिस्तान से आकर घरों में पड़ी थीं, उसके विस्फोट के कारण से कुछ लोग मरे हैं लेकिन कितने सैनिक मरे?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्रीलंका में 1600 मरे थे, किस उद्देश्य से भेजे थे आपने? आपके प्रधान मंत्री ने किस उद्देश्य से भेजे थे। स्वर्ण मंदिर में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जो सैनिक मरे थे, वह किस उद्देश्य से मरे थे? जब उस समय के प्रधान मंत्री की हत्या हुई थी, तब दिल्ली में किस उद्देश्य से मरे थे? (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मूल विषय पर लाया जाए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मूल ही विषय पर बोल रहा हूं। (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह ब्रह्मांड पर घूम रहे हैं और राजस्थान की विधान सभा में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना है आपको।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप कितने कहते हो मूल विषय पर, अपने गिरेबान पर तो झांक कर देखो। दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। (व्यवधान).

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आज तक कोई गया क्या अमरीका की संसद में जब हमारा प्रधान मंत्री गया तो 64 बार तालियां बजीं और 9 बार तो खड़े होकर, यह हमारे सामर्थ्य का प्रमाण है। यह हमारी सुरक्षा का प्रमाण है। आपने कभी ताली पिटवायी क्या? आपने मखौल उड़वाया जब वहां पर अटलजी ने जाकर हिन्दी का झंडा फहराया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारी तालियां इन्होंने गिनी हैं। 64 बार की 64 बार, न 63 बार घटीं और न 65 बार बढ़ीं, 64 बार बजी हैं तालियां।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपकी सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हो रही हैं अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गुरुदेव, यहां राजस्थान प्रदेश पर पधारो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आ रहा हूं, आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक विषय पर मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि ....(व्यवधान).

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): पहले आपके कर्मों की सारी जानकारी दे देंगे और फिर आएंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): माननीय सदस्य, कश्मीरी पंडितों के बारे में बोलो कि कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्यजी, अब मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूं। आप भी हमारे पास भी रहे हैं कभी-कभी, आप हमारे पास भी रहे हैं।

मैं हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि इस राजस्थान में बिना भेदभाव के विकास के काम करने वाली कोई सरकार थी तो वह भाजपा की सरकार थी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। आपने 49 साल शासन किया और हमने 18 साल शासन किया है लेकिन आप अंदाजा लगा लो कि आपने क्या किया? (व्यवधान). आ रहा हूं मैं आपकी बात पर। 1978 में जब भैरोंसिंहजी की सरकार थी ....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप 'थी' क्यों कह रहे हो? है न। भेदभाव के बगैर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है न, तो आप 'थी' क्यों कह रहे हो? प्रजेंट की बात करो न। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बिना भेदभाव के काम करने वाली। मैं दे रहा हूं अभी आपको उदाहरण।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो भैरोंसिंहजी की सरकार के लिए कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, वर्तमान सरकार के लिए भी मैं कह रहा हूं, आ रहा हूं मैं उस पर। 1978 में एक आदेश पारित किया कि जिसकी आबादी तीन हजार है, प्रत्येक गांव में सैकण्डरी स्कूल। एक आदेश से। किस-किस के खुल गये? आप अपना खुद का आकलन कर लो, खुद के लोगों का। 1994 में फिर भैरोंसिंहजी की सरकार आई। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप असत्य नहीं बोलें, हमारी आज भी दस पंचायत ऐसी हैं, जहां पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है पंचायत हैडक्वार्टर पर, यह कैसे सुन लेंगे? अभी पहले के वक्ता भी कह रहे थे और यह भी कह रहे हैं। सीनियर सैकण्डरी स्कूल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी नहीं है और लोग तरस रहे हैं और यह कह रहे हैं कि सब जगह खोल दी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आठ दस जगह तो मेरे भी नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। आपने कुछ नहीं किया न? 1994 में फिर एक आदेश से ....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप बताओ न। सच्चाई तो मानो, चाहे कांग्रेस हो या चाहे बी.जे.पी. हो। सत्यमेव जयते। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, सुन लो कान खोलकर, 1994 में फिर एक आदेश निकाला, प्रत्येक पंचायत में मिडल स्कूल, हमने निकाला, हमारे भैरोंसिंहजी ने निकाला, हमारे गुलाबजी कटारिया ने निकाला। एक आदेश से 4600 मिडल स्कूल, हर पंचायत में मिडल स्कूल, यह समानता का बर्ताव का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको।

फिर मैं कालेज पर आता हूं। आप कन्या कालेज की बात कर लो, कन्या कालेज की। आपने पूरे 49 साल में केवल दस कालेज खोले हैं लड़कियों के और हमने 35 खोले हैं। 35 खोले हैं, 18 साल में। 35 कॉलेज लड़कियों के खोले हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रत्येक जिले में हमने लड़कियों का कालेज खोला है।

फिर 2007 में प्रत्येक पंचायत में सैकण्डरी स्कूल, 3108, संख्या आप गिन लो और अबकी बार आपने हमारी नकल की, मजबूर हो गये तब आपने 1900 स्कूल खोले, एक बार कोई ढंग का काम किया है, शिक्षा के बारे में तो पहली बार किया है लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप 1993 के बाद में 1998 में आप शासन में आ गये। दो बार शासन कर चुके, कभी लड़कियों के नाम से कोई स्कूल खोला क्या बारहवीं का आपने? गिनो, दस से ज्यादा नहीं है लेकिन 500 स्कूलें हमने खोली हैं लड़कियों की, 500 स्कूल हमारे टाइम में।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): अध्यापक नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यापक की बात, आपने भर्ती किया ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो 60 साल का हिसाब देने लग गये। यह 60 साल का तो हम से मांगो, आप तो यह तीन, सवा तीन साल का ही दे दो। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं कह रहा हूं न कि सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल 3500 हैं, आपका और हमारा कार्यकाल का और एक टाइम में पांच हजार खोलने वाली यह वर्तमान सरकार है, जिसने पांच हजार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। समझो और पढ़ो।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

और, यह गौरव पथ भेदभाव के हैं क्या? प्रत्येक पंचायत में, जब हम दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे तो प्रत्येक पंचायत में यह गौरव पथ होगा, शानदार गौरव पथ होगा, जिस पर आप भी चलोगे और आपके बेटे-पोते भी चलेंगे उस गौरव पथ पर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गुरुजी, यह आप समझ नहीं पा रहे हो कि यह सारे आपका मजाक उड़ा रहे हैं और मैं चिंतित हो रहा हूं कि मेरे गुरु का ....(व्यवधान).

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, चिंता मत करो आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बार-बार भगवा साइकिल की बात आ रही है। मैं कहता हूं कि भगवा जो रंग है, केसरिया बाना तो इस राजस्थान की शान था, उसी से मिलता-जुलता रंग है यह और शौर्य का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है भगवा तो, उसको आने दो, रोको मत, आपका भी भला उसी में है। हां, एक बात बार-बार कहते हैं यह। यह बिजली की बात भी करते हैं।

(15.00 बजे)

यह पाप 2010 में सिविल लायबिलिटी का किसने किया, कौन प्रधान मंत्री था, कौन मुख्य मंत्री था 2010 में जो सिविल लायबिलिटी लाये और किसानों को लूटने के लिये लाये। यह सिविल लायबिलिटी आप लाये 2010 में। यह लागू भी आपने की लेकिन लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सुन लो। जब बारह महीने का औसत लगता था, उसको मैंने दो महीने पहले चार महीने करा दिया, फिर दो महीने करा दिया। इसका एक-बटा-छह, आप हिसाब लगाओ एक-बटे-छह कर दिया हमने और 200 का एवरेज आप लगाते थे, हमने उसको 166 कर दिया।

इतना ही नहीं, हमने और छूटें दी हैं। आपने कहा बिजली नहीं बढ़ायी। आप अपने खुद के बिल को देखो। 20 रुपये पहले था स्थायी सेवा शुल्क, जब आप शासन में आये थे और उसको आप 350 करके गये हो। प्रत्येक आदमी हर महीने 350 रुपये दे रहा था। आप कह रहे थे हमने बिजली के पैसे नहीं बढ़ाये। यह घाटा कहां से आया? मैं 2000 का वह वक्तव्य, इस सदन में तत्कालीन आपके नेता ने भाषण दिया था, भैरोंसिंहजी ने जब खिलाफत की थी तो क्या कहा था कि मैं बिजली कम्पनियों के तीन हजार करोड़ के घाटे को सहन करने की स्थिति में नहीं हूं। अब हमने भी 72 हजार करोड़ का किया है

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

न। अभी आपकी तरफ के माननीय सदस्य कह रहे थे कि घाटा क्यों ले लिया? घाटा तो आप पाप करके गये, 20 रुपये में बिजली खरीदी, 9 रुपये में बेची, उसी दिन बेची। जब आपने महंगी खरीदी तब तो खरीदी प्राइवेट कम्पनी से, जब सस्ती खरीदी तो कार्पोरेशन से खरीदी। यह पाप किसने किया? इसको घाटे में कौन ले गया उस समय। आपने तीन हजार करोड़ के लिये कहा, तीन हजार करोड़ का घाटा नहीं सहन कर सकते। यह घाटा हमने अपने ऊपर लिया है। शान से लिया है और हम किसानों को रिलीफ भी दे रहे हैं और आगे भी देंगे।

कल लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य विश्वविद्यालय के बारे में कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं 2007 में तीन विश्वविद्यालय हमने खोले। महापुरूषों के नाम पर खोले, भृर्तहरि जी के नाम पर खोला, दीनदयाल जी के नाम पर खोला। आपने चार साल बाद पुनः नाटक किया कि हम खोल रहे हैं। खोलकर तो हम ही चले गये थे। हम तो ओ एस डी तक नियुक्त करके चले गये थे। आपने उसके बाद में किया और आप कल कह रहे थे कि रुपये नहीं दिये। दुबारा आपने खोले तो फिर पैसा तो देकर जाते, पैसा तो देते आप कम से कम। फिर विश्वविद्यालय के बारे में चिन्ता करते हो।

चिन्ता का माडल तो आपका वह जोधपुर है। लॉ की नेशनल यूनिवर्सिटी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे हैं कि जो यह माननीय सदस्य बोल रहे हैं, यह प्रोफेसर रहे हैं, इनको इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। थोड़ा-सा प्रकाश डाल दें कि रहे हैं कि नहीं रहे?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ऐसा है माननीय सदस्य, मैं तीनों विधाओं में रहा हूं। विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर रहा हूं, प्राइवेट में भी रहा हूं, गवर्नमेंट में भी रहा हूं, तीनों जगह रहा हूं मैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको यह शंका है कि यह नेता प्रतिपक्ष हैं कि नहीं है, इसलिये आप उठ-उठकर बात कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने इनकी योग्यता पर प्रश्न-चिह्न लगाया माननीय सदस्य, अब इनकी डिग्री सुनो, इनके पास कौन-कौनसी डिग्री है।

श्री उपाध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री महोदय, इनके पास में जो डिग्रियां हैं, इनके समझ में नहीं आयेंगी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्षजी, विश्वविद्यालयों की कितनी चिन्ता करते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी में तो डिग्रियां ही बांट दीं इन्होंने और जोधपुर में जो सलेक्शन किये, उसमें जेल में जा रहे हैं। इससे ज्यादा इनका क्या नमूना हो सकता है कि कितने सीरियस हैं यह उच्च शिक्षा के लिये।

अब मैं मेरे दो-चार सुझाव देना चाहता हूं। वह रचनात्मक सुझाव हैं, आपका समर्थन चाहता हूं, ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा। एक तो सभी माननीय सदस्यों की भावना है कि सभी में सरकारी सीनियर हायर सैकण्डरी हो जाएं ताकि उसका लाभ गरीब जनता को मिलेगा। सभी जगह मिलेगा, एक तो यह सुझाव रख रहा हूं।

दूसरा, एक सभी विकास खण्डों में आज नहीं तो कल लेकिन चरणबद्ध तरीके से, जैसे माननीय भैरोंसिंहजी ने किया था, चरणबद्ध तरीके से सभी डिस्ट्रिक्ट्स पर लड़कियों के कालेज खोले थे, वैसे ही सभी विकास खण्डों में कालेज खोले जाएं। भले ही भवन बनाने के लिये विधायकों से और सांसदों से पैसा ले लिया जाये, लेकिन कालेज खोले जायें और इसमें भी एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एस.सी., एस.टी. की रिजर्व कांस्टीट्यूएंसी में पहले खोले जाएं, इसलिये कि वह एस.सी., एस.टी. के जो बच्चे हैं, वह कहीं भी जाकर प्राइवेट में पढ़ते हैं, ज्यादा फीस देते हैं तो छात्रवृत्ति में सरकार को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। इस कारण से सरकार को कम पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिये यह प्राथमिकता से खोले जाएं, यह दूसरा सुझाव है।

तीसरा, सड़कों के टूटने की सब बात करते हैं। जब मैं अध्यापक बना था उस समय छह चक्कों के, छह टायर के ट्रक होते थे। आज 14 टायर, 18 टायर और कई तो 20-22 टायर के ट्रक हो गये, लेकिन थिकनैस वही 20 एम.एम. है। सड़क तो इसीलिये टूटती है। माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सड़कें इसलिये टूट रही हैं कि अभी भी थिकनैस का मापदण्ड हमारा 20 एम एम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि चक्का तो 22 का आ गया, 6 की जगह 18-20 और 22 का चक्का आ गया और दूसरा चाहे जो व्यक्ति सड़क पर पानी गिरा देता है। सरकार की जो सड़क की सीमा है, उसमें मिट्टी डालकर ऊंचा कर देता है और सड़क पर पानी छोड़ देता है। इन दो चीजों को रोकेंगे तो सड़कें आपकी मजबूत रहेंगी, एक यह निवेदन है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इसके साथ ही सड़कों के किनारे नाली बननी चाहिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके चलने में भी सड़क काम में आयेगी, यह तो ठीक है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय गड़करी जी ने जैसे किया एक परसेंट, वह हाइवेज का पैसा पौधों में लगा रहे हैं, आप नालियों में लगाइये। एक मेरी यह भी प्रार्थना है।

मेरा चौथा सुझाव है वह जनसंख्या नियन्त्रण की बात है। एक कर्मचारियों पर तीन वर्ष का डण्डा लगा हुआ है, लेकिन वह पाइंट जीरो वन परसेंट है। यहां तो खाद्य सुरक्षा लेने वाले 69 परसेंट हैं और इंडीकेटर हमारे ऐसे हैं आजादी के समय माननीय उपाध्यक्षजी, 8 परसेंट शिक्षा थी तो 33 करोड़ लोग अनपढ़ थे और आज 35 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, तो कांग्रेस का नमूना तो यही है। जितने छोड़कर गये थे उससे भी ज्यादा अनपढ़ हो गये। उसका कारण यह है कि हमने इस प्रकार के वर्गों पर नियन्त्रण नहीं किया। इसलिये आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की व्यवस्था है उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाये। मेरे दो ही बच्चे हैं और वह दोनों पढ़ने जाते हैं तो अशिक्षा भी मिटेगी और जनसंख्या भी कंट्रोल होगी, लेकिन उनको दिया जाये, जिनको रियायत दे रहे हैं। सरकारी खजाने से लुटा रहे हैं, उन पर नियन्त्रण किया जाये, न कि कर्मचारियों पर नियन्त्रण किया जाये, इसको वापस लिया जाये। यह भी मेरा एक सुझाव है।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि जयपुर क्षेत्र में पानी की कमी होती जा रही है। यहां सिंचाई के पानी की और पीने के पानी की कमी होती जा रही है। यमुना के बाढ़ के पानी को, जो सीकर जिले का क्षेत्र है, थोई और कांवट का क्षेत्र आपके लगता हुआ क्षेत्र है, वहां लाया जाये, भले ही उसको लिफ्ट करना पड़े। उसके बाद में वह चारों दिशाओं में पानी अपने आप जाएगा। वह यमुना तक भी जाएगा, वह मथुरा तक भी जाएगा, वह सांभर होकर लूणी के माध्यम से बाड़मेर भी जाएगा। इस कारण से यह यमुना का पानी हरियाणा से बातचीत कर लाया जाए।

मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तालियों की गिनती कितनी हुई है? अटल जी से ज्यादा हुई है न। 68 हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपमें और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। आपके भी इतनी ही बजेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 23 फरवरी को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में पढ़ा, उसके लिये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन और यह रास्ता बताता है कि राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में तीन वर्षों में जो प्रगति हुई है, उसकी गणना करें तो कांग्रेस राज का जो समय बीता, उससे हमारा पलड़ा भारी होता है। हर क्षेत्र में विकास की गति राजस्थान में जिस तरह से बढ़ी है और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री का विजन, जो राजस्थान में विभिन्न आयामों को छूने के लिये विभिन्न कार्यक्रम करके एक नया आयाम स्थापित करने का जो प्रयास किया है, उसका यह अभिभाषण में पूरा-पूरा व्याख्यान किया है, वह बिलकुल सच्चे मायने में राजस्थान सरकार ने जो गुणवत्ता के काम किये हैं, वह इसमें दर्शाये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जैसे ही बीजेपी का राज आया, उसके पहले कांग्रेस ने पांच साल राज किया। उन पांच सालों में इन्होंने बिजली मात्र पांच घंटे दी और हम पांच साल तक कहते रहे। किसान को आपने वादा करके आठ घंटे बिजली देने की बात कही थी, किन्तु आपने पूरे पांच साल में पांच घंटे से एक घंटा भी ज्यादा बिजली नहीं दी, जिसका रिकार्ड आपके बिजलीघर में उपलब्ध है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसको देख लेना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज में आते ही हमने साढ़े छह घंटे किसानों को बिजली दी और सात घंटे रात में बिजली देकर किसान को बिजली से अच्छी फसल पैदा करे, उसके लिये उसको नोन-ट्रिपिंग बिजली देकर रिकार्ड बीट किया है और गांवों में घरों में बिजली देने के लिए यह जो सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर दिख रहे हैं यह आप नहीं लाये, सिंगल फेज की सोच माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया की थी और पूरे राजस्थान में कहीं सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर देखे तो 2003 से 2008 से पीरियड के बीच में बी.जे.पी. के राज में दिखाई दिये। मुख्य मंत्रीजी की सोच थी कि गांवों में, घरों में बिजली हो, हम पैसे तो पूरे लेते हैं और छह घंटे बिजली देकर के काट देते हैं, तो उन्होंने कहा कि गांवों में भी शहरों की तरह 22 घंटे और बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली देकर के एक नया आयाम स्थापित किया माननीय वसुन्धरा राजे सिंधिया ने।

(श्री केसाराम चौधरी)

राज्य में वर्तमान में 17,580 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता स्थापित है और इसको बढ़ाने का काम कर रही हैं और वसुन्धरा जी ने जिस बात को कहा है कि आने वाले दो साल में इस राज्य को, किसान को आठ घंटे बिजली देने की तत्परता के लिए 2800 मेगावाट राज्य के क्षेत्र की परियोजना के कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। यह जो परियोजनाएं प्रगति पर चल रही हैं, वो योजनाएं प्रगति पर आते-आते कार्य में परिणत हो जायेंगी तो किसान को बिजली देने में भी सुलभता रहेगी।

गत तीन वर्षों में 4752 मेगावाट उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसी का प्रतिफल है कि हम किसान को साढ़े छह घंटे और सात घंटे रात में बिजली दे पा रहे हैं। गत तीन वर्षों में 765 किलोवाट के 2 जी.एस.एस., 400 मेगावाट के 4 जी.एस.एस., 220 मेगावाट के 26 जी.एस.एस., 132 के.वी. के 45 जी.एस.एस. और 33 के.वी. के 768 जी.एस.एस. चालू कर चुके हैं।

मैं विद्युत मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तत्परता से मेरे क्षेत्र में भी एक 33 और एक 32 के लिए जो प्रयास किये हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 33 किलोवाट के जी.एस.एस. की स्वीकृति जारी कर दी और 132 के लिए भी डी.पी.आर. बन रही है, निश्चित रूप से वापारी या मांडा में यह 132 का जी.एस.एस. लगेगा। यह हमारी सरकार का विजन है।

गत तीन वर्षो में अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में, इनमें 1406 मेगावाट पवन ऊर्जा से बिजली पैदा हो रही है और 634 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन, वर्तमान में कुल 5546 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित हैं। इस तरह से आने वाले समय में राजस्थान बिजली में न कि आत्मनिर्भर होगा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देने में सक्षम होगा। मेरा ऐसा मानना है।

गैर आबादी क्षेत्रों में छितराई हुई ढाणियों के कनेक्शन देने में मुख्य मंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना, आपने कभी गरीब के घर में एक दीपक जलाने की चेष्टा नहीं की, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना चालू करके गरीब के घर में नि:शुल्क दीपक जलाकर के यह काम किया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं। उस गरीब ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के अन्दर भी कभी लाइट आयेगी और मेरे घर

(श्री केसाराम चौधरी)

के अन्दर एक चिराग जलेगा। आज वो गरीब इतना खुश है, नि:शुल्क मीटर लग रहे हैं और वह किसान और गरीब यह दुआएं दे रहा है कि हमने भी कभी सोचा था कि हमारे बच्चे भी कभी लाइट के अन्दर पढ़ेंगे, वो सपना अगर किसी ने साकार किया है तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने किया है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में 2805 करोड़ की 33 परियोजना के कार्य प्रगति पर हैं। गांवों और ढाणियों में बी.पी.एल. परिवार को 7.60 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

माननीय मुख्य मंत्री की सोच है कि किसी गरीब के घर में अंधेरा नहीं रहे, सब के घर में बिजली लगे। देश आजाद हुए 70 साल हो गये मगर आज भी गरीब अंधेरे में बैठा है, गरीब चाहता है कि मेरा बच्चा भी उजाले में पढ़े, उसके लिए यह जो प्रयास किये जा रहे हैं इनकी निश्चित रूप से भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए।

राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को 88914 घरेलू कनेक्शन, 445 गांवों में बिजली पहुंचाई गयी है, यह एक कीर्तिमान है इस तीन साल के पीरियड में राज्य में किसानों को 1 लाख 18 हजार 578 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। अनुसूचित जातियों के किसानों को 24548 बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं।

इसी तरह से किसानों ने जो बिजली के फार्म भर रखे हैं और किसान के खेत पर बिजली का कनेक्शन नहीं होता था, उसके लिए भी माननीय विद्युत मंत्रीजी ने कि किसान के बेरे पर बिजली लगे, वो कुएं पर रहता है और उसके घर में उजाला नहीं होता है तो कोई बिजली के बिना तो नहीं रहेगा, उसके पास बिजली है तो वो उसमें से बिजली चलाता है, इस सोच को समझ कर के किसानों के बेरों पर लाइट देने की जो व्यवस्था की है, मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। क्योंकि किसान पूर्ण रूप से अपने खेत में बसता है और खेत में बसने के कारण से उसे बिजली नहीं मिल पा रही है, छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर लगाकर के उसको भी बिजली मिले, ऐसी जो व्यवस्था सरकार ने की है उसके लिए मैं किसानों की तरफ से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

19 अक्टूबर, 2011 में बिजली विभाग की वित्तीय स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, उस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए आपने मंत्रिमण्डल की

(श्री केसाराम चौधरी)

बैठक बुलाकर के यह देखा कि इस बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मंत्रिमण्डल ने, नियामक आयोग ने जो भी प्रस्ताव दिया उस पर आपने एग्रीमेंट कर दिया कि हर वर्ष बिजली की रेटें बढ़ानी पड़ेंगी। आपने बिजली की रेटें बढ़ायीं और हर साल रेट बढ़ाने का जो काम किया, नियामक आयोग किसी की सुनता नहीं था। आपने उनसे यह भी वादा किया था कि हम टी एण्ड डी लोसेज, ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन लोसेज कम करेंगे मगर आपने लाइन लोसेज कम करने के लिए 11 किलोवाट की लाइनों पर एक भी मीटर नहीं लगाया, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इन लाइन में कितना लोस हो रहा है? हमारी सरकार ने 11 के.वी. की लाइनों पर मीटर लगा करके कि उस फीडर में कितना लोस हो रहा है, कितनी बिजली चोरी हो रही है और लाइन लोसेज कितना है, इसको जानने के लिए हर 11 के.वी. फीडर पर मीटर लगाकर के टी एण्ड डी लोस कम करने का जो काम किया है उसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

इसी का कारण है कि कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने रेट बढ़ाने का जो फैसला लिया उस फैसले के अनुसार रेटें भी बढ़ानी पड़ीं और बढ़ाने के बाद हमारी सरकार ने, हमारी मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि उन्होंने रेट को कम करने की जो घोषणा की है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के 16 सितम्बर से बढ़ी हुई दरें वापस लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो आपकी दुआ थी, आपकी दुआ के कारण से यह रेटें बढ़ानी पड़ीं और हमारी मुख्य मंत्री के विजन के कारण से, उन्होंने कहा कि मैं राज के खजाने से पैसा दूंगी मगर राजस्थान के किसान को बिजली से नहीं डूबने दूंगी, ऐसा कार्य हमारी मुख्य मंत्री ने किया है।

बूंद-बूंद कृषि कनेक्शन को पांच वर्षों के बजाय तीन वर्ष में साधारण कनेक्शन में परिणत करने का काम किया है। आपने जो काम किया था, पांच साल में उस कनेक्शन को साधारण कनेक्शन के रूप में परिणत करते थे उसको अगर तीन साल में किसी ने परिवर्तित करने की घोषणा की है तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है।

सिविल लायबिलिटी की अवधि दो माह के लिए कर दी है जिससे किसान उसकी लायबिलिटी को दो माह में किसी तरह से दूर कर सकता है।

अकारण बढ़े लोड को समाप्त तथा विद्युत में 20 परसेंट एवं पांच

(श्री केसाराम चौधरी)

एच.पी. तक लोड चैकिंग में छूट दी है, नहीं तो आपकी सरकार थी, विजिलेंस का इंस्पैक्टर आता, फट से कहता, आपकी मोटर पांच की नहीं साढ़े सात की है, आपकी मोटर साढ़े सात की नहीं दस की है। इस तरह से आपने किसान को किसी तरह से लूट-खसौट करके उलटे रास्ते से पैसे निकालकर किसान की जेब के ऊपर हाथ डाला है। इसीलिए आप इस तरफ बैठे हैं, इसका यह मूल कारण है।

किसान को कृषि कनेक्शन जिले में कहीं भी स्थानान्तरण करने का जो अधिकार दिया है, किसान के कुएं में पानी सूख जाता है, किसान उस कनेक्शन को लेकर के बैठा रहता है बिना चलाए हुए बिजली, क्योंकि कुएं में पानी नहीं है। उसकी मोटर नहीं चलती है। लेकिन उससे आप पैसे चार्ज करते थे। मुख्य मंत्रीजी ने यह फैसला लिया कि किसान अपना कनेक्शन जिले में जहां भी उसकी जमीन है, कुआं है, उस पर स्थानांतरित कर सकता है। यह भी बहुत ही तारीफे काबिल है।

छीजत में कमी हेतु मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत रिजल्ट आए हैं। इसमें जो फीडर सुधार करने थे, टीएंडडी लोसेज कम करने थे, वह किए। उसमें जो झूलते हुए तार थे, कहीं भी ग्रामीणों के घरों के ऊपर से लाइनें निकल रही थीं, आधे पैसे लेकर के वह तार हटाने का काम हमारी राजस्थान सरकार कर रही है।

मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों को राहत देने का काम किया है। इसके लिए पूरा राजस्थान का मंत्रिमण्डल बधाई का पात्र है कि वह किसानों के हित की बात सोचता है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में केन्द्र मद से 4,777.68 करोड़ रुपए व्यय करके विकास के नए आयाम विकसित किए हैं। हर ग्राम पंचायत में पैसे भेजकर के, गांवों की ऐसी कोई गली नहीं बची है, जिसमें विकास के कार्य नहीं हुए हैं। आप आकर के देखना, चलिए, दिखाऊंगा सड़कों को।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): वह पैसे तो केन्द्र से आते हैं। आपका क्या लेना-देना है?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): वह गांव अपना नहीं है? जिस

(श्री केसाराम चौधरी)

गांव में सड़क बन रही है वह गांव आपका नहीं है? वह राजस्थान के लिए पैसा आता है। सेन्टर में राज किसका है? वह भी सोच लो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आसन को संबोधित करें माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं सभी को संबोधित कर रहा हूं। अभी संसदीय सचिव जी ने कहा था कि सौ चूहे खाकर के बिल्ली हज को चली। यह बिल्ली हज को पहुंचेगी या नहीं? वापस आएगी कि नहीं? यह बिल्ली कहां जा रही है? पता नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): शेर बन गई।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): समय का इंतजार करो।

(15.23 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): हज करके आएगी या नहीं? यह बता दो।

प्रधान मंत्री आवास योजना, ग्रामीण का शुभारंभ, इसमें 3,176.10 करोड़ रुपए व्यय करके 7 करोड़ 88 हजार 218 आवास पूर्ण करके मिसाल कायम की है। यह दिल्ली की सरकार का काम है।

मगरा विकास कार्यक्रम में 150 करोड़ के 2,470 कार्य पूर्ण कर दिए हैं। मेरे यहां मगरा विकास की 9 ग्राम पंचायतों में जो कार्य स्वीकृत किए हैं, मैं मगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष जी को भी इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना में 309 करोड़ 69 लाख व्यय करके 3,028 कार्य पूर्ण किए हैं। इसमें जनता की भागीदारी होती है। इस कार्य को भी आपने बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने वापिस आकर के इस कार्य को चालू किया है। जिससे कि विकास की गति आगे बढ़ रही है।

इसी तरह से महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2014-16 तक 57 करोड़ 80 लाख मानव दिवस सृजित किए। 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक 10,144 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महात्मा गांधी नरेगा में विधायक कोष को भी सम्मिलित करके विधायक कोटे को भी बढ़ाने का काम किया है। कुछ माननीय सदस्य बता रहे थे कि 56 लाख रुपए विधायक कोष के भी जल स्वावलंबन के लिए रोक दिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं

(श्री केसाराम चौधरी)

कि जल स्वावलंबन के लिए पैसे लग जाएं तो कौनसा बुरा कार्य किया है? आपने जल स्वावलंबन के लिए विधायक कोष से कितने पैसों की स्वीकृति दी है? कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के बता दे। इसमें एक रुपए की स्वीकृति नहीं देते और कहते हैं कि एमएलए कोटे का पैसा रोक दिया। एमएलए कोटे का पैसा जल स्वावलंबन में 54 लाख और 60 हजार के कार्य...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बारी आएगी तब बोल लेना।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन के कार्य जो मुख्य मंत्रीजी के विजन के कारण प्रदेश में चालू किए हैं, आज उसी का प्रतिफल है कि हर क्षेत्र में, हर कुएं में पानी का जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर बढ़ने से हर तालाब में पानी है। खेत का पानी खेत में रुकने से कुओं का जल स्तर बढ़ा है। यह हमारी मुख्य मंत्रीजी का विजन है। लेकिन यह आपको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इससे किसान का भला हो रहा है।

आपने किसान के लिए 70 साल में कुछ नहीं किया और अब बोल रहे हैं कि यह तो ऐसा है, वैसा है। आपने तो काम किया है बहुत बड़ा, आपने तो जाते-जाते महानरेगा की लूट-खसोट की है। 7 अरब रुपए महानरेगा में साड़ी, कंबल बांटने के लिए आपकी सरकार ने 33 जिलों में भेजे। अगर उसकी गणित निकाली जाए तो 5 अरब रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 2 अरब रुपयों का अभी तक कोई हिसाब नहीं है। 2 अरब रुपए जिला परिषदों के सीईओ के पास पड़े हैं। वह पड़े हुए क्या करेंगे? सीईओ को पूछा कि कहां हैं, तो वह कहते हैं कि पंचायतों में पड़े हैं। पंचायतों ने किस तरह से बांटे? आप ताज्जुब करेंगे। 7 अरब रुपया लूट-खसोट में चला गया।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): उनको जेल भेजो ना।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जेल भेजने का नम्बर आ जाएगा। आपने तो 1 करोड़ 34 लाख 52 हजार 116 क्विंटल आटा, जो कि गरीबों को बांटने के लिए था, उसको आप राजस्थान में चैक तो करो कहां बांटा? आपके गांव में जाकर के पूछना। आपको पता लग जाएगा। प्रत्येक एमएलए गांव में जाकर के पूछे। गरीब का आटा कहां गया? किसके पेट में है? आपरेशन करो। जेल में बैठे हैं। मालूम नहीं है? आपरेशन किया न, इसीलिए तो जेल में हैं।

सभापति महोदय, 350 करोड़ रुपए के 12,388 जल संरक्षण के कार्य

(श्री केसाराम चौधरी)

मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना के अन्दर हुए हैं। अगर देखने हैं तो मेरे क्षेत्र में आना। अरावली पर्वत में किस तरह से खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। आप देखकर के ताज्जुब करेंगे। यह मुख्य मंत्रीजी का विजन था इसलिए उन्होंने इस कार्य को किया। छोटे-छोटे एनीकट बनाकर के पानी को रोका और उससे जल स्तर बढ़ा है।

इसी तरह से पीने के पानी के लिए घरों में कनेक्शन करने की, 4 हजार की जनसंख्या जहां पर हो उस गांव में नल का कनेक्शन करने की व्यवस्था है। हमारी सरकार ने इस योजना में मेरे क्षेत्र के गांवों को जोड़कर जो लाभ दिया है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। जल संसाधन मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें निवेदन करता हूं कि बाता गांव जिसकी जनसंख्या 5 हजार के करीब है, उसको भी पाइप लाइन से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि यह भी उस योजना में लाभान्वित हो सके।

पनघट योजना, ट्यूबवैल या कुआं जो होता है, हौदे में पानी भरते हैं और जहां आबादी 4 हजार से कम है, वहां पर यह योजना होती है। उनमें भी अब की बार जो रिकार्ड बीट किया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। 5 आर.ओ. (रिवर्स ओसमोसिस) मेरे क्षेत्र में लग चुके हैं। आपने देखा है कि एटीएम से पैसे निकलते हैं। उससे व्यक्ति पैसे निकाल सकता है। मगर आप आर.ओ. पर अपना एटीएम लेकर के जाएंगे तो 20 पैसे में एक बिसलरी की बोतल भरकर के आपको पानी दे देगा। ऐसी योजना आपने कभी गांवों में देखी भी नहीं। कभी आपने गांव की सुध भी नहीं ली। लेकिन ऐसी योजना हमारी मुख्य मंत्रीजी ने चालू की है। (व्यवधान) आपका नम्बर आए तो बोल देना, मैं कभी आपके बीच में थोड़े बोलता हूं।

ऐसे संयंत्र मेरे क्षेत्र में 5 जगह हैं, 2016 में 2 प्लांट खारची और चिरपटिया में और मार्च, 2017 में सूर्य नगर और बोरीमादा में यह लगने वाले हैं, जिसमें जैसे अपना एटीएम कार्ड है उस तरह का कार्ड बनाकर उसमें पैसे डालेगा, फट मशीन पर कार्ड लगाएगा, अगर एक रुपए का पानी चाहिए तो पांच लीटर पानी खट से मशीन दे देगी और उसके खाते में से एक रुपया कम कर देगी, यह ऐसी योजना है।

सौर ऊर्जा प्लांट, मेरे क्षेत्र में जिन गांवों में बिजली नहीं हैं, वह कभी

(श्री केसाराम चौधरी)

कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे भी पानी की टंकी लगेगी और पानी सूर्य की ऊर्जा से पम्प चलेगा और उस टंकी में पानी भर जाएगा और पानी फिल्टर होकर के अपने गांव के गरीब लोगों को जहां पर बिजली नहीं है ऐसे लोगों को मिलेगा, ऐसी व्यवस्था मेरे क्षेत्र में 20 गांवों में, इनमें से 19 प्लांट लग चुके हैं, एक प्लांट डिस्प्यूट में है वह भी इस मार्च तक कैसे भी करके मार्च तक चालू कर दिया जाएगा।

रानी आर ओ, केरली डिस्ट्रीब्यूटर मार्च तक लग जाएगा। सोलर रानी में पांच प्लांट लगे हैं, लग चुके हैं। गुढा धौलजी, भगवानपुरा स्टेशन तथा जीएलआर मरम्मत और रिप्लेसमेंट के लिए, जीएलआर की मरम्मत और उसके लिए मेरे क्षेत्र के फिल्टर प्लांट मरम्मत, रिप्लेसमेंट के लिए, यह सभी प्रस्ताव बनाकर मंत्री महोदय, महोदय, मुख्य मंत्री महोदय, उनको भेजे हुए हैं, उनको स्वीकृत करने से मेरे जीएलआर और एसआर टैंक नहीं है उनमें भी वह...

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करने की ओर बढ़ें, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जवाई पाइप परियोजना से 2010 में मेरे क्षेत्र के 113 गांवों को पानी देना था। हमारी सरकार ने भरपूर प्रयास करके 33 गांवों को पानी दे दिया मगर वहां दो-तीन गांवों में पानी नहीं जा रहा है उसमें पाइप लाइन लगाने का जो काम हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है, उसकी पाइप लाइन हम्मीरवास, मुसालिया, सिंनला, इन तीन गांवों में अभी भी पानी नहीं जा रहा है इसको दुरुस्त करने की मांग करता हूं और जो मारवाड़ जंक्शन के मेगा के द्वारा 143 करोड़ का जो प्लान है उसका अभी तक पूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है, 2015 तक वहां पानी पहुंचाना था, मारवाड़ जंक्शन के 82 गांवों में वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, निवेदन करता हूं कि मेगा जो एजेंसी है उसको टाइट किया जाए और मारवाड़ जंक्शन तक मार्च तक जो पानी पहुंचाया जाना है उसको मारवाड़ जंक्शन और गांवों में पानी पहुंचाकर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करेंगे।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापतिः श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कहें या आने वाले साल भर का सत्ता पक्ष का आइना कहें, उस पर दो दिन से चर्चा चल रही है। उस चर्चा में चौथा साल चल रहा है फिर भी सत्ता के लोग वही पुरानी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया तो इनके यह हाल हुए हैं। जब चौथा साल चल रहा है, कम से कम अपनी खुद की बात तो कहनी चाहिए कि हमने चार साल में यह कर दिखाया, हमने चार साल में यह कर दिखाया।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के मेरे वरिष्ठ साथी विधायक हैं, उनकी मन की कई बातें हमने सुनीं। मन की बात करते हैं प्रधान मंत्रीजी, विराट नगर से, अलवर से, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ से आने वाले माननीय साथी हैं, सांगानेर से आने वाले साथी अध्यक्ष से अपील कर रहे थे कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। साथ ही कई मेरे सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं, आपने अपने अभिभाषण में फरमाया कि मैं चौथी बार जीता हूं, यह मन की बात है कि चौथी बार जीता है विधायक कम से कम उसे तो सत्ता पक्ष का मंत्री पद का या और तोहफा मिलना चाहिए। यह मन की बातें हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि एक प्रतिष्ठित विधायक को, जो मंत्री रहे हुए हैं उनको बोलने का समय नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हमारे संगठन के अन्दर, पार्टी के अन्दर आंतरिक स्वतंत्रता है, यह किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह की पार्टी है।

मेरा माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि बीजेपी महाराष्ट्र की बात चली, महाराष्ट्र में हमने क्या किया, जिस पार्टी के साथ जिसका आपका दर्शन एक, आपकी विचारधारा एक है, पच्चीस साल जिनके साथ रहे और उस पार्टी को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इससे धोखेबाज कोई दूसरी पार्टी नहीं है।

तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम अपने आइने पर देखें, अपने मानस पटल पर देखें कि इस तरह की जो छींटाकशी जो हम प्रतिपक्ष पर कर रहे हैं, हम कैसे हैं, हम खुद कैसे हैं? हमारा चाल चरित्र कैसा है? हम सत्ता में अन्दर कुछ बात करते हैं, बाहर आकर कुछ और बात करते हैं, बिलकुल ही दोगला चरित्र है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप भले ही कितनी ही तालियां दे दो, डेढ़ साल बचे हैं, डेढ़ साल बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें आप कह रहे हैं कि 21-22 जीते, चुनाव 163 जीतने के बाद, 4-6 महीने के बाद उप चुनाव हुए और उनमें चार में से तीन पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते तो आप समझो कि 4-6 महीने में आपकी यह हालत हुई है तो पौने चार साल में प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है?

माननीय सभापति महोदय, यह एक विचारणीय विषय है कि तीन साल बेमिसाल, एक बिलकुल जलसा मनाया गया और हमारे सत्ता पक्ष के मंत्री लोग, जो प्रभारी मंत्री हैं, अपने-अपने जिलों में पहुंचे। मैं हकीकत बयान करना चाहूंगा कि जिम्मा किसके दिया गया? जिम्मा उन लोगों को दिया गया, बीडीओ को कहा गया कि आंगनबाड़ी की सभी महिलाएं आनी चाहिए, सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आनी चाहिए, ग्राम सेवकों को कहा गया कि एक-एक गाड़ी भरकर लाना है फिर भी कुर्सियां खाली रहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब ऐसे हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं तो किस मुंह में तीन साल बेमिसाल का आप आयोजन कर रह हो, कार्यक्रम चला रहे हो?

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो स्थितियां बनी हैं, आप कह रहे हैं कि हमने ऐसे बेमिसाल कार्य किए हैं, अगर सभी सत्ता पक्ष के मेरे विधायक साथी बोल रहे थे कि यशस्वी मुख्य मंत्री ने यह किया, यह किया, एक भी काम आप गिना दो, यह काम हमने किया है, मैं आगे बताऊंगा कि आपने सवा तीन साल में क्या-क्या काम किए हैं। आपने जिस तरह की बातें कही जा रही है कि पारदर्शी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जवाबदेह सरकार है, किस तरह की जवाबदेह सरकार है? किस तरह की संवेदनशील सरकार है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा।

मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो भी सत्ता पक्ष के सदस्य बोलें, कम से कम अपने क्षेत्र की बात रखें, सरकार के सामने, अब मौका आपका है, अब तो सवा डेढ़ साल बचा है, डेढ़ साल में भी अगर आप खरी-खरी नहीं कहेंगे, अब तो आपका मंत्री में नम्बर आने वाला नहीं है तो अब क्यों चापलूसी कर रहे हो, अब क्यों चमचागीरी कर रहे हो, खुली बात कहो, माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, भले ही आप यशस्वी कहो, दो बार यशस्वी कहो परन्तु आपके

(श्री सुखराम विश्नोई)

क्षेत्र में जो काम नहीं हुए हैं, आपके जो काम अटके हुए पड़े हैं, आपकी सुन नहीं रही हैं, आपसे मिल नहीं रही हैं, कम से कम यह बात तो आप रखो तो जरूर हमारे संसदीय सचिव उस बात को मुख्य मंत्री तक पहुंचाएंगे कि इस विधायक की नाराजगी है, इस विधायक की नाराजगी दूर करो। यह स्पष्ट है कि राजस्थान में जब राज्य सभा का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में कई नाराज विधायक थे, उनको मनाया गया, उनको पद दिया गया, उनको सम्मान दिया गया तो मेरे साथी विधायकों मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री तो फिर भी कुछ न कुछ करके जीत जाएंगे लेकिन आप जो लोग जो बैठे हुए हैं वह तो कम से कम मन की बात कहो। मन की बात कहकर और बिलकुल कठोर बात कहो, और कठोर बात कहेंगे, सही बात कहेंगे, समय है, सही बात कहेंगे तो संसदीय सचिव बात पहुंचाएंगे, तभी जाकर के आपके जो यशस्वी मुख्य मंत्री आपकी बात सुनेंगी और आपके काम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक विकास की बात है या पारदर्शिता की बात है या जवाबदेही सरकार की बात है, इसी साल जब यहां आये थे तो मंत्रिमण्डल में पद दिये थे कई के पोर्टफोलियो चेंज हुए, कई को हटाया गया, मेरे एक साथी आते हैं निम्बाहेड़ा से, मेरी कमेटी के अध्यक्ष रहे, उनको वाकई में तोहफा मिला...(व्यवधान) एमएलए नहीं बोल रहे हैं, आप भले ही बोलो। आपका तो पद छीना नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? रिणवा साहब बोले तो अलग बात है, आप क्यों बोले? मेरा निवेदन है कि जरूर-जरूर कुछ ऐसे घटनाक्रम इस साल भर में चले हैं। हमारे पूर्व जलदाय मंत्री हैं, उनका मंत्रिमण्डल छीना गया। राजेन्द्र राठौड़ जी का तो कुछ हिसाब से बढ़ा भी है क्योंकि पंचायती राज महकमा बड़ा महकमा है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभिभाषण पर बोलो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): बोल रहा हूं ना। भिण्डाजी किस पर बोले थे? बोल रहा हूं। आपका फायदा कर रहा हूं, क्या नुकसान कर रहा हूं? आप मंत्री हैं क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): किसका फायदा, किसके नुकसान की बात नहीं है, लेकिन यह सदन सुन रहा है, राजस्थान सुन रहा है कि आप बोल क्या रहे हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चुप बैठो। अमराराम जी बैठे हैं। अमराराम जी बैठे हैं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है आपको।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कम से कम क्या बोल रहे हैं यह तो पता लगना चाहिए। इस मंत्रिमण्डल में यह हुआ, इस मंत्रिमण्डल में यह हुआ, उससे आपका क्या लेना-देना है? आप महामहिम के अभिभाषण पर बताइये। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हम किस विषय पर बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कर रहे हैं, कर रहे हैं। आप विराजो। अब तो डेढ़ साल कुछ होने वाला नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डेढ़ साल हो या दो साल हो, आप अपनी बात कहो, अभिभाषण के सम्बन्ध में कहो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कह रहा हूं ना बात। आपको चुभ रही है क्या बात?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरे को नहीं चुभ रही है। राजस्थान की जनता सुन रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में तकरार न करें, बैठें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्यों मिर्ची लग रही है फालतू आपको?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मिर्ची आपको लग रही है, आपको पता ही नहीं कि क्या बोलना है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं तो आपको मंत्री बता रहा हूं, मिर्ची क्यों लग रही है आपको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, आसन से यह व्यवस्था आ जानी चाहिए कि मिर्ची है क्या? मिर्ची असंसदीय शब्द है या नहीं है? यह रोज-रोज मिर्ची बहुत परेशान कर रही है। दो दिन सदन चल रहा है। दो दिन से मिर्ची कभी उधर से चली, कभी इधर से चली। सभापति महोदय, इसको डिफाइन कर ही दो कि मिर्ची क्या है?

श्री सभापति: मिर्ची परेशान करती ही है, उसका काम यही है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप कौनसे गुट में हो, अशोक जी के गुट में हो या पायलट साहब के गुट में हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हमारे तो गुट कोई नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखो। हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ध्यान रखो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमारी तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात करो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं तो आप विधायक साथियों की मन की बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: आप मन की बात करो, मिर्ची की बात मत करो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हां, मन की बात करेंगे। माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि जिस तरह से विभाग बदले गये और जिस तरह से पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, आज से चार महीने पहले राजमहल पैलेस का गेट खोलने का मामला चला। मेरा निवेदन है कि राजमहल पैलेस का गेट भले ही खोलो, लेकिन इसके साथ-साथ 400 बिल्डिंग सील कर रखी हैं उन 400 बिल्डिंग की लोगों ने कोर्ट में अपील कर रखी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो 400 गरीब लोग हैं, जिनकी बिल्डिंग सील कर रखी है और जो कोर्ट में गये हैं उनकी कमेटी बनाकर कम से कम उनका निस्तारण किया जाय ताकि उन लोगों को रिलीफ मिले और वे काम कर सकें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजमहल की जो पत्रावली थी, पारदर्शिता की बात है, जेडीए में वह पत्रावली पूरी की पूरी गायब हो गयी। पत्रावली आज तक नहीं मिली। उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, न किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई। ऐसे हालात में मेरा निवेदन है कि जो स्थिति है, पूरा घटनाक्रम तीन-चार दिन चला और जिस तरह का दबाव मुख्य मंत्री व जेडीए मंत्री पर आया। मेरा निवेदन है कि उसका पूरा खुलासा होना चाहिए। पहले जेडीसी कह रहे थे कि हम बिलकुल सही हैं, सही चल रहे हैं, कोर्ट का निर्णय खिलाफ आता है, कोर्ट कहती है कि जेडीए वापस उनके मकान का पुनर्निर्माण करें। मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो कार्यवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जो गलत कार्यवाही की गयी है, जान-बूझकर राजपरिवार का अपमान किया गया है। ऐसे अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि इस तरह से मनमर्जी से कोई आदेश न हो। पूरे राजपूत समाज की भावना को आहत किया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आइंदा इस तरह की कार्यवाही कोई एक अधिकारी न करे, इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए।

(श्री सुखराम विश्नोई)

सभापति महोदय, जिस तरह से पारदर्शिता की बात की जा रही है। जहां तक पूर्व जलदाय मंत्री की बात है, एक एसपीएमएल कंपनी है जिसका मेरे वहां सांचौर के अन्दर पीएचईडी का ठेका चल रहा है। वहां के जालौर के एमपी ने पूर्व मंत्रीजी को शिकायत की थी कि यहां का जो मालेश्वर टैंक बन रहा है उस टैंक में जगह-जगह क्रेक आ गयी, दरार आ गयी। मैंने खुद ने देखा है, मंत्रीजी खुद वहां थे। खुद ने देखा और कहा कि हम जांच कराएंगे। आज दिन तक कोई जांच नहीं हुई। दुबारा मंत्रीजी पधारे तो हमने निवेदन किया कि कम से कम जो क्रेक आयी हुई थीं, दरारें आयी हुई थीं इसको ठीक कराने के लिए कमेटी बनायी जाय। कोई कमेटी नहीं बनायी, न किसी तरह की जांच हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस बात को लेकर माननीय पूर्व मंत्रीजी को हटाकर दूसरे को चार्ज दिया गया। इनके ओएसडी रहे गुप्ता साहब, उनके घर पर लाइन चली गयी। कैसे लाइन चली गयी? रिपोर्ट आयी कि लाइन गलत डाली गयी। जब लाइन गलत डाली गयी, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च हुए। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा किया? वे पाइप तो निकाल दिये, परन्तु पाइप निकालने के बाद उन पाइप को कहां रखा? वह खर्चा किसने दिया? बाकायदा फौजदारी मुकदमा होना चाहिए अधिकारियों के खिलाफ में। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह का वातावरण बनेगा।

अभी फ्लोराइडमुक्त पेयजल की बात कर रहे थे। पिछले तीन साल में जो आर.ओ. प्लांट लगाये उनमें से करीब आधे से ज्यादा मेरे क्षेत्र में खराब हो गये। मैंने प्रश्न लगाया तो तत्कालीन मंत्रीजी ने कहा कि विधायक की एक कमेटी बनाएंगे और तमाम आर.ओ. प्लांट का जाकर निरीक्षण करेंगे। न तो कमेटी बनायी और न आर.ओ. प्लांट की जांच की। आप मौके पर पधारें, कम से कम कमेटी बनाएं ताकि जो-जो आर.ओ. प्लांट खराब पड़े हैं, दो साल में खराब हो गये। दो साल में खराब होने का कारण क्या है? घटिया सामग्री लगायी गयी है। उसमें ज्यादा कमीशन दिया गया है। कमीशन ज्यादा देने से प्लांट मशीनरी हल्की लगी। मशीन हल्की लगने से वह प्लांट खराब हुआ है।

मेरा निवेदन है कि जिस तरह से पारदर्शिता की बात की जा रही है। एसपीएमएल कंपनी है उस कंपनी को जलदाय विभाग की भरतपुर की स्पेशल प्रोजेक्ट विंग है उसने खुलासा किया था कि इन्होंने ठेकेदार को फायदा देने के लिए 192 करोड़ का काम वापस ले लिया। इसी एसपीएमएल कंपनी से वापस दूसरी कंपनी को दे दिया 262 करोड़ रुपये में। 70 करोड़ का घाटा दे दिया।

(श्री सुखराम विश्नोई)

जो कंपनी 192 करोड़ रुपये में कर रही थी उससे वापस लेकर इसी एमपीएल को 262 करोड़ में दे दिया। लोगों ने शिकायत की तो तत्कालीन मंत्रीजी ने कहा कि रेट बढ़ गयी, वह बढ़ गयी, इसलिए हमने इस चीज को वापस दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की जो बातें हुई हैं वे लोगों के सामने आनी चाहिए। पूर्व जलदाय मंत्रीजी को क्यों हटाया गया और एसपीएल कंपनी से इनका क्या नाता है? एसपीएल कंपनी का खुद का कर्मचारी रिश्वत देने गया था। 12-13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पैनल्टी लगायी गयी है। अभी वर्तमान मंत्रीजी कह रहे थे हमने इतने पैसे वसूल कर लिये। लोग बिल पास कर रहे हैं, एक तरफ पैनल्टी लगा रहे हैं, पैनल्टी को वसूल नहीं कर रहे हैं और बिल का भुगतान कर रहे हैं। यह जो घटनाक्रम हुआ है इसकी भी जांच करनी चाहिए ताकि पता चले कि वाकई में क्या स्थिति है।

अभी जो अभिभाषण पेश किया गया, यह जो बुकलैट है यह चौथे साल में बिलकुल छोटी हो गयी है। पहले साल की देखो, दूसरे साल की देखो, तीसरी देखो, चौथी में बिना मन का लिखा गया भाषण है, तैयार करके बुलाया गया भाषण है। इस पूरे अभिभाषण में पश्चिमी राजस्थान की रिफाइनरी की आशा थी, राजस्थान को बाम्बे हाई के बाद में तेल उत्पादन के क्षेत्र में 9 लाख टन वार्षिक उत्पादन हो रहा है और घरेलू उत्पादन का बाम्बे हाई के बाद में दूसरा स्थान है। 24 परसेंट उत्पादन अकेले बाड़मेर जिले से हो रहा है। इसके साथ-साथ प्राकृतिक गैस है, तेल है। करोड़ों रुपये की रायल्टी के रूप में, राजस्व के रूप में राजस्थान सरकार को दिये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान से कांग्रेसी विधायक ज्यादा जीते हैं और पश्चिमी राजस्थान से तो हम तीन विधायक ही जीते हैं और वहां के लोगों को बहुत सारी आशाएं बी.जे.पी. से थीं कि हमारे रिफाइनरी बनेगी। जब वहां जोधपुर डिवीजन से 33 में से 30 विधायक जीते हैं और जीतने के बाद पहले अभिभाषण में कहा कि हमने रिफाइनरी के लिए इतना बजट स्वीकृत किया है और जो रिफाइनरी है उसकी हम चारदीवारी बनायेंगे, उस जमीन को रोकेंगे। परन्तु दूसरे अभिभाषण में बात गायब, थोड़ी-थोड़ी बोली। उसके बाद तीसरे में बिल्कुल गायब हो गई और चौथे पूरे अभिभाषण में कहीं भी रिफाइनरी का वर्णन नहीं है। इसके अलावा जहां बाड़मेर में तेल निकल रहा है उसका स्टोरेज बीकानेर में होगा यह कर दिया। यह एक असम्भव बात है कि एक तुगलकी

(श्री सुखराम विश्नोई)

फरमान जारी कर दिया। उसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा जबकि बाड़मेर में जमीन आलरेडी बहुत पड़ी है। जब बाड़मेर में जमीन पड़ी है तो उस कच्चे तेल को स्टोरेज करने के लिए बीकानेर ले जाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह से जो रिफाइनरी की अवहेलना की गई है और क्यों की गई है इसका कारण क्या है? सभापति महोदय, इसका कारण मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि अम्बानी की जो फैक्ट्री लगी हुई है, कांडला पोर्ट के पास में मूंदड़ा के अन्दर अम्बानी का खुद का पोर्ट है और वहां पर उसकी रिफाइनरी लगी हुई है उसमें वो पूरा का पूरा कच्चा तेल पाइप के जरिये जाता है और वहां रिफाइन करने का कमीशन मिलता है। केवल मात्र माननीय मुख्य मंत्रीजी +++ इस बात को रोककर बैठे हैं कि रिलायंस का कमीशन बन्द हो जाएगा और जब कमीशन बन्द हो जाएगा तो हमने जो चुनाव में खर्चा लिया था, चुनावों में पैसे लिए थे उसका जवाब क्या देंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इस सदन में +++ और रिलायंस का नाम क्यों लिया है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नाम कहां लिया है?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लिया है न रिलायंस का नाम। और किसका नाम लिया है आपने? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप ज्यादा विद्वान हैं हमारे से। आप ज्यादा विद्वान हैं, नीचे विराजो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह +++ को और रिलायंस का कमीशन का कहां से लाये आप? नीचे आप बैठ जाओ। क्या मतलब है, नीचे बैठ जाओ? आप रिलायंस और +++ कमीशन की बात कहां से लाये? (व्यवधान) आपके पास क्या आधार है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ये क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) +++ किसका है? आपका और हमारा, सभी का है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आधार है क्या आपके पास? रिलायंस कम्पनी ने +++ कमीशन दिया, इसका क्या आधार है आपके पास? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): +++ आपके अकेले का है क्या?

श्री सभापति: +++ के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की है तो उसको आप डिलीट कर दें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अब आप डेढ़ होशियारी दिखाने के लिए फालतू खड़े होते हो बार-बार। हमें ध्यान है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वहां जाकर के वकालत करो, यहां क्या है। बार-बार डिस्टर्ब क्यों करते हो, हमें ध्यान है कि आप होशियार हो, सबसे होशियार आप हो पर बार-बार डिस्टर्ब करते हो। (व्यवधान)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आप तो खाली इतना बता दो और हरी मिर्च और लाल मिर्च में फर्क राहुल जी से पूछकर हमको बता दो कि फर्क क्या है। वो कौनसी मिर्ची लगती है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): देखो, आहोर से आने वाले माननीय विधायक, हरी-लाल का जमाना गया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वो तो राजीव गांधी जी से पूछकर बतायेंगे क्योंकि उन्होंने वहां पटना में बोला था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, जब सरकारी मुख्य सचेतक अपनी सीट पर नहीं बैठते हैं तो हाउस का कैसे डेकोरम रहेगा यह आप बताइये। आपको रखना है डेकोरम माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दोनों ही नहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सरकारी मुख्य सचेतक भी अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं।

श्री सभापति: सरकारी मुख्य सचेतक जी, कृपया आप अपनी सीट पर जाएं और वहीं से बोलें आप। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों सदन में बेइज्जती करा रहे हो। मदन सिंह जी राठौड़ साहब, यह आपकी ड्यूटी है और आप इनको पकड़ कर रखा करो। इनको पता नहीं रहता कि मेरी कौनसी सीट है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको पकड़ कर नहीं रखते इसीलिए आप भागते-फिरते हो और आपकी कोई मान नहीं रहा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय, आप तो अपने कमरे में विराजो, ये राठौड़ साहब यहां पर विराजें हैं आप तो नींद लो आराम से जाकर

(श्री सुखराम विश्नोई)

के। क्यों तकलीफ फरमा रहे हो यहां पर। यहां पर राठौड़ साहब बहुत बढ़िया पैरोकारी करते हैं आपकी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जोर-जोर से प्रचार किया जा रहा है प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का। जोगाराम जी, अब भी नाम नहीं लूं क्या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का? माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पहले दो तरह की योजनाएं थीं, एक तो मौसम आधारित बीमा और एक थी फसल की पैदावार आधारित बीमा। उनमें जो टर्म्स एण्ड कंडीशंस थीं वो किसानों के ज्यादा हित की नहीं थीं। माननीय सभापति महोदय, यह जो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लाई गई है उसमें जो जिलेवाइज फसल का मूल्यांकन करेंगे तो आप यह कल्पना करो कि वहां बैठे-बैठे, किसानों की राय लिये बिना, जमीन की जांच किये बिना, किस एरिया में कितनी पैदावार होती है उसकी जांच किये बिना बैठे-बैठे फरमान कर दिया। जैसे मेरे जालौर जिले में एक बीघा में 60 किलो मोठ होगी तो इसका मतलब प्रधान मंत्री फसल बीमा के अन्दर 60 किलो मोठ होते हैं तब तो कोई बीमा नहीं मिलेगा और 55 किलो होते हैं तो 5 किलो का मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, एक बीघा में कम से कम एक क्विंटल मोठ होते हैं पर उसका मूल्यांकन कम आंका है। इसी प्रकार मूंग का कहा है कि 99 किलो मूंग होगा और 99 किलो मूंग नहीं हो रहा है तथा 90 किलो हो रहा है तो 9 किलो का ही मुआवजा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, एक बीघा में कम से कम डेढ़ से दो क्विंटल मूंग होते हैं। इसलिए जिस तरह से सत्ता पक्ष के माननीय विधायक गांवों में भाषणों में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के नाम से गुणगान करते हैं जो किसानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ छलावा है। मेरी मांग है कि यह प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में नहीं, दिल्ली में बैठे-बैठे बनाई गई है और राजस्थान के बाड़मेर में मूंग की पैदावार कितनी है, जोधपुर में कितनी है, पूर्वी राजस्थान में कितनी है इसका ध्यान नहीं रखा है क्योंकि मौसम के हिसाब से, जमीन की उपजाऊ के हिसाब से बिल्कुल अलग-अलग है। (व्यवधान) भिण्डा जी, आप तो प्रोफेसर हैं और आपको पता नहीं है कि खेती क्या होती है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके राज में तो कभी एक रुपया नहीं दिया जबकि इतनी फसलें खराब हो गईं। आप तो सिर्फ अकाल राहत कार्य खोलते थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो बैठे-बैठे यों ही बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य आपके राज में तो यह था और इस साल हमारी सरकार ने तो करोड़ रुपये बांटे हैं काश्तकार को।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आप बोलने के पहले इसको पढ़ो। गेहूं का 474 रुपये में 32 हजार रुपये का बीमा हो रहा है। पहले आप खाद-बीज का दो हजार देते थे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप बोल क्या रहे हो?

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): जो काम अच्छा रहा है वो मानना पड़ेगा आपको। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं मानो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप तो कालेज में बोले हो लड़कों के बीच में, खेतों में भिण्डा साहब, आप गये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): फसल बीमा में हम दावे से कहते हैं इस बात को कि आज तक इतना फसल बीमा कभी नहीं मिला जितना पिछले दिनों में मिला है। फसल बीमा के लिए आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आप जाकर किसान से पूछिये कि कितना उसको मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप ज्यादा किसान हैं क्या? मेरे से ज्यादा किसान हो क्या?

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): हां, बिल्कुल ज्यादा हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां से हो? कहां हो किसान आप।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): बिल्कुल ज्यादा हूं, इसमें क्या दो राय है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप भी समाप्ति की ओर बढ़ें। आपके 28 मिनट हो गये हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आधे समय तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। हम कभी बीच में नहीं बोले।

श्री सभापति: आपको 28 मिनट हो गये हैं और अब दो मिनट में अपनी बाकी की बात बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से, एक मिनट। इस आसन से पहले दिन व्यवस्था दी गई थी कि अगर किसी माननीय सदस्य को बीच में टोका जाएगा तो वो उनका समय काटा जाएगा। इसलिए आसन के आदेश की तो पालना कराओ आप। इनका 15 मिनट तो इन्होंने ले लिया। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह भी व्यवस्था दी गई थी कि माननीय सदस्य टू-द-पाइंट और सब्जैक्ट पर बोलेंगे। (व्यवधान) अगर आप उल-जुलूल और गलत बातें बोलोगे तो हम आपको जरूर टोकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैडम ने यह आज ही इशारा किया है क्या आपको कि ऐसा-ऐसा करना है वरना तो आप पंखड़ा जड़े हुए से बैठे रहते थे, उठते ही नहीं थे कभी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): वो तो आप जैसों को बिठाने की जरूरत लगती है तब उठ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दो मिनट में क्या बात कहेंगे? मेरे तो 5 मिनट ही हुए हैं पूरे। पहले तो वो लूणी वाले विधायक खड़े हो गये।

माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि इस अभिभाषण के पहले ही पेज में लिखा है हैप्पीनैस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से जानना चाहूंगा कि तीन-सवा तीन साल में एक भी काम खुशहाली का बताओ जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में किया हो, मेडिकल क्षेत्र में किया हो। मेडिकल क्षेत्र में पहले 600-700 के आसपास दवाइयां थीं उसमें आप 300 के आसपास आधी दवाइयां दे रहे हो और शिक्षा के क्षेत्र में 17500 स्कूलें आपने बन्द की हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार की नीयत में खोट है और खोट इस बात को लेकर है कि गांव के जो एस.सी., एस.टी. के बच्चे हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ें इसलिए प्राइमरी सैक्शन में से टीचर्स को सेट-अप परिवर्तन के नाम से सैकण्डरी स्कूल में लगा दिया और प्राइमरी स्कूल में कहीं तो एक टीचर है, कहीं दो टीचर है, पूरे प्रदेश में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 10-15 स्कूलों की गांव के लोगों ने तालाबंदी की और लड़के बाहर बैठे रहे। यह स्थिति पूरे प्रदेश की बनी हुई है। इसके अलावा थर्ड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है तो फिर किस हैप्पीनैस इंडेक्स की बात कर रहे हो।

(श्री सुखराम विश्नोई)

रोडवेज की बात करें तो नई रोडवेज बसें खरीद नहीं रहे हैं और निजीकरण करने के लिए प्राइवेट को लाइसेंस दे रखा है। कम से कम एक हजार रास्तों पर लाइसेंस दिये हैं और उन रास्तों पर न तो रोडवेज चल रही है और न प्राइवेट लोक परिवहन सेवा की बसें चल रही हैं और आप पता नहीं किस हैप्पीनैस की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि किस बात का हैप्पीनैस है। गेहूं एक रुपये में हम दे रहे थे उसको आपने दो रुपये कर दिये, मुख्य मंत्री आवास में हम पूरे जो बीपीएल लोग थे उनके आवास की व्यवस्था की थी और उस आवास की व्यवस्था भी आपने बन्द कर दी। हम बीपीएल परिवारों को जो दूसरी सुविधाएं दे रहे थे वो सुविधाएं आपने बन्द कीं। जो छोटी-छोटी बात जैसे छात्रवृत्ति थी वह छात्रवृत्ति आपने कम कर दी।

(16.00 बजे)

साथ ही हमने रोकड़ भुगतान किया था बच्चों को साइकिल लेने के लिए, किसी की हाइट लम्बी है, किसी की छोटी है। वह अपनी इच्छानुसार साइकिल खरीद ले। आपने 33,000 स्कूलों में साइकिलें दीं, कमीशन लेने के लिए दीं। केवल मात्र कमीशन लेने के लिए साइकिलें खरीदकर लेकर दीं और वह साइकिलें आज मौके पर टूटी हुई पड़ी हैं। लड़कों की साइकिलें चल नहीं रही हैं।

यह जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। शाइनिंग इण्डिया का जिस तरह का नारा दिया है। क्या पता, कहां से हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कही है। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आपके पहले अभिभाषण में यह बुकलेट हमें दी है। पहले अभिभाषण में स्पष्ट कहा गया था कि 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। माननीय सभापति महोदय, 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहां गई? रोजगार की बात कहीं नहीं है। 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बजाय, कम से कम 45,000 तो भर्तियां कोर्ट में अटकी हुई पड़ी हैं। कुछ तो इन्होंने पद ही समाप्त कर दिये। 12,000 तो पद ही समाप्त कर दिये। टीचर्स के, दूसरे छोटे-मोटे बाबुओं के पद समाप्त कर दिये। मेरा सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई है। विद्यार्थी मित्र पिछले चार साल से सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। उनको एक झुनझुना पकड़ा दिया। आप एक कल्पना करो कि आज के इस युग के अन्दर

(श्री सुखराम विश्नोई)

बात-बात में लोग कोर्ट में जाते हैं, बात-बात में न्याय की बात करते हैं। एसएमसी को अधिकार दे दिया। एक पंचायत में पांच गांव हैं। पांच गांव में से एक गांव की एसएमसी बनी है और वहां से चारों गांवों के विद्यार्थी लेने हैं। 50 फार्म आ गये, किसको लेना है, कौनसी एसएमसी तय करेगी? एक जो गांव है, उसकी एसएमसी तय करेगी कि पांच गांवों की एसएमसी तय करेगी? यह अविवेकपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो प्रधानाचार्य हैं, वह जिला हैडक्वार्टर पर आते हैं डीईओ के पास में। डीईओ लिफ़ाफ़ा खोलता है। नहीं, यह तो मामला गड़बड़ है। वापस जाओ, दोबारा दुरस्त कराकर लाओ। माननीय सभापति महोदय, यह विद्यार्थी मित्रों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। केवल-केवल मात्र विधान सभा चले, तब तो विद्यार्थी मित्र यहां अपना रोना नहीं रोये, अपनी हड़ताल नहीं करे। केवल मात्र उनको टरकाने के लिए किया गया है। उनके साथ दो-तीन बार स्थिति ऐसी बनी। माननीय सभापति महोदय, हम विद्यार्थी मित्रों के साथ हैं। क्यों नहीं इस सदन में इस तरह का एक कानून पारित किया जाये ताकि उन विद्यार्थी मित्रों को न्याय मिले। आप खुद देखिये, यह आपकी देन है। यह विद्यार्थी मित्र आपकी पैदाइश है। पहले बेचारों को सही तरीके से ले लेते, इनको भटकना नहीं पड़ता।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये सभी हमारे विधायक साथी बैठे हैं। हमसे लिखाकर लिया गया कि एक-एक पंचायत को गोद लो। हमने पंचायत गोद ली। हमारे गोद लेने के बाद में एक पैसा भी उस पंचायत में मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट से नहीं दिया। लोग कहते हैं, अख़बार में लोग पूछते हैं, आपने पंचायत में क्या दिया? हम एक पंचायत में ज्यादा दे दें, हमारे पास राशि कम है एमएलए कोटे में, हमारी और बाकी भी पंचायतें हैं। कम से कम आपकी मार्फत सभापति महोदय, हम निवेदन करना चाहेंगे कि यह जो आदर्श ग्राम पंचायत है, एमएलए को गोद दी है, कम से कम उस गांव के अन्दर, उस पंचायत के अन्दर कुछ न कुछ काम तो एमएलए फंड से नहीं होकर सरकार की तरफ से होना चाहिए, तब तो हम महसूस करेंगे, बाकी हमने लिखकर दिया। ऐसा होता कि हमारे साथ धोखा होगा तो हम लिखकर भी नहीं देते। गोद लेने की जरूरत क्या है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अब आप समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अब दो मिनट में पूरा कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा कर रहा हूं न। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है। मैं तो पूरा कर रहा हूं।

ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। जो ऊंट पालने वाले लोग हैं, रैबारी है, देवासी है, राइका है, वे इस चीज का विरोध कर रहे थे कि आप इस तरह से क्या कर रहे हो? आज वह उनको मेले में ले जाते हैं। पशुओं को अकाल में चरने के लिए ले जाते हैं। कई उनके खिलाफ मुकदमे हो गये कि ऊंट को ले जा रहे हो, उनका परिवहन कैसे कर रहे हो? केवल मात्र यह उसको अकाल में नहीं लिया। अकाल में घोषित नहीं किया। उसको वाणिज्यिक पशु मान लिया तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस एक्ट को निरस्त किया जाये। नहीं तो कम से कम जो ऊंट मालिक हैं, कम ही ऊंट बचे हैं, चूंकि ऊंट कम ही बचे हैं, उन लोगों को प्रति ऊंट के हिसाब से मासिक दर के साथ कुछ दिया जाये, ताकि उन्हें कुछ रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि नंदी गौशालाओं की सरकार ने घोषणा नहीं की परन्तु आपके मार्फत जो पशुपालन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक ब्लाक पर नंदी गौशालाएं खोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर हिन्दू धर्म की हमारी मान्यता है कि हम उस नंदी को बेचेंगे नहीं, नंदी को हम कसाई के पास नहीं जाने देंगे। नंदी पूरे प्रदेश में घूम रहा है तो कम से कम सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जो सत्ता पक्ष में है। वह तो पिछले 70 साल से गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, गाय यह कर रही है, गाय वह कर रही है और जैसे ही सत्ता आये, उस नंदी को भूल गये, उन गौशालाओं को भूल गये और जो हालात पिछली बरसात में हिंगोनिया गौशाला में हुए थे, उससे स्पष्ट है सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो नंदी गौशालाएं हैं... मैं पूरी कर रहा हूं अपनी बात। पूरे प्रदेश के अन्दर प्रत्येक ब्लाक स्तर पर नंदी गौशालाएं खोली जायें ताकि जो पशु बेसहारा घूम रहे हैं, नंदी घूम रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जीवन दिया जा सके और उनको बंध्या कराया जाये। गौ-वंश के संवर्द्धन के लिए और उनके संरक्षण के लिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप एक तरफ तो कह रहे हो कि बैल हमारा बाप है, दूसरी तरफ उनके बंध्याकरण की बात कर रहे हो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको नहीं करवा रहे हैं बंध्याकरण।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, आपने कहा ना कि बैल हमारा बाप है। बैल किसका बाप है?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपको नहीं करवा रहे हैं, हम बैल को बंध्याकरण करने के लिए कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, आप एक तरफ बंध्याकरण की बात कर रहे हो। कितना विरोधाभास है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वह तो आप कहते हो। मैं क्या करूं? वह तो आप कहते आये हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अभी-अभी कहा है कि बैल हमारा बाप है और उनके बंध्याकरण की बात कर रहे हो। कहीं तो आप रूको। कुछ गम्भीरता तो रखें ना आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं, आप कह रहे थे। आप कह रहे थे। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि पिछले 2015 से बूंद-बूंद सिंचाई की जो स्कीम चल रही थी...

श्री सभापति: अब आप बैठें माननीय सदस्य। अब आप बैठें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मैं पूरा ही कर रहा हूं। मैं बिजली की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप बैठें माननीय सदस्य।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बांदीकुई से आने वाली सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि लोकतंत्र में देश की सामरिक समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर नागरिक की कुशलता और खुशी जरूरी है क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से दुनिया बनती है और इसलिए जब हम विकास की बात

(डा. मंजू बाघमार)

करते हैं तो व्यष्टि से समष्टि के विकास पर आधारित होता है। यशस्वी मुख्य मंत्री राजे ने 2013 में सत्ता संभालते ही जो पहला सूत्र दिया कि हम राज नहीं, सेवा करने के लिए आये हैं। सेवा का यही संकल्प राजस्थान के हालात बदलने का मूल-मंत्र रहा है। प्रदेश में वसुन्धरा राजे सरकार ने स्वज़न विकास और स्वज़न उत्थान का संकल्प लिया। इसी संकल्प के तहत राजधानी जयपुर में ही नहीं, वरन् गांव और छोटे कस्बों में अधिकारियों और मंत्रियों ने जाकर जमीनी हालात देखे और समझे। इसी सेवा-संकल्प ने महिलाओं, बच्चों, युवाओं और वृद्धों के सपनों और सोच को धरातल पर साकार किया। यही वे संकल्प थे जिनके बल पर प्रशासनिक व्यवस्था, राजनैतिक शुचिता और सक्रियता, सामाजिक और आर्थिक अधिकार चेतना को नये आयाम मिले।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में सरकार ने सुराज के संकल्प के लिए किये गये वादों की पालना में सुशासन की स्थापना के लिए आर्थिक प्रकृति, टिकाऊ, समावेशी और समानुपातिक विकास पर बल देने के साथ-साथ प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत व्यापक बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु कदम बढ़ाये। राज्य सरकार की मुख्य प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता को प्रमुखता से लागू किया गया और इन योजनाओं के जरिये राजस्थान राज्य आज महिला सशक्तीकरण, बालिकाओं के विकास, जल संरक्षण, उद्योगों की स्थापना, स्वास्थ्य सुरक्षा, अन्न सुरक्षा तथा आधारभूत संरचना, युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने, स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के लिए देश भर में जाना जाने लगा है। हम इनमें से कई क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर हैं। इन योजनाओं से आम अवाम को त्वरित लाभ तो मिल ही रहा है, वहीं प्रदेश के विकास को भी गति मिल रही है और जनता भी अपने जीवन में सार्थक बदलाव महसूस कर रही है। राजस्थान अब बीमारू श्रेणी से बाहर निकल आ चुका है। राजस्थान के गांवों में अब नागरिकों की सीरत और सूरत दोनों बदलने लगी है। आज ग्रामीण व शहरी लोग, खासकर युवा अपने नैसर्गिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं। यही जागरूकता और चेतना विकास की पहली कड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में अभी जल की भयंकर गम्भीर समस्या चल रही है। यह जल संकट केवल हमारी समस्या ही नहीं है, बल्कि पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के माध्यम से इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं

(डा. मंजू बाघमार)

जिसमें जल सहयोग का अभूतपूर्व अनुभव मिला है। गांव का पानी गांव में रहे और खेत-खलिहान लहराते रहे, इस सोच को गांवों में तन-मन और धन से सराहा गया है और सहयोग दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में अब गांवों के साथ-साथ शहरों में भी लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके पहले चरण में 86,000 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वहीं इसका दूसरा चरण 9 दिसम्बर, 2016 को प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके तहत 4,215 नये गांवों में 1,38,000 कार्यों के लिए 1,843 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आम तौर पर गांवों की सड़कें खड्डों से भरी और ऊबड़-खाबड़ पाई जाती हैं लेकिन आज गांवों में भी चमचमाती हुई सड़कें नजर आने लगी हैं। यह ग्रामीण गौरव पथ योजना के माध्यम से ही सम्भव हुआ है। गांव की सड़कें भी गौरवपूर्ण हो सकती हैं, यह बात आज जमीनी हकीकत बन चुकी है

साफ-सुथरी सड़कें और साथ में बनी नालियां सचमुच गांवों में गौरवपथ बन गये हैं और अब शहरों में भी गौरवपथ बनाने की शुरूआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत 197 गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया ताकि गांवों से शहरों की ओर पलायन न हो।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में महिलाओं के विकास को सदा समानान्तर रेखा की तरह नहीं बल्कि पिछड़े तबके की तरह परिभाषित किया जाता रहा है। इस वेदना को माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्रीमती राजे ने गहराई से महसूस किया, क्योंकि महिला सशक्तीकरण के बिना बेहतर समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आधी आबादी सशक्त, समृद्ध और आत्मविश्वासी बनाने के लिए प्रदेश की मुख्य मंत्री श्रीमती राजे की पहल पर महत्वाकांक्षी योजना भामाशाह योजना लागू की गई जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। भामाशाह योजना में 1 करोड़ 37 लाख परिवार लगभग पांच करोड़ लोग भामाशाह योजना से सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना इतनी अच्छी चल रही है कि वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का स्वर्ण पुरस्कार मिला है। आज गांवों में गरीबों को घर बैठे पेंशन मिल रही है और उनको मिल रही

(डा. मंजू बाघमार)

विशेष रियायतों का लाभ सीधे उनके खातों में जमा हो रहा है इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बिचौलियों की आशंका दूर-दूर तक समाप्त हो गयी है और वित्तीय समायोजन की इस अनूठी योजना में राजकीय सेवाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खातों में जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बेटियां घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, किन्तु धरती पर उनकी घटती संख्या समाज में नासूर की तरह दर्दनाक अंजाम तक पहुंच गयी है। मुख्य मंत्री श्रीमती राजे ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए राज्य में 2016 में मुख्य मंत्री राजश्री योजना का आगाज किया। इसके तहत बेटी के जन्म से लेकर बारहवीं तक कक्षा उत्तीर्ण होने तक सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और सरकार द्वारा कुल मिलाकर पचास हजार रुपये तक का वित्तीय अनुदान बेटियों को उपलब्ध कराया जाएगा। निश्चित रूप से समाज इस बदलाव को महसूस कर रहा है। आज बेटी के जन्म से लेकर राज्य में ग्रामीण इलाकों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है उससे आने वाले समय में राजस्थान का माहौल बदलने लगेगा। ऐसे में भ्रूण हत्या और लिंग असमानता जैसी समस्याओं से पूरी तरह मुक्ति पायी जा सकती है। साथ ही गरिमा बालिका संरक्षण व सम्मान योजना 2016 लागू की गयी और बालिका दिवस पर 24 जनवरी को 6 बालिकाओं को 25-25 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप उन्हें वितरित किये गये।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने हेतु गत तीन वर्षों में अस्सी हजार एक सौ पन्द्रह महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है और अब ये संख्या दो करोड़ तक पहुंच गयी है। माननीय सभापति महोदय, सामूहिक बीमा योजना के तहत वैवाहिक आयोजनों में होने वाले अपव्यय को कम करने, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी बुराइयों को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अनुदानित राशि प्रति जोड़ा जो पहले दस हजार रुपये थी उसको पन्द्रह हजार रुपये कर दिया गया तथा संस्थाओं को विवाह आयोजन के रूप में प्रति जोड़ा जो 2,500 रुपये थे उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया। जो अनुदान सभापति महोदय, 2013-14 में 462 जोड़ों 2 करोड़ 74 लाख 3 हजार 625 रुपये था उसे बढ़ाकर 2016-17 में 5500 जोड़ों पर 6 करोड़ 76 लाख 33 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी। मैं बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्री महोदया को और महिला

(डा. मंजू बाघमार)

और बाल विकास मंत्री जिनको 8 मार्च को बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नारी शक्ति पुरस्कार, 2017 मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से गांवों में कायापलट हो रही है। पहली बार 67 परसेंट आबादी को गांवों में स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया है। जनवरी, 2017 के आखिरी सप्ताह तक एक करोड़ सैंतीस लाख परिवार लाभान्वित किये जा चुके हैं यानी चार करोड़ पचानवे लाख व्यक्तियों को सीधा लाभ पहुंचाने की बात है। हस्तांतरण की बात की जाये तो अब तक 16 करोड़ रुपये की राशि अभ्यार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। यह युगान्तकारी सार्थक परिवर्तन गांवों में स्पष्ट देखा जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार प्रदेश में बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सभी ग्राम पंचायत स्तर पर माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया और 600 से ज्यादा उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरम्भ की गयी है और लगभग 54 हजार विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से लाभान्वित किया जा चुका है। शिक्षा का गुणवत्ता स्तर बढ़ाने के लिए जो प्रयास पिछले दो वर्षों में किये गये हैं उससे पिछले दो वर्षों में शैक्षिक स्तरों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टैंथ क्लास के परिणामों में 15 प्रतिशत और ट्वेल्थ क्लास के परिणामों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने प्रदेश में पहली बार खनिज ग्रेड लाइमस्टोन में तीन ब्लाक की सफलतापूर्वक नीलामी की है जिसमें चित्तौड़गढ़ और नागौर जिले में 17,328 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें से एक क्षेत्र नागौर जिले का ढेह ग्राम मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है औद्योगिक विकास को उससे बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने सभी वर्गों को विकास के साथ जोड़ा है चाहे वो एससी/एसटी/ओबीसी और एसबीसी के पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2016-17 में और

(डा. मंजू बाघमार)

दिसम्बर, 2016 तक 422 करोड़ रुपये का व्यय कर 2 लाख 66 हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया है और राज्य के आवासीय विद्यालयों में 790 छात्रावासों में चालीस हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया के प्रति भी बहुत संवेदनशील हैं और मीडिया को भी मेडिक्लेम पालिसी के तहत 2016-17 में 451 अधिस्वीकृत पत्रकारों की 90 परसेंट प्रीमियम राशि में एक करोड़ से अधिक राशि बीमा विभाग को उपलब्ध कराई है तथा उनके चिकित्सा बिलों का भी भुगतान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा समृद्ध और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर वर्ग को विकास के साथ में जोड़ा है और वर्ग के विकास के साथ में प्रयत्नशील हैं और राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाएं लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं निश्चित रूप से उससे आम व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। ये लोक कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में तो लाएगी ही साथ ही साथ राजस्थान में खुशहाली का इंडेक्स भी बढ़ाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जो कुछ उन्होंने जनता से वादे किये हैं उन्हें वो पूरा करने के लिए कृतसंकल्प हैं। मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि, ‘हम तो आइना हैं, आइना ही रहेंगे। फिक्र वो करें जिनके दिल में कुछ और और ऊपर कुछ और है।’ धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोतम लाल।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया के तीन वर्ष के उपलक्ष में नारा ‘अच्छा काम ठोस परिणाम’ ये सच साबित हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में विभाग से सम्बन्धित पायेंगे कि ऐसा काम पहले कांग्रेस के शासन में कभी नहीं हुआ। वर्तमान सरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में राज्य सरकार के तीन वर्षों में प्रदेश में निरन्तर खुशहाली बढ़ाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में लोक कल्याणकारी और लोक सेवा की भावना

(श्री गोतमलाल)

से पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील कार्यप्रणाली के साथ-साथ हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। खुशहाल राजस्थान के कार्य को मूर्त रूप देने में राज्य सरकार की योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। भामाशाह योजना इसका मुख्य उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से प्रदेश की 67 प्रतिशत आबादी से भी ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। दिसम्बर, 2015 से भामाशाह स्वास्थ्य योजना लागू की गयी है। माननीय सभापति महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से पहले खासकर जनजाति बहुल क्षेत्र में अगर कोई बीमार हो जाता और उसको किसी बड़े हास्पिटल में लेकर जाते और वहां अगर किसी डाक्टर ने यह कह दिया कि इसका आपरेशन करना पड़ेगा तो वह एक बार उसको वापस लेकर वह अपने गांव आ जाता। गांव आने के बाद अपनी जमीन को गिरवी रखता या अपने जेवर बेचता और किसी के पास नहीं है तो फिर वह किसी देवी देवता की शरण में जाकर उसका समय पास करता। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 30 हजार से लेकर 3 लाख तक, खाद्य सुरक्षा का जिसके पास राशन कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, ऐसे हमारे क्षेत्र में, खासकर जनजाति क्षेत्र में लगभग 90 परसेंट से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोगों को अब लगने लगा है कि हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को लागू करके उन गरीबों को अपना हक दिया है। जिसमें बड़ी बीमारियां, हार्ट की एंजियोप्लास्टी, और बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है।

प्रदेश में सीमित जल संसाधन और वर्षा को देखते हुए स्थाई समाधान के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय का जल स्वावलंबन अभियान वरदान साबित हो रहा है। प्रथम चरण में 15 हजार कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। द्वितीय चरण में 1 लाख 37 हजार कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। जल के समुचित उपयोग हेतु फोर वाटर कंसेप्ट पर इस वर्ष जनवरी, 2017 तक लगभग 157 करोड़ रुपये व्यय कर दिये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी फोर वाटर कंसेप्ट के छोटे बड़े 18 तालाब पूर्ण कर दिये गये हैं। जिससे कुओं में पानी का जल स्तर बढ़ा है। जो हैंड पम्प सूखने की स्थिति में थे, उन हैंड पम्पों में भी पानी का जल स्तर बढ़ा है। मुख्य मंत्री

(श्री गोतमलाल)

जल स्वावलंबन अभियान में द्वितीय चरण में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 937 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिन पर लगभग 11 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर राजस्व अदालत अभियान, न्याय आपके द्वारा अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। इस दौरान 523 ग्राम पंचायतों को पूर्ण वाद मुक्त कर दिया गया है जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सभी जिलों में कौशल प्रशिक्षण के साथ आईटीआई रोजगार के माध्यम से 11 लाख रोजगार के अवसर सृजित किये जा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लसाड़ियां में भी अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने आईटीआई खोली है, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

विद्युत उत्पादन में आत्म निर्भर बनने के लिये गत तीन वर्षों में जनवरी, 2017 तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर 22 से 24 घंटे घरेलू विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 1 लाख 87 हजार कृषि कनेक्शन एवं 17 लाख 87 हजार घरेलू कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जनवरी, 2017 तक 700 केवी का एक, 220 केवी के 7, 132 केवी के 9 ग्रिड सब स्टेशन व 33 केवी के 143 सब स्टेशन स्थापित किये गये हैं। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय योजना में 93 गांव व 162 ढाणियों का विद्युतीकरण करके बिजली देने का काम हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। साथ ही बीपीएल परिवारों को 5560 एवं 60 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन देकर कुल 9560 कनेक्शन इन तीन वर्षों में हमारी माननीय मुख्य मंत्री और हमारे विद्युत मंत्रीजी ने दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन दिन से कांग्रेस के जो हमारे माननीय सदस्य हैं वह नोटबंदी पर बहुत चिंतित हैं। हमारे ट्राइबल बैल्ट में जब 15-20 साल पहले कांग्रेस के लोग भाषण देते थे तो वह भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि यह सेठ साहूकारों एवं उद्योगपतियों की पार्टी है, अब इनको नोटबंदी में क्या तकलीफ हो रही है। गरीबों को यह कहते हैं कि गरीबों की पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है। आदिवासियों को अपने हक की जो भी सुविधा देगी तो वह कांग्रेस पार्टी देगी। भारतीय जनता पार्टी सेठ साहूकारों की

(श्री गोतमलाल)

पार्टी है, बड़ी पार्टी है। आज हालत यह है गांवों में शादी ब्याह में बैंड बाजे बंद हो गये हैं, एक डीजे चल रहा है उसमें जो नाच गाना हो रहा है वह इस नोटबंदी पर हो रहा है। कह रहे हैं कि अच्छे-अच्छे कंजूसों की नींद हराम कर दी, 500-1000 पर रोक लगा दी, मोदी जी की लहर चला दी। (व्यवधान) काला धन की तिजोरी पर वाट लगा दी। (व्यवधान) कांग्रेस के लोग भी पैसा बांट रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं ...(व्यवधान) सभी लोग नाच रहे हैं लेकिन यह यहां क्यों नाच रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है, इनका यहां क्या लेना देना, यहां तो इनको समर्थन करना चाहिये। प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी ने गरीब क्षेत्र के लिये उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपको मौका मिलेगा, आप बैठें, आप बैठें। माननीय सदस्य आप बैठिये।

श्री गोतमलाल (धरियावद): वाह रे म्हारा मोदी जी अच्छा-अच्छा कंजूसों की नींद उडा दी, 500-1000 पर रोक लगा दी और काला धन की तिजोरी पर वाट लगा दी और कांग्रेस के जीतने पर भी रोक लगा दी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था ट्राइबल बैल्ट में पहली बार इस नोटबंदी से भी खुश हैं और हमारी राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के जो विकास के काम हैं, उससे भी जनता बहुत खुश है। उज्ज्वला योजना में हमारे प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार ट्राइबल बैल्ट गैस चूल्हा दिया है। इसके लिये मैं प्रधान मंत्रीजी एवं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सड़क के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मंत्रीजी ने हमारे क्षेत्र में सड़कों का बहुत काम किया है। मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किये हैं इन्होंने, खास कर गौरव पथ ...(व्यवधान) ग्रामीण गौरव पथ प्रथम चरण 1972 ग्राम पंचायतों पर 1700 किलो मीटर...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, घनश्याम जी का नाम काट कर इन माननीय सदस्य से बुलवा रहे हो?

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अपनी पार्टी का तो ध्यान रखो, हमारी पार्टी में सब बोल देंगे अभी। सभापति महोदय, अभी इजाजत नहीं दे रहे, मैं एक बात बता दूं, मैं एक जगह शादी में गया, दो कांग्रेस के मित्र थे, वहां गाना चल रहा था वाह रे वाह नरेन्द्र मोदी थे अच्छा-अच्छा की वाट लगा दी। मैंने कहा कि

(श्री सुरेध धाकड़)

पहले इसको बंद करो, बंद इसलिए कराने के लिये कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के हो, हमें वोट भी नहीं देते हो और हमारे मोदी का यहां उपयोग क्यों कर रहे हो। फिर उसने कहा कि मोदी के नाम से सब लोग नाच रहे हैं तो हम भी नहीं रोक सकते फिर मैंने कहा कि मैं भी डांस कर लेता हूं, हम सब लोगों ने डांस किया और फिर शादी भी अटेंड की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वाह, क्या विद्वान सदस्य हैं।

श्री सभापति: आप भी दाद दे रहे हैं?

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई की 84 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इसलिए मंत्री महोदय को धन्यवाद और 30 ग्रामीण गौरव पथ आपने स्वीकृत किए हैं। इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कुछ मिसिंग लिंक बहुत दिए हैं। बाकी जो खाता है, मुझे विश्वास है पूरा करेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूं, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और बाकी जो है, उसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। 'सरकार आपके द्वार' वाला आपके खाते में है। वो भी जमा कराएं, ताकि हमारा काम हो जाए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके पड़ोस में बैठे हैं उनको।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आप इनको ज्यादा दे रहे हो। मेरे को कम दे रहे हो। अब आप इसकी थोड़ी खाना-पूर्ति बराबर कर दें। (व्यवधान) परिवहन सेवा की उपलब्धता हेतु 1019 नए मार्ग खोले गए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं। लसाड़िया में 12 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्रीजी की सभा हुई थी और उन्होंने घोषणा की थी। पहली बार उदयपुर से वाया कुराबड़, बम्बोरा, लसाड़िया होकर धरियावद के लिए दो बसें तुरन्त शुरू कर दीं। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। वर्तमान सरकार के कार्यालय को आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दस हजार तीस गाँवों और ढाणियों एवं एक हजार सात सौ चौहत्तर एस.सी., एस.टी. की बस्तियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सेवा सुलभ हो रही है। पहली बार आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में काम किया गया है। प्रथम चरण में 295

(श्री गोतमलाल)

एवं द्वितीय चरण में 600 केन्द्रों को विकसित किया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी तीन आदर्श पी.एच.सी. का दर्जा देकर सुविधा बढ़ाई गई है। चिकित्सा मंत्री का बहुत-बहुत आभार, मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। 2016 से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, जिसने लिखकर दिया है ना उसको भी साथ ही धन्यवाद दे दो। (व्यवधान)

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सदस्य, डोटासरा जी। ये हमारे इस देश के युवराज नहीं जो लोक सभा में बोलते हैं या लोक सभा में भाषण देते हैं। उनको देखकर इलाहाबाद में या बरेली में। कहीं रैलियों में पढ़-पढ़कर दे रहे हैं।

श्री गोतमलाल (धरियावद): आंकड़े तो बोलने पड़ेंगे, कितना क्या है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप शादी होने के बाद इतने ज्यादा बोलने लगे हैं।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): मेरी शादी पहले ही हो गई। बच्चे भी हैं और उनके सर्टिफिकेट दे सकता हूं। आपको गलतफहमी है कि अभी हुई है और उस युवराज की चिंता करो। उसकी डेमोक्रेसी की कुंडली बताओ किसी ज्योतिषी को।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण छूट नहीं जाए, इसलिए बोल रहे हैं बाकी हमारी लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमसे मुख्य मंत्रीजी ने दो साल का हिसाब-किताब पहले ही ले लिया है और वह हिसाब-किताब हमने गांवों में एक-एक जनता को बताया। हम हमारा हिसाब इसलिए बता रहे हैं कि हमारा आंकड़ा भी पेश करें। आप यह कह रहे हो कि यह अभिभाषण झूठा है। इसको साबित करने के लिए आजकल आनलाइन सब मिल रहा है। आप मंगवा दो अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र का। आप अपने क्षेत्र में काम नहीं कराओ कि मुख्य मंत्रीजी आकर कराए क्या बताओ या फिर हमारे मंत्रीजी आकर थोड़े ही बताएंगे। मैं आपको श्रमिक कार्ड का बता रहा हूं। श्रमिक कार्ड योजना है, उसके अन्दर, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं। वहां जो बने रहे हैं। यह योजना महत्वपूर्ण साबित हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो व्यक्तियों जिन्होंने यह बीमा करवाया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी

(श्री गोतमलाल)

तो उनके आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपए मिले। ये हमारी मुख्य मंत्री की योजना है। लेकिन वे सारे कार्ड बनाए कौन? वे हमारी मुख्य मंत्रीजी थोड़े ही बनाएंगी? वह तो अपने को काम करना पड़ेगा। मैं पढ़कर यह आंकड़ा इसलिए सही-सही बता रहा हूं। गलत नहीं बता रहा हूं। कितने काम हमारे हुए हैं? सभापति महोदय, मैं नामजद बता रहा हूं। फर्जीवाड़ा नहीं बता रहा। वैसे मैं जोरदार ठोकता हूं लेकिन अब की बार सदन है इसलिए...।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं जनजाति मंत्री महोदय ने हमारे छात्रावास के जो हैं, उनका बता दूंगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के तहत कुल 333 आवास छात्रावासों का संचालन हो रहा है। 21397 छात्र-छात्राएं एवं 25 आवासीय विद्यालयों में 5739 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। 1506 केन्द्रों पर औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही जुलाई और अगस्त में भारी बरसात हुई थी, तब बाढ़ भी आ गई थी। उस बाढ़ में मेरे धरियावद में तीन नदियां हैं, उन तीनों नदियों में चारों तरफ से उफान पर आने से वहां पर तीस-पैंतीस लोग फंस गए थे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हेलिकाप्टर भेजकर, दो राउंड लगवाकर तीस से ज्यादा लोगों को बचाया था। साथ ही, हमारे यहां जो फसल का खराबा हुआ था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मुझे विश्वास नहीं हो रहा 160 में आपकी यह हालत हो गई क्या? अभी तो पौने दो साल पड़े हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): यह हेलिकाप्टर की बात कर रहे हैं। आप तो साइकिल से काम चलाओ, साइकिल से।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): पहली बार किसी आदिवासी भाई फंसा, उसको हेलिकॉप्टर से निकाला गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके लिए मेरी तरफ से भी धन्यवाद।

श्री सुशील कटारा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी): डोटासरा जी आदिवासी सदस्य बोल रहे हैं। आप बोलने नहीं देना चाह रहे। शायद ऐसा लग रहा है बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोलने नहीं देना चाह रही। शायद इसलिए बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको।

श्री संजीव कुमार (भादरा): कांग्रेस की हवा भी आदिवासी ही निकालेंगे

(श्री संजीव कुमार)

आप चिंता ही मत करो। माननीय सभापति जी, साइकिल पर +++ जी बैठ रहे हैं। मैन सीट पर तो कैलाश जी बैठते हैं। इनको तो बेचारे को पीछे बैठाते हैं। वो पीछे-पीछे दौड़ता फिरता है और यह हालत कांग्रेस की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, एक्सपंज करा दो। ये भोले आदमी हैं। बोल गए तो बोल गए। इनको ज्ञान भी नहीं है कि क्या बोलना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य सक्षम हैं, आपका जवाब देने के लिए।

श्री सुशील कटारा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी): आप जितनी देर इनको डिस्टर्ब करेंगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये भोले हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये भोले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सुशील कटारा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी): अगर आप बार-बार डिस्टर्ब करेंगे तो और बोलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन की भी कोई व्यवस्था होती है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह है कि डोटासरा जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये आसन की व्यवस्था से ही बोल रहे हैं। आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी नरेंद्र मोदी जी का तो नाम हटवा दिया। +++ का नाम अंकित करा रहे हो, जो सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री सभापति: +++ नाम हटा दिया जाए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इन्होंने बताया है कि यू.पी. में साइकिल की हालत क्या हो रही है? उसका विवेचन किया है। आप उसे समझने का प्रयास करो। वो ही हालत आगे होने वाली है। वो आपको विवेचन बता रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आपके क्या स्प्रिंग लग रही है क्या? बार-बार खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): साइकिल का विवेचन हो रहा है। साइकिल पर बैठने की कोशिश तो की, लेकिन हालत क्या हुई है?

श्री रमेश (सपोटरा): ये क्या बात है। कुछ नहीं चिल्लाते रहो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उड़ीसा और महाराष्ट्र में क्या हालत हुई है?

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, जाखम बांध भारी बारिश से भरने के बाद पहली बार नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए हमारी मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी ने बजट देकर नहरों का जो काम किया। साथ ही ढाई करोड़ रुपए हमारे जनजाति मंत्री ने भी दिए हैं। मैं दोनों मंत्री महोदय का और खास मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए करोड़ों रुपए दिए और पहली बार सिंचाई के लिए लोगों को पानी मिला है और सब तरह से खुशहाल है और जो भी विकास के काम हैं। अब तो दो बजट और करेंगे। आगे भी बजट में बहुत कुछ आएगा। कागज में पढ़ते-पढ़ते कुछ रह भी गया। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नवनीत लाल।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको आदर। मान्यवर सभापति महोदय, हमारा भारत देश मानवता का देश है। भारत संस्कृति का देश है। इस देश के अन्दर विदेशी लोगों ने व्यापार के लिए आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना बनाई और हमारे देश में बड़े से बड़े लोगों से दोस्ती की और छोटे लोगों को अपने व्यापार की मजदूरी में लगाया। इस देश पर इस प्रकार का हमला करके हमारी देश की संस्कृति और रीति-रिवाज को बिगाड़ने की कोशिश की।

मान्यवर, इसके बाद 1857 की क्रांति चली। समझदार लोगों की क्रांति थी। नब्बे साल तक धीरे-धीरे, धीमी गति से इस देश के अन्दर क्रांति चलती रही। आखिर 47-48 में आकर यह देश आजाद हुआ। हमारे देश के संविधान में, राजनीतिक नेताओं ने देश का कानून व संविधान बनाने की योजना बनाई लेकिन आज दिन तक हमारे भारत में 60 प्रतिशत वोट कानून बनाने में हाजिर हुए है, 40 प्रतिशत वोट आज भी देश के अन्दर कानून बनाने में मदद नहीं दे रहे। हमारे देश के अन्दर यह स्थिति चलती आ रही है।

अतः मेरा आग्रह है कि इस प्रकार की योजना चलाते चलाते हमारे देश के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी व डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, दादा, नेहरू जी जैसे संतों ने इस देश को जगाने की योजना बनाई। योजना बनाकर

(श्री नवनीत लाल)

इस देश को आजाद करने का, जन साधारण व्यक्ति को जाग्रति दी गई। जाग्रति देकर इस देश को जगाने की योजना बनाई।

मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा ऐसा आग्रह है कि अभी हाल ही माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो कानून व नियम, जन साधारण की पीड़ा, गांव, गरीब और गली तक पहुंचाने की योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं को लेकर हमारे राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में शासन चल रहा है।

दक्षिणी राजस्थान के अन्दर जिला बांसवाड़ा की एक जानकारी सदन को देना चाहता हूं। आर.ओ. के द्वारा यानी जल स्वावलम्बन योजना चलाई है इस योजना में जो अव्यवस्थित नीला-पीला, फ्लोराइड पानी आता है उसकी जांच करके, सूखा क्षेत्र है, पानी अच्छा नहीं है, वहां पर हारोडेम नाम का स्थान है वहां पर 79 गांवों का सर्वे करके आर.ओ. की योजना द्वारा कार्य चलाया जा रहा है।

इसी तरह से बांसवाड़ा जिले में दक्षिणी राजस्थान में एल एंड टी कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा योजना चलाई जा रही है। माही डैम से जिला बांसवाड़ा में पंचायत समिति छोटी सरवन, तलवारा जिला प्रतापगढ़ के पंचायत समिति पीपलखूंट में, यानी 334 गांवों की योजना बनाई जाकर सूखे क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाई जा रही है। पाइप लाइन बिछाकर हर क्षेत्र में, सूखा से सूखा क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।

मान्यवर, कांग्रेस के भाई बार-बार कह रहे थे, मैं बैठे-बैठे सुन रहा था। माननीय अशोक गहलोत जी के कांग्रेस शासन काल में दक्षिणी राजस्थान माही डैम के साथ क्या किया है वह मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं। वहां ऐसी स्थिति बनी है, माही डैम बना हुआ है वहां पर इस प्रकार की योजना बनाई गई, वहां के हमारे आदिवासी किसान व आम किसानों के बीच में जो तबाही पैदा की गई वह जानकारी देना चाहता हूं। 2009 से 2012 के बीच कांग्रेस का शासन था। माही डैम मुख्य अभियंता का पद तोड़ दिया गया है। वहां मुख्य अभियंता का पद तोड़कर पूरे माही डैम के पानी को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। वहां का किसान आज जहां-जहां गांवों में जा रहे हैं। वहां के किसान कांग्रेस शासन में किए गए कारनामे को लेकर कह रहे हैं कि जमीन जो पीयत के लिए घोषणा की गई है, कमांड एरिया घोषित किया गया है, उस एरिया को,

(श्री नवनीत लाल)

आम किसान बोल रहा है कि अगर पानी सही नहीं आया तो नोन कमांड की घोषणा कर दो। कांग्रेस शासन की इस प्रकार की जो गलत नीति थी उस नीति के कारण अभी हमारी इस वक्त की सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री को इन बातों को सुनने की स्थिति आ गई। मेरा ऐसा आग्रह है कि आजादी, प्रजातंत्र में पक्ष-विपक्ष का काम तो होता है, होना भी चाहिए था, यह नियम भी है लेकिन इस प्रकार की योजना बनाकर पूरा विभाग तोड़ दिया गया जिससे भारी नुकसान हो रहा है। अतः मेरा जल संसाधन मंत्री महोदय से आग्रह है कि माही डैम की सर्वे करके सुध ली जाए। कांग्रेस की लापरवाही से, डैम की अव्यवस्था कर दी गई है उसको सुधारने की योजना पर आप ध्यान दें, ऐसा मेरा आग्रह है।

इसी तरह से अभी पूर्व में यानी 2006 में माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में रात्रि विश्राम करके, वहां डेरा डालकर, सूखे क्षेत्र को पानी देने की योजना बनाई गई थी। उस योजना का सर्वे भी हो गया। जहां पर तीन नहरों की घोषणाएं की गई थीं। खमेरा नहर भूंगड़ा नहर से आर डी नम्बर 1980 और माही डैम पितर से पीपलखूंट ढाईमुख कैनाल और अपर हाई लेवल बागुदार नहर। यानी उस नहर के अन्दर सर्वे के लिए 112 करोड़ 40 लाख रुपये की घोषणा की। सर्वे हो गया लेकिन कांग्रेस की सरकार बैठते ही वह सारी फाइलें, रिकार्ड दबा दिया गया। जल संसाधन मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि उन फाइलों को निकाला जाए और सर्वे में लिया जाए और दक्षिणी राजस्थान के माही डैम की सुध लेकर वापस वहां के आदिवासी किसानों को और अन्य सभी प्रकार के किसानों को सही ढंग से रास्ता बताया जाए। वहां का किसान प्रचूर पानी होने के बावजूद भी तकलीफ पा रहा है इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है।

अभी हाल मौके पर ग्राम पंचायत काली मगरी नरवाली डूगरियां जगपुरा मैंने जहां सर्वे किए उस सर्वे में टिलों पर सब जगह फ़सलें, कांग्रेस के कार्यकाल और करतूतनामे से वहां का किसान दुःखी होकर आज घूम रहा है। वहां करोड़ों का नुकसान हो रहा है इसलिए मेरा आग्रह है कि माही डैम की सुध लेकर इस काम को व्यवस्थित कराया जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा पीपलखूंट क्षेत्र सूखा क्षेत्र है। उस सूखे क्षेत्र में तालाबों का निर्माण कराने के लिए कई बार मैं कह चुका हूं।

(श्री नवनीत लाल)

सरकार द्वारा भी योजनाएं शुरू की गई हैं लेकिन जो रिकार्ड दबा हुआ है, अव्यवस्थित है, पेयजल के लिए टैंकर लगाये जाते हैं, तो जिस पंचायत में टैंकर लगाने के लिए जो स्वीकृति मिलती है वह टैंकर उस पंचायत में नहीं पहुंचता, रास्ते में ही महिलाएं पानी के लिए खड़ी हो जाती हैं। मेरा ऐसा आग्रह है कि वहां अव्यवस्था है उसको ठीक ढंग से कराया जाए वहां पर आने जाने में, घूमने-फिरने में भौगोलिक स्थिति की बड़ी दिक्कत है, मेरा आग्रह है कि विशेष ध्यान दिया जाए। दक्षिणी राजस्थान में सूखा, ऊंची-नीची पहाड़ियां है, पीपलखूंट का क्षेत्र है, वहां पर मौकाटोक नाम के तालाब के सर्वे के लिए माननीय मंत्री महोदय जी को भी निवेदन किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने निवेदन किया है।

वहां पर मोका टोक नाम के एक तालाब के सर्वे के लिये माननीय मंत्री महोदय जी से भी निवेदन किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मैंने निवेदन किया है। मोका टोक नाम का जो तालाब है, अगर वह तालाब बन जाता है तो यह टैंकर लगाने की योजना नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, जल स्वालम्बन हो ही गया तो महिलाएं टैंकर क्यों लूट रही हैं। (व्यवधान) जल स्वालम्बन तो हो गया।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): वहां पर मोका टोक तालाब बनने से ग्राम पंचायत ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये डिमाण्ड कर रहे हैं जो पानी की डिमाण्ड पर बोलना चाहिये, वह डिमाण्ड बोल रहे हैं। अब मैम्बर नहीं हैं तो पहले स्थगित कर दो, कौन मना कर रहा है, पांच बजे पहले ही कर दो।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): हां, आपका जो कारनामा है न, वह आपके कारण ही सारा हो रहा है। वह देख रहे हैं कि ये सारे...।

ग्राम पंचायत मोका टोक तालाब बनने से ग्राम ठेसला, करबी, गामली, कूण्डली, महूवाल...

श्री सुशील कटारा (राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी): दो बार हो गया जनजाति सदस्य को नहीं बोलने दे रहे हैं। इससे पक्का हो गया कि कांग्रेस आदिवासी क्षेत्र के लोगों को नहीं बोलने देना चाहती है।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): बरदा, आमलीखेड़ा, गढ़ा, बानघटी, मऊ, लिम्बोदा, लिम्बोदि, जराली की कुल 5640 हैक्टेयर जमीन पीयत होगी और वहां कुओं में, तालाबों में पानी का स्तर ऊपर आये, ऐसी वहां की जनता की मांग है, वहां के अधिकारियों की रिपोर्ट है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को जानकारी दी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा हमें आश्वासन भी दिया गया है। अतः मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर आप ध्यान दें, ताकि वहां का सूखा क्षेत्र है, वह आबाद हो और वहां का किसान भी खुशहाली में आये। ऐसा मेरा आग्रह है।

एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि वन विभाग की तरफ से, वन में रहने वाले जानवर गांवों में निकल आते हैं, तो वहां जगमेर, जोगीमाल नाम की पहाड़ियां हैं। वहां बड़े शेर, हिरण, जंगली गाय वगैरह वहां आ करके किसानों के खेतों में नुकसान कर देते हैं। तो माननीय वन मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि उसका सर्वे करवा करके किसी एक जंगल को बाउण्ड्री वाल बनाई जा करके वहां के जंगली जानवरों को एक तरफ जंगल में रखा जाये और उन जानवरों को खाने-पीने के लिये व्यवस्था कर दी जाये तो किसानों को खेतों में जो नुकसान करने के लिये आते हैं, वह नुकसान नहीं होगा।

इस प्रकार से स्मरण करते हुए मेरी सदन को सूचना है, माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा जो काम की योजनाएं बनाई जा रही हैं, गांव-गांव में अभी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा सुराज यात्रा में जो गीत गाये जा रहे थे, वह आज भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम से वाहवाही हो रही है। जितने काम हुए हैं, अभी सहकारिता विभाग के द्वारा, आदिवासी व्यक्तियों में खाते का नियम नहीं था। आदिवासी गांवों में खाता बना करके कोई पैसा बैंक में रखने की परम्परा नहीं थी।

(16.53 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा वर्तमान में आदिवासियों को खातेदार बना करके, महिला के नाम का खाता खोल करके, सम्पत्ति की रक्षा किस तरह से की जाये और गरीब से गरीब तबका ऊपर कैसे आये, ऐसी योजना बनाई जा करके यह भामाशाह योजना के नाम से जो ये खाते...।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक घण्टा, आधा घण्टा नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): एक घण्टा बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर, मैं कह रहा था, भामाशाह खाता, महिलाओं के नाम खाता खोल करके सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये जो योजना बनाई है, जिसके लिये आदिवासी गांवों में यह एक रौनक बन गई है कि पैसा, धन किस तरह से बचाया जाये, व्यवस्था कैसे की जाये, परिवार को कैसे पाला जाये, यह योजना जो बहुत कारगर योजना है और इसके नाम से आज हमारे दक्षिणी राजस्थान में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अभी योजना बनी है, इस योजना की काफी बड़ाई कर रही है वहां की जनता। हम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बार-बार धन्यवाद देना चाहते हैं और माननीय मंत्रीगणों से मेरा आग्रह है कि यह जो मंत्रियों की टोली वहां पर आई थी, इस टोली के अन्दर जो-जो योजनाएं आपको याद कराई गई हैं उन पर भी आप ध्यान दे करके इस काम को करने की कोशिश करें। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये धन्यवाद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो राजस्थान में तीन साल में काम किये हैं, वह तो वास्तव में सराहनीय हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')
आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये गये अभिभाषण के पक्ष में खड़ा हूं।

मान्यवर, यह सच है कि राजस्थान अपनी संस्कृति के लिये दुनिया में विख्यात है। यहां की आन-मान और शूरवीरता के किस्से, आज भी वहां के सपूतों के सुनाते हैं। स्वतंत्र भारत में राजस्थान की विधान सभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। यहां की स्वस्थ परम्परा रही है कि हम प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों का मिल करके मुकाबला करेंगे। साथ ही आपस में बंटे हुए विपक्ष से अनुरोध करुंगा कि इस लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करें।

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन, मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जल स्वावलम्बन की दृष्टि से राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना सोचा था, वह वास्तव में कायम हुआ है। जो राजस्थान में अच्छी वर्षा हुई है, उसमें जल स्वावलम्बन एक बहुत बड़ा कारण है। एक, न्याय आपके द्वार जो शिविर लगे थे पूरे राजस्थान में, वह शिविर वास्तव में बहुत सक्सेसफुल शिविर हैं और उसमें ग्रामीण लोगों के जो काम हुए हैं वह वास्तव में सराहनीय काम हैं। कम से कम 48 हजार के आसपास केस निपटे हैं। इन शिविरों से गांवों में काफी फायदा मिला है। आगे भी ऐसे शिविर लगते रहेंगे, उससे काफी फायदा मिलेगा। किसानों को एक सबसे बड़ी राहत मिली है बिजली के बारे में, जो बिजली की बड़ी हुई दरें वापस ली हैं, या जो-जो भी बिजली के बारे में परिवर्तन हुआ है उससे राजस्थान की जनता वास्तव में इतनी खुश है और आने वाले दिनों में उसका जो फायदा मिलेगा, वह बहुत ज्यादा फायदा है और बिजली की दरें घटाने पर इस मंच के माध्यम से मैं बिजली मंत्रीजी और वसुन्धराजी को मैं धन्यवाद देता हूं।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किये गये नवाचारों के ठोस परिणाम सामने आये हैं। बाम्बे हाई के बाद राजस्थान देश का अग्रणी तेल उत्पादन क्षेत्र बन गया है। राजस्थान सरकार की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पांच लाख रुपये, किसान क्रेडिटधारक सदस्यों को दस लाख तक की सीमा तक ऋण राशि का सहयोग, बीमा योजना बढ़ाई गई है। पर्यटन को बढ़ावा, वरिष्ठ नागरिकों को आज की तारीख में 19500 धार्मिक स्थल, 168 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर, एक लाख रुपये प्रति व्यक्ति की सहायता से, जो जा रहे हैं, वास्तव में जो बुजुर्ग लोग, जो पूरे राजस्थान में खुश हैं, वे घूमने के माध्यम

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

से, और आज चित्तौड़गढ़ जिले से और राजस्थान से काफी संख्या में यात्राएं कर रहे हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु आठ जिलों में शिक्षा, चिकित्सा, कौशल विकास हेतु 180 करोड़ 63 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पांच हजार अन्नपूर्णा भण्डार, जहां 150 से 350 ब्राण्डों का सामान उचित मूल्य पर मिल रहा है। देश में पोस मशीनों के पश्चात कोई समस्या नहीं है, ई-मित्र, राशनकार्ड, आनलाइन, राज्य में एल.पी.जी. अनुदान सब्सिडी का सीधा भुगतान हो रहा है। आज संगीन प्रकरणों की आनलाइन मानिटरिंग हो रही है। जितनी रिपोर्टस या एफ.आर. दर्ज हो रही हैं वे सभी आनलाइन हैं।

स्वायत्त शासन नागरिक, 2016-17 में पांच लाख एल.ई.डी. लाइट्स, 5.28 लाख से लगाई जा चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ शहर भी अमृत योजना में है। 29 शहरों में अमृत योजनायें चालू हो गई हैं। स्मार्ट सिटी में जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर का भी चयन हुआ है। मुख्य मंत्री जन आवास याजना में डूंगरपुर जैसे खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं। घर-घर संग्रह योजना छोटे वाहनों से, गोकुल योजना, नरेगा, जन कल्याण शिविर, स्वच्छ भारत मिशन में बीकानेर देश का पहला जिला है। सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग। अन्तरजातीय विवाह योजना में 47 करोड़ 28 लाख रुपये व्यय हुए हैं। 1077 दम्पत्ति लाभान्वित हुए हैं। देवनारायण गुरुकुल योजना में 25 करोड़ 85 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 3084 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। छात्रवृत्तियों का समय पर वितरण, विधिवत योजना, पालनहार योजना, महिला एवं बाल विकास मुख्य मंत्रीजी की अग्रिम पिल, मुख्य मंत्रीजी की राज स्त्री योजना, इस तरह की योजनाओं में बालिकाओं का जन्म एवं 12वीं कक्षा तक 50 हजार रुपये की सहायता, नन्दघर योजना, सामाजिक सहयोग से आधुनिक बनाया गया है।

84 हजार पदोन्नतियां और 37 हजार से अधिक नियुक्तियां, ग्रामीण राजकीय विद्यालयों में 6 हजार छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, स्मार्ट क्लास, गार्गी पुरस्कार, माडल स्कूल और विवेकानंद विद्यालय।

(17.00 बजे)

कृषि एवं पशुपालन- ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) का आयोजन, मृदा परीक्षण कार्यक्रम, सायल हैल्थ कार्ड, ई-टेंडरिंग, नीलामी, आयल टेंडरिंग लैब, ज़ैतून, रिफाइनरी, फसल बीमा योजना का पूर्ण लाभ मिला है।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

ग्रामीण एवं पंचायती राज में, राज्य एवं केन्द्र की 4767.68 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना, मेवात, मगरा, डांग विकास गुरु, सड़क औसतन 14 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण हुआ है। 12508 करोड़ रुपये दिये गये हैं। केन्द्रीय सड़क निधि में 2500 करोड़ रुपये की सर्वाधिक स्वीकृतियां, आर.ओ.बी., पुलों, राजमार्गों का, जिलों की सड़कों के लिए जारी किये गये हैं।

ग्रामीण गौरव पथ ऐतिहासिक कार्य, गांवों का कायापलट हो गया है। करीब 4 हजार किलोमीटर लम्बाई के गौरव पथों का निर्माण हुआ है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में, सामाजिक निजी सहभागिता में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में आउट-डोर में 39 प्रतिशत और संस्थागत प्रसव में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कौशल विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए लगातार दो बार राष्ट्र स्तर पर गोल्ड ट्राफी दी गयी है। इसके तहत एक लाख 63 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इस दिशा में दो कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना होने जा रही है, जो देश में पहली बार है।

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, इस योजना के अन्तर्गत, 1 लाख 39 हजार युवाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु लाभान्वित किया गया है। शिक्षा, तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती में एक ही प्रशिक्षण के माध्यम से रीट, 2015 के परिणाम बाकी पांच हजार, 9191 पंचायतों में से, 9895 में से देखा है, वह इतिहास, इसमें जो परिणाम आये हैं, देखकर वह बहुत सुखद है।

27 जनवरी, 2017 से आरम्भ इस अभियान में करीब प्रथम चरण में 3529, 4200 गांवों में, 66 नगरीय क्षेत्रों में राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाया है। जो कहा वह करके दिखाया है। 21 हजार गांवों में अभियान चलाकर पेयजल की समस्या का स्थाई समाधान किया जा सकता है। जन सहयोग, सहभागिता, विश्वास बहाली की योजनाएं- गत तीन वर्षो से 4552 मेगावाट उत्पादन क्षमता की वृद्धि होगी। सात घंटे और 24 घंटे ऐतिहासिक कार्य, ट्रांसफार्मर, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, 2808 करोड़ रुपये की 33 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

7.52 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है। प्रत्येक उपखण्ड में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्लड बैंक सेंटर के रूप में विकसित किया है

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

जिसमें गायनी सहित समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। एन.एफ.एस. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभान्वित हो रही है। 77 प्रतिशत आबादी को 30 हजार से 3 लाख रुपये तक नि:शुल्क इलाज की कल्पना नहीं की थी।

भामाशाह स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 397 करोड़ रुपये का लगातार 8 लाख पात्र व्यक्तियों को कैशलेस इंडोर उपचार किया जा चुका है।

बेटी बचाओ अभियान, इस अभियान को दो बार लिंगानुपात, 888 से सुधार कर 929 रहा है, जो एक सुखद अनुभव है।

चार हजार डाक्टर्स एवं 20 हजार नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा बस्सी, उरई, नहरों के, मेरे वहां 15 करोड़ रुपये के आस-पास भी आये हैं और इसके अलावा विकास के काफी काम हो रहे हैं। मेरे को बोलने का मौका दिया इसके लिए जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे जो अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए और मैं समझ रहा था कि पिछले दो दिन से 23 तारीख को महामहिम ने जब इस विधान सभा में अभिभाषण को पढ़ा, उसको सुनने के बाद कल से जब बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने इस प्रस्ताव को किया कि भाई, महामहिम के अभिभाषण पर डिबेट शुरू उन्होंने धन्यवाद देते हुए शुरू की। उस समय से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि जब मैं समझ रहा हूं कि कोई भी बात को अपने यहां से स्टार्ट की जाए तो माननीय सदस्यों को सुनने के बाद इतिहास की भी बहुत बात आई और मैं मेरी बात को शुरू करूं तो यहां से करना चाहूंगा कि इस देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब बी.आर. अम्बेड़कर ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने समाज और क्षेत्र का इतिहास नहीं जानता वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो मैं इस बात के लिए माननीय पूर्व वक्ता सदस्यों के रूप में जो भी हमारे माननीय सदस्य यहां पर रहे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सदन की गरिमाओं का मुझे ध्यान दिलाया, अहसास करवाया और उनकी इतिहास-सम्मत काफी बातें रखीं, उनके लिए भी मैं इन सबका भी आपके साथ-साथ आभार व्यक्त करते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहूंगा कि कोई भी देश और प्रदेश किसी भी संघ/विधान से चलता है,

(श्री पूरणमल सैनी)

चाहे वह किसी भी प्रकार की निम्न स्तर की संस्था हो। तो हमारा यह प्रदेश भी इस देश के संविधान के अनुसार चलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के संविधान में पिछले दो दिन से जब सरकार की उपलब्धियां माननीय सदस्य भारतीय जनता पाटी से आने वाले लोगों के द्वारा यह गिनाया जा रहा है कि हमारी सरकार ने यह कर दिया, यह कर दिया। हर विभाग की अपनी उपलब्धियां गिनवायी जा रही हैं। मैं मानता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा इस बात का। इन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने जो किया होगा, उससे ज्यादा बहु-गुणा कर दिया होगा लेकिन कांग्रेस की जब सरकार रही तो उन्होंने भी अपनी उपलब्धियों के लिए हर विभाग के लिए अपना एक काम किया होगा। दोनों ही सरकारों ने अपना काम किया लेकिन हम बी.जे.पी. और कांग्रेस के अलावा जीत कर आने वाले माननीय सदस्य इनके आरोप और प्रत्यारोपों को सुनने के लिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि यहां पर नहीं आते हैं। मेरी यह डिमांड है कि भारत के संविधान में और बहुत ज्यादा नहीं, यह लोग अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं लेकिन आज तक उस गरीब मजदूर और किसान को इस भारत देश के संविधान में जो प्रोविजन फरमाये गये हैं, वह भी आज तक यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उस गरीब जनता को आज तक मुहैया नहीं करवा पाई।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुजन आएगी अगर इसी तरीके से चलते रहे तो निश्चित रूप से आना ही है, इसमें कहां क्या कोई दो-राय है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के संविधान में जो भी प्रोविजन रहे हों, वह अलग बात है, महामहिम ने अभिभाषण में सरकार के द्वारा पिछले तीन वर्ष में की गयी विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को गिनवाया, सही है लेकिन मेरा यहां पर एक सवाल है कि इस सदन की नेता माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने पिछले सात-आठ दिन पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी की और किसानों की विशेष मांग पर और विशेष पड़ाव स्थल जाने पर और उनसे मिलने के बाद उस बढ़ी हुई दरों को वापस लिया। मेरी यहां पर एक मांग है कि जब प्रदेश की सरकार दरों को बढ़ाती ही नहीं है तो उन दरों को घटाने की कहां पर जरूरत पड़ती है? और घटा दिया तो बढ़ाया भी तो आपने ही था?

(श्री पूरणमल सैनी)

कहां जरूरत थी बढ़ाने की? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस बढ़ाये, बी.जे.पी. बढ़ाये लेकिन उस देश के, इस प्रदेश की गरीब जनता और उस किसान पर बहुत बड़ा भार इस बात का जा रहा था और मैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाना चाहूं तो मैं बात करना चाहूंगा कि राजस्व, आज तक इस देश, प्रदेश में चाहे बी.जे.पी. ने राज किया या चाहे कांग्रेस ने किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा अहम सवाल है किसान के लिए, जो मैं पूर्व सदन में भी रखता रहा था, यह किसी प्रकार का चाहे वह आई.पी.सी. में हो और चाहे राजस्व में हो, किसी प्रकार का कोई अमेंड कोई सी भी सरकार आज तक लेकर नहीं आ पायी।

उदाहरण स्वरूप मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एल.आर. एक्ट, 1956 में किसानों के नाम जब भूमि गयी, सरकार जो भी रही होगी, उसमें एक नियम बनाया कि किसानों के नाम जमीन जानी थी, उसी समय मंदिरों के नाम से इस प्रदेश में जमीनों का खातेदारी हक है। आज उन मंदिर माफी की जमीनों में कृषक लोग निवास करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको जाने के लिए कोई रास्ता कटान ही नहीं मिल रहा है। वह अगर उस जमीन को मोर्गेज करते हुए किसी प्रकार का सरकार के द्वारा दिये जाने वाला लोन अगर लेना चाहे तो वह उनको नहीं दिया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही बात नहीं है। उसको पट्टा नहीं होने की वजह से किसी भी जगह वह अपना घर किसी भी स्थान पर गिना नहीं सकता कि मेरे पास एक घर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं आज भी राजस्थान की सरकार चाहती है कि हर घर और गांव तक बिजली पहुंचे लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि वह किसान अपने खेत में पानी, पेयजल के लिए अगर कोई कुआं बना ले, ट्यूबवैल बना ले तो उसमें आज राजस्थान की सरकार कनेक्शन नहीं दे सकती। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से और माननीय राजस्व मंत्री महोदय से कि इस कानून में संशोधन के लिए बिल लाया जाए और उस किसान को जो 100 वर्षों से अर्थात्, चार पीढ़ियों से लगातार अगर वह किसान वहां पर बसा हुआ है तो उस किसान को उस खातेदारी का हक आज की यह सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बात यही नहीं है। इसमें और भी बहुत बातें मैं कहना चाहूंगा कि आई.पी.सी. की जो धाराएं हैं, उन धाराओं के हिसाब

(श्री पूरणमल सैनी)

से चाहे किसी के साथ कितना अन्याय हुआ होगा, चोट काउंट की जाती है और उसी के आधार पर उसी को बेस मानते हुए उन पर धाराओं को लगा दिया जाता है और उसी हिसाब से दण्ड मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो किसी भी रिकार्ड पर यह चीज नहीं होती कि किसी को कोई चोट लगी और उसको एक तरफ तो कहते हैं कि इसमें धारा 308 जाएगी इसलिये कि जानलेवा हमला रहा और जानलेवा चोट थी, लेकिन उन्हीं चोटों को आई पी सी धाराओं में यह बायफरकेशन करके यह नहीं बताया गया कि वह चोट कहां तक पहुंचती और उसके बाद उसको जान लेवा हमला या मार मानी जाती। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो नियम हैं, उनमें परिवर्तन के लिये माननीय गृह मंत्रीजी, विचार करें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब संविधान में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि किसी भी विभाग में जब नौकरियां लगायी जाएंगी तो बायफरकेशन करके दिया हुआ है। यह देश वर्गों का देश है कि किस वर्ग की किस जाति को कितनी नौकरियां दी जानी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी विभाग जब भर्तियां निकालता है और जब से यह देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक वह भर्तियां उन पदों के लोग या तो उस समय मिल नहीं पाये होंगे और वह बैकलाग, चाहे किसी भी विभाग में है, आज तक बढ़ता जा रहा है और उस बैकलाग की भर्तियों के लिये हम बार-बार मांग करते हैं लेकिन आज तक किसी भी विभाग के लिये, किसी भी माननीय मंत्री ने इस बात पर विचार नहीं किया। मैं मांग करना चाहूंगा, पिछली बार भी मैंने विधान सभा सत्र के दौरान एक सवाल किया था कि आयुर्वेद में नर्स और कम्पाउंडर के 300 बैकलाग के पद रिक्त थे और उन बैकलागों पर राजस्थान की सरकार ने 100 लोगों के लिये भर्तियां निकालीं और उसमें 100 नर्स और कम्पाउंडरों की भर्ती के लिये जब लोगों को आमन्त्रित किया तो उनको अस्थायी तौर पर 100 लोगों को नियुक्तियां देकर छोड़ दीं, लेकिन आज तक उनको परमानेंट नियुक्तियां नहीं दी गयी हैं। ऐसे इस उदाहरण के माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जितनी भी जिन-जिन विभागों में बैकलाग के रूप में जो भर्तियां आज तक बाकी हैं, उनको अविलम्ब राजस्थान के उस गरीब और मजदूर को, जो उसके लिये क्वालिफाई करता है और डिजर्व करता है, उसको उस विभाग में बैकलाग की पूर्ति करते हुए नौकरियां दिये जाने का श्रम फरमायें।

(श्री पूरणमल सैनी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन सरकार चाहे कांग्रेस की रही होगी, चाहे बीजेपी की रही होगी, लेकिन अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में कांग्रेस के गोविन्द जी डोटासरा कह रहे थे कि विद्यार्थी मित्रों की भर्ती, फिर उधर माननीय गृह मंत्रीजी का जवाब आया कि विद्यार्थी मित्रों की भर्ती हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2006 में की थी। ठीक है, राजस्थान की जनता की ओर से और उन 26 हजार विद्यार्थियों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो 2006 में निकाली, लेकिन आज तक उनकी पीड़ा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह निरक्षर पंचायत का सरपंच चाहे आज की तारीख में डिग्रियां ला-लाकर जब सरकार ने यह तय किया कि पढ़े-लिखे लोगों को ही सरपंच बनाया होगा, वह पढ़े-लिखे लोगों को नौकरियां दे रहे थे और वहां 40-50 प्रार्थना पत्र लेकर लोग वहां उपस्थित हुए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार ने कोई ठोस नियम और धरातल पर उनको नहीं दिया इसलिये वह विद्यार्थी मित्र भटकते फिर रहे हैं। मैं अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि उन विद्यार्थी मित्रों को, जो नियुक्ति के लिये भर्ती प्रक्रिया आपने अपनायी है, वास्तव में अगर विद्यार्थी मित्रों को नियोजित करने के लिये वह भर्ती निकाली थी, तो क्यों नहीं राजस्थान की सरकार ने और जिस भी किसी एजेन्सी से यह भर्तियां करवा रहे थे, उनको साफ-सुथरा निर्देश दिया गया कि इन-इन नियमों के तहत और सर्वप्रथम प्रायोरिटी में विद्यार्थी मित्रों को ही रखा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा रहा होगा, चाहे लिफाफे चेंज किये जा रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता वह क्यों किया जा रहा है। किसी का भय है या किसी को फायदा देने के लिये किया जा रहा है, लेकिन यह समाचार हमारे पास भी हैं कि दूसरे जिलों में किये जा रहे हैं और हमारे जिले में भी ऐसी अपेक्षा है कि जिन विद्यार्थी मित्रों को छोड़ा गया है, उनको इसमें जोड़ा जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी इशारा कर रहे थे श्रवण कुमार जी कि समय में अपनी बात पूरी करो। मैं एक और निवेदन सरकार के हक में करना चाहूंगा और प्रपोजल के रूप में इनसे निवेदन करूंगा सरकार से, कि भारत सरकार को यह लिखा जाए कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक प्रोजेक्ट चलता था। राजस्थान सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां दी जायें लेकिन मेरे यहां करीब 25 हजार लोगों का नियोजन था,

(श्री पूरणमल सैनी)

कापर प्रोजेक्ट में, और वह प्रोजेक्ट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे 2002 के बाद नीचे आता जा रहा है, लेकिन इसलिये नहीं कि वहां का डिपोजिट खत्म हो गया। वहां का डिपोजिट खत्म नहीं हुआ। वहां का डिपोजिट इस देश में सर्वप्रमुख और सबसे ज्यादा अगर कहीं निकलता है तो सवा दो प्रतिशत सोना उस विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के कापर प्रोजेक्ट में निकलता है। तांबे की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, तांबा तो बहुत ज्यादा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस प्रोजेक्ट के लिये राजस्थान सरकार प्रपोजल करके भिजवाये या राजस्थान सरकार चाहे तो वह अपने हक में जो किसान और मजदूर, किसान जब अपनी बिजली फ्री मांगने की बात करता है और दूसरा माननीय सहकारिता मंत्रीजी से और फ्री लोन की मांग जब किसान करता है, मैं दावा करता हूं अकेला खेतड़ी प्रोजेक्ट इस पूरे राजस्थान के किसानों की बिजली फ्री कर सकता है और पूरे राजस्थान के किसानों के लोन को माफ कर सकता है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की सरकार केन्द्र की सरकार से मांग करे कि इस प्रोजेक्ट को पुनःस्थापित किया जाये। आज की तारीख में स्थितियां यह हैं कि कम्पनी के लोग तो चले ही गये, लेकिन प्राइवेट कम्पनियों को जो काम दिया गया, उन प्राइवेट कम्पनियों की समय सीमा संवेदकों की खत्म हुई तो उस समय सीमा के साथ ही वहां के कमजोर तबके के लोगों को मजदूरी दी गयी थी, उनको भी घर जाना पड़ रहा है जिनकी संख्या करीब 700-800 है। मेरी मांग है कि अविलम्ब खान मंत्री द्वारा देश की सरकार से बात करके और उनका भी नियोजन करवाया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने काफी मेहरबानी की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिये इस तरह से भटकना पड़ रहा है। समय का अभाव है, इसलिये मैं मांग करना चाहूंगा माननीय युनूस खान साहब से, कि सुबह जब प्रश्न उठ रहा था उस समय भी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हम इस बात को मान लेते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं मांग करना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न भी लगाये। स्टेट हाइवे 13, जो हमने नहीं बनाया, 2004 से लगातार सरकार जिनकी भी रही होगी, उसके बाद लगातार टूटी थी और संवेदकों ने केवल एक बहाना लगाया कि इन पर ओवर लोड वाहन ज्यादा चलते हैं इसलिये जल्दी टूट गया,

(श्री पूरणमल सैनी)

बाकी 2004-05 में बनकर और 2006-07 में ही वह खत्म हो गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है यह सार्वजनिक मुद्दा है और अकेले खेतड़ी के लिये नहीं है। यह दो स्टेटों को जोड़ने वाली वह सड़क है तो जब भी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय इसके लिये प्रोविजन करें तो मेरी मांग है कि उस स्टेट हाइवे 13, जिसके लिये सूरजगढ़ और बुहाना, या मैं कहूं हरियाणा की जनता जब जयपुर आना चाहे तो उसी सड़क से आती है, मेरी मांग है कि उस सड़क को माननीय मंत्री उसका प्रोविजन करें और जो भी अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया और आपने मुझे बोलने के लिये आपने अवसर दिया, इसके लिये आप सबका धन्यवाद। जय भीम। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण गुर्जर।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। महोदय जी, हकीकत है कि आज सरकार बजट में बड़े-बड़े करोड़ों रुपये डाल देती है। गयी साल के बजट में बहुत घोषणाएं कीं और उसके बाद आज भी वह काम नहीं हुए। दूसरा बजट आ गया। मैं जहां तक समझता हूं कि उन अधिकारियों की एक पीड़ा है, वह क्या है? तीन साल हो गये सरकार को, आंकड़ों के जाल में फंसा रखा है और वह क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ उन डिपार्टमेंटों में और जेल गये अधिकारी।

वो आई.ए.एस., वो आई.पी.एस., वो आर.ए.एस. गये। वो पीड़ा के कारण ही सरकार को आंकड़ों के जाल में फंसा देते हैं, काम हो नहीं पाता।

अभी बहुत से गीत गाये जा रहे थे सरकार के। आपने देखा कि खान विभाग में, चिकित्सा में और पी.एच.ई.डी. में, इनमें अधिकारी जेल गये जबकि मंत्री यों समझिये कि नींद में सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो गया। आप इस बात को मानें या नहीं मानें। सरकार को आगाह करें कि आने वाले समय में जो आज बिहार में हुआ है, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. सड़क पर आये हैं, वो राजस्थान में भी होगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज यह कहते हैं कि 60 साल में, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अभी मेरे भाई

(श्री रामनारायण)

बता रहे थे कि माही डैम, भाखड़ा नांगल, चम्बल डैम, यह अभी इनकी ही सरकार के टाइम में बने हैं क्या? आज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यह व्यवस्था ही नहीं देख पा रहे हैं इसलिए जब तक धरातल पर आकर नहीं देखेंगे तब तक बात बैठने वाली नहीं है, खाली बजट की घोषणाएं कर देते हैं।

मैं मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का नमूना बताता हूं। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री सड़कों के बारे में भाषण देते हैं कि जाल बिछा दिये, नोन-पेचेबल वर्क के मामले में सरकार को प्रस्ताव भेज दिये हैं जबकि पेच वर्क ही नहीं हो पा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि आप दो साल में पेच वर्क करा दोगे तो ही हम मान लेंगे। यह हाल हो रहा है सड़कों का, आम आदमी चल नहीं पा रहे हैं।

साथ ही बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दी थीं। नसीराबाद में आर.ओ.बी. की घोषणा की, 70 करोड़ का बजट डाल दिया, एक ईंट नहीं लगी। इसी तरह से एक गांव जेठाणा है, बाइपास की घोषणा कर दी, हर घंटे में जाम लग जाता है, दो बड़ी सीमेंट कम्पनियां हैं उनमें उस गांव से अन्दर से होती हुई गाड़ियां जाती हैं। नसीराबाद में छावनी है, वहां भी यही हाल है। नसीराबाद-ब्यावर रोड पर बाइपास की घोषणा की, मुख्य मंत्रीजी आये थे और आज तक पता ही नहीं है कि वो घोषणा कहां गयी। तो जब तक धरातल की बात नहीं करेंगे तब तक बात बैठने वाली नहीं है।

इसी तरह पी.एच.ई.डी. का हाल है। पी.एच.ई.डी. में कांग्रेस सरकार ने 265 करोड़ जवाजा में डाले थे, 270-275 करोड़ पीसांगन में डाले थे, आज तक वहां पानी नहीं मिला। फ्लोराइड का पानी है, कांग्रेस के टाइम में वो पैसा डला था, काम ही नहीं कर पा रहे हैं। श्री शंकर सिंह जी रावत ब्यावर के विधायक हैं, पैदल चल कर आये थे और सरकार ने पैसा डाला, वहां भी अभी जवाजा में कोई काम नहीं हुआ। तो धरातल पर तो कुछ काम ही नहीं हुए, खाली घोषणाएं कर देते हैं।

चिकित्सा का हाल देख लो, डेढ़ सौ बैड का हास्पिटल है नसीराबाद में, हाल यह है कि तीन-तीन सर्जन लगे हुए हैं, अगर साल के पांच आपरेशन भी बता दें तो मान जाऊंगा कि हां, इन्होंने पांच आपरेशन किये हैं। कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ चांदी कूट रहे हैं। करीबन 200 पेशेंट रोज आते हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): वह सरकार सुनती नहीं थी, अभी की सरकार पूरी सुन रही है इसलिए बिलकुल शांत बैठे हैं। वो सरकार सुनती नहीं थी इस कारण धरना-प्रदर्शन, पैदल चलना उस सरकार में किया था। अभी तो सब सुन रहे हैं, हमारी सरकार सारी सुन रही है।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): थोड़ा सुनो। आप सुन तो लो, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूं।

इसी तरह 150 बैड के हास्पिटल में 200-300 पेशेंट आते हैं सिर्फ रैफर टू अजमेर, रैफर टू जे.एल.एन., बस यही हाल है। पांच पेशेंट भी भर्ती नहीं रहते हैं। 15-20 डाक्टर हैं, एक डाक्टर हैडक्वार्टर पर नहीं रहता। यह तो व्यवस्था है।

इसी तरह से सबसे बड़ी पंचायत समिति है पीसांगन, महिला डाक्टर नहीं है। आप बताते हैं कि बच्ची बचाओ, बच्चियां पढ़ाओ, जरा सा भी कोई काम हो तो महिलाओं को अजमेर आना पड़ता है। श्रीनगर पंचायत समिति सबसे बड़ी पंचायत समिति है, डाक्टर है ही नहीं, रात को एएनएम काम चलाती है। तो यह व्यवस्थाएं सरकार को देखनी चाहिए उसके बाद ही घोषणाएं करनी चाहिए।

बिजली का हाल देखिये, किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे, पांच घंटे भी नहीं आ रही। लोड शेडिंग के नाम पर घंटों ही बिजली काट देते हैं। शाम को किसी गांव में बिजली नहीं मिलती है।

किसानों का इतना बुरा हाल है कि वहां तीन-तीन साल के आडिट पैरा बना रहे हैं। तीन साल पहले आडिट नहीं हुआ, तीन साल से आडिट का पैसा निकाल रहे हैं। साल का साल आडिट कराते तो उस बेचारे गरीब को पता भी पड़ता कि क्या है, क्या नहीं है और बस आडिट के नाम से तीन साल का बिल ले रहे हैं। बड़ी लूट मचा रखी है, कोई कहने वाला ही नहीं है।

साथ ही अभी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का गीत गाया जा रहा था कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया है और यह क्या योजना बनायी है, सिर्फ लूट की योजना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन तालाबों में पहले नरेगा के तहत काम हुए थे, उनमें ही जे.सी.बी. से काम कर दिया गया, उन्हीं की एम.बी. भरी गयी। नरेगा में एम.बी. भरी गयी थी, दुबारा उनको ही वापस एम.बी. भर दी गयी और बता दिया गया ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सदस्य, आपके पास कोई स्पेसिफिक उदाहरण हो तो बताओ, उसकी जांच करवाते हैं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): आ जाओ, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यूं, यूं खड़े होकर वेग कोई बात कह देना।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय मंत्रीजी, आ जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, आप लिखकर दो न, मैं जिम्मेदारी से सदन में कह रहा हूं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): हां, लिख कर दे देंगे, आ जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं सदन में कह रहा हूं, यहां से भेजकर इसकी जांच कराने के लिए ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण (नसीराबाद): बिलकुल है। बिलकुल हकीकत है, आ जाइये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मतलब यों ही बात करना। आप सदन की गम्भीरता देखो न। उपाध्यक्ष महोदय विराजे हैं, सदन की गम्भीरता देखो।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): आप सुनने की क्षमता रखो। आप आ कर देखो तो सही जब मान लेंगे आपको।

पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी अभी हैं नहीं, आप गौरव पथ की बात कर रहे हो, गौरव पथ का यह हाल है।

एक माननीय सदस्य: बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नसीराबाद): हैं मंत्रीजी। आ गये अभी।

गौरव पथ में 30 परसेंट बिलो रेट कांट्रेक्ट हुए हैं और उसका हाल यह है, दो साल पहले कम्प्लेंट की थी आज तक कुछ नहीं हुआ। डामर रोड पर ही गौरव पथ बनायेंगे ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): कांग्रेस के गौरव पथ से हल्के गौरव पथ बन रहे हैं क्या?

श्री रामनारायण (नसीराबाद): सुनो, भाई साहब, सुनो एक मिनट। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) गौरव पथ बनायेंगे सिर्फ डामर पर ही बनायेंगे।

(श्री रामनारायण)

गांवों में जो गांवों की गलियां हैं, जो रास्ते हैं वहां नहीं बनायेंगे। और उसमें करेंगे क्या? दो इंच जो डामर है उसको खोद दिया, चार इंच की गिट्टी बच गयी, उसको वापस सीमेंट कर दिया और गौरव पथ तैयार हो गया। यह हुआ है। जिनकी शिकायतें करीं उनकी आज तक जांच नहीं हुई।

मैं आपसे धरातल की बात कर रहा हूं, आप आकर देखें तो पता पड़ेगा। मैं आप से बगैर सबूत के एक बात भी नहीं कर रहा हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) गौरव पथ बड़े सुन्दर बन रहे हैं पर उनमें हुआ क्या है, आप यह तो देखो।

श्री हीरालाल (निवाई): विकास तो बी.जे.पी. के राज में होगा ... (व्यवधान) नसीराबाद तो बहुत डवलप हो गया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण (नसीराबाद): स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का हाल यह है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है गौरव पथ को लेकर के, यह विषय पहली बार आया है। वैसे पूरा हाउस बैठा है। जिस तरीके से यह बता रहे हैं, उस तरीके से एक भी गौरव पथ बना हुआ नहीं है। यह मुझे दे दें, उसकी जांच करवा देंगे। अभी दे दें आप, हाउस छोड़ने से पहले।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): दे दूंगा। अभी लिखवा दूंगा। मैं आपको लिखाकर जाऊंगा। आप खुद जांच कर लें। उन सड़कों पर जहां काम हुआ है, वह सारी बता दूंगा आपको। आज भी जिंदा हैं वह सड़कें। आप चाहो तो लिख लो या बाद में लिखाऊं, बोलो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो मुझे दे देना। जिस गली में आप कहोगे न, उस गली में गौरव पथ बना देंगे। आप दो तो सही लिखकर के। सारे सदस्य बैठे हैं, इन्होंने जिस तरीके से लिखकर दिया है उसी तरह से बनाया है।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): वह कहते हैं कि हमारे नार्म्स ही नहीं हैं। हम तो सिर्फ डामर पर ही बनाएंगे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दो तो सही। आप आज तक तो मिले ही नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इनको गौरव से एलर्जी है। कांग्रेस गौरव के नाम से एलर्जी करती है। इनको गौरव होता ही नहीं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): आपके अधिकारी कहते हैं कि डामर पर ही बनाएंगे खाली। आपके अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ डामर रोड पर बनेगा और कहीं बनेगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, अगर आपको आपस में ही वार्तालाप करनी है तो मंत्री महोदय का चैंबर ही काफी है।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वच्छ भारत मिशन की बात है, मंत्रीजी, आप सुन रहे हैं कि 12 हजार रुपए उन गांवों के आदमियों को देने थे जहां उन्होंने शौचालय बनाए थे। अब बात कर रहे हैं कि सन 2011 और 12 की बेस लाइन है, उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। उन्हीं लोगों को पेमेंट करेंगे। आज उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। अजमेर जिले में 3 हजार से ज्यादा आदमी होंगे जिनको पेमेंट नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: अभी 3 सदस्य और हैं जिनको बोलना है और आधे घंटे का टोटल समय है।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): इसी तरह से बिजली का हाल देख लो। अजमेर में टेंडर करा दिए। प्राइवेट कंपनी को दे दी बिजली रख-रखाव के लिए। सरकार एक शहर की बिजली का रख-रखाव नहीं कर सकती। राजस्थान की बिजली का रख-रखाव कहां से करेगी। यह तो हाल है। पीपी मोड पर दिए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि सरकार को आगाह करें कि धरातल पर रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा। अब आप 3 व्यक्ति और बचे हैं, अगर आप 10-10 मिनट बोल लें तो सबको समय मिल जाएगा।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का मौका दिया। आज मैं सदन में चर्चा करना चाहता हूं कि विपक्षी सदस्य बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने 5 साल में क्या किया, यह अपनी गिरेबान में झांककर देखें और 3 साल में हमारी सरकार ने क्या किया। जैसे हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं, सभी मंत्रियों ने जागरूकता से काम लिया और काम किया। जो हमने बताया उसकी आप जांच करा सकते हैं। आपने 5 साल में जो किया उसका खामियाजा जनता ने आपको दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की बात

(श्री फूलसिंह मीणा)

कर रहा हूं। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 69 सड़कों का काम चल रहा है। चाहे वह मिसिंग लिंक हो, चाहे गौरव पथ हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम हो। मिसिंग लिंक में 70 साल में, एक से दूसरी पंचायत को जोड़ने का आपने कोई काम नहीं किया। मैं आपको उंगलियों में गिनवा दूं, आप जांच करवा लो, कानपुर से खरबड़िया रोड, खजूरी से कुम्हारिया खेड़ा रोड, भूजड़ा से नाई रोड, फांदा से आयड रोड, कालीवास से बचार रोड, इन बड़ी-बड़ी रोडों का काम अगर करवा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है।

पूर्व सरकार के विधायक मोटी-मोटी बातें करके, वादा करके वोट तो ले आए, मगर सरकार में काम करने की किसी को सुध नहीं थी। पूर्व विधायक ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ी-बड़ी बातें कीं। मैं आज सदन में बताना चाहता हूं कि उनके घर की पंचायत, जिसके अन्दर मैन रोड पर एक प्राइमरी स्कूल है। जिसको मिडिल स्कूल भी हमने की। उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। अब की बार 26 जनवरी को वहां के गांव वालों ने मुझे बुलाया। उनके डर के मारे वह हमें बुलाते नहीं थे। मगर अब की बार उन्होंने आग्रह किया कि हमारे यहां वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है। वहां स्कूल में जाकर देखा तो 50 साल तक आपने राज किया, आज उस मिडिल स्कूल में 147 बच्चे हैं, वहां पर केवल 3 कमरे हैं। उन्होंने खुद की पंचायत में भी विकास नहीं किया तो यह क्या हमारी जनता का भला करेंगे। हमने तो दे दिया, घोषणा भी कर दी। मगर इनकी बात बता रहा हूं। मैं पहली बार वहां गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी यूआईटी पेरीफेरी में सूखा नाका की पुलिया का भूमि पूजन होना बाकी था 2008 में और सरकार बदल गई। हमारी किस्मत खराब थी। बोट में बैठकर फोटो खिंचाया था पूर्व विधायक जी ने कि आप मुझे जिताकर भेजो और मैं अगले वर्ष आपको इस पुलिया के ऊपर से निकालूंगी। 5 साल निकल गए लेकिन उन्होंने एक करनी का काम नहीं किया। वहां एक करनी भी सीमेंट की नहीं लगाई। जैसे ही हमारी सरकार आई तो मुख्य मंत्रीजी वहां उदयपुर में आईं, उनसे आग्रह किया तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए। आज की तारीख में, गई बरसात में ही उसका निर्माण करके उन गांव वालों को पुलिया के ऊपर से निकाला।

उपाध्यक्ष महोदय, बस स्टैंड से 100 फीट रोड, पहले कम से कम आधा घंटा मादड़ी जाने में लगता था। आज उससे 5 मिनट में जा सकता है।

(श्री फूलसिंह मीणा)

100 फीट रोड बस स्टैंड से माली कालोनी, हिरण मगरी और मादड़ी को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। मादड़ी में बाइपास पर अण्डरब्रिज का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं बलीचा बाइपास से प्रताप नगर के बीच में जो रोड है, उसके अन्दर अगर 10 किलोमीटर जाना हो तो कम से कम पौन घंटा लगता था। उस रोड के लिए गई विधान सभा में जब मैंने क्वेश्चन उठाया तो मंत्री महोदय ने उसके लिए कहा कि इसे बनाएंगे। मगर किस्मत से, आपको मौका दिखाने के लिए उस रोड से निकाला तो मंत्रीजी पौन घंटे में 11 किलोमीटर पहुंचे। तब हमारे मंत्री महोदय युनुस खान जी ने कहा कि इस रोड का नवीनीकरण ही नहीं, इस रोड को फोर लेन बनाया जाए। ऐसी समस्या थी। उस रोड के लिए 14 करोड़ रुपए देकर नवीनीकरण का काम किया। हमारे निर्दोष भाई बहिन जो मर जाते थे, उनको बचाने का काम हमारी इस सरकार ने किया। नवीनीकरण की वजह से वहां आज एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। यही नहीं, बस स्टैंड से कुम्हारों का भट्टा तक 60 फीट का रोड मंजूर किया तो हमारी इस सरकार ने किया। अभी उसका भूमि पूजन हुआ है, यह भी बहुत बड़ा काम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का काम गिनाऊं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही इतना काम है कि गिनाते-गिनाते मैं नहीं थकूं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि समय की पाबंदी है।

मैं चिकित्सा के अन्दर बताना चाहता हूं कि हमारे उदयपुर सम्भाग में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 75-75 लाख से हास्पिटल खोले गए। जिसमें मादड़ी, फुहाना और अलसीगढ़, 4 हास्पिटल खोले हैं। 5 हास्पिटल 10-10 लाख रुपये की लागत से खोले गए हैं। 50-50 लाख की लागत से 21 धर्मशालाएं बनाई गईं। हमारे उदयपुर सम्भाग में 9 मोर्चरी खोली गईं। 5 करोड़ की लागत से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया। यही नहीं, 100 करोड़ की लागत से इसी वर्ष सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कालेज बनाया जाएगा। जिसमें 100 बैड होंगे। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने हमारे जनजाति के वोट लेकर सरकार बनाई, मगर आदिवासी भाइयों के लिए इन्होंने क्या किया?

मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आते ही उदयपुर सम्भाग में आदिवासी परिवारों के लिए वन उपज मण्डी खोलकर वहां के वाशिंदों को बहुत बड़ा उपहार दिया, जिसमें 312 हजार क्विंटल माल खरीदा गया। इससे जो

(श्री फूलसिंह मीणा)

कुवाड़िया चार रुपए किलो बिकता था वह साठ रुपए किलो बिका और हमारे आदिवासी परिवारों को रोजगार मिला। यही नहीं वहां सौ करोड़ रुपए का माल बिका जिससे 1.5 करोड़ रुपए की आय मण्डी में हुई। यही नहीं हमारे गलिचाई में नई मण्डी के लिए 125 बीघा जमीन का सर्वे करवाकर वहां पर मण्डी खोलने का काम किया जिसमें 841 दुकानें आबंटित होगी, किसानों को माल बेचने का, रोजगार का तोहफा इस सरकार ने दिया है।

पूर्व सरकार में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हमारे आदिवासी परिवार के भोले भाले लोग, पोस्ट आफिस वाला जो आदमी जाता था और तीन-चार महीने तक पेमेंट नहीं देता था और जब वह आता था तो दो महीने का पेमेंट या तीन महीने का पेमेंट साथ देता था और साइन कितने का करवाता था, जो देता था वही मंजूर हो जाता था। हमारी सरकार ने आते ही इस काम को आनलाइन करवाकर भामाशाह खाता खुलवाकर उसको डाइरेक्ट आनलाइन करवाकर उन गरीबों के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, अभी हमारे विपक्षी भाई बोल रहे थे मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के बारे में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हमारे जाबला, पड्ला और बारां में जो काम हुआ, हैंड पम्प गर्मी के अन्दर सूख जाता था और वहां पर मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना के माध्यम से एनीकट और अन्य बहुत सारा काम हुआ है, जिससे हमारा पानी का लेवल बढ़ा और हमारे हैंड पम्प भी रिचार्ज हुए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हमारे किसान भाई जो वर्षों से छोटी-छोटी बातों के लिए (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट, मैंने तो लास्ट में बोला था कि कोई नहीं होगा, फिर राठौड़ साहब ने दूसरे और नाम दे दिए, मैंने तो कहा था कि लास्ट में रखना, जितना बोलूंगा, बोल लूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे किसानों को छोटे-छोटे मामलों में रगड़ा हो जाता था, वर्षों से जूते घिस जाते थे पर पूर्व सरकार ने या किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि इन किसानों की सुध कौन लेगा। उनके वर्षों से लम्बित लाखों केस ऐसे थे जिनकी सुनवाई करी तो हमारी भारतीय जनता पाटी की सरकार, वसुन्धरा राजे सरकार ने की

(श्री फूलसिंह मीणा)

और उनके छोटे-छोटे जो काम थे, उनके बंटवारे का या कोई आपस में कोई मेड़ सम्बन्धी बात थी तो उसका हाथों-हाथ पंचायत में जाकर उनका निराकरण करवाया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सरूप पंचायत में एक बाप के आठ बेटे थे, पहले पता नहीं कैसे उनमें सात का नाम था और एक का नाम उड़ गया और वहां पर जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि हमारे एक भाई का नाम नहीं है उसका नाम हाथों-हाथ खाते में जुड़वाया और उसको उसका बराबर का हक दिलवाया जो पचास साल से उस केस को लड़ रहा था कि मेरा हक कहां गया, मैं इनका भाई हूं, मेरा बाप शांत हो गया और उनके जो दो भाई मर गए उनके पोते, बेटे उनको सबको इकट्ठा करके उदयपुर लाए और हमारी सरकार ने वहां पर पंचायत में जाकर न्याय आपके द्वार कार्यक्रम में बहुत बड़ा काम किया।

अन्नपूर्णा भण्डार योजना जो राशन की दुकान के साथ में अन्य ब्रांडेड सामान उपलब्ध करवाने का मुख्य मंत्रीजी ने अन्नपूर्णा भण्डार योजना का जो बहुत बड़ा काम किया, सारा सामान वहां एक ही जगह मिलेगा। यह भी बड़ी सोच रखने वाली हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय वसुन्धराजी की सरकार ही कर सकती है, बाकी किसी की इच्छा न थी और थी तो वह कर नहीं पाए, न करना चाहते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें तीस हजार से लेकर तीन लाख रुपए तक के चाहे वह प्राइवेट हास्पिटल में जाए, चाहे वह सरकारी हास्पिटल में जाए, प्राइवेट भी जो अमेरिका के हैं और गीतांजलि, पैसेफिक ऐसे बड़े-बड़े हास्पिटलों में वह गरीब इलाज करवा सकता है। यह भी योजना अगर कर सकती है तो हमारी सरकार ही कर सकती है।

अपना खेत अपना काम, पहले नरेगा में काम होता था, तगारी डाली, मिट्टी उड़कर चली गई, उसका कोई हिसाब न किताब, कुछ नहीं, पांच आदमी लगे, उसमें दो कर रहे हैं, तीन-चार की फ्री में हाज़िरी भरी और काम हो गया। अब हमारी सरकार ने जो एक बहुत बड़ा काम किया, उस गरीब परिवार को उनके घर में काम करने के लिए चाहे कैटल शेड योजना हो, चाहे अपना खेत अपना काम हो, अपने खेत में काम करेगा तो उसका खेत भी सुधरेगा और उसके नरेगा में नाम भी होगा और उसका अपना श्रमिक कार्ड भी बनेगा और

(श्री फूलसिंह मीणा)

उस श्रमिक कार्ड में कितनी योजनाएं हैं, इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। हमारे टीटी साहब बैठे हैं, इन्होंने ऐसी योजना से मेरे विधान सभा क्षेत्र में, एक श्रमिक कार्ड में अभी दस दिन पहले उसको एक लाख दस हजार रुपए, उसके दो बच्चियों की शादी के लिए हमने हाथों-हाथ चैक दिया, यह बहुत बड़ा तोहफा हमारी सरकार ने दिया है। तो वास्तव में पहली बार ऐसा काम किसी सरकार ने किया है। इस श्रमिक कार्ड में बच्चों को पढ़ाई से लेकर....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि एक लाख 21 हजार लोग पात्र बैठे हैं और 1400 करोड़ रुपए जमा है उसमें से 374 करोड़ रुपए जो हमने दिए हैं न वही किया है, आपने एक पैसा नहीं दिया।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): डोटासरा जी मैंने नहीं बोला, आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं बोला। आप सुनो। हमने भी सुना है। अगर आपको बोलना है तो आपका नम्बर आए तो बोलो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय सदस्य देखिए, आपने साल में बांटे थे 22 करोड़, हमने पिछली बार बांटे 165 करोड़, इस बार 350 करोड़ रुपए बांटेंगे, क्या बात कर रहे हैं? कहां 22 करोड़ और कहां 350 करोड़?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 1 लाख 21 हजार के अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, 1400 करोड़ रुपए आपके खाते में पड़े हैं। श्रमिकों को आपकी सरकार दे नहीं रही है। क्यों पड़े हैं 1400 करोड़ रुपए?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुनिए। आपके शासन में 3 लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन था, हमारे होगा 17 लाख, और अब 20 लाख करेंगे, तीन साल से हमने 20 लाख तो मजदूरों को रजिस्टर किया है, आप बांटते थे 22 करोड़ हमने 165 करोड़ इस साल बांटे हैं, इस बार 350 करोड़ रुपए बांटेंगे। आपका जो रेवेन्यू था वह था 165 हमने तो 375 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं, क्या बात करते हैं आप? (व्यवधान)

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी भाइयों को हजम नहीं हो रहा है। अब यह देख रहे हैं, सरकार यही वापस आएगी हम कहां जाएंगे, कुछ तो हम बोलें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की योजना जिसमें बच्चियों

(श्री फूलसिंह मीणा)

को यह बड़ा तोहफा दिया, उसमें गरीब, तगारी डालने वाला, उसको 1 लाख 10 हजार रुपए मिले तो वह वाहवाही कर रहा है। सरकार के गुणगान कर रहा है।

माननीय राठौड़ साहब, मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: आप राठौड़ साहब से परमीशन क्यों मांग रहे हैं?

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इशारा कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप एक काम करिए, आज का सैशन आप ही कनक्लूड करिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्षमा चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी ने 12 रुपए में, दो चाय के पैसे के अन्दर एक ऐसी बीमा योजना निकाली जिसमें अगर दुर्घटना हो जाए तो उस गरीब को दो लाख रुपए मिलेगा और अंग भंग हो जाए तो एक लाख रुपए मिलेगा। यही नहीं 330 रुपए वाली योजना के अन्दर चाहे लाइलाज बीमारी से अगर उसकी डेथ होती है तो भी उसको दो लाख रुपए मिलेगा। यह योजना अगर कोई निकाल सकता है तो हमारी सरकार ही निकाल सकती है। स्वच्छ भारत मिशन योजना, इस योजना के अन्दर मोदीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने यह बहुत बड़ा काम किया है और इस योजना के माध्यम से मेरे एक पंचायत समिति के अन्दर 19 करोड़ रुपए एक इनाम के तौर पर शौचालय बनाने के लिए दिया, एक पंचायत समिति में। उज्ज्वला योजना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे प्रधान मंत्रीजी ने जो उज्ज्वला योजना का काम शुरू किया हमारी पूर्व विधायक बहन ने उनके गैस एजेंसी थी, उन्होंने जाकर फटाफट फार्म भरा और वहां जाकर हमने आपको गैस का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा, हम दे रहे हैं। और उन्होंने अगर दे दी तो मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वर्षों से इनके गैस एजेंसी थी, एक गैस कनेक्शन किसी गरीब को दिया है तो मैं चैलेंज करता हूं कि वे बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं हमारी योजनाओं की। फ्री-फोकट में वाहवाही लूटना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उज्जवला योजना में आप गरीब की सब्सिडी खा रहे हो। उस सब्सिडी से भरपाई करोगे, फोकट में कुछ भी नहीं दे रहे हो।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): डोटासरा जी, शांत। पोलिटेक्निक कालेज के लिए हमारी सरकार ने 8 करोड़ दिये। उसका काम हो रहा है और वह 16 करोड़ की इस कालेज का काम चल रहा है। मुख्य मंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना आज दिन तक 50 हजार, 70 हजार में अटकी हुई थी और अबकी बार 148290 रुपये सभी को मिलने वाला है। उससे मकान बनेगा और गरीब आदिवासी उस मकान में अपना जीवनयापन शांति से कर सकेगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): डोटासरा जी, आपने गैस की सब्सिडी छोड़ी या नहीं, यह तो आप सदन को बताइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हम विपक्ष में है हमारा धर्म है उनकी नीतियों का विरोध करना।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): लेकिन जो पवित्र काम होते हैं उनमें तो सबको सहयोग करना चाहिए। यह सब्सिडी आप छोड़ोगे तो किसी गरीब के काम आएगी। आज ही छोड़ो आप।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में हमारी सरकार, चाहे भैरोंसिंह जी मुख्यमंत्री हो या वसुन्धरा जी मुख्यमंत्री हो, हमारी स्कूल शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं पंचायत पुनर्गठन में। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: अब तो पूरे आठ मिनट ले लो, दो मिनट में नहीं। अब तो पूरे आठ मिनट ले लो आप। अब तो आठ मिनट ही बचे हैं, आप पूरे ले लो।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में पांचवी से आठवी जब हमारे भैरोंसिंह जी आये तब उन्होंने क्रमोन्नत कर यह तोहफा दिया। पूर्व सरकार जब बीच में आयी तो उसने कुछ भी नहीं किया। 2003 से 2008 के बीच में वापस हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में सरकार आयी, उन्होंने आठवीं से दसवीं तक स्कूलें क्रमोन्नत कीं। जूते घिस जाते हैं एक स्कूल को क्रमोन्नत कराने के लिए। हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वहां कोई विधायक हो, कोई सरपंच हो, किसकी पंचायत है, कोई लेना-देना नहीं। सर्वसम्मत मिलकर सारी स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल किया। इसके बाद

(श्री फूलसिंह मीणा)

बदकिस्मती से इनकी सरकार आयी और हमारे जनजाति परिवारों के साथ कुठाराघात किया। इन्होंने शिक्षा के अन्दर कहा कि आठवीं तक बिना पढ़े पास कर दो। हमारी जब नींव मजबूत नहीं होगी, हमारे जनजाति परिवार, हमारे बीपीएल परिवार सरकारी स्कूल के अलावा प्राइवेट में पढ़ने नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? अगर बिल्डिंग खड़ी होगी तो वह धराशायी हो जाएगी। इन्होंने वही काम किया। पढ़ा-लिखा होगा तो हिसाब-किताब पूछेगा और हिसाब-किताब पूछेगा तो हमको वोट नहीं देगा। यह इनकी नीति थी। हमारे सम्भाग का आदिवासी इनको वोट देकर इनकी सरकार बनाते आये हैं उनको अब पता पड़ा कि हमारे साथ में कांग्रेस सरकार ने जितना धोखा किया उतना कोई कर नहीं सकता।

यही नहीं, हमारे पंचायत पुनर्गठन के अन्दर मैं बताना चाहता हूं कि पहले भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने पंचायत पुनर्गठन का काम किया। उसके बाद में पहली बार मुख्य मंत्रीजी और हमारे प्रभारी मंत्री गुलाबचंदजी कटारिया साहब ने यह बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे एक पंचायत सरू पंचायत थी। उसके अन्दर 21 वार्ड थे, आज उसके तीन पंचायत मुख्यालय हो गये हैं। सरकार ने विकास का भी देखा और हमारी पंचायत और आदिवासी, जनजाति के परिवार कैसे आगे बढ़ें इसका भी प्रयास किया। मैं बताना चाहता हूं कि बारूपाल, जो हमारे पूर्व विधायक की होम पंचायत है उसमें खजूरी गांव है उसको भी हमने मुख्यालय बनाया। उसको मुख्यालय बनाने के बाद दसवीं तक करने का सरकार का आदेश था, आठवीं से दसवीं की स्कूल खोलने के बाद जैसे ही नवीं की कक्षा लगायी तो उसमें 30 बालकों ने एडमिशन लिया। मैं बड़े ताज्जुब की बात बता रहा हूं, उसमें 35 में से 5 बालक थे और 30 बालिकाएं थीं। 12 किलोमीटर तक वे बच्चियां पढ़ने के लिए नहीं आती थीं, घर का काम करती थीं या वे कहीं न कहीं मजदूरी के लिए चली जाती थीं। उन मजदूरी करने वाली बच्चियों को यह पता लगा कि हमारे गांव में हमारे पास में ही नवीं की स्कूल खुल गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, उन बच्चियों ने, जब हमारे यहां नवीं के अन्दर टूर्नामेंट हुआ, हमारे मंत्री महोदय नंदलाल जी मीणा ने छात्रावास का टूर्नामेंट रखा, दो साल से टूर्नामेंट से हमारे जनजाति भाइयों को भी जोड़ने का काम किया। बालकों तथा बालिकाओं की प्रतिभा को निखारने का काम किया। वह चाहे तीरंदाजी हो, चाहे कबड्डी हो,

(श्री फूलसिंह मीणा)

फुटबाल हो, खो-खो हो, बालीबाल हो, अनेक खेल से जोड़कर हमारे जनजाति मंत्री महोदय ने इस जनजाति के लिए बहुत बड़ा काम किया। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने सभी जनजाति परिवारों के लिए जो काम किया वह कोई कर नहीं सकता। हमारे गृहमंत्री गुलाबचंद जी कटारिया और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उदयपुर में पैरीफेरी एरिया के लिए...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

बढ़ाया गया। (व्यवधान) प्रश्न यह है कि सदन का समय 10 मिनट बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

अगली बार संसदीय कार्य मंत्री, अगर आपको आसन को संबोधित करना है तो आप खड़े रहकर करेंगे। सदन का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया गया। अब आदरणीय सदस्य, आप विराज जाओ तो जिनके लिए बढ़ाया गया है वे भी अपना वक्तव्य दे लें।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप रुकें, आपका नाम पुकार लें हम। श्री सुरेश धाकड़।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर विशेष परिस्थिति में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। (व्यवधान) अभी समय पड़ा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विशेष परिस्थिति क्या आ गयी? विशेष परिस्थिति तो बताओ।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आप पढ़े-लिखे हो तो समझ लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नवां महीना चल रहा है या क्या चक्कर है? विशेष परिस्थिति बताओ।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): वह अपनी घरवाली से पूछकर आना कौनसा महीना चल रहा है। मैंने तो अभी बता दिये, मेरे दो बच्चे हैं। आपके घर पर पता कर लो कौनसा महीना चल रहा है? कांग्रेस के सदस्यों के लिए तो इसलिए बोलना पड़ेगा कि डोटासरा जी के बीच-बीच में स्प्रिंग लगी रहेगी, खड़े होंगे, समय थोड़ा कम दिया, थोड़ा और देते तो ठीक रहता। एक सब्जैक्ट इसमें आया कि हैप्पीनेस इंडेक्स। या तो इनके राजकुमार की तरह इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है या ये समझना नहीं चाह रहे हैं। जान-बूझकर, विरोध में हैं, अपोजिशन का काम करना है इसलिए करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं दो-चार बातें 10 मिनट में पूरी करना चाहूंगा।

देश में पहली बार एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बना जिन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने पहली बार गरीब के लिए सोचा कि मेरी मां-बहन-बेटी को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है और खुले में शौचमुक्त हो इसके लिए शौचालय बनाये। उन्होंने एक स्वच्छता अभियान चलाया तो उसमें ओडीएफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। जब झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचायी, टीवी पर आये तो कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि यह तो नौटंकी है, टीवी, अख़बार, मीडिया के लिए कर रहा है। लेकिन 8 नवम्बर को मोदीजी ने स्वच्छता अभियान को तिजोरी तक पहुंचा दिया तो इनको भी लगने लगा कि वाकई में यह स्वच्छता अभियान सड़क से शुरू करके अमीरों की कालेधन या काली कमाई को भी खाली कर दिया तो सब लोगों को पता लगने लगा, आम आदमी को खुशी हुई और उसको पता लगने लगा कि वास्तव में हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है।

(18.00 बजे)

एक उज्ज्वला योजना की भी अभी बहुत बात आ रही थी। गरीब परिवार में पैदा होना, उसको चूल्हा जलाना, उसी धुएं में वहां काम करना और फिर कांग्रेस को वोट देते रहना और 100 साल पूरे कर लेना। मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सोचा और आपसे तो सब्सिडी भी नहीं छूट रही है और उस माई के लाल ने सोचा कि मेरे गरीब परिवार की

(श्री सुरेश धाकड़)

जो भी माताएं-बहनें हैं उन सबको गैस सिलेण्डर के कनेक्शन मिलने चाहिए। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 10 हजार लोगों को गैस कनेक्शन मैं खुद बांटकर आया हूं। रिकार्ड पता करा लेना माननीय डोटासरा जी, मैं जो बोल रहा हूं वो आथेंटिक बोल रहा हूं। माननीय सदस्य, अगर गलतफहमी हो तो रिकार्ड पता कर लें और मेरे ख्याल से 10 हजार कनेक्शन मैंने खुद कैम्प लगवाकर बंटवाये हैं। जो महिला उस सिलेण्डर को लेकर जा रही है उसकी भावना और उसके साथ जो बच्चा आया है या उसका पति या उसके परिवार का जो मैम्बर आया है उसको पूछो तो वो बता सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है। क्योंकि उस गरीब को यहां कांग्रेस के राज में तो कहीं गैस कनेक्शन नहीं मिलते थे....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह जब सिलेण्डर भरवायेगा तब पता चलेगा कि आप दोगे 450 और वो देगा 600-650 रुपये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): आपकी इसी सोच ने इस देश को डुबोये रखा और हम सोच बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं इसीलिए हमारे देश का प्रधान मंत्री कहता है कि मेरा देश बदल रहा है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय डोटासरा जी, वो गैस का सिलेण्डर घर ले जाकर गुड़ के साथ लापसी बनाता है। पहले चूल्हे पर वो ऐसी लापसी बनाते हैं कि आप खाते रह जाओगे इसलिए इसको आप स्वीकार करो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय सदस्य, मेरा समय थोड़ा कम है इसलिए बीच में नहीं। अभी जो महिला लेकर जाती है उसको पता चलता है। ऐसे ही एक श्रमिक कार्ड योजना का बहुत जिक्र हो रहा है लेकिन मैं मेरी कांस्टीट्यूएंसी का उदाहरण बताता हूं कि मैंने खुद ने कैम्प लगवाकर के 13 हजार लोगों के श्रमिक कार्ड बनवाये हैं और मात्र 5 दिन में कैम्प लगवाकर 13 हजार श्रमिक कार्ड बनवा दिये। हम सारे लोग लगे, वार्ड पंच से लेकर मेरे तक सब लगे, हमारे सब लोग लगे और 13 हजार श्रमिक कार्ड बनाये। कार्ड बनाना कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन कार्ड बनने के बाद हमने लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या सुविधा दिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने, जो अभी कहते हैं कि कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो सबसे पहले वो नेता लोगों के पास या जो गांव में कोई ठीक आदमी है उसके पास जाकर बोलता है कि आप मुझे 10 -20 हजार रुपये दे दो, मुझे हास्पिटल में जाना है। रिश्तेदार से वो पैसे मांगता

(श्री सुरेश धाकड़)

है, रिश्तेदार पैसे दे देता है लेकिन थोड़े दिन बाद वापस कहता है कि मुझे पैसे लौटा और नहीं तो कोई बहाना बनाकर ही कहता है अगर रिश्तेदारी में पैसा दे दिया तो वो कहता है कि मुझे पास में जमीन खरीदनी है या कोई बहाना बनाकर पैसे लेने का प्रयास करता है। मैं इसमें मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार ऐसा काम किया कि अगर आठवीं पढ़ी-लिखी बेटी है और वो 18 साल की हो गई तो उसको 55 हजार रुपये मिलेंगे और अगर कोई बीमार हो गया तो 30 हजार से 3 लाख तक का सारा इलाज फ्री है। यह बहुत ही अच्छा काम है और इसके लिए पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी मां-बहन को किसी सेठ-साहूकार के यहां जेवर गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे और मेरे किसी किसान भाई को जमीन बेचने की नौबत नहीं आयेगी तो यह हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है तो और क्या है। यह जो अच्छा काम किया है उसको लोगों के बीच में जाकर करना पड़ेगा। 13 हजार श्रमिक कार्ड बनाने के साथ मैं अब तक, उनमें से 11 लोग हमारे बीच में नहीं रहे और उन 22 आदमियों को मैं उनके घर जाकर, क्योंकि अब चैक नहीं मिलता है, अब आनलाइन पेमेंट हो गया लेकिन हमने आनलाइन पेमेंट बनाकर, एक प्रफोर्मा बनाकर उनको कहा कि आप अपना खाता चैक कर लो, दो-दो लाख रुपये सबके खाते में आ गये। ऐसे ही दो एक्सीडेंटल केस हो गया जिनमें मैंने एफ.आई.आर. दर्ज करायी, पोस्टमार्टम कराया और दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपये की सहायता दिलवायी। यह हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है तो और क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: हो सकता है कि यह शब्द अंग्रेजी का है और आप हिन्दी में अनुवाद कर लो तो इनको समझ में आ जाए।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुशहाली सूचकांक। ये समझ तो रहे हैं तो कई बार यह होता है कि जानकर भी अनजान बनते हैं वो स्थिति है कांग्रेस वालों की। यानी निगाह तो सब पर पड़ रही है लेकिन समझना नहीं चाहते हैं।

अब मैं खाद्य सुरक्षा पर आ जाता हूं। क्योंकि इनकी पार्टी ने तो एक ही काम किया है कि हमारे लोगों को एजेंट बना दो और वो गड़बड़ करता रहेगा। किसान दिन में खेती करने जाएगा, काम करेगा और रात को उसको नींद आ जाएगी लेकिन 11-12 बजे एक गाड़ी आती है और वो होर्न लगाती है तो लोग पूछते हैं कि क्यों आई तो उसको मालूम है कि यह कालाबाजारी का

(श्री सुरेश धाकड़)

गेहूं भरकर, किसी राशन की दुकान से उठाकर मार्केट में बेचता है। तो उसको बंद करने के लिए माननीय प्रधान मंत्रीजी और वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर एक रुपया आता है तो एक का एक रुपया गरीब की जेब में जाना चाहिए। थोड़े दिन परेशान जरूर हुए, अंगूठे नहीं मिले लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कहा कि अगर अंगूठा नहीं मिलता है तो आप आँख की जो पुतली है उससे आप करके कर सकते हो। इस प्रकार यह जो काम किया है वो अच्छा काम किया है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और कम से कम गरीब का हक किसी दूसरे को इससे नहीं मिला। पेंशन योजना में 500 रुपये और 750 रुपये दिये जाते हैं। जब हम आनलाइन करने लगे तो इन्होंने बहुत हल्ला मचाया कि यह सरकार तो पेंशन बंद करने जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। होता क्या था कि किसी गरीब बुढ़िया के पास पोस्टमास्टर अगर पैसा लेकर जाता, सारे पोस्टमास्टर बदमाश नहीं हो सकते लेकिन कुछ होते हैं और वो जाकर कहता है कि यह 750 रुपये मां तेरे लिये हैं और फिर धीरे से बोलता है कि अब मुझे क्या इनाम मिलेगा तो मां का दिल बहुत बड़ा होता है और वो बूढ़ी मां पचास-सौ रुपये निकाल कर उसको दे देती है कि यह तेरा खर्चा। लेकिन मोदी जी ने, हमारी सरकार ने और वसुंधरा जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो खाते आनलाइन कर दिये और किसी भी आदमी को आकर किसी के सामने भ्रष्टाचार करने की सीमा नहीं रही। वो अपने आप उनके खाते में जमा हो गया और उस गरीब आदमी तक पहुंच गया। उस बुढ़िया से पूछो कि हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक क्या होता है तो उसको पता चलेगा। आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय से थोड़ा समय बढ़वा दो तो मैं फिर आधा घंटा-एक घंटा बोल सकता हूं। यों मैं बोलता नहीं हूं इसका मतलब मुझे कमजोर मत समझो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका तो नाम ही धाकड़ है बाकी भाषण धाकड़ नहीं है।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): कोई बात नहीं। मैं डोटे नहीं लगाता हूं और जो हकीकत होता है, धरातल पर होता है और लिखा हुआ होता है वो ही बोलता हूं।

(श्री सुरेश धाकड़)

मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की बहुत बात चल रही थी। डोटासरा जी किसान हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान लाबी के बहुत सारे लोग बैठे हैं। किसान नहीं हैं? फिर तो आपको किसान नहीं मानेंगे। (व्यवधान) मैं जब छोटा था तब मैंने देखा कि मेरे दादाजी और ये लोग क्या करते थे कि जब बारिश होती थी तब पानी बहकर जाता था और हमारे यहां उधर तो एक चंवर होती है उसको रास्ते में डालकर उस पानी को कुएं के अन्दर डालते थे। वहां पर किसी मुख्य मंत्री ने जाकर उनको नहीं समझाया लेकिन वो पानी इसलिए डालते थे कि इनका भू-जल स्तर बढ़ेगा और कुआं रिचार्ज होगा। ऐसा ही काम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने वापस शुरू किया है। यह मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान बहुत अच्छा काम है और किसी को अगर कोई शंका है, नसीराबाद से आने वाले माननीय विधायक महोदय को अगर कोई शंका है तो मेरे क्षेत्र में जाकर देख लें और वहां के लोगों से और विशेषकर आपकी पार्टी के लोग हैं तो उनसे जाकर पूछ लो कि जल स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो अच्छा काम हुआ और वहां ऐसी स्थिति बनी है और अभी अखबारों में भी छपा है कि जल स्तर में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है तो कहीं जाकर देखने से और वहां के आदमी को पूछने से ही पता चलेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, खुशहाली सूचकांक क्या होता है।

गौरव पथ, अभी युनुस खान जी यहां बैठे थे, इधर पीछे बैठे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि गांव में अभी भी एक परम्परा है.....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो नम्बर है सरकार में और सारे ही डरते हुए धन्यवाद देंगे तो और किसी को भी तो दो।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): हम तो भगवान से ही डरते हैं, और किसी से नहीं डरते हैं और यह डरने का काम तो आपका है कि सोनिया और राहुल गांधी से आप लोग डरते होंगे, हम किसी से नहीं डरते हैं। मैं इनको धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि मैं गांव में रहता हूं और हमारी मां को गांव में गोबर डालना पड़ता है, महिलाओं को दूध निकालना पड़ता है और घूंघट भी निकालना पड़ता है। उसमें उस महिला को कीचड़ में जाना पड़ता है और जब कभी चरू नीचे गिर जाता है, कभी गोबर की तगारी अगर सिर पर हो और वो नीचे गिर जाए तो उसकी इंसल्ट होती है तब उस महिला को पूछो कि उसकी क्या परिस्थिति है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इन माई के लाल को कि इन्होंने अच्छा काम किया और मेरी मां-बहन-बेटी को सम्मान मिला और

(श्री सुरेश धाकड़)

किसी को कीचड़ में नहीं चलना पड़ता। उन लोगों से जाकर पूछो जिस गांव में 60 साल से कीचड़ में रह रहे हैं और पहली बार ऐसी सड़क बनी जिस सड़क पर चलने से लगता है प्रदेश में कोई सरकार काम कर रही है और अच्छा काम करके दिखाया।

पण्डित दीनदयाल जी का हम जयन्ती वर्ष भी मना रहे हैं तो उनकी कुछ बात मैं जरूर बताना चाहता हूं। देश आजाद होने के बाद भी गांव में जाने पर आदमी बोलता है कि मुझे बिजली नहीं मिली या मेरे गांव में बिजली नहीं पहुंची तो मैं यह दुर्भाग्य मानता हूं। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा काम किया जिससे वहां बिजली पहुंचाई। मेरे 13 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली नहीं थी और मैं खुद गया, हमारे लोगों ने मदद करके खम्बे खड़े करवाकर सरकार की मशीनरी को काम में लेकर बिजली पहुंचाई। आप एक बार पूरा सुन लो उसके बाद बताना। किसी माई के लाल को शंका है तो वो मेरे साथ चले और उस गरीब आदमी से, उन लोगों से जो इनकी पार्टी को वोट देते हैं उनसे पूछेंगे कि यह हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है तो वो लोग बता पायेंगे। क्योंकि कांग्रेस ने यह इसलिए नहीं किया अगर ये कर देते तो वो पढ़े-लिखे हो जाते, कुछ समझने लग जाते, टी.वी., अख़बार देखने लग जाते तो इनकी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी जोइन कर लेते सब लोग।

अन्त में, अब समाप्त करना ही है तो एक बात और बताता हूं। स्किल डवलपमेंट का प्रोग्राम बहुत चल रहा है। हम लोगों ने भी एक प्रयास किया और आई.आई.टी. मुम्बई की एक टीम से बात करके हमारे कलक्टर और हम सब लोगों ने मिलकर महिलाएं सोलर लैम्प कैसे बना सकती हैं वो काम हमने वहां शुरू किया स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से। उन लोगों ने वहां सोलर से लैम्प बनाना शुरू कर दिया है और मेरे भाई-बहन जिसके गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है वो सोलर लैम्प में पढ़कर आगे बढ़े। अगर कभी समय ऐसा बना, परिस्थिति बनी तो इस विधान सभा में आकर वो अपनी बात रख सके कि मुझे वसुंधरा जी की सरकार ने यह दिया। इससे बढ़िया हैप्पीनेस इंडेक्स मैं आपको नहीं समझा सकता हूं। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार दिनांक 01 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.10 बजे बुधवार, दिनांक 01 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोतर

मदरसा बोर्ड में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्ययोजना

32. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग और मदरसा बोर्ड में भर्ती हेतु आवेदन पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो कब व किन-किन पदों के लिये कितनी-कितनी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं उनके पेटे कितनी शुल्क राशि जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा अब तक न तो भर्ती परीक्षा आयोजित की व न ही आवेदनों की आवेदन राशि लौटाई गई? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2013 में 80 सहायक कर्मचारियों की भर्ती हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 6032 दिनांक 07.05.2013 जारी कर आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिसके क्रम में 26158 आवेदन प्राप्त हुए। प्रति आवेदन 30 रुपये शुल्क निर्धारित की गई थी। कुल राशि 784740.00 जमा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के तहत मदरसा बोर्ड के लिए मदरसा शिक्षा सहायकों के 6000 पद की भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। जिसकी विज्ञप्ति क्रमांक 1/2013 दिनांक 02.08.2013 को जारी की गयी। 6000 मदरसा शिक्षा सहायक के लिए कुल 23305 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसके पेटे कुल 47 लाख 74 हजार 230 रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ। मदरसा बोर्ड (अल्पसंख्यक मामलात विभाग) 3326 उर्दू शिक्षा सहयोगियों की भर्ती हेतु कुल 14859 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी के 2500 पदों की भर्ती हेतु 49557 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उक्त पदों हेतु कुल 19324800 शुल्क प्राप्त हुआ।

आवेदन पत्रों से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

सहायक कर्मचारी	-784740.00
मदरसा शिक्षा सहायक	-4774230.00
उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी	-19324800.00
कुल योग	-24883770.00

(2) भर्ती परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की गई -

01. सहायक कर्मचारी 80 पद - सहायक कर्मचारियों के पद हेतु परीक्षा (साक्षात्कार) आयोजित किए गए थे (अ) राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम-1999 के तहत चयन समिति द्वारा अभ्यार्थियों के चयन के लिए अपनाये गये मापदण्ड सही तौर पर नहीं अपनाये जाने एवं (ब) रिजल्ट फीडिंग का कार्य प्राईवेट संस्था द्वारा करने के कारण परिणाम घोषित करना उचित नहीं माना गया। उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट "अ" संलग्न है)।

02. मदरसा शिक्षा सहायक के 6000 पद - मदरसा शिक्षा सहायक के 6000 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त पदों हेतु मैरिट एवं अनुभव के आधार पर चयन किया जाने का प्रावधान था। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व ही 272 याचिकाकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ में रिट याचिकाएं दायर कर दिये जाने के फलस्वरूप भर्ती प्रक्रिया लम्बित हो गयी। माननीय न्यायालयों में दायर याचिकाओं में अन्तिम निर्णय होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोके जाने का निर्णय लिया गया है।

03. मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगी 3326 पद- मदरसा उर्दू शिक्षा सहयोगियों के 3326 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाकर नियुक्ति दी जा चुकी है।

04. कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी 2500 पद- कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों के 2500 पदों की भर्ती (अ) आवश्यकता केवल उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होने के आधार पर उक्त श्रेणी के मदरसे काफी कम होने, (ब) सम्पूर्ण मदरसों के डाटा केप्चर का कार्य पूरा नहीं हो पाने एवं (स) "कल्प" कार्यक्रम (Computer Aided Learning Programme) के द्वारा उर्दू शिक्षा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिलाकर

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों का कार्य सम्पादित करवाया जाने के आधार पर उक्त पदों की भर्ती को स्थगित रखा गया।

विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन शुल्क नान रिफन्डेबल होने के कारण राशि लौटाई नहीं गई है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के आधार पर किसी अधिकारी के दोष प्रकट नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(3) (अ) सहायक कर्मचारियों के पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(ब) मदरसा शिक्षा सहायक के माननीय न्यायालय में दायर याचिकाओं में अन्तिम निर्णय आने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(स) उर्दू शिक्षा सहयोगी के पदों पर भर्ती की जा चुकी है।

(द) कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगियों के पदों पर भर्ती की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा में अवैध खनन को रोकने की कार्ययोजना

33. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो उस पर पूर्णतया रोक नही लगने के क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में धार्मिक स्थल बाबा मोहनराम के काली खोडी पहाड़ में भी अवैध खनन किया जा रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन रोकने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है,? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अवैध खनन होना पाया गया है, जिस पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई है। वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अवैध खननकर्ताओं/निर्गमनकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश अवैध खनन वन भूमि व अरावली पर्वत श्रृंखला में होना पाया गया है जहां

(खान राज्य मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे आबंटित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। फिर भी अवैध खनन पर पूर्ण अंकुश हेतु प्रभावी प्रयास एवं लगातार कार्यवाही जारी है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र तिजारा में स्थित धार्मिक स्थल बाबा मोहनराम के काली खोडी पहाड़ में अवैध खनन रोक दिया गया है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा 2.10 किलोमीटर लम्बी पक्की दीवार बनाकर अवैध खनन के रास्तों को बंद कर दिया गया है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन रोकने हेतु ठोस कार्य योजना बनाई जाकर उस पर अमल किया जाना आरम्भ किया जा चुका है। अवैध खनन पर पूर्ण अंकुश लगाने की मंशा रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक पंचवर्षीय योजना माह मई, 2014 में स्वीकृत की गई है, जिसके अन्तर्गत वन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र तिजारा में वर्ष 2014-15 से अब तक रुपये 243.43 लाख खर्च किये जाकर लगभग 9.94 कि.मी. लम्बी पक्की दीवार बनाई जाकर अवैध खनन स्थलों के रास्तों को अवरुद्ध करने के साथ खनन से उत्पन्न गड्ढों को भी पाट दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। खान विभाग द्वारा तहसील तिजारा में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) का सृजन किया गया है। खान विभाग द्वारा क्षेत्र में 30 बोर्डर होमगार्डस लगाए गए हैं तथा पुलिस विभाग द्वारा आर.ए.सी. के 40 जवान ग्राम उधनवास एवं 10 जवान निकट ग्राम गण्डवा में 24 घण्टे दिन-रात तैनात किए गए हैं। क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, वन, खान विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आपणी बेटी योजना का संचालन

34. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार की "आपणी बेटी" योजनान्तर्गत निराश्रित व अभावग्रस्त बेटियों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यक सुविधायें मुहैया करवाने के उद्देश्य से जिला कलक्टर्स ने

(महिला बाल विकास राजय मंत्री)

बेटियों को गोद लिया है? यदि हां, तो किन-किन जिला कलक्टर्स ने किन-किन बेटियों को कब गोद लिया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कलक्टर द्वारा उक्त योजना में बेटियों के गोद लेने के बाद निर्धारित क्या-क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन किया? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बेटियों को गोद लेने की जिला क्लक्टर्स द्वारा मात्र औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर्स को जिला कलक्टर्स व एसपी सम्मेलन में अपने जिले में बेटियों को गोद लेने हेतु निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में जिला कलक्टर्स द्वारा जिन बेटियों को गोद लिया गया है, उनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर्स द्वारा जिन बेटियों को गोद लिया जाकर विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-अ में संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में स्वच्छ परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

35. **श्री ललित कुमार** (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में गत तीन वर्षों में स्वच्छ परियोजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य, कितनी-कितनी लागत के कहां-कहां पर स्वीकृत किये गये हैं?

(2) उक्त क्षेत्र में गत तीन वर्षों में उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, कौन से प्रगति पर व कौन-कौन से अपूर्ण हैं? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में गत तीन वर्षों में स्वच्छ परियोजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) किशनगंज-शाहबाद क्षेत्र में गत तीन वर्षों में उक्त परियोजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की पूर्ण/अपूर्ण एवं प्रगति की सूचना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गेटोलाव धाम (दौसा) में विकास के कार्य

36. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्थित आस्था से जुडे धार्मिक स्थलों को विकसित करने एवं विकास योजना से जोड़ने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा जिले में ऐसे कौन-कौन से स्थल हैं, जिनको सरकार द्वारा विकसित करने हेतु चयनित किया जा चुका है अथवा चयन हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित गेटोलाव धाम पर कार्तिक मास में पवित्र स्नान एवं धार्मिक कार्यक्रम/मेला आयोजित होता है? यदि हां, तो क्या सरकार दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित आस्था के मुख्य एवं प्राचीन सरोवर गेटोलाव धाम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। आस्था से जुडे धार्मिक स्थलों को विकसित करने एवं विकास योजना से जोडने हेतु कोई विशेष मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर बजट में उपलब्ध प्रावधान अन्तर्गत धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जाता है।

(2) दौसा जिले में सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री मेहंन्दीपुर बालाजी को विकास हेतु चयनित किया जाकर मास्टर प्लान के अनुरूप समग्र विकास की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। दौसा जिला मुख्यालय पर स्थित गेटोलाव धाम पर कार्तिक मास में पवित्र स्नान एवं धार्मिक कार्यक्रम/मेला आयोजित होता है।

(देवस्थान राज्य मंत्री)

प्राचीन सरोवर गेटोलाव धाम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उक्त मंदिर राज्य सरकार द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित नहीं है और ना ही कोई पंजीकृत/प्रन्यास है।

अलवर जिले में स्वीकृत ग्रामीण गौरव पथ

37. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गत तीन वर्षो में ग्रामीण गौरव पथ बनाये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने व कहां-कहां?

(2) सरकार द्वारा उक्त योजनान्तर्गत अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ग्रामीण गौरव पथ बनाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? इस हेतु स्वीकृत राशि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण गौरव पथ की तर्ज पर शहरों में भी वार्ड स्तर पर गौरव पथ बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले में गत 3 वर्षों में कुल 207 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों की स्वीकृति जारी की गई जिनमें से प्रथम चरण में 102 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों का निर्माण किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है एवं द्वितीय चरण में 105 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथों के निर्माण हेतु स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जा चुकी है। जिनका निर्माण प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में एक ग्रामीण गौरव पथ बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसका निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) शहरों में वार्ड स्तर पर गौरव पथ का निर्माण विचाराधीन नहीं है। प्रदेश में 179 नगरपालिका क्षेत्रों में शहरी गौरव पथों का निर्माण प्रत्येक अनुमानित लागत राशि रु. 250 लाख के अनुसार कुल राशि रु. 44637.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की कार्ययोजना

38. श्री श्रीराम भींचर (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मकराना को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि किसी भी नगरपालिका को क्रमोन्नत करने पर नियमानुसार उसकी सीमा बढ़ाई जाती है?

(3) क्या सरकार भविष्य में उक्त नगर परिषद की सीमा बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन कालोनियों को नगर परिषद में सम्मिलित किया जाएगा व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि किसी नगरपालिका को क्रमोन्नत करने पर उसमें सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार नगर परिषद मकराना में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2013 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जिला कलक्टर नागौर से नियमानुसार विधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्राप्त प्रस्ताव का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाकर सीमावृद्धि की जा सकती है।

(4) जी नहीं। परन्तु जनहित में नगर परिषद मकराना में विभागीय पत्र दिनांक 03 मई, 2013 के द्वारा सफाई कर्मचारियों के 71 नवीन पद सृजित किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में गौशालाओं को देय अनुदान

39. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार ने अपने विजन डाक्यूमेंट एवं स्वराज संकल्प यात्रा के समय प्रदेश में गौशालाओं में गायों हेतु 9 माह का अनुदान देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो अब तक अनुदान नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर लगाये गये अधिभार से सृजित निधि से 200 या अधिक गौवंश संधारित करने वाली तथा दो वर्ष या अधिक अवधि से पंजीकृत गौशालाओं/कांजी हाउस में आवासित गौवंश के पालन-पोषण के लिए माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2017 अधिकतम 90 दिवस की सहायता राशि, चारा-पानी एवं पशुआहार हेतु बड़े गौवंश हेतु 32 रुपये तथा छोटे हेतु 16 रुपये प्रतिदिन की दर से दिये जाने का निर्णय लिया है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

40. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कर्मचारी व अधिकारियों के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना में कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् लम्बे समय से पदों को नहीं भरा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के पद रिक्त होने से तथा नहर का रख-रखाव व देखभाल नहीं होने के कारण नहरें जीर्ण-क्षीर्ण होती जा रही हैं।

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर विभाग के अन्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों के कुल 301 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 164 पद भरे हुए हैं तथा 137 पद रिक्त हैं। विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 1402 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 829 पद भरे हुए हैं एवं 573 पद रिक्त हैं तथा 2032 कार्यप्रभारी कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं। जल संसाधन विभाग द्वारा रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से एवं सीधी भर्ती के पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजकर भर्ती करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। वर्ष 2016 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियन्ता के 123 पदों पर नियुक्ति दी गई है एवं वर्तमान में सहायक अभियन्ता के 110 पदों हेतु नियुक्ति की अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के 651, यांत्रिक के 20, पटवारी के 65, कनिष्ठ प्रारूपकार के 36, अनुरेखक के 34, प्रयोगशाला सहायक 09, लिपिक ग्रेड-द्वितीय के 232, वाहन चालक के 36 पदों की नियुक्ति के प्रयास जारी हैं। उपरोक्त में से अनुसूचित क्षेत्र हेतु कनिष्ठ अभियन्ता सिविल के 76 एवं कनिष्ठ अभियन्ता यांत्रिक के 4 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। कार्यप्रभारी कर्मचारियों के आवश्यकतानुसार पद सृजित कराने के प्रयास विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।

(4) उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्य की प्राथमिकता के आधार पर नहरों के रखरखाव की समुचित व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है।

चौहटन में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत

41. श्री तरुण राय कागा (चौहटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर हैण्डपम्प की मरम्मत एवं सुधार करने के लिये अभियान चलाया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र चौहटन में गत तीन वर्षो में कुल कितने हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री तरुण राय कागा)

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पुराने हैण्डपम्पों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौहटन के ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (दिनांक 20.02.2017 तक) की अवधि में क्रमशः 161, 233 एवं 136, इस प्रकार कुल 530 मरम्मत योग्य खराब हैण्डपम्पों को सुधारा गया है। दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रगतिरत 40वें विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में समय-समय पर अस्थाई रूप से खराब होने वाले हैण्डपम्पों को सुधारने का कार्य सतत् प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

क्षेत्र में वर्षवार सुधारे गये हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में वांछित पूर्ण विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पुराने हैण्डपम्पों को विद्युत सम्बन्ध से जोड़कर इनके संचालन एवं संधारण में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा वर्तमान में सौर ऊर्जा आधारित सिंगल फेस नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सौर ऊर्जा आधारित 10 सिंगल फेस नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृति माह जून, 2015 में जारी की गई है। इस स्वीकृति के विरुद्ध 4 नलकूप निर्माण उपरान्त चालू किये जा चुके हैं एवं शेष 6 नलकूपों का निर्माण कार्य माह मार्च, 2017 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के विद्यालयों को नवजीवन योजनान्तर्गत बकाया राशि का भुगतान

42. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नवजीवन योजना में पाली शहर के किस-किस विद्यालय में कितने-कितने छात्र, कितने-कितने समय से अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की फीस (शिक्षण शुल्क) एवं अन्य राशि किस-किस विद्यालयों को कितने-कितने समय से दी जानी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नवजीवन योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने वाले विद्यालयों को उनकी बकाया राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवजीवन योजनान्तर्गत पाली शहर के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की फीस (शिक्षण शुल्क) व अन्य राशि अवधि सहित परिशिष्ट- ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। नवजीवन योजना के अन्तर्गत शिक्षा देने वाले विद्यालयों को उनकी बकाया राशि का भुगतान जिला कार्यकारी समिति से अनुमोदन पश्चात् माह मार्च 2017 तक बकाया राशि का भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं को कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में गवर्निंग काउंसिल मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें

43. **जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खनिज क्षेत्र के निवासियों के हितार्थ सरकार ने धारा 9बी, धारा 15 व 15ए माइन्स व मिनरल्स (डवलपमेन्ट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1957 के तहत ट्रस्ट नियम, 2016 बनाए हैं? यदि हां, तो उक्त नियम कब, किसके लिए व किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए गए हैं?

(2) क्या सरकार ने The District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 के तहत ट्रस्ट के मैनेजमेन्ट हेतु गवर्निंग कौन्सिल व मैनेजिंग कमेटी का गठन कर दिया है? यदि हां, तो किन-किन जिलो में कब-कब व क्या उक्त कमेटियों की बैठकें निरन्तर हो रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या जोधपुर जिले के लिए The District Mineral Foundation Trust Rules, 2016 के तहत गठित गवर्निंग कौन्सिल व मैनेजमेन्ट कमेटी की

(श्री जोगाराम पटेल)

बैठकें हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब व कितना ट्रस्ट फण्ड किस-किस कार्य के लिए कब-कब खर्च किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट रूल्स, 2016 दिनांक 31.05.2016 को अधिसूचित किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है। उक्त नियमों के अन्तर्गत मिनरल कन्सेशन धारकों से डी.एम.एफ.टी. फण्ड की राशि एकत्र कर खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं वहां के निवासियों के हितार्थ व्यय करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 से समस्त जिलों में गवर्निंग काउन्सिल व मेनेजिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है, अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। विभिन्न जिलों में मैनेजिंग कमेटी व गवर्निंग काउन्सिल की आयोजित बैठकों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। जोधपुर जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग कमेटी की बैठक दिनांक 04.10.2016, 22.12.2016 एवं 20.02.2017 को तथा गवर्निंग काउन्सिल की बैठक दिनांक 19.10.2016 को आयोजित की गई है। अभी तक मैनेजिंग कमेटी द्वारा गवर्निंग काउन्सिल को कोई भी प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये गये हैं। गवर्निंग काउन्सिल द्वारा कोई भी प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण ट्रस्ट फण्ड से कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

44. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अर्न्तगत कितने राजस्व ग्रामों में आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत हैं? क्या सरकार बिखरी ग्रामीण जनजाति बहुल क्षेत्रों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक पावटा, विराटनगर एवं शाहपुरा में विगत दो वर्षों में कितनी पोषाहार सामग्री वितरण की गई? राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा पोषाहार के लिये कितनी राशि व्यय की गई? वित्तीय

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वर्ष 2014-15 से 31 दिसम्बर, 2016 तक क्या-क्या पोषाहार वितरित किया गया है? पंचायतवार व केन्द्रानुसार विवरण प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अन्तर्गत तीन बाल विकास परियोजनाएं क्रमशः विराटनगर, शाहपुरा एवं कोटपूतली संचालित है। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अन्तर्गत 162 राजस्व ग्रामों में 267 आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत हैं। परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :-

परियोजना का नाम	राजस्व गांव	स्वीकृत आं.बा. केन्द्र
विराटनगर	144	232
शाहपुरा	11	15
कोटपूतली	7	20
योग	**162**	**267**

प्रदेश में बिखरी ग्रामीण जनजाति बहुल क्षेत्र सहित सभी जिलों में जनसंख्या के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत 10 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ब्लाक पावटा, विराटनगर एवं शाहपुरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में विगत दो वर्षों में वितरित पोषाहार सामग्री का विवरण निम्नानुसार है-

(मात्रा क्वि. में)

पंचायत समिति का नाम	परियोजना	केन्द्रीकृत पोषाहार (दिनांक 31.03.2015 तक)	विकेन्द्रीकृत पोषाहार व नाश्ता (दिनांक 01.04.2015 से प्रारम्भ)	गरम खाना
पावटा व विराटनगर	विराटनगर	6222.17	6676.68	1833.23
पावटा व कोटपूतली	कोटपूतली	516.84	481.52	106.63
शाहपुरा	शाहपुरा	424.35	272.65	95.79

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

पोषाहार पर होने वाले व्यय का 50:50 प्रतिशत राज्य एवं भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। उक्त योजनाओं में केन्द्रांश व राज्यांश का व्यय एकजाई रूप से किया जाता है तथा भारत सरकार को राज्य स्तर पर एकजाई कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जाता है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में पोषाहार पर व्यय का विवरण निम्नानुसार है-

(राशि लाखों में)

पंचायत समिति का नाम	**परियोजना**	**केन्द्रीकृत पोषाहार (सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र)**	**विकेन्द्रीकृत टी.एच.आर. व नाश्ता**	**विकेन्द्रीकृत पोषाहार गरम खाना**	**कुल राशि**
पावटा व विराटनगर	विराटनगर	175.31	274.41	61.53	511.25
पावटा व कोटपूतली	कोटपूतली	239.01	21.67	4.37	265.05
शाहपुरा	शाहपुरा	119.49	14.74	4.87	139.10
कुल राशि		**533.81**	**310.82**	**70.77**	**915.40**

उक्त विधान सभा क्षेत्र में बाल विकास परियोजना विराटनगर, कोटपूतली एवं शाहपुरा में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पंजीरी एवं हलवा प्रीमिक्स, आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता (भुना हुआ चना-गुड, चावल के मुरमुरे-गुड एवं हलवा) तथा गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को हलवा प्रीमिक्स/उपमा प्रीमिक्स पोषाहार उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को बेबी मिक्स पोषाहार तथा आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता (भुना हुआ चना-गुड, चावल के मुरमुरे-गुड एवं हलवा) तथा गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) उपलब्ध कराया गया है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

पोषाहार वितरण की सूची पंचायतवार व केन्द्रानुसार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 45

(स्थगित)

मन्देसर (वल्लभनगर) में मुआवजा राशि से पुलिया का निर्माण

46. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वल्लभनगर तहसील के टूंस डांगीयान पंचायत के मन्देसर गांव में सूर्य मंदिर की कुछ भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो इसका मुआवजा किस विभाग को दिया गया तथा उस विभाग ने उस गांव में उस मुआवजे से क्या-क्या निर्माण कार्य करवाये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांव के ग्रामीणों द्वारा वहां पर काफी समय से पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुआवजा राशि से पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मन्देसर में पटवार मंडल टूंस डांगीयान स्थित सूर्य मंदिर की भूमि जो कि राजस्व रिकार्ड में श्री सांवलिया जी स्थान देह के नाम दर्ज है। पूर्व में सांवलिया जी स्थान देह का नाम आराजी नम्बर 333 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक विस्तार योजना के अन्तर्गत अवाप्त की गई। नामान्तरणकरण संख्या 593 द्वारा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक, उदयपुर के नाम दर्ज किया गया। मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तहसील कार्यालय को चैक संख्या 0280710 दिनांक 08.06.2000 तादादी 1 लाख 39 हजार 230 रुपये का जारी किया गया, किन्तु उसका भुगतान किसी को भी नहीं किया गया है। उक्त राशि तहसील कार्यालय के राजकोष में ही जमा है। देवस्थान विभाग को उक्त मुआवजे की राशि आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। गांव के ग्रामीणों का पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में मांग पत्र देवस्थान विभाग में विचाराधीन नहीं है। मंदिर मूर्ति की भूमि अवाप्ति पर प्राप्त मुआवजा राशि का उपयोग मूर्ति के हितार्थ ही किया जाता है।

भादरा-साहवा क्षतिग्रस्त सड़क का नवीनीकरण

47. **श्री संजीव कुमार** (भादरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भादरा-साहवा सड़क लम्बी अवधि से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त मरम्मत कार्य हेतु सिरसा-भादरा सड़क से साहवा तक पी.पी.पी. मोड पर नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य को प्रस्तावित करके कार्य स्वीकृत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भादरा-साहवा सड़क की कुल लम्बाई 33.2 किमी. (0/0 से 33/200) है। इस सड़क के लगभग 10.00 किमी. लम्बाई में क्षतिग्रस्त है एवं इस सड़क का शेष भाग संतोषजनक है।

(2) जी हां। इस सड़क के किमी. 3/0 से 7/0, 9/0 से 12/0 के (मध्य के भाग 3.75 मीटर भाग) एवं 30/0 से 33/200 की मरम्मत हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है, जिसमें निविदा प्राप्त कर माह मार्च 2017 तक मरम्मत कार्य करवा दिया जायेगा। शेष लम्बाई संतोषजनक है।

(3) यह सड़क वर्तमान में पीपीपी योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित नहीं है। पीपीपी योजना में उक्त सड़क का आगामी चरणों में विकसित किया जाना विभिन्न वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले ऋण एवं राज्य सरकार की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

कस्बा नगर में सीवरेज लाइन डालने की कार्ययोजना

48. **श्रीमती अनीता** (नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नगर में जल निकासी व्यवस्था सही नहीं है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कस्बे में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका नगर द्वारा जल निकासी हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाने के लिये निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(2) नगरपालिका, नगर द्वारा सीवरेज कार्य हेतु अनुमानित लागत 66.32 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसका तकनीकी परीक्षण करवाया जा रहा है।

मालपुरा की नवीन ग्राम सहकारी समितियों के भवनों का निर्माण

49. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नवीन ग्राम सहकारी समितियों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्षतिग्रस्त भवनों व गोदामों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा अन्तर्गत 100 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु समितियों के पास भूमि की उपलब्धता एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्षतिग्रस्त भवनों व गोदामों में मरम्मत कार्य कराने की राज्य सरकार स्तर से कोई योजना नहीं है।

अनूपगढ़ शाखा के क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण

50. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनूपगढ़ शाखा (नहर) के ऊपर कई पुलों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उक्त सभी पुलों की हालत जर्जर है? क्या सरकार उक्त पुलों का पुनः निर्माण कराने का

(श्रीमती शिमला बावरी)

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अनूपगढ़ शाखा पर निर्मित पुल किस विभाग के अधीन है तथा इनका पुनः निर्माण किस विभाग द्वारा किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में अनूपगढ़ शाखा के दो पुल आरडी 278 व आरडी 271 पूरी तरह से टूट चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अनूपगढ़ शाखा (नहर) के ऊपर 29 पुल निर्मित हैं जिनमें से 7 पुल सही अवस्था में होने से मरम्मत की आवश्यकता नहीं है, 10 पुलों पर माईनर रिपेयर एवं 12 पुलों पर मेजर रिपेयर की आवश्यकता है, इन पुलों की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य चरणवार स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना/विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) अनूपगढ़ शाखा पर निर्मित पुलों का स्थाई अधिकार जल संसाधन विभाग के पास है तथा इनका जीर्णोद्धार/मरम्मत का कार्य विभाग द्वारा ही करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) अनूपगढ़ शाखा की आरडी 278 एवं 271 पर कोई पुल निर्मित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी के ग्रामों में आर.ओ. प्लांट की स्थापना

51. **श्री शुभकरण चौधरी** (उदयपुरवाटी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 में उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र के दो ग्राम व 14 ढाणियों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित

(श्री शुभकरण चौधरी)

मानक मात्रा से अधिक बताई गई है? यदि हां, तो उक्त गांव व ढाणियों में आर.ओ. प्लांट कब तक लगा दिए जायेंगे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के दो ग्राम क्रमशः पोसाना एवं पोंख प्रत्येक में एक-एक आर.ओ. संयंत्र लगाये जाने प्रस्तावित हैं तथा वर्तमान में इनके निर्माण हेतु बनाये गए प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया में हैं? यदि हां, तो इनको कब तक चालू कर दिया जायेगा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के समेकित सूचना प्रबन्धन तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के दो ग्राम क्रमश: पौंख एवं पोसाना तथा 14 अन्य हैबिटेशन्स (ढाणियां) में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक पाई गई थी।

स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड एवं अन्य अशुद्धियों की आधिक्यता वाले उक्त क्षेत्र के ग्राम पोसाना में एक एवं ग्राम पंचायत सराय के 4 अन्य हैबिटेशन्स के कलस्टर हेतु एक, इस प्रकार कुल 2 आर.ओ. संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय एस.एल.एस.एस.सी. की 15वीं बैठक दिनांक 14.09.2015 द्वारा जारी की गई। ग्राम पोसाना एवं ग्राम पंचायत सराय की 4 अन्य हैबिटेशन्स के स्थानीय भू-जल स्रोतों में उपलब्ध जल की दिनांक 23.11.2016 को पुन: रासायनिक जांच कराई गई तथा जांच में पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने के कारण ग्राम पोसाना में वर्तमान परिपेक्ष्य में आर.ओ. संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम पंचायत सराय की उक्त चार ढाणियों के कलस्टर हेतु स्वीकृत एक आर.ओ. संयंत्र सहित जिला दौसा, झुन्झुनूं एवं सीकर के 113 आर.ओ. संयंत्रों की स्थापना हेतु दिनांक 16.01.2017 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्यादेश अनुसार इन संयंत्रों का निर्माण माह जनवरी, 2018 तक पूर्ण करना निर्धारित है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के परम्परागत जल स्रोत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजना (टी.एस.एस.) से लाभान्वित ग्राम पोसाना एवं पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम पौंख के स्थानीय भू-जल स्रोतों में उपलब्ध जल की क्रमश: दिनांक 23.11.2016 एवं 01.07.2016 को पुन: रासायनिक जांच कराई गई। इस जांच में पेयजल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने के कारण ग्राम पोसाना एवं ग्राम पौंख में आर.ओ. संयंत्र के निर्माण एवं स्थापना की वर्तमान परिपेक्ष्य में आवश्यकता नहीं है।

डूंगरपुर जिले के अभ्यर्थियों को आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा हेतु छात्रवृत्ति

52. **श्री देवेन्द्र कटारा** (डूंगरपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा में कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये? एस.सी, एस.टी., ओ.बी.सी. तथा जनरल की वर्गवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एस.सी./एस.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिये छात्रवृत्ति/अनुवृत्ति देती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी व किन-किन अभ्यार्थियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक आर.ए.एस. प्री. उत्तीर्ण एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों में से किन-किन अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/अनुवृत्ति योजना का लाभ किन-किन कारणों से नहीं मिला? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वर्षवार एवं वर्गवार विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा संचालित अनुप्रति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु राशि रुपये 25,000 की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है। उक्त राशि करने पर

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। योजना की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक जिला डूंगरपुर में सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनुप्रति योजना का लाभ दिया गया है। जिला डूंगरपुर में आर.ए.एस. प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुप्रति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से लम्बित आवेदन पत्रों का वर्षवार, वर्गवार एवं लम्बित का कारण सहित विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में सिरेमिक हब की स्थापना

53. **श्री गोपाल कृष्ण** (बीकानेर पश्चिम): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में खनिज पदार्थ बहुतायत रूप में पाये जाते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में पाये जाने वाले सिरेमिक पदार्थों के द्वारा औद्योगिक बाजार में विकास हेतु सिरेमिक हब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर जिले में खनिज क्ले, जिप्सम, बजरी, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, पोटाश, मुल्तानी मिट्टी तथा मेसनरी स्टोन बहुतायत रूप में पाए जाते हैं।

(2) जी नहीं। उद्योग विभाग तथा रीको, बीकानेर से प्राप्त सूचना जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है, के अनुसार बीकानेर जिले में सिरेमिक हब स्थापित किये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कुपोषित बच्चों के लिए विशेष कार्ययोजना

54. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्रों के माध्यम से 0-3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती व धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान लाभान्वितों का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में गत 5 वर्षों में कितने कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान की गई? उक्त का परियोजनावार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना या अन्य किसी योजना के तहत कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों के उपचार हेतु कोई विशेष योजना का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार के कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों के लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? हां, तो क्या व कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में माह दिसम्बर, 2016 तक कुल 60666 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 54936 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 5730 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 0-3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है। गत पांच वर्षों में लाभान्वित होने वाले बच्चे, किशोरी बालिकाओं व गर्भवती व धात्री महिलाओं का जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा अतिकुपोषित बच्चे एवं महिलाओं का प्रारम्भिक अवस्था में पता चलने पर दोगुना पूरक पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर दो किशोरी

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

बालिकाओं का चयन कर दोगुना पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है, बच्चे, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) समेकित बाल विकास सेवाएं एवं चिकित्सा विभाग द्वारा आशा सहयोगिनी के माध्यम से अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर बच्चों को एमटीसी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। अब बच्चों को कुपोषण से बचाने के सम्बन्ध में कार्य योजना का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के मां-बाड़ी केन्द्र के शिक्षकों का नियमितिकरण

55. **श्री जगदीश नारायण** (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने मां-बाड़ी केन्द्र कहां-कहां कब से संचालित हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा उक्त मां-बाड़ी केन्द्रों पर शिक्षक लगाये गए हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत तथा उनको वर्तमान में क्या मानदेय दिया जा रहा है? नियुक्ति सम्बन्धी नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षकों को फिक्स मानदेय दिया जा रहा हैं? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार उक्त शिक्षकों की सेवाओं को देखते हुए भविष्य में इनको नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 1596 मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। जिलेवार एवं वर्षवार संचालित मां-बाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। मां-बाड़ी केन्द्र का संचालन गांव एवं फलों में गठित ग्राम शिक्षा समिति के मार्फत किया जाता है।

समिति द्वारा शिक्षा सहयोगी के चयन हेतु चयनित गांव/फलों के

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर वरिष्ठ योग्यताधारी का आम सहमति से चयन किया जाता है।

स्वच्छ परियोजना द्वारा योग्यता के आधार पर शिक्षा सहयोगियों को निर्धारित मानदेय उपलब्ध कराने हेतु ग्राम शिक्षा समिति को राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें से ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा सहयोगियों को भुगतान किया जाता है (वर्ष 2016-17 में शिक्षाकर्मी को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मानदेय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है)।

(3) हां। यह सही है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा सहयोगियों को फिक्स मानदेय उपलब्ध कराया जा रहा है। मां-बाड़ी केन्द्र पर शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। वर्तमान में इन शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उदयपुर ग्रामीण में माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

29. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने गांव माडा योजना में एवं कितने गांव बिखरी जनजाति योजना में आते हैं? सरकार द्वारा अब तक माडा एवं बिखरी जनजाति योजना में कौन-कौन से कार्यों की कितनी-कितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में विकास कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में माडा एवं बिखरी क्षेत्र में सम्मिलित गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

बडगांव एवं तहसील के गांवों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जोड़ने हेतु प्रस्ताव दिनांक 26.12.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। जिसकी सूची संलग्न है। परिशिष्ट-ब

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान सरकार के कार्यकाल दिसम्बर 2013 से अब तक माडा एवं बिखरी क्षेत्र में विभाग द्वारा 4 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है जिसकी विस्तृत सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) हां। सरकार उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में माडा एवं बिखरी क्षेत्र में सम्मिलित गांवों के विकास का विचार रखती है। विभागीय अनुमत योजनाओं के तहत प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यों को स्वीकृत किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज-शाहबाद के सहरिया क्षेत्रों का विकास

30. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री ललित कुमार)

(2) क्या सरकार बारां जिले के किशनगंज-शाहबाद सहरिया बहुल क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर सहरियों के जीवन स्तर को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के बजट में से बजट उपशीर्ष 796 मांग सख्ंया 30 में जनजाति विकास हेतु पृथक से बजट प्रावधान किया जाता है।

मांग संख्या 30 के बजट प्रावधान पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कोई नियन्त्रण नही है।

वर्ष 2016-17 में राज्य के कुल बजट 9969330.47 लाख रुपये में से 1433341.45 लाख रुपये का प्रावधान जनजाति प्रवाह के रूप में किया गया है जो कुल बजट का 14.38 प्रतिशत है। विवरण परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से सहरियाओं का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नयन हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। योजनाओं के संचालन हेतु वर्ष 2016-17 में संचालित योजनाओं एवं बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। आगामी वर्षों में भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं चल रही योजनाओं के दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं का संचालन किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में अनधिकृत वाहनों के संचालन पर रोक

31. **श्रीमती अंजू देवी धानका** (बस्सी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी में चल रही अनधिकृत स्कूल बसों, जीपों, जुगाड़ों, लाल व नीली बत्ती व साइरन लगे वाहनों पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2016 तक

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

वाहनों, जुगाड़ों एवं ट्रैक्टर ट्रोली में तेज ध्वनि से स्पीकर बजाने के कारण कितनी गाड़ियां जब्त की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बस्सी बस स्टैण्ड पर जीप स्टैण्ड के स्थान निर्धारित एवं उनका निर्धारित दूरी तक का किराया व मार्ग तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जयपुर से तूंगा व जयपुर से बांसखोह, कितनी प्राईवेट बसें वर्तमान में संचालित हो रही हैं? उक्त में से कितनी बसों के परमिट हैं? प्रत्येक संचालित होने वाली बसों के परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही बसों के आपरेटरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी जिला जयपुर में चल रहे अनधिकृत स्कूल बसों, जीपों, जुगाड़ों, लाल व नीली बत्ती व साइरन लगे वाहनों पर रोक लगाने हेतु नियमित रूप से जांच की जाती है।

(2) जनवरी 2014 से जनवरी 2016 तक वाहनों, जुगाड़ों एवं ट्रैक्टर ट्रोली में तेज ध्वनी से स्पीकर बजाने के कारण जब्त की गई गाड़ियों की संख्या शून्य है।

(3) निजी जीपों के लिए जीप स्टैण्ड का स्थान तय करने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है तथा न ही निजी जीपों का कोई किराया सरकार द्वारा तय किया जाता है। संविदा वाहनों (टैक्सी जीपों) के लिए स्टैण्ड का निर्धारण स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सम्बन्धित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.58 एवं राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 28.06.2008 द्वारा गठित जिला यातायात प्रबंधन समिति (टी.एम.सी.) की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.05.2014 से राज्य में चलने वाली मंजिली गाड़ियों एवं अधिसूचना दिनांक 13.08.2007 से नगरीय सीमा में संचालित होने वाले टैक्सी कैब वाहनों का किराया निर्धारित किया हुआ है। अधिसूचना दिनांक 13.08.2007 एवं दिनांक 27.05.2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जयपुर से तुंगा मार्ग पर 77 एवं जयपुर से बांसखोह मार्ग पर 2 प्राइवेट बसें संचालित हो रही हैं। इन समस्त के परमिट जारी हैं। उक्त बसों पर कार्यालय द्वारा जारी अनुज्ञापत्रों (रजिस्टर में दर्ज इंद्राज) की छायाप्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। फिटनेस प्रमाण-पत्रों की प्रतियों का विभिन्न कार्यालयों से संकलन किया जा रहा है। संकलन होते ही इन्हें उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

(5) जी हां। अवैध रूप से चल रही बसों के आपरेटरों के विरुद्ध नियमित रूप से जांच की जाती है।

बस्सी क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही बसों के आपरेटरों के विरुद्ध जनवरी 2014 से जनवरी 2016 तक 111 चालान बनाये गये हैं एवं कार्यवाही निरन्तर जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान

32. **श्री संदीप शर्मा** (कोटा दक्षिण): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज से सेवानिवृत्त कई कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति परिलाभ का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और कितने कर्मचारियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोटा सहित प्रदेश के कई मार्गों पर रोडवेज बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा रोडवेज की आय और यात्री भार बढ़ाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा इसके सेवानिवृत कर्मचारियों को माह फरवरी 2014 से उनके सेवानिवृति परिलाभ जैसे ग्रेच्युटी, उपार्जित अवकाश, पांचवे/छठे वेतनमान का एरियर आदि का भुगतान नहीं किया गया है। सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों के विवाह अथवा गम्भीर

(परिवहन मंत्री)

बीमारी की स्थिति में ही केवल ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2016 तक 3967 सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान किया जाना शेष है।

निगम वर्ष 1997-98 से लगातार हानि की स्थिति में रहने के कारण इसकी रोकड़ तरलता (Cash Liquidity) की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है। फण्ड में कमी के कारण निगम अपने विभिन्न संचालन व्यय यथा स्पेयर पार्टस, टायर टयूब्स, बुकिंग एजेन्ट कमीशन, अनुबंधित वाहनों आदि का भुगतान यथा समय नहीं कर पा रहा है। निगम कर्मचारियों का वेतन/पेंशन का भुगतान भी माह की प्रथम दिनांक को नहीं किया जाकर बाद की तिथियों में टुकड़ों में किया जा रहा है। फण्ड में कमी के कारण ही निगम द्वारा अपने सेवानिवृत कर्मचारियों के सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(2) जी हां। निगम के सीमित संसाधनों एवं कम यात्रीभार के कारण कोटा सहित प्रदेश के कई रूटों पर वाहनों का संचालन बंद किया गया है।

(3) निगम द्वारा लाभ में लाने हेतु निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में अन्य राज्यों से लाये गये वाहनों का पंजीकरण

33. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़)ः क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अन्य राज्यों से खरीद कर लाई गयी मिनी बसों/ट्रकों को राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने के नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मुम्बई महाराष्ट्र में वर्तमान में वाहनों की एन.ओ.सी. आन-लाइन नहीं की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नियमानुसार एन.ओ.सी. का 45 दिवस में जवाब नहीं आने पर राजस्थान राज्य के नम्बर देने के निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो अब तक नम्बर नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय जगतपुरा, जयपुर में वर्ष 2012 से 2016 तक अन्य राज्यों से खरीद

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कर लाई गयी मिनी बसों एवं ट्रकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना लम्बित है? यदि हां, तो किन-किन मिनी बसों एवं ट्रकों का? वाहन मालिक का नाम एवं वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परिवहन कार्यालय में वर्ष 2012 से 2016 तक अन्य राज्यों से खरीद कर लायी गयी कतिपय मिनी बसों को उक्त कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने सम्बन्धी पत्रावलियां गुम हो गयी हैं? यदि हां, तो किन-किन वाहनों की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा गुम हुयी वाहन रजिस्ट्रेशन की पत्रावलियों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जगतपुरा, जयपुर परिवहन कार्यालय में मिनी बस MH-43H-0336, MH43-H390 एवं पिकअप MH-01 LA 2820, MH02-YA-5156 व MH04-DL-4429 आदि वाहनों का रजिस्ट्रेशन गत तीन-चार वर्षो से लम्बित है? यदि हां, तो क्यों तथा इतने विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार अब उक्त सभी वाहनों का जयपुर में लम्बित रजिस्ट्रेशन के प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अन्य राज्यों से खरीद कर लाई गयीं मिनी बसों/ट्रकों को राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने के नियम निर्धारित है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39, 47 व 48 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 व 58 में उक्त प्रावधान वर्णित है, जिनकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महाराष्ट्र राज्य के कुछ परिवहन कार्यालयों जैसे थाणे, मुम्बई (वेस्ट), वासी, नवी मुम्बई आदि कार्यालयों से एन.ओ.सी. आनलाइन प्राप्त नहीं होती है, जबकि पुणे कार्यालय द्वारा जारी एनओसी आनलाइन है। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 48(4) के अनुसार आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस में राजस्थान राज्य में पंजीयन किये जाने के नियम हैं। एन.ओ.सी.

(परिवहन मंत्री)

आनलाइन होने की स्थिति में सत्यापन आनलाइन कर तुरन्त ही स्वामित्व हस्तांतरण कर दिया जाता है एवं एन.ओ.सी. आनलाइन नहीं होने की स्थिति में जिस कार्यालय से एन.ओ.सी. जारी की गई है, उस कार्यालय को सत्यापन हेतु पत्र लिखा जाता है एवं दूरभाष पर सम्पर्क कर एन.ओ.सी. सत्यापन की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस कार्यवाही के दौरान वाहन संचालन निर्बाध एवं सुगम बनाने के लिए स्वामित्व हस्तांतरण की कार्यवाही तुरन्त कर दी जाती है। संदर्भित विभागीय आदेश संख्या 23/98 दिनांक 24.11.98 की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। एन.ओ.सी. जारी कर्ता कार्यालय से एनओसी सत्यापन होने पर एवं वाहन स्वामी द्वारा पुन: पंजीयन की फीस जमा करवाने एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वाहन को नवीन पंजीयन क्रमांक दिया जाता है। पुनः पंजीयन की निर्धारित फीस जमा नहीं कराने एवं स्वामित्व हस्तांतरण के समय जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने के कारण पुन: पंजीयन के प्रकरण लम्बित रहते हैं।

(3) जी हां। यह सही है कि अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक अन्य राज्यों से खरीद कर लाई गयी 224 मिनी बसों एवं 30 ट्रकों का रजिस्ट्रेशन किया जाना लम्बित है। बसों की व ट्रकों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक अन्य राज्यों से खरीद कर लायी गई मिनी बसों की सभी पत्रावलियां कार्यालय में संधारित हैं। पत्रावलियां गुम नहीं हुई है।

(5) चूंकि संदर्भित अवधि की वाहन रजिस्ट्रेशन की पत्रावलियां गुम नहीं हुई हैं, अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(6) मिनी बस क्रमांक MH-43H-0336 एवं MH43-H390 की पत्रावलियों के सम्बन्ध में स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य 23.05.2014 को किया जा चुका है। भार वाहन MH-01LA2820 एवं MH02-YA-5156 की पत्रावलियों के सम्बन्ध में स्वामित्व हस्तांतरण का कार्य क्रमश: दिनांक 29.02.2016 व 03.10.2016 को किया जा चुका है। पुन: पंजीयन सम्बन्धी कार्य केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 में निर्धारित पुन: पंजीयन फीस जमा नहीं कराये जाने के अभाव में लम्बित है। पिकअप संख्या MH04-DL-4429 की पत्रावली कार्यालय

(परिवहन मंत्री)

में लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के वाहन पोर्टल (VAHAN PORTAL) से प्राप्त आनलाइन जानकारी के अनुसार यह वाहन दुपहिया वाहन है।

(7) आवेदक द्वारा पुनः पंजीयन की निर्धारित फीस जमा करवाने एवं स्वामित्व हस्तांतरण के समय जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जावेगा।

इस सम्बन्ध में मिनी बस MH-43H-0336, MH43-H390 के वाहन स्वामी मोहम्मद अतीक को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 217 दिनांक 22.02.2017 एवं श्री सलीमुदीन को पत्रांक 218 दिनांक 22.02.2017 द्वारा सूचित कर दिया गया है। भार वाहन MH-01LA2820 के स्वामी श्री सुरेश सैन एवं MH02-YA5156 के स्वामी श्री अब्दुल वहीद को दिनांक 22.02.2017 को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया गया है कि पुनः पंजीयन की फीस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पुनः पंजीयन का कार्य किया जा सके।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले में निगम की बंद बसों का पुनः संचालन

34. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में कानोड़ वाया मंगलवाड-डूंगला के लिये पूर्व में संचालित राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग के ग्रामीणों द्वारा पुनः निगम की बस सेवा प्रारम्भ किये जाने की मांग की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए उक्त मार्ग पर चित्तौड़गढ़ से कानोड के लिये निगम की बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ से कानोड वाया मंगलवाड-डूंगला के लिये पूर्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा संचालित थी। पूर्व में

(परिवहन मंत्री)

संचालित सेवा की आय कम आने के कारण मार्ग परिवर्तन कर वर्तमान में उक्त सेवा चित्तौड़गढ़ से मंगलवाड-डूंगला-बान्सी मार्ग पर संचालित की जा रही है।

पूर्व में संचालित सेवा से प्राप्त आय एवं यात्रीभार का विवरण तथा वर्तमान में संचालित सेवा का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त मार्ग पर निगम वाहन संचालन हेतु ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल उक्त मार्ग पर वाहन संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

35. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओला** (झुंझुनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में गत तीन वर्षों में कौन-कौनसी नई सड़कें बनाई गई हैं व कौन-कौन सी सड़कों व राजकीय भवनों की मरम्मत कराई गई है? उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई व कार्य किन-किन एजेंसियों द्वारा कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की गत 10 वर्षों में कौन-कौनसी सड़कों का नवीनीकरण नहीं किया गया? क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में गत तीन वर्षों की अवधि में 23 नवीन सड़क निर्माण एवं 16 सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत कार्यों पर व्यय सहित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2 एवं राजकीय भवनों की मरम्मत का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) विधानसभा क्षेत्र झुन्झुनूं में गत 10 वर्षों की अवधि हो जाने के पश्चात् भी नवीनीकरण नहीं की गई 9 सड़कें हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। सड़कों का नवीनीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा नगर (सांगानेर) की पेयजल योजना का कार्य

36. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा नगर, सांगानेर में पेयजल योजना के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पेयजल योजना का कार्य पूरा कर दिया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा नगर, सांगानेर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय वित्त समिति की 703वीं बैठक दिनांक 29.04.2016 द्वारा राशि रुपये 494.59 लाख की जारी हुई थी। उक्त समिति के निर्णयों के संक्षिप्त सार की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त योजना हेतु प्रस्तावित लेवी चार्जेज तय करने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने के कारण इसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(3) जी हां। उपरोक्तानुसार लेवी चार्जेज तय करने के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय होने के उपरान्त योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाकर बजट उपलब्धतानुसार इसका कार्य प्रारम्भ कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर बांध से जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने की योजना

37. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त समस्या के समाधान हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में लगातार गिरते भू-जल की

(श्री जगदीश नारायण)

समस्या को ध्यान में रखते हुए बीसलपुर बांध से जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भू-जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत एवं भूजल विभाग द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। बीसलपुर बांध के पानी का उपयोग पूर्व में ही निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा चम्बल नदी बेसिन की सहायक नदियों में उपलब्ध अधिशेष जल की न्यून जल उपलब्धता वाले नदी बेसिनों में हस्तान्तरित करने हेतु एक समेकित योजना 'पूर्वी राजस्थान नहर योजना' परिकल्पित की गई है। उक्त योजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तकनीकी आंकलन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत 25 RWD (पीलीबंगा) में नियमित पेयजल की आपूर्ति

38. **श्रीमती द्रोपती** (पीलीबंगा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 25 RWD के चक 22 RWD में पेयजल की नियमित आपूर्ति हो रही है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चक में अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2016 तक पेयजल की नियमित आपूर्ति नहीं थी? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की ग्राम पंचायत 25 आर.डब्ल्यू.डी. के ग्राम 22 आर.डब्ल्यू.डी. हेतु स्वजलधारा योजना वर्ष 2005-06 में स्वीकृत हुई थी तथा वर्ष 2006-07 में उक्त योजना अन्तर्गत

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

लाभान्वित किया जाकर योजना का संचालन एवं संधारण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुभाष चन्द्र बोस स्वजलधारा समिति, चक 22 आर.डब्ल्यू.डी. (ढाणी नेहरोवाली) द्वारा किया जा रहा है। इस ग्राम की वर्तमान अनुमानित आबादी 1348 (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार आबादी-1248) की प्रतिदिन कुल पेयजल मांग 74 किलोलीटर के अनुरूप पेयजल आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वजलधारा योजना के संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की है।

सुभाष चन्द्र बोस स्वजलधारा समिति, चक 22 आर.डब्ल्यू.डी. (ढाणी नेहरोवाली) के पत्र दिनांक 19.02.2017 के अनुसार ग्राम 22 आर.डब्ल्यू.डी. में दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2016 की अवधि में दैनिक जल मांग अनुरूप नियमित पेयजल आपूर्ति हुई थी। पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विराटनगर के खराब ट्यूबवैल की मरम्मत

39. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में जनता जल योजना/स्वजल योजना में ग्राम पंचायतों को स्वीकृत किये गये ट्यूबवैल वर्तमान में सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के खराब ट्यूबवैल को सही कराने पर वर्ष जनवरी, 2009 से जनवरी, 2017 तक कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जनता जल एवं स्वजलधारा योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा समय-समय पर 105 थ्री-फेस नलकूप स्वीकृत कर चालू किये गये। इनमें से वर्तमान में 73 नलकूप (10 नलकूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कर चालू किये गये) सुचारु रूप से चालू तथा 32 नलकूप सूख जाने के कारण बंद हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त जल योजनाओं अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के शेष स्वीकृत 4 नवीन नलकूपों के विरुद्ध 3 नलकूप वेधन के दौरान सफल रहे हैं तथा 1 नलूकप असफल रहा है। इन 3 सफल नलकूपों को माह अप्रैल, 2017 तक चालू करना प्रस्तावित है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की जनता जल एवं स्वजलधारा योजनाओं अन्तर्गत स्थापित नलकूपों के रख-रखाव (संधारण) पर दिनांक 1 जनवरी, 2009 से दिनांक 31 जनवरी, 2017 की अवधि में रुपये 34.89 लाख की राशि व्यय की गई। वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़बास की लम्बित थ्री-फेज नलकूप योजना

40. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के कौन-कौन से ग्रामों में थ्री फेज नलकूप की योजना के बिना पेयजल सप्लाई किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से ग्राम की थ्री फेज नलकूप पेयजल योजना सरकार के पास विचाराधीन है? उक्त विचाराधीन योजनाओं को अब कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास की पंचायत समिति, किशनगढ़बास एवं कोटकासिम के हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित क्रमश: 60 एवं 65 ग्राम, इस प्रकार कुल 125 ग्रामों में हैण्डपम्पों से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुनिश्चित किये जाने के कारण इन ग्रामों में थ्री-फेज नलकूप निर्मित नहीं किये गये हैं। ग्रामवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक जनसंख्या वाले 11 ग्रामों हेतु हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक/ क्षेत्रीय जल योजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव बनाये गये हैं। इन प्रस्तावों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की स्वीकृति पर वरीयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में विचार किया जावेगा। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा के जल प्रदाय केन्द्रों की क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत

41. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनेक जल प्रदाय केन्द्रों की चारदीवारी एवं गेट क्षतिग्रस्त होने के कारण उनका रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाती है? यदि हां, तो उक्त केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त चारदीवारियों तथा गेटों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण शीघ्र करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु कुल संचालित 37 जल प्रदाय केन्द्रों (हैडवर्क्स) में से 20 हैडवर्क्स पर निर्मित चारदीवारी क्षतिग्रस्त तथा गेट इत्यादि नहीं होने से इनकी सुचारु सुरक्षा व्यवस्था वर्तमान में नहीं हो पा रही है। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा के उक्त 20 हैडवर्क्स पर क्षतिग्रस्त चारदीवारी के पुनः निर्माण इत्यादि के कार्य की स्वीकृति बाबत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार निर्णय लिया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीसलपुर बांध की नहरों पर निर्मित धोरों की गुणवत्ता की जांच

42. श्री अजीत सिंह (टोंक): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अजीत सिंह)

(1) टोंक विधान सभा क्षेत्र की टोंक व टोडारायसिंह तहसीलों के बीसलपुर बांध की आर.एम.सी. एवं एल.एम.सी. नहरों से सिंचित गांवों के कितने क्षेत्रों में जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 तक सी.ए.डी. के तहत खेतों के पक्के धोरे व खालें कितनी राशि से निर्मित हुए हैं एवं कितने पक्के धोरे कहां-कहां निर्मित करना शेष है?

(2) उक्त सी.ए.डी. के तहत निर्मित धोरों की गुणवत्ता की कब-कब क्या-क्या जांच की गयी और जांच में कितने अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सी.ए.डी के तहत निर्मित धोरों की गारण्टी अवधि क्या है? उक्त कितने क्षतिग्रस्त धोरों की मरम्मत की गई है व कितने अभी तक क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक विधान सभा क्षेत्र की टोंक व टोडारायसिंह तहसीलों के बीसलपुर बांध की आरएमसी एवं एलएमसी नहरों से सिंचित गांवों में जनवरी 2014 से दिसम्बर 2016 तक 8057.48 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के धोरे व खालों का निर्माण किया गया जिस पर राशि रु. 1031.36 लाख व्यय हुई। 7543.19 हैक्टेयर क्षेत्र में पक्के धोरों का निर्माण किया जाना शेष है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सीएडी के तहत निर्मित धोरों की गुणवत्ता की जांच गुण नियंत्रण इकाई सीएडी, बीसलपुर/विभाग द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान नियमित रूप से की गई है। गुणवत्ता जांच के अन्तर्गत मिट्टी की डेन्सिटी, रेती/बजरी का एफ.एम., क्रेशरब्रोकन एग्रीगेट का ग्रेडेशन, टाइल्स की फ्लेक्जुरल स्ट्रेन्थ (Flexural Strength) आदि की नियमित जांच की गई है।

जांच के दौरान कोई भी अधिकारी/कर्मचारी व ठेकेदार दोषी नहीं पाये गये अत: इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) कार्य अनुबंध की धारा-37 के अनुसार सीएडी के तहत धोरों की गारंटी अवधि, धोरा निर्माण पश्चात एक वर्षाकाल अथवा 6 माह (जो भी अधिक हो) की अवधि निर्धारित है। सभी पूर्ण निर्मित धोरों को चक समितियों को सम्भलवा दिये जाते हैं एवं चक समिति द्वारा ही कृषक सहयोग से मरम्मत का कार्य करवाया जाता है। विभाग द्वारा धोरों की मरम्मत का कार्य

(जल संसाधन मंत्री)

करवाये जाने का कोई प्रावधान नही है। इसलिए क्षतिग्रस्त धोरो की जानकारी भी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयसमन्द बांध (अलवर) में पानी आने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

43. **श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षो में सूखे अलवर जिले के जयसमन्द बांध में वर्ष 2016 में अच्छी वर्षा होने से भराव हो पाया है? यदि हां, तो कुल कितना फुट पानी इस बांध में जमा हुआ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त बांध में पानी आने के रास्ते में अवरोध व अतिक्रमण हटाये हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति द्वारा उक्त बांध में पानी आने वाली नहर में अतिक्रमण किया हुआ था? अतिक्रमियों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान में भी उक्त बांध में पानी आने के मार्ग पर अतिक्रमण शेष है? यदि हां, तो किस व्यक्ति के व क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाकर जयसमन्द बांध को पूर्व स्थिति में भरने योग्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर स्थित जयसमन्द बांध में विगत 10 वर्षों के दौरान तीन बार पानी की आवक शून्य रही, वर्षवार पानी की आवक का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस वर्ष बांध में अधिकतम 16 '2' गेज पर 413.52 एम.सी.एफ.टी. पानी की आवक हुई।

(2) जी हां। बारां वियर से बांध तक निर्मित फीडर में अवरोध एवं अतिक्रमणों को हटाया गया, विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, वर्तमान में कोई अतिक्रमण चिन्हित नहीं है।

(4) जी हां। वर्तमान में चिन्हित अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर डेयरी के नवीन प्लांट के घटिया निर्माण कार्य की जांच

44. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है, जयपुर डेयरी के दूध, छाछ, लस्सी के नवीन प्लांट का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्लांट के निर्माण कार्य के आरम्भ एवं पूर्ण करने की तिथि, वर्ष, पूर्ण करने की अवधि, स्वीकृत बजट, अब तक खर्च बजट एवं मौके पर कार्य की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डेयरी प्लांट में अब तक किये गये निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है? यदि हां, तो कार्य की भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार डेयरी प्लांट के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब एवं घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही एवं वसूली करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जयपुर डेयरी द्वारा नवीन प्लाण्ट के निर्माण कार्य अन्तर्गत फेज-1 में ईटीपी प्लाण्ट का कार्य माह सितम्बर, 2015 में प्रारम्भ कर अगस्त, 2016 में पूर्ण किया जा चुका है। फेज-2 में डेयरी प्लाण्ट का कार्य माह दिसम्बर, 2016 से प्रारम्भ है, जिसकी कम्पलीशन अवधि मार्च 2018 है।

उक्त परियोजना की कुल लागत 208 करोड रुपये है, जिसमें से दिनांक 15 फरवरी, 2017 तक खर्चे के पेटे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को रुपये 109.08 करोड का भुगतान किया जा चुका है। डेयरी बोर्ड के अभियन्ताओं द्वारा दी गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 14-02-2017 प्रदर्श-क पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। डेयरी संयंत्र के निर्माण में अभी तक कोई घटिया निर्माण का प्रकरण सामने नहीं आया है और ना ही कोई अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध में मिलावट पाये जाने पर कार्यवाही

45. श्री रमेश (सपोटरा): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश)

(1) सरस डेयरी को वर्तमान में कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा दूध सप्लाई किया जा रहा है?

(2) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक उक्त में से किस-किस दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के दूध में मिलावट पाई गई?

(3) किस-किस समिति के दूध में एक से अधिक बार मिलावट पाई गई एवं मिलावट वाला दूध सप्लाई करने वाली सहकारी समितियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त में से किस-किस सहकारी समिति का दूध कब-कब रोका गया एवं कब-कब पुन: सप्लाई प्रारम्भ की गई एवं क्यों?

(5) अब तक कितनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को मिलावट के कारण असम्बद्ध किया गया व नहीं, तो क्यों?

(6) विभागीय अधिकारियों द्वारा कब-कब दूध में मिलावट प्रकरणों की जांच की गई एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आरसीडीएफ से सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध संघों द्वारा माह जनवरी, 2017 में कुल 12,167 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/प्रस्तावित दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संकलित किया गया।

(2) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 की समयावधि में जिन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध में मिलावट पाई गई उनका संघवार विवरण परिशिष्ट-''क-1 से क-13'' पर संलग्न है।

(3) जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2016 की अवधि में एक से अधिक बार मिलावट वाला दूध सप्लाई करने वाली समितियों का संघवार विवरण परिशिष्ट-ख-1 से ख-9 पर संलग्न है। उक्त समितियों पर की गई कार्यवाही का संघवार विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 की अवधि में जिन समितियों का दुग्ध संकलन रोका गया एवं पुन: प्रारम्भ किया गया, उनकी संघवार सूची परिशिष्ट-घ-1 से घ-7 एवं संकलन पुन: प्रारम्भ करने की प्रक्रिया का संघवार विवरण परिशिष्ट-''ड'' पर संलग्न है।

(डेयरी मंत्री)

(5) किसी समिति को असम्बद्ध नहीं किया गया है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां सहकारी अधिनियम अन्तर्गत नियमों एवं उपनियमों से संचालित होती हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य दूध उत्पादक के बिक्री योग्य अधिशेष दुग्ध को नियमित रूप से बाजार उपलब्ध कराना है। मिलावट के प्रकरण में समिति के दुग्ध संकलन में सम्मिलित मिलावटी दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक को चिन्हित कर उस सदस्य विशेष का दुग्ध बन्द कर दिया जाता है व समिति को निर्धारित मानक के अनुरूप दुग्ध आपूर्ति करने वाले अधिकांश दुग्ध उत्पादक सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए यथासम्भव दुग्ध समितियों को असम्बद्ध नहीं किया जाता है।

(6) आरसीडीएफ से सम्बद्ध समस्त जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध समितियों से प्राप्त दुग्ध का नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रियानुसार दुग्ध समिति/बीएमसी एवं डेयरी डाक पर प्रतिदिन गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। दूध में मिलावट पाये जाने पर मिलावटी दूध को ड्रेन किया जाता है एवं ऐसे दूध का भुगतान नहीं किया जाता है। दूध में मिलावट पाये जाने पर सम्बन्धित समिति को चेतावनी पत्र दिया जाता है। मार्ग प्रभारी द्वारा समिति स्तर पर प्रत्येक दुग्ध उत्पादक के दूध की जांच कर मिलावटी दूध देने वाले दुग्ध उत्पादक को चिह्नित कर उसका दूध बन्द किया जाता है। पुनरावृत्ति होने पर दुग्ध संघ द्वारा सम्बन्धित समिति का दूध ड्रेन कर भुगतान नहीं करते हुए शास्ती/भविष्य में मिलावट न करने बाबत शपथ पत्र लेना/समिति का दूध संकलन बन्द करना इत्यादि कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पोकरण की सहकारी समितियों को आनलाइन भुगतान

46. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र पोकरण की सहकारी समितियों को विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान आनलाइन किया जाता है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सहकारी समितियों को व नहीं, तो सरकार अब कब तक राशियों का भुगतान ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करना प्रारम्भ कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र पोकरण की 45 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बैंक का बिजनेस कारेस्पोन्डेन्स (बी.सी.) बनाकर विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान आनलाइन किया जा रहा है। 14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शेष 31 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होने पर आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ करवायी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई माधोपुर में प्रदत्त छात्रवृत्तियां

47. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं व कितनी शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में गत तीन वर्षों में (2013-14, 2014-15 एवं 2015-16) में स्वीकृत आवेदन पत्रों एवं लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार प्रदान करने की कार्ययोजना

48. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार प्रदान करने हेतु कोई योजना/कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्र

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई राशि और राज्य सरकार द्वारा योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिये बेरोजगारी कम करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग को रोजगार प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से इन वर्गों को रोजगार हेतु रियायती दर पर ऋण देने का कार्य किया जाता है। योजना की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्रार्यक्रमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराई गई और राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि का योजनावार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम

(राशि लाखों में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि	राज्य सरकार द्वारा उपयोग में ली गई राशि
2013-14	1465.36	1200.46
2014-15	1814.71	1024.84
2015-16	1330.28	363.04
2016-17 (दिस. 16 तक)	-	1039.19
योग	4610.35	3627.53

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

(राशि लाखों में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि	राज्य सरकार द्वारा उपयोग में ली गई राशि
2013-14	1075.29	747.21
2014-15	1043.54	1390.72
2015-16	321.62	321.62
2016-17 (दिस. 16 तक)	0.23	0.23
योग	**2440.68**	**2459.78**

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम

(राशि लाखों में)

वर्ष	एनएमडीएफसी नई दिल्ली से प्राप्त राशि	ऋण वितरण
2013-14	2616.66	3288.38
2014-15	2000.00	2106.93
2015-16	2000.00	1999.60
2016-17 (दिस. 16 तक)	1500.00	1101.14
योग	12321.66	11863.27

योजनावार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को रुपये 10,000 का अनुदान देने का प्रावधान है। गत तीन वर्षो में भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं उपयोग की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	वितीय लक्ष्य	वितीय उपलब्धी
2013-14	3119.00	3156.92
2014-15	5452.74	2404.86
2015-16	3397.04	2241.89
2016-17 (दिस. 16 तक)	निल	1004.39

(3) अनुजा निगम द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गो की बेरोजगारी कम करने हेतु अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु रियायती दर पर ऋण देने के लिये राज्य सरकार से वितीय वर्ष 2016-17 में और राज्य गारण्टी निम्नानुसार प्राप्त की गई है:

(राशि लाखों में)

क्र. स.	योजना	पूर्व में प्राप्त राज्य गारंटी	अतिरिक्त राज्य गारंटी वर्ष 2016-17
1	NSFDC (अनुसूचित जाति)	3337.17	2830.11
2	NSTFDC (अनुसूचित जनजाति)	2494.07	2000.00
3	NBCFDC (अन्य पिछड़ा वर्ग)	5400.67	5000.67

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई गारण्टी की स्वीकृति परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

अल्पंख्यक वर्गो में बेरोजगारी कम करने हेतु टर्म लोन शिक्षा ऋण एवं माइक्रोफाइनेन्स ऋण के अलावा महिला समृद्धि योजना चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं के महिला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं को देय अनुदान

49. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार को अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में उक्त योजना के तहत प्रदेश की कितनी निजी व स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान किस-किस मद में दिया गया व उनके द्वारा कितना व्यय किया गया? संस्थावार, वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 में जिन संस्थाओं ने अनुदान के लिए आवेदन किया था, उनको आज तक भी अनुदान नहीं मिला है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आवेदन करने वाली संस्थाओं के आवेदनों को स्थानीय स्तर से केन्द्र सरकार को नहीं भेजने के कारण केन्द्र सरकार से अनुदान नहीं मिला? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ राज्य में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं को संचालित गतिविधियों हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। योजना का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) भारत सरकार की दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों हेतु गत पांच वर्षो का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	कुल संस्था	कुल स्वीकृत राशि
1	2012-13	31	11167018
2	2013-14	46	15919937

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	कुल संस्था	कुल स्वीकृत राशि
3	2014-15	37	10098520
4	2015-16	49	13918952
5	2016-17	39	11185041
		कुल राशि	**62289468**

संस्थावार, वर्षवार विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) जी नही। वर्ष 2014-15 अन्तर्गत 37 वर्ष 2015-16 अन्तर्गत 49 तथा वर्ष 2016-17 अन्तर्गत 39 स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत किया गया। निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों को सम्बन्धित जिलें के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अभिशंसा के आधार पर राज्य स्तरीय अनुदान समिति की अभिशंसा उपरान्त भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु भिजवाया जाता है। उक्त प्रस्तावों में भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा नियमानुसार कमी पूर्ति/सुधार करवाकर बजट की उपलब्धता के अनुसार उसी वित्तीय वर्ष अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(4) जी नही। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की दीनदयाल नि:शक्त पुनर्वास योजनान्तर्गत एन.जी.ओ पोर्टल पर प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को सम्बन्धित जिलें के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अभिशंसा उपरान्त निदेशालय द्वारा आनलाइन प्राप्त सभी प्रस्तावों को राज्य स्तरीय अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उक्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर भारत सरकार को अग्रेसित किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर नगर निगम में संवेदकों की बकाया राशि

50. **श्री कैलाश भंसाली** (जोधपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण में विकास कार्यों के मद में ठेकेदारों की देनदारियां अभी तक बाकी

(श्री कैलाश भंसाली)

हैं? यदि हां, तो किन-किन ठेकेदारों की कितनी-कितनी देनदारियां बाकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त देनदारियों को चुकाने के लिए नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों संस्थानों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए वित्तीय पैकेज देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न ठेकेदारों की बकाया देनदारी 15.77 करोड़ रुपये है। इसमें से चालू देनदारियां 4.55 करोड़ रुपये है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विभिन्न कारणों से रोके गये भुगतान की राशि 11.22 करोड़ रुपये है, जिसका श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-'ब' संलग्न है। नगर निगम जोधपुर में विकास कार्यों के मद में 48.54 करोड की देनदारियां बकाया हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(2) नगर निगम जोधपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के आय के स्रातों से चालू देनदारियों का निरन्तर भुगतान किया जा रहा है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में देनदारियां विभिन्न जांचों के अधीन होने के कारण भुगतान रोके गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'द' से 'य' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना में भू-पट्टी का निर्धारण

51. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में भूपट्टी (Strip of Land) के सम्बन्ध में क्या नियम निर्धारित हैं? आवासीय भूखण्डों के पास भूपट्टी के निर्धारण किये जाने के क्या मानदण्ड है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की आवासीय योजना में एक ही खसरा नम्बर की भूमि पर काटे गये आवासीय भूखण्डों में से किसी भी भूखण्ड के पास बढ़ी हुई भूमि भूपट्‌टी (Strip of Land) की श्रेणी में आती है? यदि हां, तो किस आधार व किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किसी आवासीय भूखण्ड के पास बढ़ी हुई भूमि जो भूपट्‌टी की श्रेणी में आती नहीं है, का आबंटन किस दर पर किया जाता है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 में भूपट्‌टी (Strip of Land) को आबंटन करने का प्रावधान वर्णित है। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जविप्रा की आवासीय योजना में एक ही खसरा नम्बर की भूमि पर काटे गये आवासीय भूखण्डों में से किसी भी आवासीय भूखण्ड के पास बढ़ी हुई ऐसी भूमि जो Strip of Land की श्रेणी में नहीं आती हो आवासीय भूमि ही मानी जावेगी। भूमि मानचित्र में अंकित भूखण्ड के माप से मौके पर किसी कारणवश बढ़ जाता है और उक्त बढा हुआ क्षेत्रफल राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 में वर्णित भूपट्‌टी की व्याख्या के अन्तर्गत नहीं आता है, तो वह स्ट्रिप आफ लैण्ड की श्रेणी में नहीं होकर भूखण्ड का ही अविभाज्य हिस्सा माना जाता है। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक प.3(543) नविवि/3/2009 दिनांक 13.10.2011 में विधि विभाग की राय के अनुसार माना है। प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) किसी आवासीय भूखण्ड के पास बढ़ी हुई भूमि जो भूपट्‌टी की श्रेणी में नहीं आती है एवं जिसका स्वतंत्र उपयोग सम्भव नहीं है, का योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आबंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक प.3(543)नविवि/3/2009 दिनांक 13.10.2011 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर की मारूती नगर कालोनी के पट्टे उपलब्ध कराने की कार्यवाही

52. **श्री हीरालाल नागर** (सांगोद): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 4 बी, मारूती नगर कॉलोनी, दादी का फाटक, बेनाड़ रोड, जयपुर के किन-किन प्लाटधारी व्यक्तियों ने पट्टा विलेख/उपविभाजन के लिये आवेदन किया है? आवेदनकर्त्ताओं की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवेदकों को पट्टा विलेख देने के लिये कोई शिविर आयोजित करने अथवा जे.डी.ए. अपने स्तर पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कालोनी का नियमितिकरण पट्टा विलेख/उपविभाजन सम्बन्धी कार्य जे.डी.ए. स्तर पर किया जाना विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त कालोनी के प्लाट संख्या-55 के पूर्वी भाग का पट्टा विलेख/उप विभाजन के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो किस नाम से व इसका निस्तारण जे.डी.ए. द्वारा कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दी शिवा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 4बी, मारूती नगर कालोनी का एक आवेदन श्रीमती कल्पना शर्मा, भूखण्ड संख्या 55 का पट्टा विलेख व उपविभाजन हेतु एवं तीन आवेदन नाम हस्तान्तरण हेतु श्री पप्पू कुमार शर्मा, भूखण्ड संख्या 43, श्री मूल चंद सैनी, भूखण्ड संख्या 1 एवं श्रीमती भारती गुप्ता, भूखण्ड संख्या 12 के प्राप्त हुए हैं। उक्त आवेदन नगर निगम जयपुर द्वारा दिनांक 22.2.17 को नियमानुसार निस्तारण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर शीघ्र ही प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) जी हां। प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित की गई 543 कॉलोनियों की अधिसूचना गजट में दिनांक 31.03.17 तक नोटिफाई करायी जावेगी। इस दौरान इन कालोनियों में नाम हस्तान्तरण या पट्‌टे का आवेदन प्राप्त होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम से पत्रावली प्राप्त कर वांछित कार्यवाही करेगा। इस कालोनी से सम्बन्धित विचाराधीन आवेदन दिनांक 22.2.17 को नगर निगम जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को निस्तारण हेतु प्रेषित किये गये हैं।

(4) जी हां। प्लाट संख्या 55 के पूर्वी भाग के लिए पट्‌टा विलेख/उपविभाजन हेतु श्रीमती कल्पना शर्मा द्वारा नगर निगम जयपुर में आवेदन किया गया है। नगर निगम जयपुर ने दिनांक 22.2.17 को उक्त आवेदन नियमानुसार निस्तारण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है। जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

मिनी माउण्ट हल्देश्वर महादेव मंदिर (सिवाना) के जीर्णोद्धार की योजना

53. **श्री हमीरसिंह भायल** (सिवाना): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के कई मंदिरों को विभाग के नियंत्रण में लेकर उनकी सुरक्षा, संवर्द्धन एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है?

(2) बाड़मेर जिले में ऐसे कौन-कौनसे मंदिर हैं जो विभाग के नियंत्रण में आते हैं? विधान सभावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के प्रसिद्ध तीर्थस्थल मिनी माउण्ट हल्देश्वर महादेव मंदिर को विभाग के नियंत्रण में लेकर विकास कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का यात्रियों की सुरक्षा व

(देवस्थान राज्य मंत्री)

श्रद्धा के संरक्षण हेतु सेवाएं विकसित व ऐसे स्थलों का जीर्णोद्धार करने के लिए मास्टर प्लान बनाकर विकास कार्य चरणबद्ध रूप से कराये जा रहे हैं। जिसके तहत प्रथम चरण में निम्नांकित मंदिरों के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं:-

1. <u>बीकानेर संभाग</u> -
   - i. गोगाजी, गोगामेडी,
   - ii. सालासर बालाजी
2. <u>जयपुर संभाग</u>
   - i. खाटूश्याम जी,
   - ii. मेहन्दीपुर बालाजी
3. <u>अजमेर संभाग</u>
   - i. पुष्कर
   - ii. डिग्गी मालपुरा
4. <u>उदयपुर संभाग</u>
   - i. चारभुजा जी, गढबोर,
   - ii. रूपनारायण जी सेवंत्री
5. <u>भरतपुर संभाग</u>
   - i. चौथमाता, चौथ का बरवाडा
   - ii. कैलादेवी करौली
6. <u>कोटा संभाग</u>
   - i. कैशवराय के पाटन
   - ii. सूर्य मंदिर, झालावाड़
7. <u>जोधपुर संभाग</u>
   - i. रामदेवरा,
   - ii. नागणेचा जी पचपदरा

(2) बाड़मेर जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है।

(3) सिवाना विधान सभा क्षेत्र सिवाना का प्रसिद्ध तीर्थस्थल, मिनी माउण्ट, हल्देश्वर महादेव मंदिर, देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित

(श्री देवस्थान राज्य मंत्री)

राजकीय मंदिर नहीं है। अराजकीय मंदिरों को राजकीय नियंत्रण में लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रदेश में समेकित बाल विकास योजना के तहत व्यय राशि

54. **श्री अभिषेक मटोरिया** (नोहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना के तहत गत 5 वर्षों में राज्य को प्रतिवर्ष कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के लिए उपलब्ध कराई गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में राज्य सरकार ने अपने मद में तथा केन्द्र की राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद व्यय की? वर्षवार व परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितने बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाओं को योजना का लाभ पहुंचाया एवं कितने कुपोषित, अतिकुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनका उपचार किया गया? वर्षवार परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को योजनावार राशि प्राप्त होती है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त योजनावार राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा जिलेवार अनुदान उपलब्ध नहीं करवाया जाता है।

(2) उक्त योजनाओं में केन्द्रांश व राज्यांश का व्यय इकजाई रूप से किया जाता है तथा भारत सरकार को राज्य स्तर पर एकजाई कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जाता है। विगत पांच वर्षों में विभाग द्वारा की गयी एकजाई व्यय राशि का विवरण योजनावार, वर्षवार व परियोजनावार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं के तहत बच्चों, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित कर, उन्हें पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत विगत 5 वर्षों के दौरान बच्चों, किशोरियों व गर्भवती व धात्री महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लाभान्वित वर्ग		
		बच्चे	गर्भवती/धात्री	किशोरी बालिका
1	2012-13	2938576	924081	53522
2	2013-14	3037502	959799	60823
3	2014-15	2868934	892369	61231
4	2015-16	2781392	881413	75817
5	2016-17 (दिसम्बर, 2016)	2758569	864680	94005

परियोजनावार विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा अतिकुपोषित बच्चे एवं महिलाओं का प्रारम्भिक अवस्था में पता चलने पर दुगना पूरक पोषाहार देकर उपचारित किया जाता है। साथ ही प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर दो किशोरी बालिकाओं का चयन कर उपचारित किया जाता है, बच्चे, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में दिये जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता की जांच

55. **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बच्चों, लड़कियों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषाहार की जांच हेतु माह सितम्बर, 2016 में निविदा जारी की गई थी? यदि हां, तो किन-किन फर्मो को कितनी राशि थी एवं उन्हे क्या लक्ष्य दिये गये थे? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि हर माह बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रत्येक सेक्टर के एक केन्द्र से पूरक पोषाहार के नमूने एकत्र कर उपनिदेशक को भेजने थे? यदि हां, तो वर्ष 2016-17 में किन-किन सी.डी.पी.ओ. ने कब-कब कितने नमूने भिजवाये एवं उनकी क्या जांच रिपोर्ट आई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कई जिलों से तो नमूने भेजे ही नहीं गये और जिनके नमूने भिजवाये उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई? यदि हां, तो उक्त

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

अनियमितता के लिए किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लाभान्वितों को उपलब्ध कराए जा रहे पूरक पोषाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एन.ए.बी.एल. अनुमोदित प्रयोगशालाओं का पैनल तैयार करने हेतु माह जनवरी, 2016 में निविदा आमंत्रित की जाकर माह सितम्बर, 2016 में अनुमोदित की गई है। अनुमोदित की गई प्रयोगशालाओं का विवरण निम्नानुसार है-

1. मैसर्स एवान फूड लैब, सी 35/23, लौरेन्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली।
2. मैसर्स आईटीएल लैब्स प्रा.लि., बी-283-284, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज प्रथम, दिल्ली।
3. मैसर्स फिक्की रिसर्च एण्ड एनालिसिस सेन्टर, प्लाट न.-2 ए, सैक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली।
4. मैसर्स फेयर लैब, एल-17/3, डी.एल.एफ, फैज-II, इफ्को चौक, गुड़गांव (हरियाणा)।
5. मैसर्स सी.ई.जी. टेस्ट हाउस एण्ड रिसर्च सेन्टर, बी.-11 जी, मालवीय नगर, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर।

अनुमोदित दरों के आधार पर उक्त निविदा की अनुमानित लागत 237.60 लाख है। उक्त जांच कार्य सभी प्रयोगशालाओं को लगभग समान रूप से आबंटित किया है। इस प्रकार प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा एक वर्ष में लगभग 47.52 लाख का जांच कार्य किया जाएगा।

(2) जी हां। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित किए गए नमूनों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

असंतोषप्रद पाए गए नमूनों के लिए सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध एम.ओ.यू. की शर्तों एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी नहीं। सभी जिला कार्यालयों द्वारा पूरक पोषाहार के नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु प्रेषित किये गये हैं तथा प्रयोगशालाओं से जांच रिपोर्ट

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

प्राप्त हुई है। जिला कार्यालय द्वारा प्रेषित किये गये नमूनों एवं परिणाम का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 को सख्ती से लागू करने की योजना

56. श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम संख्या 37एन को सख्ती से लागू करवाकर खनन गतिविधियां संचालित रखने की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त नियम की पालना नहीं करने वाले खान मालिकों के विरुद्ध नोटिस देने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त नियम की पालना नहीं करने वाले खान मालिकों का खनन पट्टा/खनन अनुज्ञप्ति खण्डित कर उपरोक्त नियम की पालना करने तक खनन गतिविधियां स्थगित रखने तथा रवन्ना जारी करने पर रोक लगाने का आदेश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार खान मालिकों को उपरोक्त नियम के तहत नियुक्त किये जाने वाले उचित अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों को उचित वेतन देने का कोई आदेश या दिशा-निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उपरोक्त नियम की पालना नहीं करने वाले खान मालिकों को गत एक वर्ष में दिये गये नोटिस तथा नोटिस देने के 15 से 45 दिन के बाद की गई कार्यवाही का तिथिवार एवं जिलेवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत

(खान राज्य मंत्री)

नियम, 1986 के नियम संख्या 37एन की पालना खानधारियों से करवाते हुये खनन गतिविधियों को संचालित करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम संख्या 37एन की पालना नहीं करने वाले खान मालिकों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। जारी नोटिसों का विवरण परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है। नोटिस की निर्दिष्ट समयावधि में पालना नहीं होने पर नियमानुसार खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्सों को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि खनन पट्टाधारी/क्वारी लाइसेन्सधारी द्वारा नोटिस की पालना, खण्डित कार्यवाही के पूर्व कर दी जाती है तो ऐसे मामलों में खण्डित कार्यवाही नहीं की जाकर नियमानुसार शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। खानधारियों द्वारा उपरोक्त नियम 37एन की पालना नहीं किये जाने पर उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्सों को नियमानुसार खण्डित करने की कार्यवाही की जाती है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के प्रावधानों के तहत खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स खण्डित होने एवं विभाग द्वारा क्षेत्र का कब्जा राज्य पक्ष में लिये जाने के पश्चात् खानधारी क्षेत्र में खनन कार्य नहीं कर सकता है तथा ऐसी खानों के लिये रवन्नाएं जारी नहीं की जाती हैं।

(4) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के उपरोक्त नियम में खनन पट्टाधारियों द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अर्हता प्राप्त तकनीकी व्यक्तियों के वेतन सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है।

(5) उक्त नियम की पालना नहीं करने वाले खान मालिकों के विरुद्ध अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही का जिलेवार एवं तिथिवार विवरण परिशिष्ट-2 में उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बजरी खनन माफिया की रोकथाम

57. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में बजरी खनन माफियों द्वारा अवैध रूप से भार क्षमता से अधिक बजरी भरने व तेज वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं एवं सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु

(श्री जोगाराम पटेल)

कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

क्षमता से अधिक बजरी भरने तथा तेज वाहन चलाने पर परिवहन विभाग द्वारा मोटर व्हिकल एक्ट, 1951 के अन्तर्गत प्रचलित नियमों एवं प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में बजरी खनन माफियों द्वारा अवैध रूप से भार क्षमता से अधिक बजरी भरने व तेज वाहन चलाने से कोई दुर्घटना होने का प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है। क्षमता से अधिक बजरी भरने पर सड़कें क्षतिगस्त हो सकती हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउडेशन ट्रस्ट में उपलब्ध फण्ड के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।